सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का

पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी, से शिक्षा विषय में डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

शोधार्थी

महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निर्देशक

डॉ. जे. एल. वर्मा

रीडर
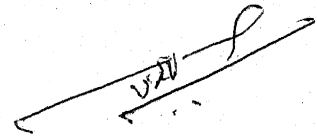
बुन्देलखण्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाँसी (उ0 प्र0)

CERTIFICATE

This is to certify that the work entitled, 'सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन' is a peace of research work done by **Shri Mahendra Kumar Shrivastava** under my guidance and supervision for the degree of *Doctor of Philosophy* of Bundelkhand University, Jhansi (U.P.) India. That the candidate has putin an attendance of more then 200 days with me.

To the best of knowledge and belief the thesis :

i. Embodies the work of the candidate himself ;

ii. Has duly been completed ;

iii. Fulfills the requirements of the ordinance relating to the Ph. D. degree of the University ; and

iv. is upto the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner.
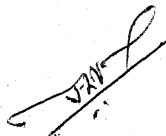
(Dr. J.L. Verma)

Spuervisor

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I declare that the thesis entitled, 'सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन' is my on work conducted under the supervision of **Dr. J.L. Verma** reader at Bundelkhand postgraduate degree college Jhansi (U.P.), Bundelkhand University, Jhansi (U.P.) approved dy Research Degree Committee. I have put-in more then 200 days attendance with the Supervisor at the centre.

I further declare that to the best of knowledge the thesis does not contain any part of any work which has been submitted for the award any of degree either in this University or in any other University/ Deemed University without proper citation.

(Mahendra Kumar Shrivastava)
Candidate

(Dr. J.L. Verma)
Spuervisor

प्राक्कथन

शिक्षा सामजिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है, जो उसके जीवन को सफल एवं सार्थक बनाता है। शिक्षा से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन तथा परिवर्धन होता है, व्यक्ति में मानवोचित गुणों का प्रतिस्थापन होता है जो देश, समाज तथा विश्व कल्याण के लिये आवश्यक है।

किसी देश, समाज एवं राष्ट्र की जिस प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, स्थिति होती है उसी के अनुकूल उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली होती है शिक्षा पर समाज की मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है, यदि कोई देश सामाजिक मान्यताओं से आवद्ध है तो इन मान्यताओं का प्रतिबिम्ब उस देश की शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है शिक्षा यदि किसी देश व समाज को प्रभावित करती है तो वह स्वयं भी उससे प्रभावित हुऐ नही रहती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की उन्नति हेतु अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत करने हेतु अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं। जिससे छात्रों छात्राओं का सर्वागीण विकास हो सके और वह अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आगे आ सके।

प्रस्तुत शोध में सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन अग्राकिंत अध्यायों के द्वारा किया गया है।

महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

शोधकर्ता

आभार

सामाजिक विषयों में शिक्षा एक ऐसा जटिल विषय है जिस पर शोध कार्य करना, सरल कार्य नहीं है, परन्तु मुझे मेरे निर्देशक का सहयोग एवं निर्देशन प्राप्त हुआ, जिनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के कारण शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे सम्बल प्राप्त हुआ। मैं उनके स्नेहिल व्यवहार, सादगी पूर्ण, ओजस्वी, तार्किक, कुशल निर्देशन के लिए सदैव आभारी रहूँगा। उन्हीं के आर्शीवाद, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

इस शोध कार्य में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉ0 जी0 सी0 बड़ोनी का सहयोग प्राप्त हुआ है। जिन्होंने नवोदय विद्यालय के प्रशासन, संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्धि करवाई है। इनके सहयोग के लिए में आभारी हूँ।

श्री **महेन्द्र खरे** बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी का भी इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त हुआ है मैं उनका भी आभारी हूँ।

अतः में सभी मित्रों के प्रति और उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है।

गोस्वामी कम्प्यूटर ग्राफिक्स, सिविल लाईन, टीकमगढ़ का आभारी हूँ जिनके कुशल कम्प्यूटर कार्य के द्वारा यह शोध प्रबन्ध आपके सामने हैं।

महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

शोधकर्ता

अनुक्रमणिका

अध्याय 1.

- प्रस्तावना
- समस्या का आर्विभाव
- समस्या का प्रतिपादन
- समस्या के तकनीकी शब्दों की परिभाषा

प्रस्तावना :–

स्वच्छंद क्रियाकलाप स्वभावतः रूचिकर होते हैं। प्राणिमात्र को, जागृत अवस्था में कुछ न कुछ हल चलें करते देखा जाता है, इन स्वच्छंद क्रियाकलापों में श्रम लगता हैं, पर यह श्रम उनकी स्वेच्छा से किया जाता है, जो उनके स्वभाव में सम्मिलित रहता है, इससे उनके शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम की आवश्यकता की पूर्ति होती हैं, उन क्रियाओं में कोई दबाव अनुभव नहीं होता है, न ही किसी प्रकार की थकान महसूस होती है, बच्चें इसी आधार पर दिनभर निरूद्देश्य भाग दौड़ करते रहते हैं।

हिरन, खरगोशों तक को इधर से उधर छलांग लगाते, मौरों को नाचते, और गूंजते देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सब वे किसी उद्देश्य या लाभ विशेष के लिये कर रहे हैं। यह सब स्वच्छंद क्रियाकलाप होते हैं, जो स्वभावतः रूचिकर होते हैं।

शिक्षण के सम्बन्ध में यह बात नहीं हैं, स्कूली पढ़ाई से लेकर शिल्प कौशल तक जितने भी काम हैं, वे प्रकृति प्रेरणा के अनुरूप स्वेच्छाचारी नहीं हैं, इनसे शरीर और मन को अनुशासन, एवं प्रतिवन्ध के अन्तर्गत जकड़ना पड़ता हैं, हाथों–हाथों उनका लाभ नहीं मिलता, इसलिए हर किसी के सामने से, जी उचटने, जल्दी थकने, एवं ऊब जाने जैसी कठिनाई सामने आ खडी होती हैं, इस पर काबू न पाया जा सके, तों मनुष्य अशिक्षित रहने पर, लदने वाले, पिछड़ेपन का भार वहन करता है प्रगति पथ, अबरूद्ध रह जाता हैं उपहासास्पद बनते हैं। शिक्षा में इस कठिनाई का समाधान कैसे किया जाये? इस संदर्भ में शिक्षा में रूचि एवं तत्परता बनाये रहने एवं निरन्तर रूचि एवं तत्परता की सीमा बढाने के लिये, रास्ते में आई रूकावटों पर विशेष रूप से विचार किया जाय एवं शिक्षा में रूचिकर पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाये, ऐसे पाठ्यक्रम में लगाने के लिए, शिक्षा के पूर्ण होने से होने वाले तात्कालिक लाभ एवं भावी लाभों का अनुभव कराते रहने से, शिक्षा में रूचि बढ़ती हैं, उसका ऊबाऊपन कम हो जाता हैं जो लोग अदूरदर्शी होते हैं, वह केवल तात्कालिक लाभ देखते हैं, लेकिन दूरदर्शी व्यक्ति भविष्य का ध्यान रखते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा की प्रेरणा देने वाले अभिभावकों शिक्षकों, शिक्षा व्यवस्था बनाने वाले शिक्षा प्रशासकों, विद्यालय एवं

शिक्षकों को, छात्रों को उनके द्वारा किये गये, प्रयासों तथा अध्ययन से उपलब्ध ज्ञान एवं शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान बार–बार कराना चाहिऐं, उपलब्धियों के सहारे जो सुविधा मिलती हैं, उसका प्रलोभन छोटे से लेकर बड़े तक के लिए, आकर्षक भी होता हैं, और प्रेरणास्पद भी, इसीलियें आवश्यक हैं कि शिक्षार्थी को जो कुछ भी सिखाया जाय, उसके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का परिचय ही नहीं, अनुभव भी कराते रहा जाय, इसी आधार को अपनाने पर ही शिक्षकों, शिक्षार्थियों और शिक्षालयों को सफलता का समुचित श्रेय मिलता हैं।

नर्रहुस, फेड्रिक स्किनर को व्यावहारिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता हैं, उनका मत है कि मानव व पशुओं के व्यवहार को, उनके परिणामों के द्वारा आंका जाना चाहिये, इसके आधार पर उन्होंने, अभी तक की मान्यताओं से हट कर अपने विचारों का प्रतिपादन किया, अभी तक व्यवहार को आन्तरिक विचार, मन की स्थिति, मानसिक व भावनात्मक तत्वों के कार्यकलाप को प्रभावित करने वाला माना जाता था।

आधुनिक व्यवहारवाद के पक्ष में इन दिनों जनमत का झुकाव बढ़ता जा रहा है जबकि पुरानी विचारधारा के लोग स्किनर को बुरीतरह कोंसते हैं, जिन दिनों स्किनर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोज और विकास विभाग में कार्य कर रहे थे, उन्होने किसी प्रकार कबूतरों को पनडुब्बी, और गाईडेड मिसाईल का चालन करना सिखाया, इसके अतिरिक्त उन्हें पिगंपोग खेलना, पियानों पर साधारण धुने बजाना भी सिखाया, जिस युक्ति के द्वारा इस कठिन विधि को सिखाया, उसे उसने सक्रिय अनुकूलन नाम दिया, इसके द्वारा उनका कहना हैं कि किसी भी जीवजन्तु को किसी भी कार्य के अनुकूल बनाया जा सकता हैं, किन्तु उस कार्य को करने में उस जीव का कुछ हित भी होना चाहिए। कबूतरों को, किसी विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिये, उन्हें उस प्रकार अनुकूलित करने के लिये, किसी भी क्रिया के साथ, किसी लाभ को जोडना होगा, इसका प्रयोग करने के लिये, स्किनर ने एक पेटी बनवाई, जिसे स्किनर पेटी के नाम से जाना जाता हैं, इस पेटी में एक चूहा रखा गया, और उसके भीतर ही एक छोटा सा लीवर लगाया गया, चूहा यदि इस लीवर पर चढे तो उसके वजन से, अनाज के कुछ दाने, उस पेटी में गिर जाते हैं, जिनकों वह खा

लेता था, थोड़ी ही देर में चूहे को अभ्यास हो गया, जिसकों स्किनर ने अनुकूलित होना नाम दिया, अब जब भी चूहे को भूख लगती, तो वह उस लीवर पर चढ जाता, और उससे जो दाने गिरते, उनसे अपनी भूख मिटाता होता, क्या जो घटना (लीवर दवाने की) आकस्मिक थी, वह अब आयोजित संकल्पित घटना बन गई, और उस कार्य के पीछें मिलने बाला लाभ (भोजन) छुपा है, इस प्रकार एक विशेष प्रकार का, चूहे से व्यवहार करवाकर, उसे अनुकूलित किया गया।

एक पशु या पक्षी की तरह मनुष्य भी अपना व्यवहार, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार ही करता है, एक भूखा या प्यासा मनुष्य, वही कार्य या व्यवहार करेगा, जिससे उसकी भूख या प्यास की तृप्ति हो, इसके अतिरिक्त मनुष्य के व्यवहार पर उसका पारिंवारिक इतिहास, व अभी की स्थिति शिक्षा, धार्मिक अनुभव, जन्मजात गुण और सभ्यता का भी असर पड़ता है, अच्छे परिणाम का, अच्छा व्यवहार और अनिच्छित परिणामों का, नकारात्मक व्यवहार होगा, जैसे कि किसी का हाथ बिजली के तारों से छू जाये, तो आवश्यक हैं, कि उसे झटका लगे, और हाथ हटा लेने पर, वह कष्ट न हो तो आगे वह समझ लेगा, और भविष्य मै वैसा व्यवहार नहीं करेगा, इसी प्रकार सूर्य की असहनीय धूप से, बचने के लिये, छाया में आने का प्रयत्न करेगा, यदि बच्चे को ठीक से स्कूल का काम न करने पर, शाला में शिक्षक के वैत का डर है, तो वह अपना काम करके ही, शाला जावेगा, अतः यह कहा जाय, कि परिणाम को देखकर ही, हम व्यवहार करते है, गलत नहीं है, व्यवहारवादियों का कहना हैं, कि व्यवहार अपने अनुकूल होगा, या प्रतिकूल होगा, यह सब समझा जा सकता है और उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है।

पुरानी विचार धारा के अनुसार, मनुष्य की आन्तरिक स्थिति ही, उसे व्यवहार करने को सुझाती है, जबकि स्किनर का कहना है, कि किसी व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव पहले होता है, उसके वाद वह व्यवहार करता है, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य को नियंत्रित किया जाता है, अतः मनुष्य को, मनुष्य के द्वारा परिणाम को भी दिखाकर, अपनी इच्छा के अनुकूल बनाया जा सकता है, और व्यवहार करवाया जा सकता है।

स्किनर ने कहा है, कि उनके प्रयोग साधारण वुद्धि वाले, और मन्द वुद्धि

वाले, बच्चों पर सफल रहे है, जहां दूसरी तकनीक असफल रही, वहां हमारा प्रयोग सफ़ल रहा हैं।

पढाना एक कला है, अभी तक की मान्यता को, स्किनर ने अब, पढाना एक विज्ञांन है, कहकर प्रतिपादित किया है, और चूहों और कबूतरों को सिखाकर बतला दिया है कि यह एक विज्ञान है, उनका कहना है कि कुत्ते अथवा अन्य किसी पशु को किसी भी उपयोगी कार्य से सम्बन्धित कर, व्यवहार कराया जा सकता है, यदि उस पशु को पता लगे, कि उसके इस व्यवहार करने से, उसे भोजन मिलेगा, इस विधि से कबूतर को ताश खेलना भी सिखाया जा सकता है, यदि विद्यालय में बालकों को, अच्छा बनाना है समाज के योग्य बनाना है, व्यवहार कुशल बनाना है, शैक्षिक रूप से उन्नत बनाना है, तो विद्यालयों में बालकों के अच्छे कार्यो, समय पर आनें के लिये, सर्वोच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों, सर्वोत्तम उपस्थिति वाले, छात्र–छात्राओं, खेल–कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वोत्कृष्ठ छात्र–छात्राओं को मेडल, ट्राफी, नगद पुरूष्कारों के माध्यम से पुरूष्कृत किया जाना चाहिये, जिससे छात्रों को यह एहसास हो, कि अच्छे कार्यो से, अच्छे अभ्यास के द्वारा उत्तम शैक्षिक उपलब्धि के कारण, हमें समाज में आदर्श स्थान प्राप्त हो सकता है, मेडल, ट्राफी, पुरूष्कार प्राप्त हो सकता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की ऊँचाइयों को हम प्राप्त कर सकते है।

वुनियादि तालीम में, बच्चों को कुछ बनाने का एक पाठ्यक्रम सम्मिलित है, इसमें बच्चे जो बनाते हैं, उसका श्रेय पाते और गर्व अनुभव करते है, यह अच्छी पद्धति है, शिशु मन्दिरों में नाश्ता एवं खाना मिलने का प्रलोभन, टाफी, विस्कुट, मिलने का प्रलोभन रहता है, कितने ही प्रयोगों में, पढ़ों और कमाओं की नीति, अपनाई गई है, और उससे पढने के लिये समय कम मिलने पर भी उत्साह वद्धि के कारण अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है, इस अनुभव को यदि शिक्षा के हर क्षेत्र, अथार्त शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करने, के लिये उपयोग में लाया जावे, जिससे शिक्षार्थी शिक्षण प्राप्त कर उसकी उपलब्धि से होने वाले, लाभ, उन्नति, सुविधा, की कल्पना करता रहे, और उसमें संलग्न रहने का अनुशासन अपना सके, तो शैक्षिक उन्नति सभंव है।

शिक्षा के अनुभव तभी उपयोगी हैं, जब वे व्यक्ति की रूचि से सम्बन्धित होते है, जब वे उसके जीवन में अन्तनिर्हित होते है, जब वे केवल वर्तमान समय पर ही योग नहीं देते, वल्कि भविष्य में, वुद्धिपूर्ण अनुकूलन, की और भी, संकेत करते हैं, जब उनमें खोज, और समस्या समाधान पर बल दिया जाता है, न कि केवल दिखावटी श्रम, या स्मृति पर बल होता है, तब वे सामाजिक सम्बन्धों को सन्तुष्ट करते हैं, सहयोग से कार्य करते हुये, शिक्षक एवं शिक्षार्थी को ऐसे लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिये, जो इस प्रकार के शैक्षिक अनुभवों को, संभव बनायें, तथा साथ ही साथ प्रभावोत्पादक योजनाओं का निर्माण करें, जो छात्रों को शिक्षा के लक्ष्यों को, प्राप्त करने में, शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करने में सहायता प्रदान करें।

" बालक का मस्तिष्क जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है वातावरण के सम्पर्क में आने पर, मस्तिष्क रूपी स्लेट पर ज्ञान अंकित होना प्रारम्भ होता है।"

जान लाक

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण बालक के सर्वागीण विकास में सर्वोपरि है।

वंशानुक्रम से तो केवल शक्तियों का वीजारोपण होता है, वातावरण इन शक्तियों को विकसित करने में सहायक होता है वातावरण के महत्व को बालक के सर्वागीण विकास में ध्यान रखा जाना अनिवार्य है और शिक्षा द्वारा बालक के सर्वागीण विकास के लिये उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे वह अपनी अर्न्तनिहित शक्तियों को सर्वोत्तम रूप से प्रकाशित कर सके।

विद्यालय बालकों के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसा वातावरण छात्रों को देते है जिससे उनका विकास हो सके।

विद्यालय की भूमिका निम्न शब्दों से स्पष्ट होती है।

मित्तल एम. एल. :– शिक्षा सिद्वान्त , लायल बुक डिपो, मेरठ

विद्यालय उस उर्वर भूमि के समान है, जिसमें बीजों को वो दिया जावे, तो समस्त बीज अंकुरित होकर सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं।

समस्या का आर्विभाव :–

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ 18 वीं शताब्दी के अन्त में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई इसके पश्चात ही माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के लिये अनेक प्रयास किये गये।

1. **सन 1835–1854 में माध्यमिक शिक्षा का विकास** :– हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे का आरम्भ लार्ड मैकाले के विवरण पत्र, में जिसको लार्ड विलियन वैंटिक ने स्वीकार करके, माध्यमिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, मैकाले की शिक्षा योजना को 10 मार्च 1835 को स्वीकृति प्रदान हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप, अंग्रेजी भाषा पर आधारित अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई। मैकाले के प्रयासो के फलस्वरूप 1852 तक सम्पूर्ण भारत में 32 अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किये गये।

2. **सन 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा** :– पत्र ने माध्यमिक शिक्षा के विकास में योगदान दिया। यह घोषणा पत्र आज भी भारतीय शिक्षा ढांचे का आधार है घोषणा पत्र में प्रतिपादित सहायता अनुदान प्रणाली ने माध्यमिक विद्यालयों के निमार्ण को प्रोत्साहित किया। 1854 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1663 और 1882 में बढ़कर 1966 तक पहुँच गई।

3. **हण्टर आयोग (1882)** :– मैकाले की शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा में कई दोष आ गये, जिनको दूर करने के लिये लार्ड रिपन ने 1882 ई0 में हण्टर आयोग की स्थापना की, जिसने माध्यमिक शिक्षा की सम्पूर्ण समस्याओं का अध्ययन कर अपना सुझाव प्रस्तुत किया, उसने हाईस्कूल की शिक्षा को दो भागों में बांट दिया, एक ओर उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले छात्र–छात्राओं को अलग पाठ्यक्रम बनाया गया तथा दूसरा, पाठ्यक्रम इस उद्देश्य से बनाया गया जिसके द्वारा नवयुवकों को व्यवसायिक तथा असाहित्यिक कार्यो के

शर्मा जे. वी. :– "आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक" पेज 246, 247, आनन्द प्रकाशन पाटनकर, बाजार ग्वालियर

लिये तैयार करना हो।

परन्तु न सरकार ने और न समाज ने इस बहुमूल्य सुझाव की प्रशंसा, की बल्कि इसका उल्लंघन किया– 1882 से 1902 तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5124 हो गई।

4. (1902) का विश्वविद्यालय आयोग माध्यमिक शिक्षा का इतिहास–

सन 1899 में लार्ड कर्जन भारत में गर्वनर जनरल वनकर आये, शिक्षा के सुधार हेतु 1901 में उन्होने शिमला में गुप्त सम्मेलन किया, 1902 में लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया, इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को यह अधिकार दे दिया, कि वे उन माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के लिये नियम बना सकते थे, जो अपने छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली मेट्रिक्यूलेशन परीक्षा में भेजना चाहते है।

5. 1913 का शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव :–

1913 में सरकार ने शिक्षा नीति सम्बन्धी अपना प्रस्ताव पास किया इस प्रस्ताव के अन्तगर्त माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित सिफारिशें की गई.

(1) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से, सरकार को पूर्ण रूप से नहीं हटना चाहिये।
(2) राजकीय विद्यालयों की संख्या में वृद्वि न की जायें।
(3) शिक्षकों का वेतन निश्चित किया जाये।
(4) परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम में सुधार किया जायें
(5) माध्यमिक विद्यालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिये उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाये।

शर्मा जे. वी. :– "आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक" पेज 247, 248, आनन्द प्रकाशन पाटनकर, बाजार ग्वालियर

6. **सैडलर आयोग 1919 :–**

इस आयोग ने परीक्षा आधारित शिक्षा के ढॉचे के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आर्कषित किया इस आयोग का निष्कर्ष था कि जब तक माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करके उसका आमूल परिवर्तन नहीं कर दिया जायेगा तब तक विश्वविद्यालय शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार करना सम्भव नहीं होगा। इस आयोग ने 1917 में प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये माध्यमिक शिक्षा में सुधार एवं पुनर्गठन के लिये विभिन्न समितियों एवं पुनर्गठन के लिये विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया –

(1) **हटांर्ग समिति (1929) :–**

सन 1929 में हटांर्ग ने यह स्वीकार किया, कि जनसाधारण की तुलना में, माध्यमिक शिक्षा की प्रगति कहीं अधिक हुई है परन्तु कमेटी ने यह भी कहा कि माध्यमिक परीक्षा मे अत्यधिक छात्रों के अनुत्तीर्ण होने में बहुत अपव्यय भी हो रहा है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया, कि आठवी कक्षा के पश्चात अधिकतर विद्यार्थियों को औद्यौगिक अथवा तकनीकी स्कूलों के लिये तैयार किया जा सके।

(2) **एबट–वुड रिपार्ट 1937 :–**

एबट–वुड ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया, कि सामान्य शिक्षा संस्थाओं के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली सस्थाओं को स्थापित किया जाये। परिणाम स्वरूप भारत में आद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्रो (Polytechnic) का जन्म हुआ। राज्यों में आद्यौगिक, व्यापारिक तथा कृषि सम्बन्धी विद्यालयों का भी आरम्भ हुआ।

(3) **सारजेण्ट रिपोर्ट– (1948) :–**

द्वितीय महायुद्व की समाप्ति के पश्चात सरकार ने शिक्षा के लिये युद्व स्तर पर विकास की योजना बनाई। इस कार्य के लिये तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार

शर्मा जे. वी. :– "आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक" पेज 248, 249, आनन्द प्रकाशन पाटनकर, बाजार ग्वालियर

सरजॉन सारजेण्ट की नियुक्ति की। सारजेण्ट ने अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस योजना में माध्यमिक शिक्षा के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गये।

1– हाई स्कूल का पाठ्यक्रम 6 वर्ष कर दिया जाये।

2– हाई स्कूल दो प्रकार के होने चाहिये। (1) शैक्षिक (2) तकनीकी की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। आठवी कक्षा तक की शिक्षा सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देनी चाहिये।

3– हाई स्कूलों में केवल योग्य तथा प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश दिया जाये।

4– सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम छात्रों की मातृभाषा होना चाहिये।

5– निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, कोई योग्य विधार्थी बाहर न रह जाये, निःशुल्क निवास, छात्र वृत्तियाँ, तथा वृत्तियों के रूप में सारे कोर्स में उदार सहायता का प्रबंध होना चाहिये।

6– शिक्षकों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निजी तथा सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों में वेतन, उस दर से कम नही होना चाहिये, जो कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट के फलस्वरूप इस काल मे माध्यमिक शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ सन 1917 के 4888 माध्यमिक विद्यालयों से बढकर 1947 में संख्या 12693 हो गई, माध्यमिक विद्यालयों में कुछ सुधार भी देखने में आये, जैसे–

(1) अंग्रेजी ही केवल शिक्षा का माध्यम न रही, बल्कि मातृभाषा भी एक विकल्प बन गई।

(2) प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की संख्या बढी और इस प्रकार शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो गया।

(3) शिक्षा के पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत बनाये गये, और व्यवसाय विशेष सम्मिलित किये गये।

उपरोक्त सुधारों के पश्चात भी माध्यमिक शिक्षा की प्रगति संतोष जनक न थी।

शर्मा जे. वी. :– "आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक" पेज 278, आनन्द प्रकाशन पाटनकर, बाजार ग्वालियर

श्री एच.बी. हेम्पटन ने ब्रिटिश काल की सेकेण्ड्री शिक्षा का सुंदर चित्र खींचा है–

" यह परिणाम निकालना उचित मालूम होता है, कि सैकेण्ड्री स्कूल प्रणाली सीमित शिकार है, यह परिवर्तनों सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा औद्यौगिक, जिनका आधुनिक भारत के निमार्ण में बहुत ज्यादा योगदान है, के साथ कदम–से–कदम मिलाकर नहीं चल सकी, और इसके साथ शिक्षा सिद्धान्त तथा अभ्यास के आधुनिकतम विकास के साथ भी नहीं चल सकी, पाठ्यक्रम किताबी तथा सैद्धातिक है, जो क्रियात्मक रूचि वाले विद्यार्थियो को आकर्षित नहीं करते, अंग्रेजी के शिक्षा माध्यम के कारण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ पड़ता है। यह व्यक्तिव पर बुरा प्रभाव डालता है तथा यांत्रिक बना देता है, क्रियात्मक तथा वैज्ञानिक विधियो की उपेक्षा की गई, तथा विद्यालय से बाहर के खेलों तथा मनोरंजन क्रियाकलापों का उचित प्रबंध नहीं किया गया, सारी स्कूल प्रणाली कठोर और लचक रहित है इसका एक विशेष लक्षण इसकी नीरस तथा थका देने वाली एक रूपता हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात (1947) माध्यमिक शिक्षा की छान–बीन करने के लिये कुछ समितियाँ और आयोग नियुक्त किये गये–

1– डा0 ताराचंद समिति (1948) :–

सन 1948 में भारत सरकार ने डा0 तारचंद की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसका मुख्य कार्य देश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के क्षेत्र में सुझाव देना था, इस समिति ने सुझाव दिया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की हो, इस 12 वर्ष की अवधि का विभाजन इस प्रकार हो– 5 वर्ष जूनियर वेसिक, 3 वर्ष सीनियर वेसिक तथा 4 वर्ष उच्चतर माध्यमिक

इस कमेटी ने उ0 मा0 स्तर की शिक्षा को बहुमुखी बनाने का सुझाव दिया–

2– विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) :–

पाठक एवं त्यागी :– " भारतीय शिक्षा आयोग" पेज 48, 49, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

सन 1948 में डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई, इस आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा तक सीमित था परन्तु आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये, माध्यमिक शिक्षा पर उसने महत्वपूर्ण बात कही, माध्यमिक शिक्षा, हमारी शिक्षा मशीनरी की एक सबसे कमजोर कडी है''

इस आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश 12 वर्ष स्कूल में अध्ययन करने के पश्चात दिया जाना चाहिये।

3– सैकेण्डरी शिक्षा आयोग (1952–53) :–

ताराचंद कमेटी और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार वोर्ड के परामर्श पर भारत सरकार ने डा0 ए0 एल मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया इस आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसने देश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का निरीक्षण किया, और इसे सुधारने और शक्तिशाली बनाने के लिये तर्कपूर्ण सुझाव दिये, इस आयोग ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विभिन्न दोषों का भी वर्णन किया। और उसमे सुधार लाने के लिये कई सुझाव दिये, इस आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का निम्मलिखित रूप में पुर्नगठन किया जाना चाहिये।

1. 6–14 वर्ष तक का 8 वर्ष का कार्यक्रम।
2. 14–17 वर्ष की आयु के बालको के लिये 3 वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रम।
3. हायर सेकेण्डरी के पश्चात 3 वर्ष का डिग्री कार्यक्रम।

4– शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) 1964–65 :–

इस सूची में, आधुनिकतम रिपोर्ट, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, जिसे लोकप्रियता के कारण कोठारी आयोग कहा जाता है, की है, इसने माध्यमिक शिक्षा में महान क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के सुझाव दिये हैं। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की और से शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, आयोग ने सुझाव दिया, कि माध्यमिक शिक्षा का व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्ध होना चाहिये।

पाठक एवं त्यागी :– " भारतीय शिक्षा आयोग" पेज 48, 49, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

इस आयोग ने 10 वर्ष की साधारण शिक्षा की, और इसके पश्चात 2 वर्षो के लिये व्यवसायिक शिक्षा की सिफारिश की है, इसने विद्यालयीन शिक्षा के लिये राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने के लिये भी कहा। इसने शिक्षण के नये पाठ्यक्रम तथा नये ढंग अपनाने पर जोर दिया।

5– अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1971–72) :–

संसार के शिक्षा इतिहास में, 1971–72 का अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, एक मील का पत्थर है, इसने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न नियंत्रणों तथा कक्षा कक्षों, और जीवन के बीच, सीमाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

साधारण स्कूल शिक्षा के लिये, जिसमें सेकेण्ड्री शिक्षा भी शामिल है इस आयोग ने सिफारिश की है

अध्यापन की विभिन्न विधियों में कठोर अन्तरों, साधारण, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवसायिक को छोड देना चाहिये, और प्राइमरी एवं सेकेण्ड्री स्तर तक, शिक्षा एक ही समय में सैद्धान्तिक, तकनीकी, क्रियात्मक तथा दस्तकारी युक्त बनायी जानी चाहिये।

इसके पश्चात छह पंचवर्षीय योजनाओं में भी सेकेण्ड्री शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान दिया गया।

1. सुविधाओं का विस्तार।
2. उच्च, माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालयों का खोला जाना।
3. चालू सेकेण्ड्री स्कूलों में सुधार।
4. पाठ्य–पुस्तकालयों का खोलना।
5. विज्ञान शिक्षा में प्रगति।
6. शिक्षको के प्रशिक्षण की तरफ ध्यान देना।
7. 10+2+3 शिक्षा प्रणाली बनाना।
8. सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था।
9. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण।
10. माध्यमिक शिक्षा बीच में ही छोडने वाले विधार्थियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था।

मित्तल :– " शिक्षा के सिद्धान्त" पेज 60, लायल बुक डिपो, मेरठ

विगत चार वर्ष पहले सम्पूर्ण राष्ट्र में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती मनाई गई है स्वतंत्रता के 54 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गये हैं इन 54 वर्षो का सिहावलोकन करने पर, एवं समीक्षा करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि विगत वर्षो में, हमारे देश में शिक्षां के क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन नहीं हुआ हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, जो शिक्षा अंग्रेजी शासको ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, अपने शासन को यथावत रखने, भारतीयों को परतंत्र बनाये रखने, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये, एवं बाबू (क्लर्क) बनाने के लिये लागू की थी, वही शिक्षा पद्धति आज वर्षो बाद भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारत मे चलाई जा रही है, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमारे समाज पर, हमारी भावी पीढ़ी पर, आज की युवा पीढ़ी पर, एवं होनहार छात्र–छात्राओं पर पड रहा है जिसके कारण हमारा समाज अपने उद्देश्यों एवं कर्तव्यों से भटक गया है। वही हमारी युवा पीढ़ी, छात्र–छात्राये, रोजगार, कर्तव्य परायणता शिष्टता, आत्मंनिर्भरता, व्यवसायिक कौशलों एवं जीवन व्यवहार सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, अर्न्तराष्ट्रीय सदभावना, नैतिक मूल्यों से विलग होती जा रही है जिसका मुख्य कारण है, कि वर्तमान शिक्षा अपने आप में एक समस्या है हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली संचालित की जा रही है, वह केवल ऐसे छात्र–छात्राओं एवं युवाओं को विकसित कर रही है जैसे किसी कारखानें से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो किसी कार्य के नहीं होते हैं। वह कारखाने से निकलकर केवल वातावरण में प्रदूषण मात्र फैलाते हैं।

वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली से, विद्यालयों, महा0 विद्यालयों, विश्व विद्यालयों, अभियांत्रिक महाविद्यालयों से केवल उपाधियाँ प्रदान की जा रही है जिससे हर क्षेत्र में बैरोजगारी बढ़ रही है, अर्थात वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल (पढ़ेलिखे) किताबी ज्ञान से परिपूर्ण, अनुभव हीन, सामाजिक, व्यवहारिक, चारित्रिक गुणों का अभाव वाले, युवा वर्ग को विकसित कर रही है, जिससे देश को भारी क्षति हो रही है, देश में बैरोजगारी बढ़ रहीं है। रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की लम्बी लम्बी सूचियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी हताश होकर, अपनी उपाधियों को निरर्थक समझ रहे हैं। और समाज विरोधी कार्यो की ओर

बढ़ रहे हैं। उनमें कुंठा, अवसाद पैदा हो रहा है।

हमारे महाविद्यालय और विश्व विद्यालयों की हालत ठीक पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों जैसी हो गई है। आज हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र केवल डिग्री के लिये ही प्रवेश लेते हैं, क्योंकि चाहे, कोई कितना होशियार, समझदार और योग्य क्यों न हो, वह बिना डिग्री के कोई पद प्राप्त नहीं कर सकता है। यहां पर पाठयक्रमों के बारे में कुछ नहीं कहा जाये, तो बेहतर होगा, पाठयक्रमों को आजादी के बाद से आज तक पुनरीक्षित ही नहीं किया गया है तथ्यों से यह भी साफ हो जाता है कि स्नातक स्तर की इतिहास की किताबों में आज भी सोवियत संघ राज्यों का संघ, बताया जाता हैं जबकि उसका विघटन हो चुका है अतः छात्रों को परीक्षा पास करने के लिये और अपनी जानकारी को ठीक रखने के लिये अलग से भी बहुत अधिक श्रम करना पडता है, यदि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को देखा जाय, तो वहां भी यही हाल हैं क्योंकि सब कुछ राज्य सरकार की मर्जी से चलता है उदाहरण के लिये महाराष्ट्र राज्य में प्राथमिक स्तर की इतिहास की किताबों में केवल शिवाजी ही हैं, उ0 प्र0, म0 प्र0 में इतिहास की किताबों में रानीलक्ष्मीबाई ही हैं, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में कैसे सफल हो पायेगें।

हमारे शिक्षा तंत्र की अनेकों कमियों का लाभ उठाते हुये निजी संस्थाओं ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विदेशी डिग्रियाँ देने का वादा करते हुये, विज्ञापन देकर छात्रों को लुभाना शुरु कर दिया है। बस इसके लिये आवश्यक शुल्क चुकाना जरूरी होता है देश में कई विद्यालय एवं महाविद्यालय तो ऐसे भी हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं और वोगस, फर्जी डिग्रियों को भी प्रदान करते हैं आये दिन बोगस, फर्जी डिग्रियों के घोटाले लगातार सामने आते रहते हैं, शिक्षातंत्र का अब पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया हैं।

अब यदि व्यवसायिक महाविद्यालयों, में प्रवेश की बात करे, तो कई उम्मीदवार जो कि प्रभावशाली होते हैं, वे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये, आवश्यक अंक प्राप्त किये बिना ही यहां प्रवेश पा लेते हैं, बात चाहे किसी प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय या व्यवसायिक पाठ्यक्रम महाविद्यालय की हो, वहाँ का प्रबंधन पूरी तरह से धन कमाने मे व्यस्त रहता है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पचास से अधिक इंजीनियरिंग कालेज हैं, तथा दर्जनों मेडीकल कालेज हैं और छात्रों से मनमानी राशि वसूली की जाती है और बदले में उनको डिग्रियां प्रदान करा दी जाती हैं जिनसे निकले अनुभव हीन उपाधिधारी छात्र–छात्रायें बेरोजगारी को बढ़ाने में मदद करते हैं।

वर्तमान परिवेश यानि, 21 वीं शताब्दी का प्रवेश, प्रतियोगिता, वैज्ञानिकता और जटिलता का है, इस प्रतियोगिता के, वैज्ञानिकता, जटिलता के समय में बोगस वि0 विद्या0, महाविद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों से निकले फर्जी डिग्री धारी छात्र–छात्रायें कहां तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक स्वाभाविक समस्या है। इस प्रतियोगिता के समय में, शिक्षा के क्षेत्र में पनपी व्यवसायीकरण की, धनोपार्जन की लालसा ने शिक्षा के क्षेत्र को कलंकित कर दिया है। जिससे प्रतिभाशाली, योग्य छात्र–छात्राओं को सही स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है उनके स्थान पर धनवान, पैसेवालों के अयोग्य, प्रतिभाहीन छात्र–छात्रायें धनबल, वाहुबल, राजनैतिक आधार के सहारे उच्च कोटि के व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर, देश की उन्नति में वाधक बन रहें हैं। प्रतिभावान योग्य छात्र–छात्रायें, सोंधनों के अभाव में पिछड रहे हैं।

अयोग्य छात्र–छात्रायें प्रवेश प्राप्त कर या तो पाठ्यक्रमों को शुरु वर्षो में ही छोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षो के पश्चात छोडे देते हैं। उनको पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में निर्धारित समय से दुगुना समय लगता है अथार्त वह पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रमों की निश्चित अवधि में पूर्ण न करके, कई वर्षो पश्चात पूर्ण कर पाते हैं।

आज कल केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों में केवल भौतिक जानकारियों की शिक्षा दी जाती है, शिक्षक, प्राध्यापक, पाठ्यक्रमों की जटिलता के कारण, विद्यालय अवधि में पूरी तरह से वर्णनात्मक शैली में नहीं समझा पाते हैं, और अभिभावक भी

पाठ्यक्रमों के तकनीकी विन्दुओं को नहीं समझते है। जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा शैक्षणिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है।

अधिकांश अध्यापक शिक्षा की नवीन जानकारियों से अनिभिज्ञ रहते हैं 1996 की राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में इस समय 44 लाख अध्यापक कार्यरत हैं तथा उनमें से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं तथा शिक्षण के नवीन उपागमों और परिपाटियो का प्रयोग शिक्षा में नहीं करते, अधिकांश अध्यापक प्राचीन परिपाटियों का प्रयोग करते हुये, छात्रों को इतना अधिक गृहकार्य करने के लिये दे देते हैं, कि बच्चों को शिक्षा का बोझ भारी हो जाता है, और वह गृहकार्य के कारण अन्य गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में शामिल नहीं हो पाते हैं, और उन पर मानसिक दबाव गहराता जाता है और वह सभी क्षेत्रों में उपलब्धि के अनुसार, अपने आप को कमजोर समझने लगता है उसमे हीनभावना का विकास हो जाता है। विद्यालयों में पाठ्यक्रमों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से पढ़ाया जाता है एवं पाठ्यक्रम की केवल परीक्षा उपयोगी जानकारियों को कठंस्थ करवाने पर जोर दिया जाता है उन्हीं को पढ़ाकर स्कूलों एवं कॉलेजो में, विश्व विद्यालयों में शिक्षकगण अपने कर्तव्यों की इति श्री मान लेते हैं। परीक्षकगण प्रश्न–पत्रों द्वारा यह मान लेते है कि छात्र–छात्राओं ने इन विषयो को किस सीमा तक याद किया है अर्थात उनके विषयों के कंठस्थ करने की क्षमता के आधार पर प्रमाण–पत्र, उपाधियाँ बी.ई., बी.ए., एम.ए., एम.एस.सी., विशारद प्रदान कर दी जाती हैं, यह उपाधियाँ वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं, यह पेट भर रोटी दिलाने में समर्थ नहीं हैं इनकी महत्वता दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राओं एवं उपाधि प्रदान करने वाले सस्थांनो पर भी आज शंका जाहिर की जाने लगी हैं।

प्राचीन समय की गुरूकुल प्रणाली का लोप हो चुका है गांधीजी की बुनियादि शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है इस दुर्गाग्यपूर्ण स्थिति के कारण प्रचलित शिक्षा पद्धति निरर्थक सिद्ध हो रही है।

अधिकांश कक्षाओं का पाठ्यक्रम विशेषतः माध्यमिक स्तर पर इतना जटिल और व्यापक है कि छात्र–छात्राओं को एक वर्ष की अवधि के भीतर अध्ययन करके परीक्षा देना और अपने अभिभावकों की आशाओं के अनुरूप शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त करना एक चक्रव्यूह भेदने के समान दिखाई देता है, उनके मानसिक स्तर और आयु से कहीं अधिक एडवांस और जटिल पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जाता है जो उनकी प्रगति में बाधक है। वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली अपने आप में एक समस्या है यह कई समस्याओं को उत्पन्न कर रहीं है इसमें कई कमियाँ है जो शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल हैं, शिक्षा के वर्तमान में विद्यमान स्वरूप के प्रत्येक स्तर पर चाहे वह प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक स्तर या उच्चत्तर माध्यमिक या महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन स्तर, पर कुछ न कुछ कमियाँ हैं। ज़ो समाज की प्रगति व देश की प्रगति में बाधक हो रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त इन कमियों को दूर करना आवश्यक है।

शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, प्रशासन, परीक्षा प्रणाली, सभी को वर्तमान के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है आज विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश होने वाले छात्रों का कुछ प्रतिशत छात्र, ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पाते हैं इसके अनेक कारण है कुछ छात्र तो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ छात्र शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में, कुछ छात्र विद्यालयों के वातावरण, पाठ्यक्रमों की जटिलता या विद्यालयीन पाठ्यक्रमों की, वर्तमान परिवेश में अनपयुक्तता, रोजगार मूलक शिक्षा की कमी, परीक्षा प्रणाली के दोषों के कारण अनुत्तीर्ण होकर, शिक्षा बीच में ही छोड़े देते हैं। इस प्रकार से शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन पाया जाता है अपव्यय एवं अवरोधन, परीक्षा प्रणाली के दोषों, पाठ्यक्रमों की वोझिलता, विद्यालयीन दूषित वातावरण, अनुपयुक्त शिक्षण विधियों, अन्य अनेक विद्यालयीन अनुचित गतिविधियों को दूर कर, उचित उपयोगी, उन्नतशील शैक्षणिक क्रिया कलापों के द्वारा, उपयोगी पाठ्यक्रमों के विकास के लिये शिक्षा में शोध, की आवश्यकता है शोध के द्वारा शिक्षा के स्वरूप को परिवर्धित, परिष्कृत, परिवर्तित कर समाजोपयोगी बनाने की आवश्यकता है जिससे भावी नागरिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त

कर सके, वह अपने अन्दर छिपी हुयी बहुमुखी प्रतिभाओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकाशित कर राष्ट्रहित, समाज हित में कर सके, साथ ही व्यक्ति हित के लिये सार्थक सिद्व हो सके।

कोठारी कमीशन (1964–66) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट में कहा है।

"इस समय भारत के भाग्य का निमार्ण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी पर आधरित आज के संसार में शिक्षा व्यक्तियों की सम्पन्नता, समृद्धि एवं सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यो में हमारी सफलता हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों के गुणों और संख्या पर निर्भर है।"

मानव के इतिहास में शिक्षा मानव समाज के विकास के लिये एक सतत् क्रिया और आधार रही है, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा ज्ञान और कौशल दोनों की ही क्षमताओं के विकास के माध्यम से शिक्षा, लोगों को, उनकी बदलती हुई परिस्थितिओं के अनुरूप बनने के लिये, उन्हें शक्ति और लचीलापन प्रदान करती है। सामाजिक विकास के लिये प्रेरित करती है तथा उसमें योगदान देने के योग्य बनाती है।

निःसंदेह, इतिहास से ज्ञात होता है कि राष्ट्रों के विकास में मानव संसाधनों द्वारा निर्वहन की गई भूमिकायें महत्वपूर्ण सिद्व हुई हैं वस्तुतः मानव ससांधनों का विकास करना शिक्षा का मुख्य कार्य है।

देश इक्कीसवी सदी में प्रवेश कर चुका है जो छात्र आज उ0 मा0 वि0 में परीक्षा दे रहे है। वही आने वाले वर्षो में महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों में प्रवेश ग्रहण करेंगे, इन छात्रों के सामने अनेक समस्यायें आती हैं, कि वह उ0मा0 स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात, वह किस पाठ्यक्रम में प्रवेश पायेंगें, यह उनके उ0मा0 स्तर की परीक्षा की उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है। इस दृष्टि से उ0मा0 स्तर की परीक्षाओं का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है इस स्तर की परीक्षायें महाविद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालयों अभि यांत्रिकी महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालओं की शिक्षा के पाठ्यक्रमों, का आधार होती है।

पाठक एवं त्यागी :– " भारतीय शिक्षा आयोग" पेज 48, 49, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

इस प्रकार उ0मा0 स्तर के पाठ्यक्रमों, अर्थात माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का उच्च शिक्षा के लिये महत्व पूर्ण स्थान है क्योंकि यह छात्रों के भावी जीवन को निर्धारित करने वाली शिक्षा है, उच्च शिक्षा का आधार है, नीव है एवं प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में स्वंतत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक कोई सर्वमान्य, सर्वव्यापक सुधार नही हुआ है, न ही, इसका इतना विस्तार हो सका है, कि यह सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके।

वास्तव में शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति की आधार शिला है, मुख्य रूप से उस राष्ट्र के लिये, जिसने प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपना रखा है, शिक्षा से व्यक्ति को देश के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है, तो राष्ट्र में राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा भी दृढ हो जाती है, प्रत्येक स्वतंत्र देश इस दृष्टि से ही शिक्षा के महत्व को समझता है, और अपने समस्त नागरिको को शिक्षित करने का प्रयास करता है।

" हमने अपने देश में धर्म–निरपेक्ष कल्याणकारी लोकतंत्र की स्थापना की है। हमें इसे सुदृढ एवं शक्तिशाली बनाना है, किन्तु यह सब तव तक संभव नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी आधारशिला ही सुदृढं एवं शक्तिशाली न हो, इस उद्देश्य के लिये यह आवश्यक है कि–उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त साहित्य–जो हमें सुदृढ एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की और अग्रसर करे।"

1964–66 में कोठारी कामीशन ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिससे शिक्षा के प्रति जनता में जागृति आई सन 1964–66 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 16150 तथा पढ़ने वाले विधार्थियों की संख्या 225000 हो गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्यक रूप से विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, प्रत्येक प्रदेश में उ0 मा0 वि0 एवं प्राथमिक

मित्तल :– " शिक्षा के सिद्धान्त" लायल बुक डिपो, मेरठ

विद्यालयों की सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बाढ़ सी आ गई।

सारणी क्र. 1.1

म0 प्र0 में विद्यालयों की संख्या (वर्ष 1991 में)

विद्यालयों के प्रकार	संख्या
प्राथमिक विद्यालय	66849
माध्यमिक विद्यालय	13977
हाई स्कूल	1695
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	2278

म0 प्र0 का निर्माण, राज्य पुर्नगठन के द्वारा 1 नबम्बर 1956 को हुआ, जिसमे विंध्यप्रदेश, भोपाल मध्यभारत एवं पूर्व म0 प्र0 के 14 जिलों को मिलाकर म0 प्र0 का निर्माण हुआ था। वर्तमान 2000 में फिर राज्यों का पुर्नगठन किया गया, जिससे 1 नबम्बर 2000 को म0 प्र0 के 3 राजस्व संभाग एवं 16 जिलो से नये छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, शेष राजस्व संभाग एवं जिले म0 प्र0 में ही रहे – वर्तमान म0 प्र0 एक नजर में

सारणी क्र 1.2

वर्तमान मध्यप्रदेश की स्थिति

विवरण	आंकडे
क्षेत्रफल	3.08245 वर्ग कि0 मी0
राजस्व जिला	45
तहसील	260
पचायंते	439
कस्बा	370
गॉव	55841

सारणी क्र. 1.1 जिला सांख्यिकी कार्यालय टीकमगढ़

मित्तल एम. एल. :– " शिक्षा सिद्धान्त" पेज 62, ईगल बुक्स इन्टरनेश्नल मेरठ, 25001

क्षेत्रफल की दृष्टि से म0 प्र0 भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परन्तु शैक्षिक दृष्टि से यह राज्य (1991 की जनगणना लिट्रेसी डाइजेस्ट के अनुसार) पिछडा राज्य है।

सारणी क्र 1.3

म0 प्र0 का साक्षरता स्तर (1991 की जनगणना के अनुसार)

वर्ष	साक्षरता प्रतिशत
1961	20.48
1971	26.37
1981	34.23
1991	44.67
2001	64.11

म0 प्र0 के सागर सम्भाग की शिक्षा व्यवस्था और भी गई बीती है सागर संभाग के अन्तगर्त टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर पाँच जिले आते है यह जिले 23 अप्रेल 1948 में देशी रियासतो के विलीनीकरण के समय विध्यंप्रदेश के अन्तर्गत आते थे। राज्य पुनर्गठन के समय 1 नबम्बर 1956 में जब म0 प्र0 का गठन हुआ, उस समय यह जिले म0 प्र0 में शमिल कर लिये गये थे। 26 जनवरी 1973 को इन पाँचो जिलो को मिलाकर बुन्देलखंण्ड के शोषित, पीडिंत, अशिक्षित एवं उपेक्षित नागरिको को नवचेतना देने के लिये सागर संभाग का निर्माण किया गया जिसका मुख्यालय सागर है।

सारणी क्र. 1.4

सागर संभाग में विद्यालयो की संख्या, (वर्ष 1991 के अनुसार)

विद्यालयो के स्तर	संख्या
प्राथमिक विद्यालय	3997
माध्यमिक विद्यालय	744
हाई स्कूल	116
उ0 मा0 विद्यालय	142
कुल	4999

श्रोत :– जिला संख्यिकी कार्यालय टीकमगढ़

सागर संभाग में विद्यालयों की संख्या, अन्य संभागो की तुलना में कम है, विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक स्टाफ एवं शैक्षिक सामग्री की भारी कमी है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है। साक्षरता की दृष्टि, से म0 प्र0 का साक्षरता प्रतिशत 64. 11 है, वही सागर संभाग के जिलो का साक्षरता प्रतिशत राज्य स्तर से भी कम है।

सारणी क्र 1.5

सागर संभाग के जिलो की साक्षरता (1991)

जिला	क्षैत्रफल	जनसंख्या	साक्षरता प्रतिशत
सागर	10.252	1646198	53.44
छतरपुर	8.687	1158853	35.20
पन्ना	7.135	684.721	33.68
दमोह	7.306	897544	46.27
टीकमगढ	5.048	940609	34.78

1986 की नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर जिले में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया गया, हर एक कि0मी0 पर प्रत्येक 500 की आबादी वाली बसाहटो एवं गॉवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 5.04 लाख प्राइमरी विद्यालय तथा 6.27 लाख मिडिल स्कूल खोले गये। प्रतिवर्ष 3.3 प्रतिशत की दर से विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती गई, 1982–83 में देश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 52.279 थी, जिसमें 6.3: प्रतिशत की दर से वृद्धि होती गई, जहाँ 1950 में 84 मिडिल स्कूलों पर एक उ0मा0वि0 था, वहाँ आज 3 मिडिल स्कूलों पर एक उ0मा0वि0 उपलब्ध है इस प्रकार से देखा जाये तो शैक्षिक सुविधाओं एवं शैक्षिक संस्थाओ में वृद्धि अपार हुई है, लेकिन शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार के साथ–साथ गुणात्मक सुधार नही हो पाया है, न ही गुणात्मक सुधार की दिशा में कोई धनात्मक कार्य किया गया है आज शिक्षा के हर स्तर पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है।

"दैनिक भास्कर ग्वालियर" 13 जनवरी 2002

वर्तमान म0प्र0 में, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राजीव गाँधी शिक्षा मिशन म0प्र0 भोपाल के सहयोग से, म0प्र0 के प्रत्येक जिले में शिक्षा गांरटी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सम्पूर्ण म0प्र0 में, नवाचारी शिक्षा गांरटी योजना 1998 के द्वारा 26000 शिक्षा गांरटी केन्द्र म0प्र0 में खोले गये है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत चलाये जा रहे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एवं पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन 1999 में शुरू किये गये, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण म0प्र0 में 21700 पढ़ना–बढ़ना समितियाँ बनाई गई, जिसके माध्यम से 30 लाख निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया एवं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा 1990–99 के दशक में 54 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (NSSO) के द्वारा प्रस्तुत आंकडो से पता चलता है, कि 1991 में, जहाँ म0प्र0 का साक्षरता प्रतिशत 44.67 था, वह प्रतिशत 16 औसत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़कर 1997 में 56 प्रतिशत पर पहुँच गया, वही शिक्षा गांरटी एवं पढ़ना–वढ़ना कार्यक्रम, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा साक्षरता प्रतिशत 2.7 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि की दर से सन 2001 में 64.11 प्रतिशत पर पहुँच गया हैं।

सारणी क्र 1.6

म0प्र0 की साक्षरता वृद्धि दर (NSSO के अनुसार)

वर्ष	साक्षरता प्रतिशत	औसत वार्षिक वृद्धि दर
1991	44.67	16%
1997	56%	
2001	64.11	2.7%

श्रोत :– राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (NSSO)

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, पढ़ना–वढ़ना आन्दोलन, शिक्षा गांरटी योजना के द्वारा साक्षरता का प्रतिशत 1997–2001 में 2.7 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 64.11 प्रतिशत हो गया है।

संख्यात्मक रूप से साक्षरता का प्रतिशत एवं साक्षरो की संख्या में वृद्धि हो गई, लेकिन इन नव साक्षरों की शिक्षा गुणवत्ता जहाँ की तहाँ रही है, वह केवल हस्ताक्षर करना ही सीख पाये हैं, वास्तविक अर्थो में तो वह निरक्षर ही हैं।

विश्व बैंक के प्राक्कलनों के अनुसार 21वी शताब्दी के वर्षो में विश्व के अनपढ़ों की संख्या में, भारत के अनपढ़ों की संख्या सबसे अधिक होगी, 15–19 आयु वर्ग में विश्व की निरक्षर आबादी के 54.8ः प्रतिशत लोग भारत में होगें। यदि देश को 21वी सदी की ऊँचाईयों की ओर ले जाना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करना होगा। आधे–अधूरे मन से चलायी जा रही शिक्षा योजनाओं को पूर्ण निष्ठा से चलाना होगा, कार्यक्रमो को उचित ढंग से, पूरे मनोयोग से संचालित करना होगा, जिससे शिक्षा के द्वारा समाज का निरक्षरता रूपी कलंक दूर हो सकेगा तथा समाज में यथोचित गुणों का विकास हो सकेगा। शिक्षा द्वारा शिक्षित समाज व्यक्ति जीवन यापन की कला में पारंगत हो सकेगे तथा राष्ट से बैरोजगारी, निरक्षरता, अराजकता जैसे राक्षसों को दूर किया जा सकेगा, तभी राज्य, देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकेगा, जब शिक्षा का सही अर्थो में उपयोग किया जावेगा, शिक्षा को लागू किया जावेगा। शिक्षा के संख्यात्मक प्रसार के साथ यह ध्यान रखा जाना जरूरी है, कि शिक्षा को रोजगार मूलक होना चाहिये, गाँधी जी की (1937) बुनियादि शिक्षा के सिद्धान्तों को समाहित किया जाना चाहिये, सीखने की प्रक्रिया में, करके सीखने के, सिद्धान्त, पर बल दिया जाना चाहिये, शिक्षा में नवाचार एवं शोधों का समावेश होना चाहिये।

आज उ0मा0विद्यालयों को, एक ऐसा दुष्कर कार्य करना पड़ता है, जिसमें कम संतोष जनक प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली द्वारा पढ़े, छात्रों को लेकर उन्हें जिंदगी की अगली मंजिल के लिये तैयार करना पड़ता है, और इस स्तर पर अनेक समस्याओं का सामना करना

पड़ता है, इनका पाठ्यक्रम अरूचिकर, प्रेरणाहीन, व्यवहारिक जीवन से अलगाव पैदा करने वाला है, छात्र–छात्राओं की अपरिमित संख्या के अनुपात में शैक्षिक साधनों, विद्यालयों, प्रयोगशालाओं, शिक्षकों, शिक्षण सामग्री की अत्यन्त कमी है, इसके साथ ही नवीन प्रक्रियाओं को निरूत्साहित करने वाले प्रशासनतंत्र के रहते हुये, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने की बात सम्भव नही हो सकती, आज यह एक आम बात है, कि अच्छे से अच्छे विद्यालयों में भी शिक्षण की गुणता / स्तर और अभिविन्यास इतना असंतोष जनक है, कि डाक्टरी और इन्जीयरी जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त कौचिंग लेना पड रही है, इसका परिणाम यह देखा जा रहा, कि शिक्षक विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था एवं शासकीय गैर शैक्षणिक कार्यो के कारण विद्यालयीन समय में निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूर्ण नहीं करा पाते है जिससे छात्र–छात्राओ को अपने पाठ्यक्रम की पूर्णरूपेण तैयारी हेतु अतिरिक्त कौचिगं का सहारा लेना पड़ रहा है, शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यो से मुक्ति दिलाने मे, प्रशासन, समाज, मूक दर्शक होकर देख रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है, कि उ0मा0 स्तर की शिक्षा प्राप्त छात्र–छात्राये, राज्य स्तर की व्यावसयिक पाठ्यक्रम चयन मंडल की परीक्षाओं में, अन्य राज्यों के छात्र–छात्राओं की तुलना में, पिछड रहे है।

ऐसी ही समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध के द्वारा सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयो के एवं शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के प्रयास सुझाये जा सकते है।

अतः निम्नशीर्षक के द्वारा शोध कार्य किया गया है।

" सागर सम्भाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन "

समस्या का प्रतिपादन :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में शिक्षा के विस्तार हेतु अनेकों शिक्षा संस्थायें खोली गई है, यह शिक्षा संस्थायें प्रबन्ध के अनुसार तीन प्रकार की है, जिन संस्थाओं का प्रबन्ध राज्य शासन द्वारा किया जाता है, वह संस्थायें राजकीय कहलाती है, तथा जिन शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध स्थानीय शासन या जिला पंचायत या जिला परिषद द्वारा किया जाता है, वह संस्थायें स्थानीय कहलाती है, इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार की संस्थायें है, जिनका प्रबंध एवं संचालन व्यक्तिगत समूहों द्वारा या समितियों द्वारा किया जाता है, अशासकीय कहलाती हैं।

उपरोक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में राजकीय या राज्य शासन द्वारा संचालित संस्थाओं की दशा कुछ अच्छी मानी जाती है, किन्तु इनकी संख्या देश में कम है, स्थानीय तथा व्यक्तिगत संस्थाओं की स्थिति ठीक नही है, इनमें काफी समस्याये है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार :-

" दुर्भाग्य वश सिथिलता के कारण अनेको विद्यालय शिक्षा संस्थाओं के रूप में न चलाये जाकर, व्यवसायिक उद्योगों के रूप में चलाये जाते हैं, अनेकों दशाओ मे व्यक्ति अपनी स्वंय की हैसियत से या व्यक्तियों के समूह, विना उचित भवन या उपकरणों के छात्रों का प्रवेश करके, विद्यालयों को चलाने लगते हैं, जिससे वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते है, कि शिक्षा विभागों के पास विद्यार्थियों के हित के लिये, उनको मान्यता देने के अतिरिक्त और कोई चारा नही होता है।

इस प्रकार कुछेक संस्थाओं को छोडकर अधिकांश उ0 मा0 स्तर की संस्थाऐ केवल छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं की अंक तालिकायें प्रदान करने का कार्य कर रही हैं, जिससे छात्र वि0 वि0 स्तर एवं व्यवसायिक कालेजों में प्रवेश के लिये होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में

· **मित्तल एम. एल. :- " शिक्षा सिद्धान्त" पेज 64, ईगल बुक्स इन्टरनेश्नल मेरठ, 25001**

असफल रहते हैं, तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि न्यूनतम होने के कारण वह किसी महाविद्यालय में अंक सूची के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात तीन चार वर्ष लगातार असफल होने के पश्चात, महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम भी छोड देते हैं, और अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर बैरोजगार हो जाते हैं, एवं समय की दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन को, एवं राष्ट्र को धोखा देने के सिवाय कुछ नही करते है।

हमारे देश के मा0 स्तर की शिक्षा का यह हाल, हर प्रान्त का है, जहां तक म0प्र0 का प्रश्न है, म0प्र0 में तो शिक्षा के नित नये प्रयोगों के कारण म0प्र0 शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा राज्य है म0प्र0 के बुन्देलखण्ड वाले जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह तथा सागर सागर संभाग के अन्तर्गत आते हैं, सागर संभाग के इन जिलों में शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पर आजादी के 54 वर्ष बाद भी व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं हैं, उच्चतर मा0 स्तर की शिक्षा के लिये छात्रों को आज भी 15. 20 कि.मी. दूर, दूसरे कस्वों में जाना पडता हैं, आवागमन के साधनों की कमी हैं, गरीबी एवं कृषि प्रधानता के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं कों आर्थिक अभाव के कारण बीच में ही पढाई छोड़ना पड़ती हैं, गरीबी एवं कृषि व्यवसाय के कारण छात्र–छात्रायें अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान नही देकर अपने अभिभावको के व्यवासाय में, परिवार के पालन पोषण में सहायता करते है।

ग्रामीण गरीब परिवार के लोग समाज में व्याप्त रूढ़ी वादिता एवं अंधविश्वासो के कारण शिक्षा के प्रति लागाव नहीं रखते हैं, जिससे वह शिक्षा को प्राप्त नही कर पाते हैं, 1986 की नई शिक्षा नीति में स्व. पूर्व. प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र की छात्र–छात्राओं को समान रूप से उनके अन्दर छिपी हुई, प्रतिभाओं को राष्ट्रहित में उपयोगी वनाने के लिये, एक अभिनव योजना शुरू की थी। जिसके तहत देश के हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में नवोदय विधालय खोलने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत वर्ष 1998–99 तक देश के 408 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं, इन नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच अन्तर कम करने

एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को अच्छी शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने एवं राष्ट्र को प्रतिभा सम्पन्न नागरिक उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकार के नवोदय विद्यालयों एवं सागर संभाग के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

समस्या के तकनीकी शब्दों की परिभाषा :–

विकसित राष्ट्रों की उन्नति का आधार उन राष्ट्रों का शिक्षा की दृष्टि से विकसित होना हैं, वहां की जनता का सुशिक्षित होना हैं, संसार की सभी समस्याओं का हल शिक्षा के द्वारा संभव हैं, किन्तु भारत में अभी तक शिक्षा एक समस्या बनी हुई हैं, शिक्षा की मूल समस्या हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति देश की युवा पीढी एवं छात्रों के जीवन उपयोगी नहीं है, यहां पर अशिक्षा एवं गरीबी आपस में एक दूसरे को इस तरह उलझाये हुये है, कि एक को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो दूसरा पक्ष इस सीमा तक रोड़े अटका देता हैं, कि प्रथम पक्ष और उलझ जाता हैं, गरीबी के साथ–साथ बाल विवाह, लंडका–लडकी में भेदभाव, रोजगार की समस्या, जनसामान्य में अभिरूचि की कमी एवं वातावरण का अभाव हैं, जिससे शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है शिक्षा जन सामान्य के जीवन का अंग नही वन पा रही है, शिक्षा जनसामान्य की समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, अतः शिक्षा को जनसामान्य की समस्याओं को हल करने योग्य बनाया जाना चाहिये, शिक्षा के पूर्व प्रचलित पौराणिक ढर्रे को समयानुसार बदलना आवश्यक है, जिससे शिक्षा, केवल शिक्षा न होकर, विद्या वंन जावे, शिक्षा केवल व्यक्ति को साक्षरता प्रदान करती है, लेकिन शिक्षा जब विद्या का रूप ले लेती है, तब वह अन्नपूर्णा एवं अमृतवर्षिणी का रूप धारण कर लेती है जिससे विद्या प्राप्त व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पूर्वक जीवन यापन करता है।

स्कूल शिक्षा में इन दिनों जो खामियाँ है, उन्हें निकालने क़ा प्रयास किया जाना चाहिये, और इनको दूर कर दिया जाये, तो स्कूली शिक्षा की उपयोगिता में चार चांद लग सकते हैं।

अभी दैनिक और व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले विषयों का समावेश, पाठ्यक्रमों में नहीं के बरावर है विश्वज्ञान, साईसं, भूगोल, इतिहास, रेखागणित, बीजगणित आदि की इतनी मोटी पुस्तके रखने की अपेक्षा, उन्हें कथा कहानियों के स्तर पर संक्षिप्त किया जा सकता है इन के साथ–साथ डाक, तार, रेल, सेलटेक्स, इनकमटेक्स बीमा, पंचायत, लोक स्वास्थ्य परिवार जैसे अनेकों पाठ्यक्रमों को जिनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग है, को सम्मिलित कर, शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

महिला शिक्षा, के विषय क्षेत्रों में थोडा सा अन्तर है, प्रसव, शिशु–पोषण, आहार–विज्ञान, पारिवारिक व्यवस्था, सिलाई आदि कितने ही विषय ऐसे है जो महिला शिक्षा के लिये बहुत उपयोगी है, इन विषयों को महिलाओं की शिक्षा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

शैक्षिक उपलब्धिः–

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य है कि शिक्षा सत्र के उपरान्त शिक्षा कें वार्षिक शैक्षिक मूल्यांकन का परिणाम। एक शिक्षा सत्र में छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल उनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है।

पारिवारिक कारकः–

इसके अर्न्तगत छात्र/छात्राओं के माता–पिता एवं अन्य सदस्यों का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव।

सामाजिक कारकः–

इसके अर्न्तगत मुहल्ला, पास पडोस विद्यालय सामाजिक संस्थान, मंदिर, आदि का प्रभाव।

आर्थिक कारकः– छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की आय का उनकी उपलब्धि परं प्रभाव।

अध्याय 2.

- नवोदय विद्यालय का उदय
- नवोदय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य
- नवोदय विद्यालयों का अर्थ
- जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना
- नवोदय विद्यालयों को खोलने के मापदण्ड
- नवोदय विद्यालयों का प्रशासनिक संगठन
- विद्यालयो में कर्मचारियों की भर्ती,
  प्रोत्साहन तथा विकास
- स्टाफ का व्यवसायिक विकास
- नवोदय विद्यालय समिति के लिये प्रशिक्षण संस्थान
  की स्थापना
- नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिये सुविधाये
- नवोदय विद्यालय का स्वरूप
- नवोदय विद्यालय और शिक्षा
- ग्रामीण प्रत्याशीयो के लिये आरक्षण
- शहरी प्रत्याशीयो के लिये आरक्षण
- परीक्षा का संघटन
- परीक्षा का संचालन
- शिक्षा का माध्यम
- सतत व्यापक मूल्यांकन
- शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप
- जवाहर नवोदय विद्यालयो में व्यवसायिक पाठ्यक्रम
- कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम
- कम्प्यूटर पत्रिका
- जवाहर नवोदय विद्यालयो का उद्देश्य

नवोदय विद्यालयों का उदय :–

शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करने एवं उसे नया स्वरूप देने के लिये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ने अगस्त 1985 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय कृष्ण चद्रं पंत के शिक्षा मंत्रित्व काल में एक दस्तावेज तैयार करवाया गया, इस दस्तावेज को तैयार करने के लिये, पूरे देश में शिक्षा विदों, शिक्षको, अभिभावकों के शिक्षा से सम्बन्धित विचारों की गोष्ठियां आयोजित की गई, तत्पश्चात शिक्षा की चुनौती नीति संबधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज तैयार करवाया गया, जिससे स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास पर विहंगम दृष्टि, शिक्षा समाज और विकास, वर्तमान शिक्षा के समीक्षात्मक मूलयांकन, एवं शिक्षा के स्वरूप के पुनःनिर्धारण के बारे में एक दृष्टिकोण को आधार प्रदान किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है, कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में आंतरिक एवं बाह्य कारणों सें एक ऐसी स्थिति आ गई है, जो समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है, समाज को शक्ति, संशक्ति ओर गतिशीलता प्रदान करने में असफल है बेरोजगारी बढ़ रही है अतः शिक्षा के द्वारा ऐसी मानव शक्ति को तैयार किया जावे, जो समाज के उद्देश्यों को, समाज की शक्ति को, गतिशीलता प्रदान करे एवं विश्व में व्याप्त प्रौधोगिक क्रान्ति में देश को उचित स्थान दिला सके।

शिक्षा का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया, और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा पद्धति को पूरी तरह बदल कर, नया रूप देने की परिकल्पना की गई, जिसके लिये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक विकास करना था, और शिक्षा को जनजीवन के साथ, अधिक से अधिक जोडने की बात कही गई थी, विज्ञान और टेक्नोलोजी के विकास के ऊपर विशेष बल दिया जावे, नैतिक सामाजिक मूल्यों का पोषण किया जा सके, शिक्षा नीति के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जावे कि जिससे चरित्रवान और योग्य, युवा पुरूष और महिला नागरिकों की पीढी तैयार की जा सके, जो राष्ट्रीय सेवा और विकास के प्रतिवचन वद्ध हों। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व होता है उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना पडता है माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा एवं जीवन की

शिक्षा की चुनौती :– "नीति सम्बन्धी परिपेक्ष्य" शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, अगस्त 1985

अगली मंजिल को तैयार करने की महत्वपूर्ण कडी है, प्रारम्भिक शिक्षा घिसी पिटी चली आ रही है संतोष जनक नहीं हैं। जिसका प्रभाव उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर पड़ रहा है उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में कई अनेक कमियाँ है जैसे प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात है छात्रों की संख्या के अनुपात से शिक्षको की संख्या कम है। पर्याप्त, योग्य, प्रशिक्षित, शिक्षको का अभाव, प्रेरणादायक, समाजोउपयोगी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अभाव है, सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त पाठ्यक्रमों का अभाव है समय के अनुसार, आने वाले वर्षो की मांग के अनुरूप, उपरोक्त कमियों के रहते हुये, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना, छात्रों के भविष्य को स्वर्णिम बनाना, बड़ा दुष्कर कार्य है अतः नई शिक्षा नीति 1986 में इन सव तथ्यों को दृष्टिगत रखकर देश के हर प्रान्त के प्रत्येक जिले मे नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात को इस दस्तावेज ने स्वीकार किया– वर्तमान समय में कुछ स्कूलों को छोडकर अन्य सभी उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालयों में उपरोक्त लिखित कमियाँ पाई जाती है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य :–

शिक्षा के समीक्षात्मक मूल्यांकन में यह बात सामने आयी कि आने वाले वर्षो, में प्रत्येक को गणित तथा विज्ञान में दक्षता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है इसलिये अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का यह पहलु उतने ही महत्व का है, जितना कि अनुशासन का पालन कराना अथवा संबिधान के भाग चार में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन कराना या उत्पादन में नवीन प्रक्रियाओं को लागू करने में, उसमें भाग लेने की न्यूनतम क्षमता का होना हैं। कुछ स्कूलों को छोडकर सभी माध्यमिक स्कूलों में इन पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है इसलिये ऐसे गति–प्रेरक स्कूलों को स्थापित करने की जरूरत है जो यह दिखा सकें कि अच्छी पढाई और अच्छी पाठ्यचर्या से रोजगार की दुनिया और उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने के लिये लडकों और लडकियों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, ऐसे विद्यालयों की स्थापना से किया गया, कि जो अन्य विद्यालयों की तुलना में उत्कृष्ट हो तथा सभी शैक्षणिक सुविधाओं से सम्पन हों अच्छा शैक्षणिक वातावरण हो, पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं को जीवन

उपयोगी होने के साथ–साथ उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि कर सके, तथा सम्पूर्ण विद्यालय समग्र रूप से हर क्षेत्र में जिले के अन्य विद्यालयों को एक गति प्रेरक (पेस सेटिंग) स्कूल के रूप में कार्य कर सके, एवं अन्य विद्यालय भी इस विद्यालय के क्रिया कलापों के अनुसार अपने विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार कर सके, अथार्त नवोदय विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त बनाकर, एक उदाहरण के रूप में चलाये जाने की बात कही गई, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गये।

नवोदय विद्यालयों के खोलने के पीछे एक दूसरा उद्देश्य यह था, कि ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध करवाने की बात सोची गई, शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का लाभ शहर के छात्रों को मिल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे विद्यालयों का अभाव था, इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्र, शैक्षिक सुविधाओं के अभाव, में पिछड रहे थे, और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के बीच, शैक्षिक असमानता बढ रही थी, ग्रामीण छात्रों को प्रतिभाओं का लाभ देश को नहीं मिल पा रहा था, इसलिये ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिये प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोले गये।

नवोदय विद्यालयों के आविर्भाव के पीछे यह तर्क था, कि विशेष प्रतिभा या अभिरूचि वाले बच्चों को, भले ही वह शिक्षाव्यय को, वहन करने में सक्षम हो या असक्षम, उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाये, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से अग्रसर हो सके।

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अर्न्तगत देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार प्रवर्तन एवं प्रयोग की सभी सुविधाओं से युक्त उत्प्रेरक (पेस–सेंटर) विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना समता, सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के बच्चों को आरक्षण देते हुये उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने, देश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों, को एक साथ रहकर उनकी सम्पूर्ण क्षमताओं को विकसित कर, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुदृढ़ करने, राष्ट्रव्यापी स्कूली शिक्षा के स्तर को उन्नत करने, में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिये इन विद्यालयों को, खोलने की बात नई शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी।

नवोदय विद्यालयों का अर्थ :—

नवोदय विद्यालयों का अर्थ ऐसे विद्यालयों से है जिनको प्रत्येक जिले में युक्त उत्प्रेरक (पेस—सेंटर) के रूप में खोला गया, जो निश्चित प्रतिरूप के अनुसार जिले के अन्य माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को शैक्षिक गुणवत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

नवोदय विद्यालय ऐसे आवासीय विद्यालय हैं जिनमें समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को आरक्षण देते हुये, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना, इनमें उच्च शैक्षिक लब्धि प्राप्त प्रतिभावान और विशेष अभिक्षमता वाले छात्र, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के, और आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के होगे, के तीव्रतर गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने वाले विद्यालय हैं। यह छात्र—छात्राओं को निशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन प्रदान करते हैं। ग्रामीण छात्र—छात्राओं को सामान्य, सुलभ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना :—

ग्रामीण प्रतिभावान, आर्थिक रूप से सक्षम या अक्षम छात्र—छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तगर्त देश के हर प्रान्त के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों के खोलने की योजना तैयार

की गई। इसका नाम नवोदय विद्यालय योजना रखा गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षो में 50 विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से कुल 150 विद्यालय खोलने का निणर्य लिया गया, जो इस योजना के शुरू होने से पहले ही स्वीकृत 280 विद्यालयों के अतिरिक्त हैं वर्ष 1998–99 तक देश के जिन राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों में योजना लागू हुई है उनके 408 जिलों में नवोदय विद्यालय स्वीकृत किये गये वर्ष 1998–99 में देश के निम्न जिलों में नवोदय विद्यालय स्वीकृत किये गये थे।

1. कानपुर देहात (उ0प्र0)
2. जालोन (उ0प्र0)
3. महाराजगंज (उ0प्र0)
4. पीलीभीत (उ0प्र0)
5. प्रतापगढ़ (उ0प्र0)
6. पानीपत (हरियाणा)
7. गडक (कर्नाटका)
8. रामपुर (कर्नाटका)
9. बडोदरा (गुजरात)
10. गांधीनगर (गुजरात)
11. भावनगर (गुजरात)

वर्ष 1998–99 पहले पूरे देश के विभिन्न प्रान्तों में 388 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी हैं। जिसे अगले पृष्ठ पर दर्शया गया है।

सारणी क्र. 2.1

वर्ष 1998–99 के पूर्व देश में वर्षवार स्वीकृत, स्थापित नवोदय विद्यालयों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित	1985–86	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91	91–92	92–93	93–94	94–95	95–96	96–97	योग
1.	आंध प्रदेश	0	4	12	3	1	0	1	0	1	0	0	0	22
2.	अरूचांल प्रदेश	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7
3.	बिहार	0	7	15	1	1	0	2	2	6	3	3	4	44
4.	गोवा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5.	गुजरात	0	2	4	0	1	0	2	2	1	0	0	0	12
6.	हरियाणा	1	2	3	3	0	0	0	3	0	2	0	0	14
7.	हिमाचल प्रदेश	0	4	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
9.	केरल	0	4	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	12
10.	कर्नाटक	0	6	10	2	0	0	0	0	2	0	0	0	20
11.	मध्यप्रदेश	0	7	13	8	0	0	2	12	3	0	0	0	45
12.	महाराष्ट्र	1	6	12	0	0	0	1	4	4	0	0	0	28
13.	मणीपुर	0	0	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	8
14.	मेघालय	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	6
15.	मिजोरम	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
16.	उड़ीसा	0	5	6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	16
17.	पंजाब	0	3	2	2	1	0	0	2	1	0	0	1	11
18.	राजस्थान	0	5	9	6	0	0	0	4	0	3	0	0	28
19.	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
20.	नागालैण्ड	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4
21.	त्रिपुरा	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
22.	उत्तरप्रदेश	0	10	9	10	1	0	6	8	0	2	0	0	46
23.	अण्डमान एवं निकोवार	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
24.	चण्डीगढ़	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25.	दा. एवं नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26.	दमन और दीव	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27.	दिल्ली	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
28.	लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29.	पांडिचेरी	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
30.	असम	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	0	2	17
	योग	2	81	126	47	05	0	19	44	26	23	5	10	388

नवोदय विद्यालय, प्रयोगशालाओं सह पाठ्यचर्या गतिविधियों, छात्रावासों एवं कर्मचारी वर्ग के आवास के लिये पर्याप्त भवनों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखते है, छात्रावासों का निमार्ण शयन कक्षों के रूप में किया जाता है जिनके साथ वार्डन एवं उसके परिवार के लिये आवासीय क्वार्टर जुडे होते है ताकि छात्रों को एक अनुकूल परिवार जैसा वातावरण प्रदान किया जासके। प्रत्येक छात्रावास के समक्ष, खेलों एवं जिम्नास्टिकों के लिये पर्याप्त खेल के मैदान की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

नवोदय विद्यालयो को खोलने के मापदण्ड :–

पहली बार मे नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिये स्थान का चुनाव, राज्य सरकार या संघ सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। नये नवोदय विद्यालय शुरू करने के लिये विद्यमान स्कूलों की अप्रयुक्त इमारतों, परियोजना भवनों तथा अन्य ऐसे ही खाली पडे परिसरों पर विचार किया जाता है लोक हितैषियों एवं स्थानीय लोगों से भी अंशदान लेने के प्रयास किये जाते हैं।

संघ शासित क्षेत्र, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित होना चाहिये, तभी नवोदय विद्याालय खोला जाता हैं।

– 30 एकड़, उपयुक्त भूमि।
– विद्यालय के स्थायी स्थल पर भवन निर्माण किये जाने की अवधि तक (3–4 वर्षो तक) के लिये 240 छात्र–छात्राओं एवं विद्यालय के स्टाफ के लिये पर्याप्त निर्माण एवं स्थान से युक्त, किराया मुक्त भवन।
– प्रस्ताव को स्वीकार करने की नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय की संस्तुति तथा स्थल का निरीक्षण आदि।
– विद्यालय के लिये प्रस्तावित भूमि एवं भवनों की उपयुक्त की जांच के बाद तकनीकी दृष्टिकोण से स्थल की संस्तुति।

नवोदय विद्यालयों का प्रशासनिक संगठन :–

हमारे देश में शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता, अंग्रेजी शासन काल से अधिक जोर पकड गई, सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थापना हमारे देश में सन 1855 में हुई थी, इसके पश्चात व्यक्तिगत संस्थाओं का उदय होना प्रारम्भ हुआ, जिससे शासकीय और अशासकीय दोनों प्रयासों से शिक्षा का विकास होना, प्रारम्भ हुआ और कुशल शिक्षा प्रशासन (संगठन) से हमारे देश में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की परिस्थितियों के बदलने, शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों, आदर्शो और मान्यताओं आदि सभी में बदलाव आना प्रारम्भ हो गया, देश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाने से शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया और नवीन शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता प्रतीत हुई वर्तमान स्थितियों में शिक्षा प्रशासन के सगंठन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जो निम्न कारणों पर आधारित है।

1. शिक्षा की सम्पूर्ण क्रिया, व्यक्ति एवं समाज के हित में संचालन हेतु।
2. बालकों के सर्वागीण विकास के लिये।
3. शिक्षा में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने के लिये।
4. शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि करने हेतु।
5. विभिन्न परिवर्तन शील परिस्थितियों में शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा को समायोजित करने के लिये प्रसाशनिक संगठन आवश्यक है।
6. शिक्षण कार्य में कुशलता, सरलता करने के लिये प्रशासनिक संगठन महत्वपूर्ण है।
7. शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों जैसे प्राचार्यो और शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने हेतु।
8. विद्यालय वातावरण को मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु।
9. विद्यालयों में उपकरणों, साधनों तथा शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु।
10. शिक्षकों, छात्रों, शिक्षण विधियों, शिक्षा प्रशासकों पाठ्यक्रमों एवं भौतिक साधनों के मध्य समन्वय एवं समायोजन स्थापित करने हेतु।
11. विद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में समयानुसार परिवर्तन, परिवर्धन कर उसको लागू करने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
12. शिक्षा के निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति हेतु नई नीतियों, योजनाओं को संचालित कर

उनका मूल्यांकन करना।

13. शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करना पर्यवेक्षण करना, प्रशासनिक संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है।

"शिक्षा प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रयास का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग, इस प्रकार किया जाता है। जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके, यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के विकास से ही संबधित नही है।"

"शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य सही शिक्षार्थी, को सही प्रकार के शिक्षकों से, राज्य के उपलब्ध साधनों के अन्दर, उसके न्याय से सही शिक्षा लेने योग्य बनाता है। जिससे शिक्षार्थी अपनी शिक्षा से लाभान्वित हो सकने योग्य बन सकेगा"

शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोष :– वैलफोर ग्राहम

नवोदय विद्यालयों को प्रशासन, संचालन के लिये एक समिति का गठन किया गया था, जिसे नवोदय विद्यालय समिति के नाम से जाना जाता है नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसे समिति पंजीकरण अधिनियम (1860-XXI) के अन्तगर्त दि. 28.2.1986 को दिल्ली में पंजीकृत किया गया है।

<u>नवोदय विद्यालयों का संचालन देश में नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका सगंठनात्मक चार्ट अगले पृष्ठ पर अंकित हैं।</u>

शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्ध :– राज प्रकाशन विजय नगर ,भिवानी हरियाणा
वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली
वर्मा डॉ. रामपाल सिंह :– शिक्षा प्रशासन विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

नवोदय विद्यालय समिति का संगठनात्मक चार्ट (2.2)
निदेशक
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
आन्तरिक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)
संयुक्त निदेशक (योजना अनुवीक्षण एवं निरीक्षण)
महाप्रबन्धक (निर्माण)
उप–निदेशक (प्रशासन)
उप–निदेशक (कार्मिक)
उप–निदेशक (वित्त)
उप–निदेशक शैक्षणिक)
उप–निदेशक (प्रशि.)
अधि. अभि.
अधि. अभि.
अधि. अभि.
अधि. अभि.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
सहा. निदे.
अनु. अधि. (प्रशा.)
अनु. अधि. (स्थापना)
अनु. अधि. (वित्त)
अनु. अधि. (बजट)
अनु. अधि. (लेखा परीक्षा)
अनु. अधि. (शैक्षणिक)
अनु. अधि. विश्लेषक
सहा अभि.
अनु. अधि. (निर्माण)
संभागीय कार्यालय
1. भोपाल
2. चण्डीगढ़
3. हैदराबाद
4. जयपुर
5. लखनऊ
6. पटना
7. पुणे
8. शिलांग
उप–निदेशक
सहायक निदेशक
सहा. निदेशक
सहा. निदेशक
सहा. निदेशक
अधिशासी
लेखाधिकारी अभियन्ता
अनु. अधि. (प्रशा.)
अनु. अधि. (वित्त)

कार्यकारिणी समिति :-

नवोदय विद्यालय एक कार्यकारिणी समिति के माध्यम से कार्य करती है यह कार्यकारिणी समिति नवोदय विद्यालय समिति के विधि ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करनें का प्रयास करती है, तथा समिति के सभी मामलों और निधियों के प्रबंध के लिये उत्तरदायी होती है। इसे समिति की सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। नवोदय विद्यालय समिति तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची में निम्न सदस्य होते है।

1.	मानव संसाधन विकास मंत्री शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	राज्यमंत्री (शिक्षा)	उपाध्यक्ष
3.	अपर सचिव शिक्षा	सदस्य
4.	वित्तीय सलाहकार शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	निदेशक नवोदय विद्यालय समिति	सदस्य
6.	आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
7.	अध्यक्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	सदस्य
8.	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य
9.	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान	सदस्य
10.	शिक्षा सचिव उ0 प्र0 सरकार	सदस्य
11.	शिक्षा सचिव आ0 प्र0 सरकार	सदस्य
12.	निदेशक लोक शिक्षण विहार सरकार	सदस्य
13.	निदेशक लोक शिक्षण गुजरात सरकार	सदस्य
14.	श्री मो0 अब्बास जमीर ए0 304 ताज इन्कलेब गीता कालोनी दिल्ली – 110031	सदस्य
15.	श्री जी0 एस0 चाचादी अधिवक्ता सदस्य वेटलोगल जिला वेलगांव कर्नाटक	सदस्य
16.	श्री रामशंकर यादव 373 सुभाष महल	सदस्य

सदर बाजार केन्ट लखनऊ (उ0प्र0)

17. श्री शफी हैदर रीडर — सदस्य

मिथिला विश्व विद्यालय पडवा

जिला सीतामढी (बिहार)

18. प्राचार्य जबाहर नवोदय विद्यालय — सदस्य

शिमला (हि0प्र0)

19. प्राचार्य जबाहर नवोदय विद्यालय — सदस्य

कोल्हापुर महाराष्ट्र

20. श्री बी. रामाराव — सदस्य

संयुक्त निदेशक प्रशासन

नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली

कार्यकारिणी समिति को, उसके कार्य संचालन में एक वित्तीय समिति तथा एक शैक्षणिक सलाहकार समिति सहायता प्रदान करती है, समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की भी स्थापना की गई है, जो अपने क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आने वाले नवोदय विद्यालयों के प्रशासन का संचालन करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यालयं के लिये, एक विद्यालय प्रबंध समिति नियुक्त की जाती है, जो नवोदय विद्यालय समिति तथा उसकी कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रतिपादित नियमों–विनियमों तथा दिशा निर्देशन के अन्तर्गत विद्यालयों का पर्यवेक्षण करती है।

प्रबन्धान्त्मक गठन :–

नवोदय विद्यालय समिति के प्रशासनिक ढांचे का कार्यकारी प्रधान निदेशक होता है, जो समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करता है मुख्यालय में इस कार्य के संचालन में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक उनकी सहायता करते हैं एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक उनकी सहायंता करते है।

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना :-

भोपाल, चंढीगढ, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पुणे, पटना, एवं शिलांग में आंचलिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये है जिनके अन्तगर्त निम्न क्षेत्र सम्मिलित है।

सारणी क्र. 2.3

स.क्र.	आं. के. का नाम	नवो.वि. संख्या	सम्मिलित क्षेत्र
(1)	भोपाल	61	मध्यप्रदेश, उडीसा
(2)	चंढीगढ	36	पंजाब, हिमांचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तथा संघशासित क्षेत्र चंढीगढ
(3)	हैदराबाद	61	आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप
(4)	जयपुर	44	राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली
(5)	लखनऊ	46	उत्तर प्रदेश
(6)	पटना	44	बिहार
(7)	पुणे	45	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमन और दीव दादरा और नगर हवेली
(8)	शिलांग	51	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, असाम

बंगलौर और गोहाटी में भी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बजट और लेखा :-

नवोदय विद्यालय समिति के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से प्राप्त अनुदान से दी जाती है।

इसी अनुदान से नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, और नवोदय विद्यालयों विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय व्यवस्था से लागू किया जाता है और जवाहर नवोदय विद्यालयों का निमार्ण किया जाता है।

विद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रोत्साहन तथा विकास :-

समाज में, शिक्षा प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है, पुरानी और नई पीढी के मध्य वह ने केवल मध्यस्थता का कार्य करता है बल्कि आने वाली पीढ़ी को, भविष्य में समाज का नेतृत्व सम्हालने, और उसके गम्भीर उत्तरदायित्वों को बहन करने योग्य भी, शिक्षक बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरूषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही होता है किन्तु मागदर्शक शिक्षक का भी अपना महत्व है, शिक्षक नई पीढी के, शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिये समाज में, शिक्षण कार्य में शिक्षक एवं विद्यालयीन कर्मचारियों का बहुत ही महत्व है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह है, कि देश के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को प्रतिभा सम्पन्न बनाना है जो कि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछडे हैं, इस पिछडेपन के कारण उनकी प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पारहा है उनकी प्रतिभाओं का विकास करना है, लेकिन सरकार, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, नवोदय विद्यालय स्थापित करने से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है, यह उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है, जब इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणित करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, योग्य, कार्य कुशल, एवं ईमानदारी से अपने कार्यो को सम्पादित करे। इस कार्य के लिये आवश्यक है, कि नवोदय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ का चयन सही प्रकार से किया जाय। जिससे इन विद्यालयों को उतम शैक्षिक गुणवत्ता से सम्पन्न, योग्य, कार्य कुशल, अनुभवी स्टाफ उपलब्ध हो सके, नवोदय विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता कदापि नही है, जो केवल अपने शिक्षण कार्य को केवल व्यवसाय की दृष्टि से करते हैं और कक्षाओं में केवल 6 काल खण्डों में अपना व्याख्यान देकर, अच्छे वेतन की चाह रखते हैं। नवोदय विद्यालयों को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो कि शिक्षण का कार्य समय के निश्चित काल खण्डों की सीमा से हटकर, दिन और रात छात्र–छात्राओं के शिक्षण कार्य में, छात्र–छात्राओं के अभिभावकों के दायित्व का निर्वाह करते हुये, शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य करते हैं। और छात्र–छात्राओं के समग्र विकास पर कार्य करते हैं। केवल अपने स्वार्थो, अच्छा वेतन प्राप्त करने की लालसा नहीं रखते हों।

शिक्षक, शिक्षा प्रणाली की सफलता के मूल आधार होते हैं, शिक्षा तंत्र का निदेशक, संचालक केवल नीतियों के निर्माता और नीतियों के प्रशासनिक, संचालक होते हैं शिक्षक नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं, विद्यालयों में लागू करते हैं जिस प्रकार एक आर्कीटेक्ट किसी भवन के निर्माण का नक्शा भर बनाकर अपना काम पूरा करता है। लेकिन भवन की नींव से लेकर, आखिरी मंजिल के निमार्ण तक का कार्य, मजदूर, लुहार, बढई, शिल्पी–श्रमजीवी ही मिलकर पूरा करते हैं।

शिक्षातंत्र के विशाल क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लडने वाले सैनिकों की तरह शिक्षक समुदाय की ही प्रधान भूमिका रहती है, श्रेय का दावेदार, कोई भी क्यों न बने, पर यदि नई पीढी का स्तर वास्तव में ही ऊंचा उठाना है, तो उसमें पहली श्रेणी की भूमिका निभाने में शिक्षकों का श्रम और मनोयोग ही चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत करता दिखाई देगा। इस प्रकार उन्हें बहुत पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में नींव का पत्थर जैसी स्थिति में रहने वाला राष्ट्र निर्माता ही कहा जा सकता है।

नवोदय विद्यालय समिति एवं सरकार को शिक्षकों के चयन, प्रोत्साहन एवं विकास पर विशेष ध्यान रखना चाहिये, एवं ऐसे प्रयास करना चाहिये, कि नवोदय विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों एवं सम्पूर्ण शिक्षा जगत को प्रतिभा सम्पन्न, योग्य, कर्मठ व्यक्ति शिक्षण कार्य को अपने व्यवसाय के लिये चुने। कोठारी कमीशन (1964–66) ने भी कहा था, कि शिक्षा के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये, शिक्षकों को आकर्षक वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये, जिससे राष्ट्र के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति, युवा, अखिल भारतीय सेवाओं में न जाकर, शिक्षा को अपने व्यवसाय के रूप चुने, जिससे देश के छात्र–छात्राओं को अधिक लाभ हो सके।

प्रारम्भ में नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के चयन के लिये, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, अखिल भारतीय स्तर के युवाओं से आवेदन मगायें जाते थे,

और सुयोग्य, समर्पित स्टाफ उपलब्ध करवानें का प्रयास किया जाता था। स्टाफ के चयन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपनिदेशक, सहायक निदेशक के निर्देशन में चयन समिति गठित की जाती है जिसमें समिति के अधिकारी श्रेष्ठ शिक्षा विद, आवासीय विद्यालयों के अनुभवी प्राचार्य, अ0जा0/अ0ज0.जा0, के सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य, महिला प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ आदि शामिल होते हैं, जो उम्मीदवारों के समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से प्रतिनियुक्ति योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं को प्राप्त करते रहने के लिये उनका आमेलन भी किया जाता है।

सारणी क्र. 2.4

31 मार्च	1997 को नवोदय विद्यालयों में कार्यरत	स्टाफ	
स. क्र.	पदों का वर्ग	स्वीकृत पद	वर्तमान पद
1	.प्राचार्य	380	322
2.	स्नातकोत्तर शिक्षक	2278	1740
3.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, हिन्दी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, तीसरी भाषा (संस्कृत)	3298	2743
4.	शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत समाजोपयोगी उत्पादकता कार्य शिक्षक, तथा पुस्तकालयाध्यक्ष	2004	1679
5.	शिक्षणेत्तर स्टाफ	5398	3728
	योग	13356	9942

नवोदय विद्यालयों में सुयोग्य शिक्षकों के चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा है, यह प्रतियोगी परीक्षा केन्द्रीय मा0 शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें केवल उच्च प्रवीणता प्राप्त प्रतियोगियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाता है, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से वरीयता के आधार पर

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

प्रतियोगियों को मौखिक परीक्षा के लिये बुलाया जाता है, जो प्रतियोगी लिखित, मौखिक, परीक्षा में प्रवीणता प्राप्त करते हैं, उन्हें ही अब जवाहर नवोदय विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्राचायों के रिक्त पदों पर पूर्ति के लिये अखिल भारतीय स्तर पर आवेदन मंगाये जाते हैं। प्राचार्यो के पदों पर नियुक्ति के लिये, वे ही शिक्षक पात्र होते हैं, जिनको आवासीय विद्यालयों में पढाने का 10 वर्ष का अनुभव होता है तथा कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होता है।

नवोदय विद्यालयों में सुयोग्य शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में शिक्षकों तथा प्राचार्यो को निम्नलिखित सुविधायें तथा प्रोत्साहान प्रदान किया जा रहा है।

1. किराया मुक्त अंशतः सज्जित आवास जैसा कि विद्यालय में उपलब्ध है।
2. स्टाफ के सदस्यों के वच्चों को विद्यालय में समिति के नियमानुसार प्रवेश तथा सुविधायें दी जाती है।
3. नियमानुसार रु. 100 प्रतिमाह शिक्षण भत्ता शिक्षकों को दिया जाता है।
4. शिक्षकों को परिवार सहित रहने के लिये, छात्रों के छात्रावास के साथ, आवासीय भवन उपलब्ध करवाया जाता है।
5. शिक्षक के रूप में पति पत्नी को नवोदय विद्यालय में नियुक्ति की सम्भावना रहती है।

स्टाफ का व्यवसायिक विकास :–

शैक्षणिक कार्यो में शिक्षकों की बडी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अतः हमें उच्च शैक्षणिक एवं व्यवसायिक क्षमताओं से युक्त, ऐसे सुयोग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो अपने कार्य को उत्साह, जिम्मेदारी और समर्पण की भावना से करें, तथा छात्रों के ज्ञानार्जन, उसकी क्षमताओं के विकास तथा उपलब्धियों के लिये संघर्ष करे तथा उन्हें ज्यादा स्वावलम्बी बनाये, ऐसे शिक्षकों के अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना सम्भव नहीं हैं, शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिये नवोदय विद्यालय समिति अपने शिक्षकों के ज्ञान को अद्यतन करने का प्रयास करती रही है, समिति एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रही है,

जिसमें अपने विकास के लिये, शिक्षकों को आपस में प्रतिद्वन्दिता करनी पडे, विद्यालय स्तर पर सेवाकालीन पाठ्यक्रम, नवोदय विद्यालय समिति के आन्दोलन बन चुके हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय भी वर्ष में दो बार प्राचार्यो के सम्मेलन आयोजित करते है ये सम्मेलन शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में तथा मध्य में उस समय आयोजित किये जाते है, जब जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिये अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्ष 1996–97 में समिति ने अपने संसाधनों से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, सांस्कृतिक श्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से, शिक्षकों की व्यवसायिक क्षमताओं को विकसित करने तथा उनके आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1996–97 में समिति द्वारा इस तरह के 89 कार्यक्रम आयोजित किये गये।

नवोदय विद्यालय समिति के लिये प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :–

एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये शिक्षक महत्वपूर्ण माध्यम होता है केवल कक्षा शिक्षण के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना तथा उनका मार्गदशन करना ही शिक्षक की प्रमुख भूमिका नही है बल्कि शिक्षक अन्य अनेक ढंग से भी छात्रों को मार्गदर्शित एवं शिक्षित करता है।

अतः यह आवश्यक है, कि इस महान कार्य के लिये नियुक्त किये गये शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित, सुसमृद्व एवं प्रेरित किया जावे, ताकि वे ज्ञान के चातुर्य को प्राप्त कर सकें तथा अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिये सक्षम हो सके, उन्हें उनके विषयों में पारंगत सम्प्रेषण की प्रभावशाली क्षमता वाला, हमेशा खोज करने की इच्छावाला, नवोन्मेष एवं नवाचार की भावना वाला, तथा बुद्धिमान बच्चों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के योग्य संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व वाला होना चाहिये।

समय–समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नवोदय विद्यालय समिति ने

देश के प्रत्येक 4–5 राज्यों के लिये एक संभागीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है प्रस्तावित संस्थानों को संभागीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कहा जायेगा।

संभागीय प्रशिक्षण संस्थान धीरे–धीरे ऐसे श्रोत केन्द्र के रूप में विकसित होगें, जिनसे अच्छी आधुनिक शिक्षा का विकास होगा, कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम, कार्यानुभव, व्यवसायिक विषयों तथा व्यवसाय उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी एवं आधुनिक शिक्षा का विकास किया जायेगा, जो शिक्षा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक, विरासत तथा मूल्यों की व्यवस्था को संरक्षित करेगी।

नवोदय विद्यालय समिति के 5 संभागीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिये स्वीकृत स्थलों का विवरण निम्मलिखित है।

<u>सारणी क्र. 2.5</u>

स.क्र.	क्षेत्र	प्रशिक्षण संस्थान
1.	मध्य	शिवपुरी मध्यप्रदेश
2.	उत्तर	सिरसा हरियाणा
3.	पश्चिम	टिहरी गढवाल (उत्तरांचल प्रदेश)
4.	दक्षिण	धारवाड (कर्नाटक)
5.	पूर्व	सम्वलपुर उड़ीसा

जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरूआत 1985–86 में हुई, उस समय केवल 2 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गऐ, उसके पश्चात 1986–87 से विद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई और वर्ष 1996–97 तक 388 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

1985–86 में हरियाणा एवं महाराष्ट्र प्रान्तों में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गये।

विद्यालयों के विकास को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ 2.6 अगले पृष्ठ पर है।

विद्यालय के बच्चों के लिये भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें :–

सभी जीवित प्राणियों के अन्दर जैविक क्रियायें पाई जाती हैं, इन जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के लिये, पोषण की आवश्यकता होती हैं, पोषण के लिये कई पोषक पदार्थो की शरीर को आवश्यकता होती है। इन पोषक पदार्थो को संयुक्त रूप से भोजन कहा जाता है भोजन का, बढ़ते हुये बच्चों के लिये बहुत ही अधिक महत्व है स्वास्थय को बनाये रखने के लिये भोजन में पोषक तत्व संतुलित रूप से उपस्थित होना चाहिये, अथार्त छात्र–छात्राओं को संतुलित अहार प्रदान किया जाना चाहिये।

भारत गरीब किसानों का देश है, यहां पर 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनकों भोजन के महत्व का ज्ञान नहीं है, उनकों एवं उनके बच्चों कों सतुंलित अहार प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते है, अतः नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के अभाव ग्रस्त छात्र–छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय खोले हैं, जिनमें (भोजन) संतुलित अहार छात्र–छात्राओं को उनकी उम्र

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

के अनुसार कैलोरी आवश्यकता से प्रदान किया जाता हैं,

संतुलित भोजन शरीर के लिये नितान्त आवश्यक होता है। भोजन शरीर को जीवित रखता है। स्वस्थ रखता है तथा शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है, किन्तु अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी के कारण अभिभावक अपने बालकों को ऐसा भोजन प्रदान नहीं करा पाते हैं, जो बालक के विकासमान शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान कर सके, कुछ माता–पिता अज्ञानतावश पर्याप्त भोजन तो देते हैं पर उस भोजन में शरीर के लिये आवश्यक तत्व नहीं होते हैं, यही कारण है, स्वादिष्ट भोजन सदैव ही शरीर को आवश्यक तत्व नहीं दे पाते हैं। कुछ माता–पिता समझते है कि मूल्यवान भोजन ही पोषक होता है, नवोदय विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को भोजन प्रदान किया जाता है, भोजन आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है नवोदय विद्यालयों की छात्र–छात्रायें एवं विद्यालयों के शिक्षक एक साथ भोजन करते हैं, जिससे सामूहिकता एवं पारिवारिक गुणों का विकास होता है। और भोजन संबधी आदतों का समुचित विकास होता है।

आवासीय विद्यालय होने के कारण नवोदय विद्यालयों में भोजन की समुचित व्यवस्था का विशेष महत्व है, विद्यालय के भोजनालय का संचालन विद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन में किया जाता है, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्राचार्य को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करते हैं, भोजनालय समिति का अध्यक्ष प्राचार्य होता है, उसमें एक पुरूष एवं एक महिला हाऊस मास्टर, 2 छात्र एवं 2 छात्राओं को, सदस्यों के रूप में तथा भोजन प्रबन्ध सहायक को, सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया जाता है, जिन विद्यालयों में भोजन प्रबन्ध सहायक नहीं है, वहां पर एक पुरूष हाऊस मास्टर भोजनालय समिति का संचालन करता है, भोजनालय समिति की अवधि एक कलेण्डर वर्ष होती है समिति ने दो सौ छात्र–छात्राओं वाले विद्यालयों में एक रसोइया तथा एक सहायक एवं 200 से अधिक छात्र–छात्राओं वाले विद्यालयों में एक रसोइया तथा 2 सहायकों के पदों की स्वीकृति प्रदान की है प्राचार्य अंशकालिक। आकस्मिक आधार पर कुछ और सहायकों की भी नियुक्ति कर सकते है।

भोजनालय समिति के कार्य निम्नलिखित है :–

1. बजट तथा भोजनालय की एक वार्षिक वास्तविक आवश्यकताओं की सूची तैयार करना तथा इसे प्राचार्य के समक्ष विद्यालय के सामान्य बजट में समेकित करने के लिये प्रस्तुत करना।
2. भोजनालय की आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिये निविदायें आमंत्रित करना
3. यथासंभव ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को लोक आपूर्ति विभाग से खरीदना।
4. अंडे, दूध, तथा सब्जियों की दरों की जांच करने के बाद उन्हें बच्चों के प्रतिनिधियों की मदद से खरीदना।
5. स्थानीय लोगों के भोजन की आदतों एवं उसकी पौष्टिकता के पहलुओं को ध्यान में रखते हुये व्यंजन सूची तैयार करना।
6. भोजनालय में व्यंजन सूंची का प्रदर्शन सुनिश्चित करना।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में सभी छात्र–छात्राओं को रहन सहन, भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तक लेखन सामग्रियों मुफ्त हैं उन्हें घर से विद्यालय आने तथा विद्यालय से घर वापस जाने के लिये रेल/बस का किराया भी दिया जाता है।

इस समय रू 425/– प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से भोजनालय का खर्च निश्चित किया गया है यह खर्च पहाड़ी तथा दुर्गमक्षत्रों में रूपया 450 प्रतिमाह प्रति बच्चा निर्धारित है यह खर्च एक वर्ष में 9 माह के लिये है।

विद्यालय के बच्चों की अन्य सुविधाओं के लिये स्वीकृत धनराशि निम्न प्रकार की जाती है।

1. पोशाक रु. 350 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।
2. प्रसाधन सामग्री रु. 260 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।
3. लेखन सामग्री रु. 345 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।
4. पाठ्य पुस्तके रु. 100 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।

5. विद्यालय से घर जाने तथा घर से विद्यालय आने के लिये दिया जाने वाला यात्रा खर्च रु. 60 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।

6. दवाईयां तथा अन्य खर्च रु. 60 प्रति बच्चा प्रति वर्ष।

अब तक स्वीकृत कुल 388 जवाहर नवोदय विद्यालयों 345 विद्यालयों के लियें वाहन तथा 256 विद्यालयों के लिये जेनरेटर सेट स्वीकृत किये गये है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों की शूरूआत से वर्ष 1996–97 तक, मुख्यालय नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, विद्यालय एवं उनके लिये स्वीकृत विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिये तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण पर योजनेत्तर तथा योजनागत राशि का विवरण सारणी एवं ग्राफ द्वारा दर्शया गया है।

क्रम. स. इकाई	योजनेत्तर	योजनागत	योग
1. नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय)	2.60	–	2.60
2. क्षैत्रीय कार्यालय और विद्यालय	52.97	74.75	127.54
3. विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय व्यवस्था	10.65	9.16	19.81
4. जंवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण	–	120.00	120.00
योग	66.04	203.91	269.95

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

नवोदय विद्यालयों का स्वरूप :–

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार नवोदय विद्यालयों की स्थापना ऐसे आवासीय विद्यालयों के रूप में की गई है जिनमें ग्रामीण प्रतिभावान, छात्र–छात्राओं को विद्यालय के अन्दर पारिवारिक, घर जैसा वातावरण प्रदान किया जाता है।

विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को अलग–अलग, हौस्टल की व्यवस्था रहती है प्रत्येक हास्टल के साथ हाऊस मास्टर नियुक्त रहता है जिसके रहने के लिये हास्टल से लगा हुआ एक पारिवारिक आवास होता है जिससे हास्टल में रहने वाले छात्र–छात्राओं की दिन एवं रात्रि के समय विद्यालय की नियमित पढ़ाई के अतिरिक्त, शैक्षणिक सहायता हाऊस मास्टर द्वारा दी जाती है तथा उनकी शैक्षणिक कठिनाईयों को दूर किया जाता है। तथा दिन या रात्रि में किसी छात्र–छात्रा को आकस्मिकता के कारण कोई परेशानी या बीमारी होती है तो हाऊस मास्टर एवं विद्यालयीन स्टाफ, प्राचार्य, विद्यालय के लिये नियुक्त चिकित्सक तुरन्त उसकी परेशानी, बीमारी को दूर करते हैं। तथा छात्र एवं छात्राओं को परिवार के सदस्य के समान हर संभव सहायता प्रदान करते हैं, इस प्रकार नावोदय विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें छात्र एवं छात्रायें रहकर अपना बहुमुखी विकास करते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ, खेल गातिविधियाँ भी नियमित रूप से संचालित होती रहती हैं। साथ ही साथ समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, संकुलों के अन्तगर्त आयोजित होने वाली खेल–कूंद, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है जिनके द्वारा छात्र–छात्राओं का शिक्षा के साथ–साथ, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमताओं का विकास किया जाता हे।

नवोदय विद्यालय और शिक्षा : –

1. प्रवेश, शिक्षण–माध्यम तथा भाषानीति :–

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिये, पूरे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित एवं संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, यह परीक्षा 18 भारतीय भाषाओं में ली जाती है, यह एक ऐसी परीक्षा है जो

लिखित एवं कक्षा 5 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होती है। इस परीक्षा के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे, इस परीक्षा में विना कठिनाई के सफल हो, सके, चुकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का अभाव, होता है अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, और सुनिश्चित किया जाता है, कि दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को निः–शुल्क एवं आसानी से प्रवेश दिया जाय, दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्थानीय समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं, प्राचायों के दोरों के द्वारा एवं जिले के स्थानीय स्कूलों में नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से, परीक्षा के आयोजन का व्यापक प्रचार किया जाता है। प्रचार के दौरान, जिले के हर विकासखण्ड के शा0 उ0 मा0 वि0 में विकासखण्ड के अन्तगर्त आने वाले समस्त प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षको, प्रधान अध्यापकों आदि को नवोदय विद्यालयों की शिक्षा में सर्वोत्कृष्ठता के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में, उपलब्धियों के द्वारा ग्रामीण, छात्र–छात्राओं को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिससे शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक जागरूक होकर ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को नवोदय विद्यालय योजना के लाभों से परिचित करवाते है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं शाला संकुल केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये जाते है।

<u>पात्रता की शर्ते :–</u>

नवोदय विद्यालयों द्वारा कक्षा 6 छटवीं में प्रवेश हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में निम्मलिखित पात्रता प्राप्त छात्र–छात्रायें आवेदन कर सकते है।

<u>सभी उम्मीदवारों के लिये :–</u>

1. नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के आधार पर छटवीं कक्षा में प्रवेश दिया जाता है।
2. जो उम्मीदवार निर्धारित चयन परीक्षा में भाग ले रहा है वह बालक या बालिका उस जिले के मान्यता प्राप्त स्कूल में, जिस जिले के नवोदय विद्यालय में वह प्रवेश लेना

चाहता है/चाहती है, उस सत्र में कक्षा 5 में अवश्य अध्ययन कर रहा/रही होनी चाहिये। एवं कक्षा 6 में प्रवेश इस शर्त पर दिया जावेगा जबकि उसने प्रवेश पूर्व सत्र में कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लिया हो।

3. नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रत्याशी सम्मिलित होना चाहता है उसकी आयु कक्षा 6 के लिये (11वर्ष) होनी चाहिये। यह बात सभी वर्गो के प्रत्याशियों पर लागू होगी, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वाले प्रत्याशी शामिल है।
4. प्रत्येक प्रवेशार्थी छात्र–छात्राओं को, क्रमशः तीन शिक्षा सत्रों में, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से, कक्षा 3, 4, 5, में अवश्य अध्ययन किया हो, और ये कक्षायें उत्तीर्ण की हों, तथा उसने शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से, प्रत्येक कक्षा में एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन भी किया हो।
5. वह छात्र जिसने नवम्बर–दिसम्बर में कक्षा 4 उत्तीर्ण को हो, और प्रोन्नत होकर कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। प्रवेश के लिये आवेदन का पात्र नहीं है।
6. किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रत्याशी को चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

<u>नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु स्थान :–</u>

<u>ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिये :–</u>

(क) जिले के नवोदय विद्यालयों में कुल प्रवेशार्थियों की संख्या में से 75% स्थान उन प्रत्याशियों से भरे जाते हैं जिनका चयन ग्रामीण क्षेत्रों से किया जाता है शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्रों से भरे जाते हैं। और ये कक्षायें उन्हीं संस्थाओं से उत्तीर्ण की हों।

(ख) ग्रामीण कोटे में प्रवेश चाहने वाले प्रत्याशियों के लिये यह आवश्यक होता है कि उन्होने ग्रामीण क्षेत्र/क्षेत्रों की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में लगातार अध्यन किया हो, और ये कक्षाऐं इन्ही संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो।

शहरी प्रत्याशियों के लिये :–

क–' उन प्रत्याशियों को शहरी माना जाता है जिसने शहरी क्षेत्र में स्थित किसी स्कूल की 3, 4, 5 कक्षाओं में से किसी भी भाग में अध्ययन किया हो तथा शहरी क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त स्कूलों से 3, 4, 5 में से कोई भी एक या अधिक परीक्षा या परीक्षायें उत्तीर्ण की हों।

ख– शहरी क्षेत्रों में वे क्षेत्र है जो 1981 की जनगणना अथवा उसके पश्चात सरकार की अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्रों की परिभाषा की परिधि में आते है शहरी क्षेत्र कहलायेंगे, अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जायेगा।

आरक्षणः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है लेकिन किसी भी जिले मे ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा।

प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान लडकियों के लिये आरक्षित किये जाते हैं। किसी अन्य पिछड़े वर्गो के लिये स्थानों का आरक्षण नहीं किया जाता है जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को लाभ मिलता है साथ ही पिछडे वर्गो के छात्र–छात्रायें, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करते हैं, जिससे विद्यालय में प्रतिभावान छात्र–छात्रायें प्रवेश प्राप्त करते हैं, इन प्रतिभवान पिछडे वर्ग के छात्र–छात्राओं एवं अन्य वर्गों के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित स्थानोंपर प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्रायें एक साथ अध्ययन करते हैं जिससे जातिगत भेदभाव छुआछूत जैसी बुराईयों का उन्मूलन होता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उच्च श्रेणी के ग्रामीण/शहरी प्रतिभावान छात्रों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है।

प्रत्याशियों का चयन 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से होता है एवं शेष 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से होता है छात्राओं की संख्या, कुल संख्या का आधा होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्रवेश में 7.5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्राओं को कुल स्थानों का एक तिहाई स्थान आरक्षित रहते हैं। 1997 तक जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्राओं का प्रतिशत 31.91 है तथा छात्रों का प्रतिशत 68.09 है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को 75 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिये 7.50 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिये 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाते हैं वर्ष 1997 तक वास्तविक लक्ष्य से भी ज्यादा ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

जिसको दर्शाने वाला ग्राफ 2.9 अगले पृष्ठ पर हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

परीक्षा का संघटन :–

प्रवेश परीक्षा का माध्यम वही रहता है जिस माध्यम से छात्र–छात्राओं ने कक्षा 5 उत्तीर्ण की होती है अभी 18 भाषाओं को प्रवेश परीक्षा का माध्यम बनाया गया है। अथार्त 18 भाषायी माध्यमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है।

प्रश्न पत्रों के माध्यम से छात्र छात्राओं की निम्न योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है उनका विवरण निम्नलिखित टेबिल के द्वारा दर्शाया गया है।

सारणी क्र. 2.10

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र का संघटन (ब्लूफिट)

विषय	निर्धारित समय	प्रश्नो का प्रतिशत	अंक
मानसिक योग्यता	60 मिनिट	60 %	60
भाषा	30 मिनिट	20 %	20
अंक गणित	30 मिनिट	20 %	20

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

इस प्रकार परीक्षा प्रश्न–पत्रों में, प्रश्नों की संख्या को पृथक उपसमितियों द्वारा तैयार किया जाता है और उनका परिनियमन राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ के परिनियामक पैनल द्वारा किया जाता है इन परीक्षा प्रश्न–पत्रों को निम्नलिखित भाषाओं में रूपान्तरित किया जाता है।

1. असमी
2. बंगला
3. अंग्रेजी
4. गुजराती
5. कन्नड
6. हिन्दी
7. गारो
8. खासी
9. मलयालम
10. मणिपुरी
11. मराठी
12. मिजो
13. उड़िया
14. पंजाबी
15. सिन्धी
16. तमिल
17. तेलगू
18. उर्दू

परीक्षा का संचालन :–

उस प्रत्येक विद्यालय में, जिसमें सभी आवश्यक आवासीय एवं अन्य सुविधायें तथा योग्य छात्र उपलब्ध होते हैं। अधिकतम 80 छात्रों को प्रवेश दिया ज़ाता है, उपयुक्त

भौतिक सुविधाओं के अभाव में केवल 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

जिन जिलों के विद्यालयों में 40 छात्रों के लिये भी पर्याप्त एवं उपयुक्त आवासीय एवं अन्य भौतिक सुविधायें उपलब्ध नहीं होती, उन जिलों के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

कुल 378 स्वीकृत नवोदय विद्यालयों में से 370 जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिये दो चरणों में चयन परीक्षा आयोजित की गई, पुरी (उडीसा), गुडगॉव (हरियाणा), देवरिया (उ0प्र0), ठाणे (महाराष्ट्र), पटना, सिवान और सारस (बिहार) तथा वेस्ट गारोहिल्स (मेघालय) में प्रवेश के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 1996 में आयोजित नहीं की गई, 109 जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की अधिकतम संख्या, पर्याप्त आवासीय सुविधाओं के अभाव में 40 तक सीमित कर दी गई।

जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में वर्ष 1986–1996 तक 24559 छात्रों का चयन किया गया यहाँ सारणी क्र. 2.11 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का वर्षवार, चयन परीक्षा में पंजीकृत, उपस्थित, चयनित अभ्यर्थियों का वर्षवार, एवं 1996 में विभिन्न चयन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों का क्षेत्र वार विवरण दिया जा रहा है।

सारणी क्र. 2.11

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

सारणी क्र. 2.12

जवाहर नवोदय विद्यायलय चयन परीक्षा में पंजीकृत, उपस्थित तथा चयनित अभ्यर्थियों का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	पंजीकृत	उपस्थित	चयनित
01.	1986	उपलब्ध नहीं	126017	6253
02.	1987	265904	262591	13798
03.	1988	463960	370373	14769
04.	1989	410159	355316	18264
05.	1990	343017	314762	17445
06.	1991	352826	313114	18632
07.	1992	421612	390772	20336
08.	1993	441756	411398	24429
09.	1994	446880	416355	22999
10.	1995	453281	414114	25918
11.	1996	430673	393975	24559

सारणी क्र. 2.13

जवाहर नवोदय विद्यायलय चयन परीक्षा 1996 मे पंजीकृत, उपस्थित तथा चयनित अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार विवरण

क्र.	संभाग	ज.न.वि. की संख्या	पंजीकृत	उपस्थित	चयनित सं.
01.	भोपाल	58	78485	73407	4025
02.	चंडीगढ़	36	21965	18368	2159
03.	हैदराबाद	61	98481	91068	4616
04.	जयपुर	43	42250	38132	2915
05.	लखनऊ	46	48296	42954	2950
06.	पटना	35	63955	59844	2320
07.	पुणे	44	58259	55003	2745
08.	शिलौंग	47	18982	15199	2829
	कुल योग	370	4,30,673	3,93,975	34,559

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड़, करोल बाग नई दिल्ली

सारणी क्र. 2.14

31.3.97 को राज्यवार छात्र नामांकन स्थिति का सार

क्र.सं.	राज्य	छात्र	छात्रा	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
1.	अ.और नि. द्वीप समूह	203	165	324	44	294	11	63	368
2.	आंध्र प्रदेश	5910	2876	6722	2064	6044	1924	818	8786
3.	अरूणाचल प्रदेश	872	421	1152	141	326	41	926	1293
4.	असम	1543	721	1791	473	1555	311	398	2264
5.	बिहार	8105	3974	9328	2751	8190	2465	1424	12079
6.	चण्डीगढ़	208	135	261	82	207	136	0	343
7.	दा. और न. हवेली	61	36	84	13	21	7	69	97
8.	दमन और दीव	165	91	217	39	209	30	17	256
9.	दिल्ली	465	252	597	120	532	177	8	717
10.	गोवा	236	178	325	89	383	29	2	414
11.	गुजरात	1845	903	2104	644	1713	623	412	2748
12.	हरियाणा	2930	1403	3453	880	2898	1415	20	4333
13.	हिमाचल प्रदेश	2118	1216	2738	596	1719	1161	454	3334
14.	जम्मू और कश्मीर	2295	1117	2888	524	2467	376	569	3412
15.	कर्नाटक	4684	2585	5579	1690	5593	1225	451	7269
16.	केरल	3339	2080	4226	1193	4124	1163	132	5419
17.	लक्षद्वीप	102	51	153	0	12	2	139	153
18.	मध्य प्रदेश	9327	3575	9669	3233	8232	2680	1990	12902
19.	महाराष्ट्र	4781	2289	5618	1452	4392	1792	886	7070
20.	मणिपुर	1687	951	2143	495	1113	234	1291	2638
21.	मेघालय	769	463	1019	213	79	28	1125	1232
22.	मिजोरम	232	89	307	14	9	6	306	321
23.	नागालैण्ड	257	175	373	59	10	1	421	432
24.	उड़ीसा	3121	1434	3726	829	2318	1015	1222	4555
25.	पांडिचेरी	459	259	500	218	509	208	1	718
26.	पंजाब	1855	1201	2356	700	1797	1193	66	3056
27.	राजस्थान	5940	1662	6152	1450	4672	1829	1101	7602
28.	सिक्किम	333	231	563	1	267	29	268	564
29.	त्रिपुरा	546	313	702	157	345	248	266	859
30.	उत्तर प्रदेश	10743	4366	11744	3365	10577	4358	174	15109
	योग	75131	35212	86814	23529	70607	24717	15019	110343

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

सारणी क्र. 2.15

31.3.1997 जवाहर नवोदय विद्यायलयों में छात्रों की नामांकन स्थिति

क्र.सं	कक्षा	छात्र	छात्रा	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जाति	योग
01.	VI	14425	7453	17103	4775	13211	5210	3457	21878
02.		14476	7234	16913	4797	13621	4948	3141	21710
03.		12627	6097	14817	3907	11826	4362	2536	18724
04.		12149	5626	14093	3682	11106	4025	2644	17775
05.		10427	4603	11870	3160	9899	3257	1874	15030
06.		6216	2352	6736	1832	6150	1590	0828	8568
07.		4811	1847	5282	1376	4794	1325	0539	06658
	योग	75131	35212	86814	23529	70607	24717	15019	110343

शिक्षा का माध्यम :–

ध्वनि के लिये माध्यम की आवश्यकता होती है माध्यम के द्वारा ही हमें एक दूसरे की ध्वनि सुनाई देती है शिक्षा के आदान–प्रदान के लिये माध्यम की आवश्यकता होती है, यदि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को कोई पाठ्यक्रम उनकी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषायी माध्यम में पढ़ाया जावे, तो छात्र–छात्राओं को पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम बोझिल लगता है, एवं छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा माध्यम के लिये निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है।

1. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जावे।
2. प्राथमिक स्तर के पश्चात् अन्य स्तरो पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये।
3. माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाये यह सूत्र हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये अलग–अलग है।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में –

शिक्षा का माध्यम हिन्दी है प्रथम भाषा के रूप हिन्दी पढाई जाती है द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढाई

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

जाती है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये प्रथम भााषा के रूप में कोई क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी को पढ़ाया जाता है।

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त अधिकांश छात्र अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढकर आये होते हैं, अतः उन्हें कक्षा 8 तक की शिक्षा उसी माध्यम से दी जाती है, इस अवधि के दौरान भाषा विषय तथा सहमाध्यम दोनों ही रूपों में हिन्दी और अंग्रेजी का गहन शिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः माध्यम के कुशल प्रयोग एवं भाषाओं के शिक्षण की आधुनिक तकनीक के कारण उन्हें सातवीं अथवा आठवीं कक्षा के बाद हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने में कठिनाई नहीं होती, इसके पश्चात सामाजिक अध्ययनों एवं मानविकी विषयों के लिये, सभी नवोदय विद्याालयों में परीक्षा का माध्यम हिन्दी है और गणित एवं विज्ञान के लिये अंग्रेजी माध्यम है।

त्रिभांषा सूत्र :–

नवोदय विद्यालय की योजना में नई शिक्षानीति 1986 के त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत हिन्दी भाषी क्षेत्रों के नवोदय विद्यालयों में पढाई जाने वाली तीसरी आधुनिक भाषा उन 30 प्रतिशत छात्रों की भाषा है, जो गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों से उस विद्यालय में स्थानांतरित हुये होते है, यह भाषा सभी के लिये अनिवार्य होती है, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी नवोदय विद्यालय योजना के त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाता है, अर्थात उनमें क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है।

सतत व्यापक मूल्यांकन :–

शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, इसके लिये एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे मूल्यांकन कहते हैं, मूल्यांकन के अनेक पर्यायवाची शब्द है जिनका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षण लेना, उपलब्धियों पर निर्णय देना।

सामान्य बोल चाल की भाषा में मूल्यांकन का अर्थ किसी भी वस्तु की उपयोगिता के परीक्षण से लिया जाता है, दूसरे शब्दों में मूल्यांकन का अर्थ है, किसी वस्तु पुस्तक या किसी गतिविधि के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया निर्णय है। यह निर्णय बस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करता है।

मूल्यांकन हमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तथा शिक्षण कार्यो की सफलता तथा असफलताओं से अवगत कराकर, उनके सुधार हेतु परामर्श देता है मूल्यांकन हमें छात्रों के व्यवहार में हुये परिवर्तनों से भी अवगत कराता है।

मूल्यांकन स्वंय के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रगति की जाँच है, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन, शिक्षा की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है।

"मूल्यांकन एक ऐसी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण महत्व तथा प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिये, सभी प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है।"

वैसले–

सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें छात्र–छात्राओं का शिक्षण के उपरान्त पूरे पाठ्यक्रम का इकाईबार, वर्ष में मूल्यांकन किया जाता है, तथा वर्ष के अन्त में पूर्ण पाठ्यक्रम का परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तथा जिससे यह पता लगाया जाता है, कि शिक्षण के उद्देश्यों में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है। अर्थात छात्र–छात्राओं में शिक्षण द्वारा क्या–क्या परिवर्तन आये है।

शिक्षा एक अद्भुत निवेश है इसमें उत्तरदायित्व केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है जब इसके उद्देश्य के सन्दर्भ में मूल्यांकन की एक सुनियोजित प्रणाली विद्यमान हो, परीक्षा अपने परम्परागत अर्थ में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने मे असफल रही है। यही कारण है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रस्तावित किया गया है, कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में लागू किया जाय, और उसमें यह सुझाव दिया गया है कि एक सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया तैयार की जावे, ताकि विद्यार्थी के आंतरिक व्यक्तित्व के विकास में तीन प्रधान तत्वों अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक, और मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखते हुये, परीक्षा को कारगर बनाया जा सके। अतः वाह्य परीक्षा को प्रभावहीन बनाने का एक मात्र विकल्प यही है, कि सतत व्यापक मूल्यांकन की योजना को लागू किया जाय। यह योजना 1989–90 से सभी नवोदय विद्यालयों में प्रभावशाली ढंग से आरंभ की गई है इसके उद्देश्य इस प्रकार है।

1. मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना।

माथुर एस. एस. :– " शिक्षा मनोविज्ञान" मापन एवं मूल्याकंन

2. नियमित निदान तथा उपचारी शिक्षण के आधार पर छात्रों की उपलब्धि और शिक्षण अधिगम नीतियों के सुधारार्थ मूल्यांकन का प्रयोग करना।
3. नियमित निदान एवं उपचारी शिक्षण के आधार पर समुचित निर्णय लेना एवं समय से नीतियॉ लागू करना।
4. शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया तथा अधिगम के वातावरण के विषय में समुचित एवं समय से निर्णय लेना
5. गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में मूल्यांकन का प्रयोग करते हुये निष्पादन का वांछित स्तर बनाये रखना।
6. प्राचार्यो एवं शिक्षकों को विशेष रूप से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन पद्धति को समुचित रूप से लागू किया जाये।

शैक्षणिक और सह–पाठ्यचर्या क्रियाकलाप :–

प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य केवल 3RS का ज्ञान कराना मात्र था वैसे तो 3RS से तात्पर्य पढ़ना, लिखना तथा गणित सम्बन्धी ज्ञान है, पर यहां मेरा तात्पर्य केवल विषयगत ज्ञान से है। उस समय छात्रों को अधिक से अधिक विषयगत ज्ञान प्रदान किया जाता था। उस समय छात्रों को अधिक से अधिक विषयगत ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता था, उस समय की शिक्षा अत्यन्त संकुचित, संकीर्ण तथा अव्यवहारिक थी। वह बालक के व्यक्तिव्व का सर्वागीण विकास नहीं करती थी, उन दिनों विषयगत शिक्षा के अलावा, अन्य सभी शिक्षाओं को कोई स्थान पाठ्यक्रम में नहीं था, संगीत, नाटक, वाद विवाद, स्काऊटिंग, भ्रमण, पर्यटन जैसी क्रियाओं को अनावश्यक तथा अशैक्षिक क्रियायें माना जाता था। इनकों शिक्षा जगत में कोई स्थान प्राप्त न था इन क्रियाओं को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त क्रियाये माना जाता था, और वे अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियायें कहलाती थी, किन्तु शिक्षा दर्शन की विचार धाराओं के परिवर्तन के साथ ही साथ उन अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के सम्बन्ध में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, और अब वर्तमान में इन्हें अतिरिक्त न मानकर पाठ्यसहगामी क्रियायें माना जाने लगा है और सहगामी क्रियायें शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अंग बन गई है।

इनकी आवश्यकता प्रमाणित हो गई हैं।

विद्यालयों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्र–छात्राओं को, जीवन व्यवहार में आने वाली समस्याओं के समाधान तथा विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान की जाती है।

सहगामी क्रियाओं का महत्व :–

1. मूल प्रवत्तियों का शोधन एवं मार्गान्तरी करण–

प्रत्येक बालक, कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, जन्म के समय ये मूल प्रवृत्तियाँ तीव्र नहीं होती हैं किन्तु विकास के साथ साथ इनकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है, कुछ मूल प्रवृत्तियाँ अपने प्राकृतिक रूप में समाज के लिये हानिकारक हो सकती है, इन मूल प्रवृत्तियाँ का शोधन तथा मार्गान्तरीकरण करना सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होता है पाठ्यसहगामी क्रियाओं के द्वारा यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। खेलकूंद, व्यायाम, सामाजिक सेवा, वादविवाद जैसी क्रियाओं से मूल प्रवृत्तियाँ के समुचित विकास में सहायता मिलती है।

2. नागरिकता की शिक्षा –

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किशोरों में अनेक ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है, जो एक अच्छे नागरिक के लिये आवश्यक होते है। सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व, दलीय मित्रता आदि अनेक गुणों का विकास इनके माध्यम से किया जा सकता है। वे इनके माध्यम से अधिकार व कर्त्तव्यों का ज्ञान करते हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है।

3. सामाजिक भावना का विकास –

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालकों में सामाजिक भावना का विकास किया जा सकता है। समाज सेवा शिविर, स्काऊटिंग, स्कूल बैंक, समाज पर्यवेक्षण, श्रमदान, रेडक्रास आदि के द्वारा बालकों में सामाजिकता का विकास किया जा सकता है इनके माध्यम से बालक सामाजिक आचार विचारों को सीखता है, सामाजिक व्यवहारों का

ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक बुराईयों तथा कुरीतियों से अवगत होकर उनके प्रति स्वस्थ दृष्टि कोण विकसित करता है।

4. अवकाश के समय का सदुपयोग –

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक अपनी रूचि के अनुसार रूचियों का विकास कर लेता है, इन सृजनात्मक रूचियों के द्वारा, वह अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, यह अवकाश के समय में सिक्के इकट्ठे करना, चित्र बनाना जैसी उपयोगी क्रियायें कर सकता है, इससे बालक की रूचियों के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

5. समुचित विकास–

पाठ्य सहगामी क्रियायें, बालक के शारीरिक एवं बौद्विक विकास में सहायक होती है। उनके द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा बुद्धि में तीव्रता लाई जा सकती है, खेलकूंद, ड्रिल परेड, कुश्ती, तैरना, नौका चलाना, एन. सी. सी. इत्यादि स्वस्थ शारीरिक विकास के लिये बड़ी लाभदायक क्रियायें है। इसी प्रकार भाषण, नाटक, वादविवाद, साहित्यसभा, निबन्ध लेखन, विद्यालय पत्रिका आदि बौद्धिक विकास के लिये लाभप्रद क्रियायें है।

6. अनुशासन में सहायक –

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है तो उसे विध्वंसात्मक तथा अनुशासनहीन क्रियाओं को करने का उसे न तो समय ही मिलता है और न ही उसकी इच्छा होती है।

7. नैतिकता का विकास –

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक में सहयोग, त्याग, सदाचार, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, सदभावना, धैर्य, आज्ञापालन आदि नैतिक गुणों का सहज ही विकास किया जा सकता है।

8. व्यवहारिक ज्ञान –

सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बहुत सा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है भ्रमण, शिक्षा यात्रायें, ग्राम पर्यवेक्षण, पिकनिक, समाजसेवा शिविर आदि के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है।

9. मनोरजंन –

मानसिक थकान को दूर करने में सहगामी क्रियायें बड़ी सहायक होती है। इससे विद्यालय जीवन में सरलता तथा विविधता आती है छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है तथा छात्र करके सीखते है।

अथार्त विद्यालयों में सहगामी क्रियाओं का बड़ा महत्व है इनसे व्यक्तित्व का सन्तुलित तथा सर्वागीण विकास सम्भव है, इनके आयोजन से न केवल व्यक्ति का ही लाभ होता है। वरन समाज तथा राष्ट्र को अच्छे नागरिक मिलते हैं, जो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को चलाने का नेतृत्व गुण विकसित कर लेते हैं अतः कहा जा सकता है कि सहगामी क्रियायें पाठ्यक्रम में बाधक न होकर उसकी पूरक तथा आवश्यक अंग है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के माध्यम से नई शैली के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसके अन्तगर्त अच्छे शैक्षिक अवसरों से वंचित विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाना तथा उनका विकास करना शामिल है, ये ऐसे आदर्श और उत्प्रेरक विद्यालयों के रूप में परिकल्पित हैं, जो आवश्यकता के अनुरूप उत्पादक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के उन्नायक है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता के माध्यम से, ये विद्यालय एक ऐसे विचार के रूप में परिकल्पित किये गये है जो आधुनिक भारत के विकास के आशावादी दृष्टिकोण के प्रसार के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहें हैं, नवोदय विद्यालयों के मुख्य उद्देश्यों में सांस्कृतिक मूल्यों के विकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता साहसिक क्रियाकलाप, शारीरिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र में परिकल्पित तर्कसंगत दक्षता तथा अनुभव एवं सुविधाओं की सहभागिता के जरियें जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार करना शामिल है, बाह्य एवं आंतरिक उत्तरदायित्व स्थानीय

समुदाय के साथ प्रभावशाली सरंचनात्मक आत्मनिर्भरता, स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति, शैक्षणिक निष्पादन में कठोरता एवं अनुशासन इन विद्यालयों की मुख्य विशेषता में है, शैक्षणिक उत्कृष्ठता के लिये इन विद्यालयों के संचालन की शैली में प्रयोग एवं नवोन्मेष की स्वतंत्रता छात्रों के उत्कृष्ट विकास के लिये उपयुक्त वातावरण का सृजन तथा शिक्षकों को विद्यालयों के संचालन की शैली में अंग बनाना भी, इन विद्यालयों की विशेषता है, सामाजिक सामन्जस्य, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों का उन्नयन तथा स्थानीय समुदाय से तालमेल के जरियें, ये विद्यालय शैक्षणिक उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। समिति सही दिशा में कार्य कर रही हैं, यह केन्द्रीय मा0 शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ज0न0वि0 के छात्रों के शैक्षिक परिणामों तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों की उपलब्धियों के अभिलेखों से प्रमाणित होता है।

बाह्य एवं आन्तरिक दायित्व, स्थानीय समुदाय के साथ प्रभावपूर्ण एवं नेतृत्वपरक सम्पर्क, आधुनिक शिक्षा की तकनीकि के सन्दर्भो में उपयुक्त निष्पादन, शिक्षण अधिगम, प्रक्रिया में सहभागिता का दृष्टि कोण, आत्मनिर्भर संरचना, स्वमूल्यांकन, चरित्र तथा शैक्षिक मामलों में कड़ी मेहनत तथा अनुशासन इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषतायें है।

प्रयोग एवं नवोन्मेष की स्वतंत्रता तथा छात्रों एवं शिक्षको के सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिये उपयुक्त वातावरण की रचना को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिये इन विद्यालयों के संचालन की शैली का अंग बनाया गया है।

सामाजिक सदभावना, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों के उन्नयन तथा स्थानीय समुदाय से सतत सम्पर्क के कारण इन विद्यालयों को शैक्षिक उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित होने में सहायता मिल रही है।

नवोदय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के संतुलित विकास तथा उनके एवं विद्यालयों के स्टाफ के बेहतर सामाजिक आदान प्रदान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये नवोदय विद्यालय समिति अपने सभी विद्यालयों में सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप

जैसे खेलकूंद, स्काऊट एवं गाइड राज्य एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं आदि को विशेष महत्व प्रदान करती है।

बालचर और गाइड –

बालचर को सर राबर्ट वेडेन पावेल ने जन्म दिया, बालचर के सम्बन्ध में सर पावेल अपने विचार व्यक्त करते हुये लिखते हैं, कि स्काउटिंग एक प्रकार का खेल है, जिसमें सभी भाई मिलकर, अवकाश के समय एक ऐसा संत्संग करते हैं, जिसमें बडे भाई अपने छोटे भाइयों को जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

बालचर के महत्व पर प्रकाश डालते हुये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है "कि चरित्र एवं सुनागरिक गुणों का विकास करने का बालचर सर्वोत्तम साधन है"

" यह सभी आयु वर्ग के छात्रों को प्रिय है तथा बालकों की सर्वतोमुखी शक्तियों का विकास करता है अपने विभिन्न प्रकार के खेलों, क्रियाओं तथा तकनीकी कौशलों के द्वारा, बालकों में समाज सेवा, सदव्यवहार, नेताओं का सम्मान, राज्य के प्रति वफादारी तथा परिस्थितियों का सामना करने के गुणों का विकास होता है।"

भारत में इस संस्था का जन्म 1911 में हुआ और प्रथम महायुद्ध के समय में डा0 एनी वेसेन्ट के प्रयासों से इस संस्था ने अच्छी प्रगाति की, 1937 में दिल्ली में इसका महासम्मेलन हुआ तब से इस संस्था ने भारत में उल्लेखनीय प्रगति की हैं

बालचर का बहुत ही अधिक शैक्षिक महत्व है।

(1) परसेवा – बालचरों को पर सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वे अपने शिवरों में विभिन्न धर्म, जाति तथा समुदाय के लोगों की सेवा करते हैं तथा शिविरों में विना किसी भेदभाव के अनेक साथियों के साथ रहते हैं इससे उनमें भ्रातृत्व का भाव विकसित होता है।

(2) शारीरिक श्रम के प्रति दृष्टिकोण– बालचर अपने शिविरों में रहकर, नाना प्रकार की शारीरिक क्रियायें तथा श्रम करते हैं यहां पर वे शारीरिक श्रम को बडे उत्साह के साथ करते

वर्मा डॉ रामपाल सिंहः– विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
माध्यमिक शिक्षा आयोग :– पेज 127

हैं। बालचर संस्था द्वारा कैम्पों का आयोंजन, सफाई करना तथा श्रम के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास किया जाता है।

(3) सामाजिक सेवा भाव– बालचर संस्थायें अनेक सामाजिक कार्यो में भाग लेती है प्रोढ़ शिक्षा, सामाजिक स्थानों की सफाई आदि कार्यो में भाग लेकर सामाजिक सेवा का भाव जागृत करती है।

(4) प्रकृति–प्रेम – (स्काऊट) बालचरों के शिविर खुले वातावरण तथा प्रकृति की गोद में लगते हैं, अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, वे प्रकृति के सम्पर्क में आते हैं, प्रकृति का अवलोकन तथा मनन करते हैं, इससे उनमें प्रकृति प्रेम बढ़ता है, प्रकृति की गोद में जीवन के कुछ क्षण व्यतीत करने से छात्रों के जीवन में विविधता तथा सरलता आती है, प्रकृति के बीच रहकर वे अनेक प्रकार का ज्ञान सीखते हैं, तथा बाह्य दुनिया से सम्पर्क स्थापित करते है।

(5) व्यवहारिक ज्ञान– बालचर शिविरों में रहकर अनेकों प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे शिविरार्थियों को भोजन की व्यवस्था करना, तम्बू बांधना, गाँठें लगाना, रोगियों की देखभाल करना आदि।

बालचर संस्था के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है, अनुशासन बढता है, तथा देश प्रेम की भावना का विकास होता है
बालचरों की भाँति लडकियों के लिये गर्लगाइड संस्था होती है।

सारणी क्र. 2.16

(कम्पनी एवं आयु समूह को प्रदर्शित करने हेतु)

कम्पनी का नाम	बालचर आयु समूह	गर्ल गाइड कम्पनी का नाम	आयु समूह
शेर वच्चा	(7–11वर्ष)	बुल बुल	(7–11वर्ष की बालिकायें)
स्काऊट	(11–17वर्ष)	गर्लगाईड	(11–15वर्ष)
शेवरं	(17–ऊपर आयु वर्ग)	रेंजर	(16 अधिक आयु की बालिकायें)

इसके महत्व को स्वीकारते हुये भारत स्काऊट्स एवं गाइड्स के द्वारा

नवोदय विद्यालय समिति को एक राज्य जैसी मान्यता प्रदान की गई है बच्चों में बालचर एवं गाइड आन्दोलन के दर्शन को आत्मसात कराने के लिये विद्यालयों में अनेक क्रियाकलाप आयोजित किया जा रहे हैं।

नवोदय विद्यालयों के बच्चों ने अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता 1996 में भाग लिया जवाहर नवोदय विद्यालय शिमोगा के छात्र मा0 रूद्र स्वामी, जो राष्ट्रपति•बालचर हैं जापान में बालचर केम्प के लिये चुने गये, भारत स्काऊट एवं गाइड द्वारा आयोजित अनेक राष्ट्रीय एकता केम्पों में नवोदय विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया, नवोदय विद्यालयों के चुने हुये बच्चों ने पंचमढी में आयोजित राष्ट्रीय साहसिक कार्यकलाप कार्यक्रमं में भाग लिया, कर्नाटक के नवोदय विद्यालयों के बच्चों नें 4–10 जनवरी 1977 तक तुमकुर में आयोजित 23 वें कर्नाटक राज्य बालचर एवं गाइड जम्बूरी में भाग लिया विद्यालयों में सदभावना दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, बालचर एवं गाइड स्थापना दिवस आदि स्काऊट एवं गाइड एककों द्वारा मनाये गये, मार्च 1997 में पुष्कर (राजस्थान) में (H.W.B) एच. डब्ल्यू , वी. वालों के लिये लगाये गयें, प्रशिक्षण शिविरों में नवोदय विद्यालयों के बालचरों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय केडेड कोर – N.C.C –

स्वंत्रत भारत में सन् 1948 में एन.सी.सी तथा ए.सी.सी. सेवायें प्रारम्भ की गई, इसका उद्देश्य युवा पुरूषों एवं छात्र–छात्राओं में सेना के प्रति रूचि, उत्साह पैदा करना था।

एन. सी. सी. को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया गया हैं।

(1) सीनियर डिवीजन– कालेज के छात्रों के लिये

(2) जूनियर डिवीजन– विद्यालयों के छात्रों के लिये

(3) गर्ल डिवीजन– छात्राओं के लिये

एन. सी. सी. के द्वारा छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास कर, उनको आत्म विश्वास से परिपूर्ण बनाकर, शारीरिक क्षमतावान बनाया जाता है जिससे वह राष्ट्रीय

आपात कालीन समय में राष्ट्र की सहायता कर सके।

इसके अतिरिक्त एन.सी.सी. के द्वारा, छात्र–छात्राओं के मन में देश प्रेम, अनुशासन, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, आत्म विश्वास का विकास कर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है तथा आपात स्थिति में देश की रक्षा हेतु दूसरी पक्ति (रक्षा हेतु) तैयार की जाती है।

राष्ट्रीय केडेट कोर को जवाहर नवोदय विद्यालयों में कृमिक रूप से अपनाया जा रहा है, वर्ष 1996–97 के दौरान समिति के कुल 5150 कैडेट थे राष्ट्रीय केडेड कोर प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालयों के कैडेटों ने अनेक राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविरों में भाग लिया, तथा उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों ने विभिन्न जिलों की गणतंत्र दिवस परेडों में भी भाग लिया, हमारे कैडेटों के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस, कौमी एकता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवसों को मनाया गया, कैडेटों ने बृक्षारोपण, श्रमदान तथा प्रौढशिक्षा कार्यक्रमों जैसी अनेक गतिविधियों में भी भाग लिया।

निशानेवाजी प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय विशाखापटनम की 10 वीं कक्षा के कैडेट श्रीकांत ने पुरूष्कार प्राप्त किया, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड 1997 के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय अल्मोडा के दो कैडेटों का चयन किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालय, अमरावती के राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों ने पल्स पोलियो शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई, सामूहिक (मुख्य) स्तर पर जवाहर नवोदय विद्यालय करीमनगर की कैडेट विमला को सर्वोत्कृष्ट कैडेट का पुरूष्कार मिला।

खेलकूँद—

बालकों के लिये अनेक प्रकार की शारीरिक क्रियायें आवश्यक है, बालक स्वभाव से शान्त नहीं बैठ सकता है, वह गहन मानसिक चिन्तन नहीं कर सकता है, और लम्बे समय तक पढ भी नहीं सकता है, किन्तु उसमें अतिरिक्त शारीरिक शक्ति होती है, जिसके कारण वह कई शारीरिक क्रियायें करता रहता है, खेल न केवल शारीरिक दृष्टि से ही आवश्यक है, वरन इसका बौद्धिक, सामाजिक महत्व भी है।

(1) शारीरिक महत्व :—

शारीरिक रूप से खेलकूँद अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं, खेलकूदों से शरीर में स्फूर्ति तथा शक्ति का संचार होता है, शरीर शक्तिशाली बनता है, उसकी अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग होता है। खेलकूँद से वह अनेक शारीरिक अंगो का प्रयोग करना सीखता है, इससे गामक विकास में सुविधा होती है, खेलों से रक्तसंचार तीव्र होता है, अनेक शारीरिक रोग दूर होते हैं। खेलों से श्वसन क्रिया में तीव्रता आती है, जिससे शरीर की दूषित वायु बाहर जाती है, और शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश करती है खेलकूँद मानसिक थकावट को भी दूर करते हैं।

(2) मानसिक महत्व :—

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह बात निश्चित है। खेलकूँदों से शरीर स्वस्थ बनता है और शारीरिक स्वस्थता से मानसिक स्वस्थता की प्राप्ति होती है, खेलकूँदों से मानसिक स्फूर्ति बढती है, कुछ खेलकूँद जैसे बैडमिन्टन, वालीवाल, हाकी आदि ऐसे खेल हैं, जिनमें तुरन्त निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये खेल तर्क, निर्णय, कल्पना आदि मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण एवं विकास करते हैं। खेलों में चिन्तन करना पडता है। वह भी तुरन्त कि गेंद को किधर फेंके, विपक्षी कहाँ कमजोर है। कहाँ से सफलता मिल सकती है, इसके चिन्तन, योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का साहस खिलाड़ियों में आता है।

(3) सामाजिक महत्व :–

खेलकूँदों का सामाजिक महत्व है खेल कूंदों से बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है यहां आकर ही बालक दलीय भावना, दल के प्रति वफादारी तथा उत्तरदायित्व, परस्पर सहयोग, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है, नेतृत्व गुण तथा नेता की अधीनता स्वीकार करने का विकास होता है अर्थात उनमें नेतृत्व स्वीकार करने की भावना विकसित होती है। दलीय भावना का विकास होता है यहां वह अपने स्व तथा व्यक्तित्व को भूलकर अपने को दल का एक अनिवार्य अंग समझने लगता है।

(4) चारित्रिक महत्व :–

खेलों से छात्र–छात्राओं के चारित्रिक गुणों का विकास होता है, किशोरावस्था में अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक बढ जाती है, इस ऊर्जा को यदि अच्छे कार्यो में न लगाया जाय, तो छात्र–छात्रायें असामाजिक कार्य करने लगते है। खेलकूँद अतिरिक्त ऊर्जा को सत कार्यो में लगाते है, प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि खेलकूँदों से गंदी काम प्रवृत्ति में कमी होती है और बालक रचनात्मक कार्यो में भाग लेता है खेलकूँदों से दुःख का सुख के मध्य समुचित सन्तुलन रखने की शक्ति का विकास होता है हारने पर अधिक दुःख नहीं, और जीतने पर अधिक खुशी नहीं, हार व जीत का, वह यही से अनुभव करने लगता है।

खेलकूँदों से उसमें अन्य अनेक चारित्रिक गुणों का विकास होता है साहस, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करने आदि का विकास खेलों के द्वारा ही सरलता से होता है।

(5) मनोवैज्ञानिक महत्व :–

खेलकूदों से अनेक मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गान्तरीकरण होता है, क्रोध, युयुत्सा, काम सामूहिकता, सृजनात्मकता आदि मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गान्तरीकरण करने में खेलकूदों का बड़ा ही योगदान रहता है।

उपरोक्त महत्वों के अतिरिक्त खेलकूदों से छात्रों में अनुशासन की भावना

का विकास होता है, उनमें सामूहिक जीवन विकसित होता है। शिक्षक व छात्रों के मध्य सम्पर्क दृढ़ होते है नागरिक गुणों का विकास होता है, राष्ट्र प्रेम बढ़ता है, एवं छात्रों में एक उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण होता है।

शारीरिक क्षमता का विकास करने, तंत्रिकाओं और पेशियों को चुस्त–दुरूस्त रखने तथा सहयोग और खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नवोदय विद्यालयों में खेलकूँद को विशेष महत्व दिया जाता है खेलकूँद में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिये, नवोदय विद्यालय सामूहिक तथा क्षेत्रीय स्तर पर खेलकूँद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं।

नबम्बर 1996 में नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों से चुनी गई, खेलकूँद की टीमों के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय, जयपुर एवं जवाहर नवोदय विद्यालय, धारवाड में क्रमशः राष्ट्रीय खेलकूँद समारोह और राष्ट्रीय एथलैटिक समारोह का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय खेलकूँद समारोह में जयपुर संभाग तथा राष्ट्रीय एथलीट समारोह में हैदराबाद संभाग को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये ट्राफी प्रदान की गई।

जनवरी 1997 में बैंगलोर में भारतीय विद्यालय खेलकूँद संघ द्वारा आयोजित, खेलकूंद प्रतियोगिताओं में नवोदय विद्यालयों की विभिन्न टीमों ने भाग लिया, बंगलोर में भारतीय विद्यालय खेलकूंद संध की राष्ट्रीय स्तर की एथलैटिक्स प्रतियोगिताओं में नवोदय विद्यालय समिति की टीम को मार्चपास्ट में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तथा उसे अखिल भारतीय ट्राफी प्रदान की गई। देश के जनजातीय भागों में स्थित, कुछ जवाहर नवोदय विद्यालयों में तीरंदाजी, जूडों तथा जिमनास्टिक जैसे विशेष खेलों को भी प्रोत्साहित किया गया है।

प्रदर्शनी :–

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है,

जिसमें विज्ञान मेला, गाणित, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, उत्पादकता कार्यो से सम्बधित प्रदर्शनियों का आयोजन, छात्र–छात्राओं को बडे आनन्द को प्रदान करने वाली तथा ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक क्रियायें होती है यह छात्र–छात्राओं द्वारा बडे उत्साह के साथ, रूचिपूर्ण ढंग से आयोजित किये जाते हैं, इससे उनके खाली समय का सदुपयोग होता है छात्रों का सौन्दर्यात्मक विकास होता है वह रचनात्मक कार्यो की और अग्रसर होते हैं।

नवोदय विद्यालय समिति ने सामूहिक, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, गाणित, सामाजिक विज्ञान एवं उत्पादकता कार्य विषयों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें प्रतिरूप माडल, चार्ट, तथा नवीन पद्धतियों वाली शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों से चुने गये सर्वश्रेष्ठ विज्ञान प्रादर्शो को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को भेजा जाता है विज्ञान प्रदर्शनी के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद, गाजियाबाद, वोलागीर एवं कुडप्पा से तीन प्रादर्शो का चयन किया गया।

सहपाठ्यचर्या कार्य कलाप छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते है देशभर के ज0 न0 विद्यालयों में अनेक सराहनीय सहपाठ्यचर्या क्रियाकलाप आयोजित किये जाने के प्रतिवेदन प्राप्त हुये है। ये क्रियाकलाप, कला, संगीत, नाटक, समाजोपयोगी, उत्पादकता कार्य, सामान्य ज्ञान, गणित, वादविवाद, निबंध, वाक चातुर्य, क्विज, काव्य एवं नृत्य आदि विभिन्न क्षेत्रों के आयोजित किये जा रहे है विद्यालयों में महत्वपूर्ण दिवसों तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को नियमित रूप से मनाया जाता है तथा साम्प्रदायिक सदभावना रैली आदि का भी आयोजन किया जाता है महान नेताओं के जन्म दिवस तथा राष्ट्रीय महत्व के दिवसों के उपलक्ष्य में सृजनात्मक क्रियाकलाप, अयोजित किये जाते हैं, विज्ञान सप्ताह, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह तथा हिन्दी सप्ताह आदि का भी आयोजन किया जाता है।

वर्मा डॉ रामपाल सिंह:– विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

सह पाठ्यचर्या कार्यकलाप विद्यालय के विभिन्न हाऊसों, विभिन्न विद्यालयों के बीच, जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित किये जाते है, विभिन्न सह पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में छात्र–छात्राओं की रूचि विकसित करने के उद्देश्य से, अनेक विद्यालयों में, क्लब बनाने की योजना लागू की गई है, विभिन्न विद्यालयों में साहित्यक क्लब, कला क्लब, कम्प्यूटर क्लब, वागवानी क्लब, विज्ञान क्लब, स्वास्थ्य क्लब, खगोलिकी क्लब आदि बनाये गये हैं।

समिति ने विभिन्न संभागों में भी संभागीय स्तर के सांस्कृतिक समारोहों को आयोजित किया सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा राष्ट्रीय एकता के लिये एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समिति राष्ट्रीय एकता समारोह का भी आयोजन करती है।

सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों से नवोदय विद्यालयों के छात्रों ने विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित समारोह में चैम्पियनशिप प्राप्त की " अब हम कहाँ रहते है" विषय पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित अन्तराष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय सागर म0प्र0 की कक्षा 7 की छात्रा कु0 प्रियंका सिंह राजपूत ने तृतीय पुरूष्कार जीता, सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तगर्त आयोजित परीक्षा, जो कि सी. सी. आर. टी नई दिल्ली द्वारा सम्पन्न करायी जाती है इस परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय महोवा उ0 प्र0 की कक्षा 7 के छात्र, मा0 किशन कुशवाहा को बारहवीं कक्षा तक के लिये 200) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद समारोह में जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों ने 1500 मी0 दौड एवं जैबलिनथ्रो स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, एवं इन्हीं विद्यालयों के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर के समारोह में म0 प्र0 का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार से देखा जाये तो नवोदय विद्यालयों के छात्रों ने विभिन्न समारोहों जैसे वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह, पर्यावरणमेला, विज्ञान पुरूष्कार, यूरेका पुरूष्कार जो कि केरल राज्य, शास्त्र

साहित्य परिषद द्वारा आयोजित यूरेका विज्ञानोत्सव प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है।

महत्वपूर्ण दिवसों के समारोहों का आयोजन :–

देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों पर समारोहों का आयोजन किया जाता है जैसे सद्भावना दिवस, हिन्दी सप्ताह, गांधी जयंती, बालदिवस, विज्ञान दिवस, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह आदि के अवसर पर आयोजित समारोहो में छात्रों के भाग लेने के प्रतिवेदन प्राप्त हुये, कई जवाहर नवोदय विद्यालयों न दूसरे राज्य के छात्रों के साथ मिलकर उन राज्यों के महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन किया।

जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती महाराष्ट्र के छात्रों ने हरियाणा दिवस मनाया, जो कि क्षेत्रबाद के संकीर्ण मूल्यों को कम करने में सहायता करता है।

विद्यालयों के विभिन्न क्लबों के कार्यकलाप :–

जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्राचार्यो के पास बहुत अधिक कार्य का भार रहता है अतः प्रशासन एवं कार्यो को सुचारूरूप से संचालन के लिये प्राचार्यो के द्वारा विभिन्न क्लबों का गठन किया जाता है जैसे विज्ञान क्लब, साहित्य क्लब, समुदाय सेवा क्लब आदि

इन क्लबों का अध्यक्ष प्राचार्य होता है सचिव किसी व्याख्याता, शिक्षक को बनाया जाता है एवं सदस्यों के रूप में कई शिक्षकों तथा विद्यालयीन छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है यह सब मिलकर प्राचार्यो की देख रेख, निर्देशन में इन क्लबों के माध्यम से कार्यो का संचालन करते है। विज्ञान क्लबों के माध्यम से विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिये सहायक शिक्षण सामग्रियों एवं प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक उपकरणों आदि के क्रय सहित रखरखाव, ठीक ढंग से उपयोग, विज्ञान मेला, सेमीनारों का आयोजन किया जाता है। विज्ञान के प्रति लगाव के लिये छात्रों को प्रेरित किया जाता है। साहित्य क्लबों के द्वारा छात्र–छात्राओं में साहित्यक प्रेम की भावना का विकास किया जाता है विद्यालयों में

वादविवाद, भाषण, कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

कई नवोदय विद्यालयों में समुदाय सेवा क्लब चलाये जाते हैं, समुदाय सेवा क्लब के छात्र दो दलों में विभाजित होकर, अपने शिक्षकों के साथ पास पडोस के गांवों में जाकर शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जनजातीय लोगो के साथ सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा के महत्व से उनको परिचित कराते हैं।

विद्यालयों में चलने वाले विभिन्न क्लबों जैसे विज्ञान क्लब, पुस्तकालय क्लब, कम्प्यूटर क्लब, कला क्लब को, विभिन्न महीनों को अलग अलग वांटकर पूर्ण उत्साह के साथ, उस क्लब का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है इन क्लबों के माध्यम से छात्रों में क्लबों की गतिविधियों के प्रति रूचि तथा अनेक गतिविधियों के प्रति रूचि तथा अनेक गतिविधियों के प्रति सूचनायें प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत की जाती है।

1. कुछ नवोदय विद्यालयों ने विज्ञान के प्रति छात्रों की रूचि विकसित करने के लिये विज्ञान सप्ताहों का आयोजन किया जाता है इन विज्ञान सप्ताहों में वैज्ञानिकों के चित्र–पोस्टर प्रतियोगिता, वैज्ञानिकों की आत्मकथा, निबंध प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों को सम्पन्न कराया जाता हैं, स्लाइडों एवं माडलों के द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।

उत्प्रेरक कार्य कलाप :–

1. पडोसी ग्रामीण वस्ती का अंगीकरण :– कई जवाहर नवोदय विद्यालयों में पडोसी ग्रामीण वस्ती अंगीकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, इस कार्यक्रम के अन्तगर्त नवोदय विद्यालय अपने पास के किसी ग्राम को गोद लेता है, इस ग्राम में छात्रों एवं शिक्षको के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर साक्षरता शिविर, गंदगी उन्मूलन कार्य किये जाते हैं, जो कि ग्राम के निवासियों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने, साक्षरता के महत्व को समझाने एवं ग्रामीण गदंगी उन्मूलन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन शिविरों में ज्यादा फ्लोरीन वाले पानी की समस्यायों से पीडित लोगों को सहायता प्रदान की जाती है, विद्यालयों में

समाजोपयोगी उत्पादकता कार्य, शिक्षकों द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवकों को बिजली के उपकरणों की प्राथमिक मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सचल पुस्तकालय :–

शिक्षा का मुख्य कार्य है, सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढी को हस्तांतरित करना एवं सांस्कृतिक विरासत को, ज्ञान को, पुस्तकालयों के माध्यम से जीवित बनाये रखना है एवं सुरक्षा प्रदान करना है।

विद्यालयों में पुस्तकालय का बडा महत्व है, वास्तव में प्राचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, शिक्षक नाडी संस्थान है और पुस्तकालय उसका हृदय है। पुस्तकालय वौद्धिक एवं साहित्यिक अभिवृद्धि का स्थान होता है। पुस्तकालय में ही बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है, यह नवीन ज्ञान की खोज का केन्द्र होता है, पुस्तक अनेक महान चिन्तकों के अनुभवों तथा ज्ञान का सुव्यवस्थित संग्रह होता है। यह संग्रह भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है, वास्तव में पुस्तकालय एक वौद्धिक प्रयोगशाला है, जहां हम अपनी वुद्धि के विकास हेतु सत प्रयास करते हैं।

कई जवाहर नवोदय विद्यालयों ने राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ांवा देने के लिये ग्रामों में पुस्तकें ले जाकर गॉव वालों को पुस्तके वितरित कर साक्षर होने के लिये प्रोत्साहित किया एवं सचल पुस्तकालय स्थापित किये।

ऊसर भूमि को खेती योग्य करना :–

अधिकाशतः नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, कुछ नवोदय विद्यालयों ने पास के गांवों की ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाकर गेहूँ, दाल आदि अनाज उगाकर लाभ प्राप्त किया हैं, फसलों से होने वाली आय को विद्यालय के विकास में उपयोग किया जा रहा है

श्रमदान के माध्यम से लोगों को संदेश :—

जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों में श्रम के महत्व, गरिमा का पाठ पढ़ाने के लिये वह अपनी इच्छा से विद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षिक खण्डों की साफ सफाई, रंगाई पुताई कर, अपने विद्यालय के परिसर को सुन्दर बनाते हैं, एवं श्रम के माध्यम से लोगो को संदेश देते हैं, कि हमें अपने परिसरों को साफ स्वच्छ रखना चाहिये, जिससे कि बढते हुये औद्योगिक रासायनिक कचरों से दूर रहना चाहिये और इससे उत्पन्न खतरों से, कैसे बचा जा सकता हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने बाजारों में पडे हुये, कूडे के ढेर एवं पोलीथिन की थैलियों को हटाया, एवं लोगों को संदेश दिया, कि पोलीथिन की थैलियों का उपयोग बंद करें, इन थैलियों से वातावरण में प्रदूषण बढता है इनसे सीवर के बंद होने की मुश्किल भी खडी हो जाया करती है।

वृक्षारोपण :—

सामाजिक जीवन में वृक्षों का बडा महत्व है भारतीय संस्कृति में भी वृक्षों का बडा महत्व है हमारे यहां लोग प्राचीन काल से लेकर आज तक वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं, अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष तो वासुदेव भगवान का प्रतीक माना जाता हैं।

लाभा—लाभ दुष्टिकोण से भी वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वन कृषि, उद्योग, यातायात में सहायक तो है ही, इनसे अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी है वनों से अनेक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये दवायें पौधे के किसी न किसी भाग में संचित रहती हैं, दवा देने वाले कुछ पौधों की खेती की जाती है जबकि कुछ मैदानों या वनों में ये दवा देंने वाले पौधे अपने आप उगते हैं, केन्द्रीय दवा अनुसंधान संस्थान तथा कोलकाता स्थित ट्रांपिकल स्कूल आफ मेडिसिन औषधीय महत्व के पौधो पर कार्य करती हैं, और उपयोगी दवाओं का पता लगाते है।

वनों की सुरक्षा से लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है ईधन की कमी

भी नहीं रहेगी, इमारती लकड़ी ईधन, चारा तथा विभिन्न वनोत्पाद जैसे फल, फूल, गोंद शहद, कत्था, लाख, आदि प्राप्त होते है।

वनों से उत्पादों के प्राप्त होने के साथ ही वन, भूमिक्षरण को कम करते है। भूमिक्षरण को रोकने और जल को बचाये रखने, पर्यावरण को शुद्ध रखने जल प्रवाह को विनियमित करने, वायुमंडल में गैसों के चक्रण को विनियमित करने में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों द्वारा सामाजिक वन अभिकरण के सहयोग से विद्यालय परिसरों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जाते हैं, वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस आदि को पर्यावरण को संरक्षित रखने के संदेश के साथ मनाया जाता है।

शिक्षा में कला :–

नवोदय विद्यालयों में पिछले 4 वर्षो से शिक्षा में कला कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है यह एक ऐसा अदभुत प्रयोग है जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया की एक वैकल्पिक दृष्टि के बीज निहित है जो बच्चों के संसार से संबधित है।

1. सृजनात्मक कार्यकलाप के माध्यम से शिक्षा का उद्देश्य अधिगम को प्रासंगिक, सार्थक, रोचक तथा जीवन से जोडने वाला बनाना है, शिक्षा में कला कार्यक्रम बच्चों में खोज की प्रवृत्ति तथा कार्य करने में पहल करने की भावना विकसित करना है।

सारणी क्र. 2.17

अगले पृष्ठ पर अंकित

सारणी क्र. 2.17
नवोदय विद्यालय समिति के " शिक्षा में कला" कार्यक्रम

अप्रैल 1996 – मार्च 1997

क्र. सं. कार्यशाला का नाम	केन्द्र	शिक्षकों की सं.	छात्रों की सं.	ज.न.वि. की. सं.	संयोजक का नाम
1. पक्षगान, अप्रैल 96 (लोक नाटक)	शिमोगा (कर्नाटक)	05	50	01	श्री मंजू नाम भागवथा
2. कलरीपघट्टू, अप्रैल 96 (नटकला)	भल्ला पुरम (केरल)	05	50	01	सी.बी.एन. कलरी संगम
3. भोपलाकल्ली, अप्रैल 96 (प्रदर्शन कला)	कालीकट (केरल)	05	50	01	श्री टी. के. शमसुद्दीन
4. गोटीपुआ, ओडिसी, अप्रैल 96 (नटकला)	कटक (उड़ीसा)	03	30	01	गुरू श्री मागुनीदास
5. लागा एवं मगनीहार संगीत, अप्रैल 96 (प्रदर्शनकला)	जोधपुर, बाडमेर जैसलमेर (राजस्थान)	03	30	01	श्री कोहिनूर लांगा, श्री गफूर खान एवं श्री नूर मौहम्मद लांगा
6. पूरकल्ली, अप्रैल 96 (प्रदर्शनकला)	कासरगोड़ (केरल)	03	30	01	क्षेत्रीय बिशेषज्ञ
7. वेलकल्ली नटकला, अप्रैल 96 (प्रदर्शनकला)	अल्लपी (केरल)	04	30	01	श्री मोहननकुंज पनीकर
8. शिक्षा में नाट्य कला, अप्रैल 96	हसन (कर्नाटक)	05	–	01	श्री के.जी. कृष्णामूर्ति, नीनासाम, हैगडू
9. स्क्राल पेटिंग, अप्रैल 96 (दृश्य कला)	वेस्ट सिक्किम	–	–	01	श्री केजागं भूटीया
10. विविध कला कार्यशाला, अप्रैल 96 (दृश्यकला/प्रदर्शनकला/ शिक्षा में नाट्य कला	लेह	–	–	01	श्री नीपम ओत्साल
11. शिक्षा में नाट्य कला अप्रैल 96	जयपुर	–	–	01	श्री अलखनंदन
12. पक्षगान, अप्रैल 96, लोक नाटक	उत्तर कन्नड़(कर्ना.)	05	50	01	श्री शंभू हेगड़े
13. विविध कला कार्यशाला प्रदर्शन /दृश्य कला, अगस्त 1996	भिंड (मध्यप्रदेश)	05	50	01	सुश्री सीता कुशवाहा, (विद्यार्थी)
14. शिक्षा में नाट्य कला, अगस्त 1996	जूनागढ़ (गुजरात)	03	50	01	कु. विभा मिश्रा
15. शिक्षा में नाट्य कला, अगस्त 1996	गढ़चिरोली (महाराष्ट्र)	03	50	01	श्री लोकेन्द्र त्रिवेदी

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बाग नई दिल्ली

अनेक जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चों द्वारा "अपने जिलों को जानिये" नामक श्रंखला तैयार की गई है, जिससे स्थानीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामाजिक तौर तरीकों एवं परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है।

2. शिक्षा के महत्व का मूल्यांकन केवल उसकी उपयोगिता में निहित नहीं होता, बल्कि इस तथ्य में भी निहित होता है कि वह बच्चे पर कैसा प्रभाव छोडती है " शिक्षा में कला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सम्पूर्ण क्षमताओं को विकसित करना है जैसे शिक्षा में रंगमंच कार्यशाला का उद्देश्य सृजनात्मक नाट्य गतिविधियों से कक्षा शिक्षण का जोडना है।

शिक्षा में कला कार्यक्रम के अन्तगर्त आयोजित कार्यशालायें राष्ट्रीय एवं सामुदायिक एकता के मूल्यों को प्रोत्साहित करती हैं, यह कार्यशालायें जूनागढ़ (गुजरात) गढ़ चिरोली (महा0) जयपुर (राज0) तथा हसन (कर्ना0) मे आयोजित की गई थी।

3. अधिगम की क्रिया का मुख्य बिन्दु बच्चे होते हैं। वह कला कार्यशालाओं के आयोजन में संयोजक एवं प्रतिभागी सव बच्चे ही होते है।

4. शिक्षा में कला स्थानीय आवश्यकताओं तथा विद्यालय के आसपास के वातावरण के प्रति उत्तरदायी है इसकी कार्यसूची स्थानीय समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ्भूमि के आधार पर तैयार की जाती है।

5. यह कार्यक्रम अपने वस्तुगत तत्वों के आधार पर लचीला है, इसे स्थानीय या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आसानी के साथ चलाया जा सकता है, ये कार्यक्रम देश भर में फैले हुये, नवोदय विद्यालयों में आसानी के साथ क्रियान्वित किये जा सकते हैं। जैसे केरल की सैन्य कलायरी पयूट का प्रशिक्षण केरल में, स्क्रोल पेटिंग का सिक्किम में, कुचीपुडी नृत्य का आंध्रप्रदेश में प्रशिक्षण दिया जा सकता हैं।

6. सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थानीय लोगों की सृजनात्मकता का उपयोग, शिक्षा में कला कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग, पराशिक्षकों की भूमिका का निर्वाह करते हैं, वे बच्चों को पारंपरिक कला रूपों तथा उसके कौशल से परिचित कराते है। यह तथ्य "शिक्षा में रंग–मंच" कार्यशाला को छोडकर शेष सभी कार्यशालाओं में लागू होता है। शिक्षा में रंगमंच कार्यशाला में रंग–मंच में प्रशिक्षित विशेषज्ञ – विशेष रूप से बाल–नाट्य में विशेष रूचि रखने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, पदमश्री

पलाश :– अक्टूबर 1993 राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल म0प्र0
शिक्षा की चुनौती :– नीति सम्बन्धी परिवेश

तीजनवाई, पदम श्री शिवादेवी, पदम श्री भास्करदास साहू कुछ ऐसे श्रोत व्यक्ति हैं, जिन्होंने छात्रों को पारंपरिक प्रदर्शन–कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया है, 1996–97 में सी0 बी0 एन0 कलरी संगम के विशेषज्ञों, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरूष्कृत श्री शंभू हेगडे तथा राज्यों के संस्कृति विभाग के कलाकारों ने "शिक्षा में कला" कार्यक्रम के अन्तगर्त कार्यशालाओं का संचालन किया।

7. कला की किसी विशेष विधा में कौशल प्राप्त करना, संरचनात्मक रूप में, शिक्षा में कला कार्यक्रमों का एक प्रमुख बिन्दु है। किसी एक विधा में कुशलता प्राप्त करने के साथ ही साथ सृजनात्मकता की विभिन्न बारीकियाँ भी बच्चे की रूचि के अनुसार सामने आती जाती हैं, शिक्षा में कला कार्यक्रम के अन्तगर्त आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में कला, साहित्य एवं संगीत मंडलियां बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिये कला मडंली, कलाओं की विधाओं को प्रस्तुत करती है, और नृत्य मंडली प्रदर्शन करती है।

8. संगीत, कला, भाषा, इतिहास आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षित नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को इन गतिविधियों में शामिल किया जाता है, ताकि वे अपने सृजनात्मक अनुभवों को पुनः सृजित करें तथा अपने छात्रों के लिये उनका अध्ययन करें, सृजित करें तथा इससे विद्यालय की व्यवस्था में शामिल अन्य लोग भी शिक्षा में कला कार्यक्रम से लाभान्वित हो जाते है।

9. शिक्षा में कला कार्यक्रम नवोदय विद्यालयों की आवासीय संरचना में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योकि उनके पास विद्यालय में अध्ययन करने के साथ अतिरिक्त समय में इस तरह के कार्यकलाप करने की क्षमता होती है।

उदाहरण के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय झावुआ में छात्रों ने शिक्षा में रंगमंच कार्यशाला में भाग लिया, तथा उन्होने साक्षरता प्रसार कार्यक्रम को भी आगे बढाया, जिसका आइ. एस. आर. ओ द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रसारण किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम :–

" विद्या अर्थकरी यशः सुखकरी " के अनुसार शिक्षा अर्थ, यश और सुख देने वाली होनी चाहिये, पर मौजूदा किताबी शिक्षा ऐसा कुछ नहीं देती, एक रोजगार अधिकारी ने छात्रों का व्यवसायिक मार्गदशन करते हुये, बताया था, कि हमारे एक हजार स्नातकों के पीछे सिर्फ चार नौकरियां मिल पाती हैं, इस विकट स्थिति के लिये, 1835 में शुरू

हुई मैकाले की शिक्षा उत्तरदायी हैं, जो विधार्थियों को किताबी कीडे बनाती है, चाहते हुये भी शासन इसमे फेर बदल नहीं कर पाया है, आजादी के बाद शिक्षा का फैलाव तो बहुत हुआ, परन्तु शिक्षा ''कुतिया की दुम टेढ़ी की टेढ़ी'' जैसी साबित हो रही है नकलची शिक्षित बेरोजगारों की बढ रही भीड, चिन्तित अभिभावक और परेशान सरकार, कितने आयोग बने, कितनी सिफारिशें हुई, परन्तु शिक्षा को रोजगारोंन्मुखी बनाने की सारी कोशिशें वेकार ही साबित हुई।

सन 1882 में गठित हण्टर कमीशन की सिफ़ारिश थी, कि शिक्षित जन, व्यापार, उद्योग और गैर किताबी कामों में लगने चाहिये, सौ वर्ष बाद भी यह नहीं हो सका, इसलिये आजादी के बाद भारत के उपराष्ट्रपति माननीय हिदायतुल्ला साहब ने अपने दीक्षान्त भाषण में एक विश्व विद्यालय में पूँछा था।

''क्या हमारे पाठ्यक्रमों में बर्तन निर्माण, कागज व चोक निर्माण बुनाई, चमडे का काम का प्रशिक्षण है? क्या हमारी शिक्षा रोजगार मूलक है? हमारे छात्र बहुतकम ज्ञान अर्जित करते हैं, और आगे उससे भी कम कमाते हैं, इन वातों को ध्यान में रखकर हमें अपना शिक्षा कार्यक्रम बदलना चाहिये।''

22 अगस्त 1986 को ससंद मे पारित '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा के विषय में प्रस्तावपारित किया गया, कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विधार्थियों का 10 प्रतिशत 1990 तक तथा 25 प्रतिशत 1995 तक व्यवसायिक पाठ्यचर्या में आ जायें, इसके लिये तकनीकी तथा प्रबंध संस्थाओं और उद्योगों के बीच सक्रिय कार्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षा को विकास की कुंजी कहा जाता है कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों, विकास, उत्पादन, रोजगार आदि बातों पर जोर देती है सन 86 में पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनःविचार करते हुये राममूर्ति समिति ने सन 1990 में कहा था।

अकादमिक और व्यवसायिक नाम से दो प्रथक शिक्षा धाराओं की आवश्यकता नहीं है, कक्षा 11 से 12 तक सभी छात्रों की शिक्षा में व्यवसायीकरण लागू किया जाय, तथा स्कूल की दुनिया और काम की दुनिया में व्यावहारिक शिक्षा कायम हो।

जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के अर्न्तगत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का विधान है, इसे ध्यान में रखते हुये, उन नवोदय विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षायें लगती हैं, इन विद्यालयों के विधार्थियों को उनकी पसंद तथा उनके जिलों में रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं के अनुरूप व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की गई, वर्ष 1996–97 में उ0 मा0 कक्षाओं वाले कुल 222 विद्यालयों मे से 12 विद्यालयों के बच्चों को अपनी पसंद का व्यवसायिक पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान किया गया।

सारणी क्र. 2.18

जवाहर नवोदय विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम

(वर्ष 1996–1997)

(वार्षिक रिपोर्ट 1996–97)

क्र0 स0	ज0न0वि0/जिला	व्यवसायिक पाठ्यक्रम
1	अमराबती	व्यवसायिक, वाणिज्य
2	उस्मानाबाद	इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी
3	धुले	व्यवसायिक वाणिज्य
4	जोनपुर	———"———
5	चिन्तूर	———"———
6	विशाखापट्टनम	———"———
7	मेडक	———"———
8	माण्डया	———"———
9	शिमोगा	———"———
10	कोडागू	———"———
11	सिहोर	होटल प्रबंधन
12	टीकमगढ़	व्यवसायिक वाणिज्य

वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–"नवोदय विद्यालय समिति" बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड़, करोल बाग नई दिल्ली

कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम :–

विज्ञान के पर जैसे–जैसे फैल रहे हैं, यह दुनिया वैसे–वैसे सिकुडकर छोटी होती जा रही है, यह कहना गलत नही होगा, कि आज सम्पूर्ण विश्व एक कक्ष के बराबर हो गया है, विश्व को, एक कक्ष में समेटने के लिये विज्ञान के अन्य उपकरणों का महत्व तो है ही, किन्तु सबसे अधिक महत्व कम्प्यूटर और कम्प्यूटर शिक्षा का है कम्प्यूटर के द्वारा एक कमरे में बैठे–बैठे मानीटर पर आपको विश्व की नवीनतम जानकारी सेकेण्डों में मिल जाती है।

कम्प्यूटर का इतिहास तो काफी पुराना है, किन्तु इसका व्यवसायिक उपयोग 1950 के वर्षो से हो रहा है, ठीक इसी समय से कम्प्यूटर शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है, विकसित राष्ट्रों के शालेय पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर शिक्षा के कारण ही राष्ट्र विकसित है, हमारे समाज को आधुनिक बनाने में कम्प्यूटर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जीवन के हर क्षेत्र में आज कम्प्यूटर का प्रयोग हो रहा है, कम्प्यूटर और विकास आज एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं, कम्प्यूटर से समाज में गतिशीलता का समावेश हुआ है, मानव कल्याण के लिये विज्ञान ने जितने भी उपकरणों की खोज की, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कम्प्यूटर ही है, इस कारण कम्प्यूटर शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, कंम्प्यूटर का व्यापक उपयोग स्वंय कम्प्यूटर शिक्षा की उपादेयता को स्पष्ट कर देता है।

विकसित राष्ट्रो के विकास का राज भी कम्प्यूटर शिक्षा है, वहां कम्प्यूटर शिक्षा पर अधिक जोर है, विकसित राष्ट्रों में जिस स्तर पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, वह हमारी कल्पना से परे है, यह सब उनकी उन्नत कम्प्यूटर शिक्षा की उपादेयता को और अधिक स्पष्ट कर देता है।

कम्प्यूटर शिक्षा की उपादेयता को स्वीकार करते हुये, शासन ने अपने विद्यालयीन पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश किया है।

इस समय नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 103 जवाहर नवोदय विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, कक्षा 6 से 12 के सभी छात्रों के लियें कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य है, इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय समिति के प्राचार्यो शिक्षकों तथा कर्मचारियों की दक्षता का विकास करने में उल्लेखनीय सहायता

मिली है।

कम्प्यूटर पत्रिका :–

जिन विद्यालयों में कम्प्युटर साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, उनमें से ज्यादातर विद्यालयों में कम्प्यूटर क्लब स्थापित किये गये हैं, इन क्लबों में प्राचार्यो द्वारा प्रोत्साहित छात्रों के विशेष प्रयासों से उत्कृष्ट कम्प्यूटर पत्रिकायें निकाली जा रही हैं, जिनसे हमारे छात्रों की कम्प्यूटर दक्षता का स्वतः प्रदर्शन हो जाता है, छात्रों ने सचमुच कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग को समझना शुरू कर दिया है, उन्होंने साफ्टवेयर का विकास करने में विशेष रूचि दिखाई है उनमें कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता का विकास हुआ है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य :–

मनुष्य की स्थिति अन्य प्राणियों से सर्वथा भिन्न है, वह समाज में रहता है, उसकी एक सभ्यता है। सुसंस्कृत आचरण की उससे अपेक्षा की जाती है, साथ ही उसे इतना ज्ञान सम्पन्न भी होना चाहिये, कि दुनिया जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। यह योग्यता तभी विकसित होती है, जब व्यक्तित्व और ज्ञानसम्पदा की दृष्टि से वह स्वंय कुछ उपार्जित करे, इस योग्य बनने के लिये उसे विरासत में, कुछ संस्कार और जानकारी भी प्राप्त हो, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही प्राचीन काल से शिक्षा की व्यवस्था की जाती रही है, इस व्यवस्था का स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, पर वह प्रचलन में हमेशा अनिवार्य रूप से रही है।

शिक्षा की आवश्यकता और शाश्वत उपयोगिता के सम्बन्ध में एक मनीषी का कथन है, कि " शिक्षा जीवन का शाश्वत मूल्य है मानवीय चेतना जिन दों प्रकार के मूल्यों की परिधि में पल्लवित होती है, उनमें कुछ मूल्य शाश्वत होते हैं, कुछ मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, शिक्षा को जीवन का शाश्वत मूल्य कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के विना कोई व्यक्ति अपने जीवन को विकासशील नहीं बना पाता, ज्ञान की अनिवार्यता हर युग में रही है, इसलिये शिक्षा को हर युग में मूल्य एवं महत्व प्राप्त होता रहा है।

शिक्षा का अर्थ केवल, वस्तुओं या विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, मात्र नहीं है, वरन शिक्षा की सार्थकता वस्तुओं के ज्ञान के साथ–साथ अनुपयोगी और उपयोगी का विश्लेषण करने में तथा उनमें से अनुपयोगी को त्यागने एवं उपयोगी को ग्रहण

करने की दृष्टि का विकास भी होना चाहिये, तभी शिक्षा अपने सम्पूर्ण अर्थ को प्राप्त होती है।

जैन दर्शन के आचारांग सूत्र में दो प्रकार की परिज्ञाओं का उल्लेख है एक सपरिज्ञा और दूसरी प्रव्याख्यान परिज्ञा,

सपरिज्ञा से तात्पर्य है वस्तुओं का वोध है।

प्रव्याख्यान परिज्ञा से तात्पर्य है, कि हे का त्याग तथा उपादेय के ग्रहण की सार्थकता कही गई है।

प्रव्याख्यान–ज्ञान एवं आचरण का समन्वय कहा जाता है, ज्ञान और आचरण में सामंजस्य उत्पन्न होने पर ही कोई व्यक्ति वास्तव मे ज्ञानी, पंडित, तथा शिक्षित कहा जा सकता है। ज्ञान और आचरण में सामंजस्य क्या है? व्यक्तित्व का समग्र विकास।

ज्ञान वह है जो देय और उपादेय का विश्लेषण करे, दूसरे शब्दों में उसकी प्रतिक्रिया परिणति को विवेक भी कह सकते हैं, और विवेक के प्रयोग से ही ज्ञान की सार्थकता है अन्यथा ज्ञान की कोई किताबी जानकारी का क्या महत्व है, ज्ञान और आचरण में बोध और विवेक में जो सामंजस्य प्रस्तुत कर सके, उसे ही सही अर्थो में शिक्षा कहा जा सकता है, जब यह सामंजस्य स्थापित नही हो पाता, तो शिक्षा अधूरी ही कही जायेगी और व्यक्तित्व भी अविकसित या एकांगी रह जायेगा।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर शिक्षण कार्य कराया जाता है, केवल किताबी ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि विषयों के ज्ञान के साथ स्वावलंबन जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता हैं, ज्ञान के साथ–साथ सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है, यहाँ पर आयोजित किये जाने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र–छात्राओं को, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।

सातवी पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक

पृष्ठभूमि वाले परिवार के हों, ऐसी उत्कृष्ठ एवं आधुनिक शिक्षा देना, जिसमें सांस्कृतिक विविधताओं का ज्ञान करवाना, मानवीय मूल्यों का उन्नयन पर्यावरण के प्रति चेतना, उत्पन्न करना तथा साहसिक एवं शारीरिक गातिविधियों के लिये पर्याप्त अवसर देना समाहित है।

2. त्रिभाषा सूत्र के अनुसार यह सुनिश्चित करना, कि नवोदय विद्यालयों के सभी बच्चे तीन भाषाओं में अपेक्षित प्रवीणता प्राप्त करे।
3. अनुभव और सुविधाओं के आदान प्रदान से प्रत्येक जिले में स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रमुख केन्द्र के रूप में काम करना।
4. अच्छी शिक्षा देना तथा पास पडोस के विद्यालयों एवं समुदाय को शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, एवं अपने परिसर में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं को बांटना, अर्थात नवोदय विद्यालय एक आदर्श भूमिका का निर्वाह करने वाले, विद्यालय के रूप में विकसित होते हैं।
5. अधिगम को प्रभावशाली बनाकर छात्रों को अधिकतम लाभ पहुँचाना।
6. शिक्षकों को अत्याधुनिक शिक्षण सहायता, उपकरों तथा पद्धतियों में गहन प्रशिक्षण देकर नवोदय विद्यालयों की शिक्षण पद्धति को समृद्ध बनाना।
7. जिले के पड़ोसी विद्यालयों से संपर्क स्थापित कर, उनकों मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वह विद्यालय अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार ला सकें।
8. पडोसी विद्यालयों को अपने पास उपलब्ध भौतिक सुविधाओं एवं दृश्य–श्रव्य उपस्करों तथा कम्प्यूटर जैसी सुविधाओं से लाभान्वित करवाना।

अध्याय 3.

- म0 प्र0 का निमार्ण एवं शिक्षा
- म0 प्र0 व्यवसायिक शिक्षा की ओर (कम्प्यूटर शिक्षा)
- म0 प्र0 में पंचायती राज और शिक्षा
- शासकीय विद्यालय और शिक्षा
- प्रशासनिक संगठन
- विद्यालयों में प्रवेश
- विद्यालयों में शिक्षकों का चयन
- पाठ्य सहगामी क्रियाये
- शिक्षा प्रशासन एवं संगठन
- शाला विकास समिति
- पालक शिक्षक संघ
- मूल्यांकन
- म0 प्र0 में स्त्री शिक्षा
- शासकीय स्कूल और शिक्षा का गिरता स्तर

मध्य प्रदेश का निर्माण और शिक्षा :–

इतिहास अपने को दोहराता है, और काल चक्र अपने सम्मुख रखे गये वेढ़व सवालों का उसी शैली में जबाब देता है, 45 वर्ष पहले जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तब पुर्नसंरचना से बचते गये हिस्सों का एक ''कोलाज'' अनायास ही वन पडा था, इसी को नाम मिला था मध्यप्रदेश।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब म0प्र0 का नक्शा रखा गया, तब विस्मय के साथ उन्होने टिप्पणी की थी '' यह क्या अजूबा सा ले आये'' जब उन्हे मध्यप्रदेश की ''इकानामिक वायविलिटी'' के बारे में आश्वस्त किया गया, तभी उन्होंने सहमति प्रदान की। उस समय पुराने मध्यप्रान्त एवं विदर्भ से विदर्भ को काट कर शेष महाकौशल, विध्यप्रदेश, भोपाल और मध्यभारत को मिलाकर नया राज्य मध्यप्रदेश 1 नवम्वर 1956 को अस्तित्व में आया था।

भावात्मक एकीकरण के प्रयासों की कमजोरी और समग्र विकास का दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाने के चलते, आचंलिक असंतुलन और असंतोष कमोवेश सभी दूर पनपता रहा, मुखरित होता रहा, विकास की गंगा बहाने वाला कोई भागीरथ, मध्यप्रदेश को नहीं मिला, इस केयर टेकर मानसिकता ने अलगाव के बीज वोये, यही बजह है कि प्रथक छत्तीसगढ़, प्रथक बुन्देलखण्ड, प्रथक विंध्यप्रदेश, प्रथक महाकौशल और प्रथक दंडकारण्य की मांग सिर उठाती रही हैं, बडे कैनवास पर विकास और खुशहाली की इवारत लिखने में असमर्थ राजनीति इसे हवा देती रहीं।

पंडित नेहरू को दिया गया इकानामिक वायविलिटी का आश्वासन थोथा सावित हुआ, तसल्ली की बात सिर्फ यही है, कि न तो 45 वर्ष पहले म0प्र0 की संरचना के पीछे विवाद, तनाव व संधर्ष की पृष्ठभूमि रही थी, और न ही अब जब नियति ने अनायस ही पूर्वी पार्श्व को मध्यप्रदेश के भूगोल से प्रथक कर दिया है, तब भी सब कुछ शांत और निर्लिप्तं

भाव से सम्पन्न होता चला गया, 1 नबम्बर 2001 को मध्य प्रदेश देश का सबसे बडा राज्य नहीं रहा, अब उसकी सीमाये पहले के समान सात राज्यों को नहीं छूती, फ़िर भी निसर्ग ने, न मध्य प्रदेश से और न नव जात छत्तीसगढ़ से विकास के जरूरी उपादन छीने हैं।

अब यह देखना है, कि वर्तमान म0प्र0 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विकास की गंगा को आगे बढ़ाने में, कहां तक सफल होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विभाजन के पश्चात ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने यहां के उ.मा. स्तर की शिक्षा को सुदृढ, प्रभावशाली एवं अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं।

लेकिन म0प्र0 की शिक्षा के विषय में देखा जाये, तो म0प्र0 के उदय से ही शिक्षा में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देते हैं, कभी पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तो कभी कक्षा अधोसंरचना में परिवर्तन, कभी शासन की शिक्षा के प्रति नीतियों में परिवर्तन, कभी शिक्षा प्रशासन में परिवर्तन होता रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है, कि म0प्र0 की शिक्षा अखिल भारतीय स्तर परअन्य पडोसी राज्यों की तुलना में असफल, कमजोर एवं प्रभावोत्पादक नहीं वन सकी।

नबम्बर 1956 अथार्त पूर्व म0प्र0 के निर्माण के पश्चात म0प्र0 की शिक्षा अजमेर बोर्ड के द्वारा संचालित की जाती थी, तथा उच्चर माध्यामिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय जूनियर कालेज कहे जाते थे।

इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल का निमार्ण हुआ, और यह मण्डल कक्षा 10 की परीक्षा एवं कक्षा 11 की परीक्षा लेता था। अथार्त 10+1 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें 10 वर्ष की शिक्षा के पश्चात मण्डल द्वारा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था, एवं दसवी के पश्चात 11 की परीक्षा भी मण्डल द्वारा ली जाती थी, और 11 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मण्डल द्वारा हायर सैकेन्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था, इसके पश्चात छात्र–छात्रायें विश्वविद्यालयीन शिक्षा

महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते थे।

कुछ वर्षो पश्चात कक्षा 10 की परीक्षा मण्डल द्वारा लेना बन्द कर दिया गया, और फिर से मण्डल द्वारा कक्षा 11 की परीक्षा को लेना प्रारम्भ किया गया, जो उ0मा0 स्तर की परीक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा कहलायी।

वर्तमान समय में, नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तगर्त पूरे भारत 10+2 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई, तब म0प्र0 में भी 10+2 की शिक्षा पद्धति लागू की गई, और फिर से माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल 10बी एवं कक्षा 12बी की परीक्षायें मण्डल आयोजित करने लगा, जबकि पड़ोसी राज्य उ0प्र0 में 10+2 की शिक्षा प्रणाली पूर्व से ही लागू है, इस प्रकार म0प्र0 की शिक्षा में नित नये प्रयोग होते रहे हैं, पाठ्यक्रमों की रचना में परिवर्तन के कारण कमी मण्डल 10 की परीक्षा आयोजित करवाता रहा है, तो कभी 10बी एवं 11बी दोनो की परीक्षाओं का आयोजन करवाता रहा, जिससे छात्र–छात्राओं को मानसिक रूप से आघात पहुचता रहा।

पाठ्यक्रमों में अग्रेजी विषय को सम्मिलित करने एवं नहीं सम्मिलित करने के विषय में बडी असमंस की स्थिति रहीं है, अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता कभी समाप्त कर दी गई, और इस विषय को ऐच्छिक कर दिया गया, जिससे छात्र–छात्राओं ने अग्रेजी विषय को छोड़ दिया और परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया, जिसका दृष्परिणाम यह हुआ, कि छात्र–छात्रायें जो अग्रेजी विषय के विना उ0मा0 परीक्षायें उत्तीर्ण कर चुके, वह अखिल भारतीय स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को पूर्ण नहीं कर सके, एवं न ही अच्छी शासकीय सेवाओं को प्राप्त कर सके, जबकि पड़ोसी अन्य राज्यों में शुरू से ही अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती रही है, अंग्रेजी को ऐच्छिक नहीं किया गया।

वर्तमान समय में तो अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय पढाऐ जाने लगे हैं, और जन समुदाय अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में अपने छात्र–छात्राओं को शिक्षा प्रदान कराने

के लिये उत्साहित हैं, एवं अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय, जिनमें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल का पाठ्यक्रम पढाया जाता है, उनमें प्रवेश के लिये, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, तथा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात, मौखिक परीक्षा के पश्चात, अधिक मात्रा में प्रवेश शुल्क के साथ प्रवेश दिया जाता है।

मध्यप्रदेश की शिक्षा के माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी विषय को एच्छिक कर देने से, म0प्र0 के उ0मा0 विद्यालय के छात्र–छात्राओं के अंग्रेजी विषय के ज्ञान पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, वह अंग्रेजी विषय के ज्ञान से विमुख हो गये, जिससे अच्छी व्यवसायिक सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं में उनके सेवा के अवसर नहीं के बराबर रह गये।

1986 की नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी के महत्व को स्वीकार किया गया, और अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढाया जाने लगा।

कक्षाओं की अधों संरचना, पाठ्यक्रम में फेरबदल के साथ–साथ, विषयों में भी उलट–फेर होता रहा है, साथ ही प्रदेश में संचालित उ0मा0 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के स्वरूप में, एवं प्रशासन तंत्र में परिवर्तन होता रहा है।

वर्तमान समय में म0प्र0 में शिक्षा को संचालित करने के लिये प्रमुख रूप से दो विभाग कार्यरत हैं।

(1) **मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग**

(2) **आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग**

यह दोनो विभाग ही म0प्र0 की 10+2 स्तर तक की शिक्षा को संचालित करने वाले विद्यालयों का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, इन दोनों विभागों के द्वारा संचालित विद्यालयों का समय–समय पर एक दूसरे विभागों में विलय होता रहता है।

म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य जिलों, विकासखण्डों में अपने विद्यालयों को संचालित कर रहा है, वहीं आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा विद्यालयों का संचालन आदिवासी उपयोजना वाले विकास खण्डों एवं जिलों में किया जाता है। साथ ही साथ पूरे म0प्र0 के विभिन्न जिलों के आदिवासी, हरिजन, पिछड़ावर्ग वाहुल्य विकासखण्डों में उ0मा0 स्तर की शिक्षा के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के साथ ही, उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। जो कि म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग से प्रशासानिक एवं स्वरूप की दृष्टि से काफी भिन्न है, भले ही इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम, स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के पाठ्यक्रमों के समान हो।

आदिमजाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, गणवेश प्रदान किया जाता है।

वर्तमान समय में, जनता एवं छात्र–छात्राओं को शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रकार के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क गणवेश प्रदान करने की व्यवस्था की है, जिससे अधिक से अधिक छात्र–छात्रायें, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रवेश प्राप्त करें, और निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूर्ण करें, बीच में ही विद्यालयीन पाठ्यक्रमों को न छोड़े, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या से निजात मिल सके।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के विद्यालयों के प्रशासन एवं संचालन के लिये राज्य स्तर पर आयुक्त आदिवासी लोक कल्याण विभाग होता है। जिसके हर जिलों, एवं संभाग स्तर पर संभागीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय स्थित होते हैं, जिनके जिला स्तरीय, संभागीय अधिकारी, अपने अपने संभाग एवं जिलों के अर्न्तगत आने वाले विद्यालयों एवं छात्रावासों का प्रशासनिक, वित्तीय एवं निरीक्षण का कार्य करते हैं, साथ ही म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले आदिवासी, हरिजन, पिछड़ावर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम करते हैं।

म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उ0मा0 विद्यालय पूरे म0प्र0 में फेले हुये हैं, यह आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के द्वारा संचालित विद्यालयों के अतिरिक्त रूप से संचालित हैं, जिनमें सभी वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्यन करते है। म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग ही उ0मा0 स्तर तक की शिक्षा का प्रमुख दायित्व निर्वाह कर रहा है। इसके द्वारा संचालित विद्यालय केवल शिक्षण सुविधायें प्रदान करते हैं आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करते हैं।

मा0 शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा केवल संस्थागत छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में मण्डल परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है, तथा अनुत्तीर्ण छात्रों को स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, ऐसे परीक्षार्थियों को जो मण्डल परीक्षाओं में दो वर्ष अनुत्तीर्ण रहते हैं, उनको मण्डल एवं शासन द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। वह पत्राचार पाठ्यक्रम कहलाता है, जिसकी मान्यता मा0 शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदान की गई है, यह राष्ट्रीय ओपन स्कूल के समान म0प्र0 के विद्यालयीन छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं । म0प्र0 के प्रत्येक जिले में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रसार के लिये विकासखण्ड स्तर के एक विद्यालय को सम्पर्क केन्द्र बनाया जाता है, जहाँ पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से अध्ययन करने वाले छात्रों को विशेष सत्रों का आयोजन कर सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से, विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है, जहां पर छात्रों की विषय समबन्धी कठिनाईयों को दूर किया जाता है। इसे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहा गया है, राज्य ओपन स्कूल की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से उन ग्रामीण छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया है, जहां पर उ0मा0 वि0 की सुविधा नही है। तथा ऐसे छात्र जो अन्य कार्यों में लगे हुये हैं, जिनको नियमित शिक्षा ग्रहण करने के लिये समय नहीं है । इस प्रकर के छात्रों को वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से किया जाता है ।

म0प्र0 राज्य के अधिकांश शासकीय विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 12 तक उ0 मा0 स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वह आदिवासी विकास विभाग के उपयोजना के द्वारा

संचालित हों, या फिर राज्य शासन शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित हों, कुछ विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं, इन विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था नहीं पाई जाती हैं। केवल आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था पायी जाती है, और इन विद्यालयों को आश्रम के रूप में माना गया है, जहाँ पर छात्रों को शिक्षा के साथ–साथ भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाती है, आदिवासी उपयोजना में क्षेत्रों के बाहर उ0 मा0 वि0 एवं मा0 विद्यालयों के छात्रों को आवास के लिये कहीं–कहीं छात्रा वासों की सुविधा प्रदान कर दी गई है। जहाँ पर छात्र केवल आवास एवं भोजन की सुविधा प्राप्त करते हैं, शिक्षा के लिये इन छात्रों को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है।

म0प्र0 व्यवसायिक शिक्षा की ओर (कम्प्यूटर शिक्षा) :–

म0प्र0 के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यवसायिक शिक्षा अभी अपने शैशव काल से गुजर रही है, व्यवसायिक शिक्षा केवल प्रदेश के सभी जिलों के चुनिन्दा विकासखण्ड या जिला स्तर के विद्यालयों में संचालित की जा रही है, इसको, जिलों के समस्त जिला स्तरीय विद्यालयों से ग्राम स्तर के विद्यालयों में संचालित की जाने की आवश्यकता है। जिससे शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जा सके, अब राज्य शासन भोज विश्वविद्यालय के सहयोग से सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है, प्रत्येक उ0मा0 वि0 के छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जावेगी तथा माध्यमिक विद्यालयों को जनशिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी, कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जावेगी एवं प्राथमिक स्तर के छात्रों को सप्ताह में एक दिन कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जावेगी।

अभी राज्य शासन ने कम्प्यूटर शिक्षा के लिये पूर्व से संचालित योजना से भिन्न, एक योजना संचालित की हैं, जिसे राज्य शासन ने अग्रसर योजना के नाम से अगस्त 2000 से संचालित किया हैं, अग्रसर योजना में कम्प्यूटर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान

सिंह एस. पी. :– " परीक्षक" माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल

की जाती है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में कम्प्यूटर के विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है, अग्रसर योजना वास्तव में वर्तमान में संचालित कम्प्यूटर के विषय में शिक्षण से भिन्न है, इसमें कम्प्यूटर के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जावेगी, जिसके माध्यम से दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को कम्प्यूटर के माध्यम से उच्चगुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, जिससे गांवों में रहने वाले बच्चों का शिक्षा का स्तर, बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों के शिक्षा के स्तर के समकक्ष हो जावेगा, इस प्रकार अग्रसर योजना शिक्षा में समान गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगी, प्रथम चरण में 48 जिलों के 6500 जनशिक्षा केन्द्रों में इसे आरम्भ किया गया है, एक जन शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत 3 माध्यमिक विद्यालय एवं 10 प्राथमिक विद्यांलयों को सम्मिलित किया गया हैं।

केन्द्र शासन ने भी शिक्षा को जनोन्मुखी एवं दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिये, मानव संसाधन मंत्रालय तथा एन.सी. ई.आर. टी. के सहयोग से, इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय खुला वि० वि० के द्वारा 26 जनवरी 2000 से ज्ञानदर्शन नाम से चेनल को प्रारम्भ किया है, जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश को घर–घर पहँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस ज्ञान दर्शन चैनल के प्रारम्भ किये जाने में मानव संसाधन मंत्री डा० मुरली मनोहर जोशी एवं इग्नु के कुलपति श्री अब्दुल वहीद खा़न साहब एवं वि० विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष गौतम साहब तथा एन० सी० इ० आर० टी के निर्देशक प्रो० राजपूत तथा एन०सी०टी०ई० के निदेशक प्रो ए० एन० माहेवश्री का सहयोग रहा है।

म०प्र० में पंचायती राज और शिक्षा :–

म०प्र० देश का ऐसा राज्य है, जहां पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण रूप से लागू कर दी गई है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की तीन स्तरीय व्यवस्था भी आकार ले रही है, पूरी प्रक्रिया के विकेन्द्रीरण का काम पूरा हो चुका है, अब पंचायतें अपने विकास की प्राथमिकतायें स्वंय तय कर रही हैं, तथा अपने क्षेत्र के विकास की

संभावनाओं का पता लगाकर, विकास कार्यो का निर्धारण कर अपने दायित्वों को निभा रही है, शिक्षा, पंचायती राज का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अधिकार कर्तव्यों से उत्पन्न होते है, चुकि पंचायतों का काम लोकजीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित और समुन्नत करना है, अतएव उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त हैं, और होने चाहिये जो इस स्थिति का निर्माण करने के लिये आवश्यक हैं, वैसे ये सत्ता के स्थानीय केन्द्र हैं, जो क्षेत्रीय राज्यीय और राष्ट्रीय इकाइयों से समबद्ध हैं, फिर भी बुनियादि रूप में व्यवस्था एवं प्रगति और विकास का बहुत कुछ दायित्व इन्ही का है, क्योंकि स्थान से जुडे होने के कारण, इनका हर बात से सीधा संबध है, हर बात की इन्हें सही समझ होती है, और हर आवश्यक काम को हाथ में लेकर उसके परिणामों को ये संस्थायें अच्छी तरह परख सकती है।

व्यवस्था और तंत्र लोगों के लिये हैं, न कि लोग, व्यवस्था और तंत्र के लिये, इसका सीधा आशय यह है, कि हर बात की परीक्षा परिणामों से ही हो सकती है, और पंचायतों के लिये यह आवश्यक है, कि अधिकारों का उपयोग इस प्रकार करें, कि स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आये, संविधान और विधायिकायें, पंचायतों को जो भी दायित्व सोपें, स्थानीय स्तर पर हर बात का मूल्यांकन किया जाये, और अनुभवों के प्रकाश में कानूनों व नियमों में आवश्यक सुधार किये जाये।

शिक्षा को सभी सभ्य, सुसंस्कृत व प्रगतिशील समाजों ने सर्वाधिक महत्व दिया है, इसका कारण स्पष्ट है, कि शिक्षा ही मनुष्य के बहुमुखी, या कहें संर्वागीण विकास में हंर तरह सहायता करती है। शिक्षा भी बदलती है क्योकि समाज भी बदलता है, युग बदलता है, आज समाज व युग की जो स्थिति हैं, उसे देखते हुये हमें शिक्षा को भी वही स्वरूप देना होगा, जो संर्दभों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शो से मेल रखने वाला हो, सत्ता जिन–जिन के पास है, उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये क्योकि इसके बिना वे सत्ता का सही तरह से उपयोग कर ही नहीं पायेंगें।

सिंह एस. पी. :– " परीक्षक" माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल

भारत अब एक स्वाधीन और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, समानता व बंधुता व न्याय हमारी व्यवस्था के बुनियादी तत्व हैं, समाज का हर व्यक्ति सुख, शांति से जीने का समान अधिकार रखता है, राष्ट्र के साधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करने की हर व्यक्ति को पात्रता है, चूंकि व्यक्ति समाज का अंग है, अतएव अन्य सभी व्यक्तियों के साथ सांमंजस्य पूर्वक जीना सामाजिक जीवन की बुनियादि शर्त है,यह स्थिति कैसे बने, यह सोचना और उसके लिये आवश्यक काम करना, पंचायतों का बुनियादि कर्त्तव्य है, शिक्षा की व्यवस्था और उसका संचालन भी इस दृष्टि से किया जाता है।

भारत की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत हमारे प्रदेश में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के रूप में यह व्यवस्था बनी है।

कर्त्तव्यों और अधिकारों का विभाजन लोंगों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, बालक से लेकर वृद्ध तक, शिक्षा के द्वारा मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, योग्यता प्राप्त होती है, सोचने, समझने और जीनें की नई दृष्टि एवं क्षमता का विकास होता है, वस्तुतः मनुष्य सही अर्थ में, मनुष्य तभी बनता है, जबकि वह सुशिक्षित व संस्कारित हो।

शिक्षा के साथ संस्कार सहज रूप में जुडें होते हैं, सही शिक्षा से सही संस्कार बनते हैं, और सही संस्कार से सही समाज बनता है, शिक्षा का प्रयोजन यही है कि समाज के हर सदस्य को सही ढंग से सोचना, समझना और जीवन जीना सिखाया जायें, इसके लिये जो करना आवश्यक है वह किया जाये और सत्ता के स्थानीय व क्षैत्रीय कैन्द्र इस काम को पूरा करें, शिक्षा की प्रक्रिया परिवार से ही प्रारंभ हो जाती है, धीरे–धीरे इसका क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, परिवार, मुहल्ला, ग्राम समूह, तहसील और जिला सामाजिक जीवन की बुनियादि इकाईयां हैं, हर व्यक्ति की शिक्षा इनकी स्थितियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर पूरी की जानी चाहिये, ये सभी इकाईयां परस्पर जुडी हैं, और लोक जीवन का

उत्कर्ष, इनके पारस्परिक रिश्तों के सुदृढीकरण पर अवलंबित हैं।

प्राथमिक शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया गया है, शिशु शिक्षा, सामान्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। नामों का विशेष महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है, कि शिक्षा को सही दृष्टि से देखा जाये और इसके लिये सही प्रबंध किये जाये, मोटे तौर पर जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के लिये की गई शिक्षा व्यवस्था इस दायरे में आती है, जो व्यक्ति बचपन में शिक्षित नहीं हो सके, वह बडे होने पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करना चाहिये, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये बिना, एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाज में जीने की पात्रता प्राप्त हो ही नहीं सकती है, सत्ता की इकाईयों का निर्माण और संचालन की बात तो आगे क़ी है।

आज यह स्थिति नहीं है, हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य दस वर्षो की अवधि में सबके लिये, यानि चौदह वर्ष की आयु होने तक प्रत्येक बालक बालिका के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करेगा, यदि यह स्थिति बन गई होती, तो आज सारा देश साक्षर होता, शिक्षित और संस्कारित होता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अर्थ समझकर, तदनुसार जीवन जीने और सत्ता में भागीदारी निभाने योग्य होता, पर यह सब नहीं हुआ और हमारे देश के करोड़ों लोग अभी भी अशिक्षित हैं, करोड़ो बालक विद्यालय नहीं जा रहे हैं, और स्वतंत्रता व लोकतत्र का मनमाना अर्थ समझा जा रहा है।

पंचायती राज हो जाने से इस स्थिति को बदलना अपेक्षाकृत सरल हो गया है, अब प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से पंचायतों के हाथों में आ गई है, पूर्व प्राथमिक से लेकर आठवीं तक की शिक्षा का प्रबंध एवं संचालन करना, अब पंचायत का दायित्व है, हर मोहल्ले में पूर्व प्राथमिक यानि शिशु शिक्षा हेतु बालवाडी या झूलाघर हों, हर गॉव में कक्षा 1 से 4 यानि 5 तक की सामान्य प्राथमिक शिक्षा की शाला हो और प्रत्येक ग्राम पंचायत के दायरे में कक्षा 8 तक का विद्यालय हो, यह एक सामान्य स्थिति है, और इसका निर्माण करना पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है, एक ऐसा दायित्व है, जिसे उन्हें हर हालत में निभाना है,

राज्य सरकार ने इस के लिये यथोचित प्रावधान किया है, और अनुभव से कोई कमियॉ परिलक्षित होती हैं तो उन्हे भी पूरा करवाया जा सकता है।

आवश्यकता अनुसार शालायें स्थापित हों, उनमें योग्य कार्यकर्त्ताओं का प्रबंधन किया जाये और सारी व्यवस्था का उचित नीति से संचालन क्रिया जाये, यह सुनिश्चित करना पंचों का काम है, पंच इस काम को कैसे करेगें, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, हर ग्राम पंचायत एक शिक्षा समिति का निर्माण करेंगी, जिसमें पंच रहेंगे, समाज के शिक्षा में रूचि रखने वाले व्यक्ति होंगे, शिक्षक होंगे, क्षेत्रीय विधायक होंगे अथवा उनके प्रतिनिधि होंगे, और शासकीय विभागों के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी होंगे, यह समिति प्रारंभिक शिक्षा से जुडा हुआ हर काम करेगी और करवायेगी तथा पंचायत स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था करती है।

शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानांतर जैसे काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण है शालाओं का नियमित रूप से संचालन, उन्हें इस प्रकार चलाना कि शिक्षा बढिया हो और बालक बालिकायें बढिया नागरिक बनने की प्रक्रियाओं में से निकलने के अवसरों से वंचित न रहें, यह काम बहुत सरल नहीं है, किंतु बहुत कठिन भी नहीं है इच्छाशक्ति होने पर अच्छी प्रकार से किया जा सकता है, हमारी स्वंतत्रता सार्थक तभी होगी लोकंतत्र सही पटरी पर तभी चल पायेगा, जनजीवन में बुनियादि बदलाव तभी आवेगा, इसलिये सब काम छोडकर भी यदि शिक्षा के प्रबंध व संचालन को अच्छी तरह देखा जाये तो हमें प्रत्यक्ष दिखने लगेगा कि हर व्यक्ति का जीवन बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, राष्ट्र का वातावरण बदल रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा को चलाने वाले पंच, क़र्त्ताधर्त्ता, लोक सेवक के रूप में सेवाभाव से कार्य करें, तभी पंचायती राज व्यवस्था को सफलता मिल सकती है, वह अपने आप को लोंक सेवक न समझकर लोकाधिपति, तानाशाह समझ कर बैठे जावेंगे,

तो पंचायती राज में शिक्षा चौपट ही हो जावेगी, लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं रह पायेगा, कर्त्ताधर्त्ता अर्थात शिक्षा के कर्णधारों को अपने मन मष्तिस्क में इस विचार धारा का धारण करना होगा कि वह लोकसेवक हैं, न कि लोकाधिपति।

पंचायती राज में स्वतंत्रता का अर्थ, लोकतंत्र की विकृतियों में सुधार कर व्यवस्था को बेहतर बनाना, निश्चित ही थोडा आसान हो गया है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, समाज इस देश में बसने वाले लोग और व्यवस्था को बनाने वाले व चलाने वाले जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं, या नियुक्त किये जाते हैं, वे लोक हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करें, यह अनिवार्य है, इसलिये पंच–सरपंच या अन्य कोई भी व्यक्ति सत्ताधारी नहीं होते, व्यवस्था को चलाने वाले कार्यकर्त्ता होते हैं।

लोग जिन व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वे तभी तक प्रतिनिधि हैं, जब तक कि वे अपने दायित्वों का उचित रीति से निर्वाहन करें, यदि वे अपने निर्वाचकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो लोगों को प्रतिनिधि बदलने का अधिकार प्रदान किया जाये, यह व्यवस्था वर्तमान में व्यवहारिक नहीं हैं, क्योंकि अभी न लोग उतने प्रबुद्ध हैं, और नहीं उनके प्रतिनिधि उतने सुपात्र हैं।

लोकतांत्रिक शासन तंत्र तो सर्वोत्तम शासन तंत्र है, ऐसा तंत्र जिसके सूत्र मूलतः लोगो के हाथों में ही होते हैं, इसलिये शिक्षा की व्यवस्था को बढ़िया बनाना, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इस बात को लोग भी अच्छी तरह समझें, तथा उनके प्रतिनिधि भी समझें।

पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा तंत्र को बढिया बनाने के लिये योग्य व्यक्तियों को आगे आना आवश्यक है, शिक्षा व्यवस्था की सफलता, योग्य व्यक्तियों पर निर्भर करती है, लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता

प्रदर्शित करने के असंख्य अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिन लोगों को इस व्यवस्था में आगे आकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये, वे प्रायः तटस्थ रहते हैं और अयोग्य व अनुचित महत्वाकांक्षाये रखने वाले लोग जैसे तैसे नेता बन जाते हैं, और शिक्षा या पंचायती राज को चलाते हैं। ऐसे लोगों को न तो स्वतंत्रता का पूर्ण ज्ञान होता हैं, न ही उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने की वैज्ञानिकता व कलात्मकता का ज्ञान होता है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये इन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन देना शिक्षकों का काम है, समाज में शिक्षकों को जो सम्मान मिलाना चाहिये, वह आज नहीं मिल रहा है, उसका कारण है, लोगों का अज्ञान, उनमें प्रवुद्धता की कमी, सांस्कृतिक विकास की न्यूनता, यह स्थिति तभी बदलेगी, जब प्रबुद्ध व्यक्ति सक्रिय होगे, सामाजिक विकास में रूचि लेगे व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

पंचायती राज में शिक्षा व्यवस्था उचित रूप से तभी चलेगी, जब लोग शिक्षा व्यवस्था से जुडे अधिकारी, कर्मचारी हर कार्य को जिम्मेदारी से करेंगे, पिछली व्यवस्थाओं के दोष अभी समाप्त नहीं हुये है, नई पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा के इन दोषों को पहिचानना होगा और दूर करना होगा, इसमें भले ही समय लगे, किंतु यह काम करना होगा, विद्यालयों के प्रशासन में समुदाय को, सहभागिता की जिम्मेदारी निभानी चाहिये तथा छात्रों को उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता करना चाहिये।

गांव के हर परिवार का संबंध विद्यालय से होता है, न केवल बालक ही अपितु वयस्क व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त करने व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिये यहां आते हैं, बालकों का काफी समय यहां व्यतीत होता है, और वे यहां रहकर जीवन की बुनियादि शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके मन, मस्तिष्क व आचरण पर विद्यालय का गहरा व व्यापक प्रभाव पडता है, यहाँ का परिवेश और काम जितना अच्छा होगा बालक उतना ही अच्छा बनेगा, यह बात पंचायती राज शिक्षा व्यवस्था के द्वारा लोग अच्छी तरह समझने लगे तो विद्यालय का विकास होने लगेगा वहां की कमियां दूर होने लगेगी।

पंचायतों का कर्तव्य है, कि वे विद्यालय के विकास पर पूरा ध्यान दे और उसके लिये आवश्यक सभी साधन उपलब्ध करायें, कक्षायें, खेल का मैदान, गतिविधियों के कक्ष आदि सभी अच्छा रूप लें और हर बालक उनका सहीं उपयोग करें, यह सुनिश्चित करना होगा, बालकों की शिक्षा में कोई कसर न रखी जाये, यह शिक्षक तो देखे ही किन्तु पंच व नागरिक भी देंखें।

शिक्षकों की आलोचना करते रहने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें समझा जाये व आवश्यकतानुसार सहयोग दिया जाये, यह बात सबकों समझनी होंगी, बालक ज्ञान प्राप्त करें नियमित रूप से खेलों में भाग ले, सामाजिक कार्यो में रूचि लें और कुछ बडा होने पर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आंरम्भ करें, यह आवश्यक है। शिक्षा समिति की जिम्मेदारी बहुत बडी होती है, और इसमें जो भी लोग हो वे पूरी निष्ठा, तत्परता व योग्यता से उसे निभायें, तभी उनका होना सार्थक है, शिक्षा का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और पंचायत इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, तो आगे चलकर व्यवस्था स्वतः ही अच्छी हो जायेगी, शिक्षा के प्रबंध उत्तम कोटि के होंगे और शिक्षक भी वैसे ही होंगे, तब स्थिति में बदलाव आयेगा, आज तो विद्यालयों की स्थिति दयनीय हैं, शिक्षक व समाज दोंनों का रवैया ठीक नहीं है, जिसके लिये शासन व प्रशासन जिम्मेदार है पंचायत राज के द्वारा इस स्थिति को बदलना है।

सुधार मै समय लगता है विशेषतः शिक्षा के सुधार में, इसलिये धैर्य, सूझबूझ व लगन से इस दिशा में काम करना आवश्यक है, हर विद्यालय अच्छा हो और इस काम को जनपदों में एक आदर्श विद्यालय खड़ा करके आसान बनाया जा सकता है, विद्यालय अर्द्ध आवासीय हो, दूर से आने वाले छात्र यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाये भवन अच्छा हो, पुस्तकालय व प्रयोगशाला का उचित प्रबंध हो और सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का नियमित रूप में संचालन हो यह आवश्यक है।

शिक्षा कर्मी योग्य हों और वे निष्ठा पूर्वक यहाँ का काम करें, यह सुनिश्चित किया जाये, इस विद्यालय में उन्हीं शिक्षकों को रखा जाये, जो काम करने की इच्छा के

साथ–साथ, इसे समर्पित भाव से करने में रूचि रखते हों, प्रधानाचार्य सुयोग्य व कर्त्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है, ये सभी लोग विद्यालय परिसर में ही निवास करें तो बहुत अच्छा होगा, इसे कैसे संभव बनाया जाये, यह सोच विचार का विषय है, सबके लिये, पंचायतों और सरकार दोनों के लिये शिक्षकों का जीवन बढ़िया बने यह भी देखा जाये, जिससे कि योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय को अपनायें और निष्ठा पूर्वक इस क्षेत्र में काम करे।

इन विद्यालयों में औपचारिक औपचारिकेत्तर और सतत शिक्षा का उत्तम प्रबंध रहें और कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति निर्मित की जाये, व्यवसायिक प्रशिक्षण का भी यहां प्रबंध किया जाये, सभी लोगों के लिये, ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी आय देने वाले हों, व्यवसायिक प्रशिक्षण वे ही लोग दें, जो कि उस व्यवसाय में पूरी तरह कुशल हों, अधिक अच्छा यह होगा कि विद्यालय परिसर में इन लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने की सुविधा दी जाये, जिससे कि वे प्रशिक्षण देने के साथ–साथ उत्पादन भी करें और विद्यालय पर उनके वेतन का विशेष भार न पडे।

जिला पंचायत के दायरे में एक आदर्श उच्च विद्यालय विकसित किया जाना चाहिये, उसमें कक्षा एक से लेकर कक्षा दस तक की शिक्षा का प्रबंध रहे, और सभी प्रकार के खेलों आदि के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जावे, सभंव हो, तो यहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी चलाया जाये, जहां व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाये और छात्रों को एक सीमा तक आत्मनिर्भर बना दिया जाये, यहां से निकलने पर युवाओं को रोजगार की तलाश में इधर–उधर न भटकना पडे, ये लोग अपने जिले में ही गावों में अपना रोजगार चला सके।

पंचायती राज में शिक्षा को समुन्नत बनाने के लिये लोगों के सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है, क्योंकि कोई योजना कितनी बढिया क्यों न हो, उसमें दोष ही दोष कुछ लोगों को दिखाई देते है, इसलिये सभी लोगो को सोच कर, मिलजुल कर अपने विचार रखना चाहिये तथा विचारों के आदान प्रदान के पश्चात, शिक्षकों

को साथ लेकर शिक्षा को समुन्नत बनाया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति में शिक्षा के दोष क्या हैं ? इसे कैसा होना चाहिये ?, इसके लिये क्या करना आवश्यक है ?, तत्काल में क्या किया जा सकता है ?, उसके लिये अभी क्या किया गया है ?, इस सबमें किसकी क्या भूमिका हो ?, ये सारी बाते सोची जाये तभी हम वर्तमान एवं भविष्य को संवारने में सफल हो सकते है। सरपंचों में जो कोई शिक्षा की योजनाओं के महत्व को समझता हो, वह आगे आकर शिक्षकों के साथ मिलकर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करे जिससे शिक्षा का नया वातावरण तैयार हो शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो।

शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार हो रहा है, म0प्र0 में शिक्षा गारंटी योजना (निश्चित शिक्षा योजना) के अन्तर्गत छब्बीस हजार स्कूलों को प्राथमिक शिक्षा के लिये चलाया जा रहा है, इनमें गुणात्मक सुधार के लिये बेबसाइट, पर शिक्षा में सहयोग के लिये विश्व भर से सहायता प्राप्त कर बेबसाइट तैयार करके, सरकार ने कल्पनाशील और सकारात्मक प्रयोग किया है। इससे आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग सफल हो सकता है, विद्यालयों की स्थिति गुणवत्ता में कितना सुधार हो पायेगा यह कहना कठिन है, जिनका सबंध प्रायः वास्तविकता से मेल नहीं खाता और स्थानीय लोगों की भागीदारी में, जब तक भावनात्मक लगाव और समर्पित सक्रियता का अभाव रहता है, तब तक आंकडे अर्थवान नहीं बन सकते, यह बात वर्तमान स्थिति से भी प्रकट होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जिन्हें हम स्थानीय लोगों के रूप मे नियंता बनाते है, वे शिक्षा के प्रति प्रेम से प्रेरित और भविष्य को साक्षर बनाने की कामना से ओतप्रोत हों, जरूरी नहीं कि कोई भीड ही खडी हो अथवा तिलक की तरह कोई ग्रामीण नेता समूह के भाल को सजाये, समर्पित व्यक्ति एक ही बहुत होता है, जो गुरू जी भी हो सकता है।

म0प्र0 आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के विद्यालयों के छात्रों का गुणात्मक स्तर तीन दशक की व्यापक कोशिशों, हजारों करोड रुपया खर्च करने के पश्चात, अपेक्षित परिणामों के स्थान पर निराशा हाथ लगी है, अब आदिवासी क्षेत्रों में नये स्कूल खोलने की

बजाय पढाई का स्तर सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिये, म0प्र0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पिछले वर्षों में राज्य सरकार को सोपें तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है, कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति करना और भवन निर्माण करना ही वास्तविक शिक्षा नहीं है, नये स्कूल खोलने की बजाय, वहाँ स्कूलों की संचालन व्यवस्था और पढाई की गुणवत्ता में सुधार पर बल देना लाभप्रद होगा, आदिवासी बच्चों के परीक्षा परिणाम और उनके बढते मनोबल की कसौटी के आधार पर शिक्षा को परखा जाना चाहिये।

1964—65 के बाद से आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण आदिमजाति कल्याण विभाग को सोंपनें से स्कूलों की संख्या बढी है, वर्तमान में 24000 स्कूल चल रहे हैं, विभाग अपने सलाना बजट का 34 प्रतिशत हिस्सा इन स्कूलों पर व्यय करता है, लेकिन तीन दशकों की कोशिशों के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का परिणाम निराशाजनक है।

शासकीय विद्यालय और शिक्षा :—

प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर निगाहें दौडायें, तो ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण भारत में ऋषियों के द्वारा ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता रहा है, आज के छात्र या शिक्षार्थी को उस समय शिष्य, और शिक्षक को गुरूजी के पद से सम्बोधित किया जाता था। नगर ओर ग्राम के जिन बालकों को शिक्षा लेना होती थी, वे वन में स्थित गुरूजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे जाते थे। राजाओं, महाराजाओं कें राजकुमारों की शिक्षां भी गुरूकुलों में हुआ करती थी, जहाँ गुरू सब प्रकार की कलाओं को शिक्षा के रूप में, अपने शिष्यों को सिखाया करते थे, जिसमें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी प्रमुख होती थी।

अंग्रेजी शासन में जहाँ गुरूकुल व्यवस्था गड़बड़ाई, वहीं अंग्रेजी शासन के काम काज को निपटाने के लिये लार्ड मैकाले की एक ऐसी शिक्षा पद्धति को लाया गया, जो गुलाम भारत की अंग्रेज परक नीतियों को पोषित कर सके, तभी देश में शासकीय स्कूलों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ और गुरूजी असहाय शिक्षक बन गया, सम्पूर्ण भारत में मैकाले

की शिक्षा नीति पर शिक्षण कार्य किया जाने लगा, और जो पढ़ लिख कर निकलते थे, उन्हें अंग्रेजी शासन के कार्यालयों में कार्य के निपटाने के लिये नौकरी दी जाती थी।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा पद्धति के लिये गांधी जी, जाकिर हुसैन आदि महापुरूषों ने बुनियादि शिक्षा का समावेश प्रथामिक स्तर पर किया, परन्तु बदलते युग में महत्वहीन करार दिया गया, भारत के प्रत्येक प्रदेश और म0 प्र0 में भी शिक्षा के उद्देश्यों का निश्चय तो विस्तृत किया गया, परन्तु शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया।

जब प्रादेशिक सरकारें शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं हो सकीं, तब भारतीय प्रमुखों का ध्यान इस ओर गया, कि व्यवसायिक शिक्षा के समावेश के बिना लोगों को रोजगार नहीं जुटाया जा सकता है। तब स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर कुछ नये विषय जैसे कामर्स, कृर्षि, कारपेन्टरी, इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर्स आदि का समावेश पाठ्यक्रमों में किया गया, परन्तु इन विषयों को न ही प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बल्कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, ऐसा करने से जो अभिरूचि छोटे बालकों में उत्पन्न होती है। उसका सर्वथा अभाव रहा, परिणाम स्वरूप उच्च कक्षाओं में इन पाठ्यक्रमों में छात्रों ने, प्रारंभिक दौर में कोई रूचि नहीं दिखाई।

चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हायर सैकेन्ड्री स्तर उपरान्त नऐ पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कालेजों की स्थापना की गई, जिसमें देखा गया की कुछ ही छात्र प्रवेश परीक्षा के आधार पर इन कालेजों में प्रवेश पाते थे, एक बड़ा छात्र समुदाय, फिर भी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उपरान्त मैकाले की शिक्षा को पढ़ने के लिये महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिये घूमते फिरते हैं, या फिर अपने घरेलू, अपर्याप्त धन्धों को अपना लेते हैं।

भारत प्राकृतिक संपदाओं में धनी होकर, एक गरीब देश बन कर रह गया है। इसका कारण भारत की बढती जनसंख्या के साथ एक रोजगार मूलक शिक्षा नीति का

अभाव है। साथ ही भारत के प्रजातंत्र में कर्मठ लोगों का अभाव तो है ही, स्वार्थी अतः भ्रष्टाचारी तत्वों का बाहुल्य हो गया है।

भारतीय प्रजातंत्र के संविधान में एक शब्द धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य सब धर्म सम्प्रदाय वालों को अपने–अपने धार्मिक क्रियाकलापों को आयोजित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परन्तु सरकार स्वयं धर्म के नियमों का पालन न कर शासन कर सकती है, इस विचार धारा ने शासकीय स्कूलों से धार्मिक शिक्षा का पलायन कर दिया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा से नैतिक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है। नैतिक मूल्यों का आज के छात्रों में ह्रास हो रहा है पाठ्यक्रमों में से महापुरूषों के जीवन चरित्रों को हटाया जा रहा है, महापुरूषों के सिद्धान्तों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

देश को आजाद हुये पचास वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु आज भी भारत एक भाषा एक देश से दूर ही होता जा रहा है, शिक्षा में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को सम्मिलित करना पडा, परन्तु अनेक प्रान्तों ने न ही इसे स्वीकारा, न ही इस पर अमल किया। चुंकि शिक्षा की कोई एक भारतीय नीति तो है नही, अतः भारत की एक भाषा हिन्दी की सदैव उपेक्षा होती रही हैं, जिससे भारत शैक्षिक दृष्टि से एक नही हो पाया।

उत्तरी भारत के शिक्षित लोग, दक्षिणीं भारत के लिये अशिक्षित है, और यही स्थिति कमोवेश दक्षिणी भारत या बंगाल जैसे प्रान्तों के लिये बनी हुई है। म.प्र. सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के आधार पर तीसरी भाषा के रूप में समस्त भारत की अनेक भाषाओं का समावेश कर दिया है, यह व्यवस्था उत्तम तो है, परन्तु तीसरी भाषा के अध्ययन के लिये सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं जुटाई गयी है।

शासकीय स्कूलों के साथ आज म.प्र. में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त नवोदय विद्यालय भी संचालित है, जिनमें छात्र प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश पातें हैं। नवोदय विधालय के छात्रों की सभी आर्थिक व्यवस्थायें सरकार ही जुटाती हैं, परन्तु

इन विद्यालयों के छात्रों की भावी योजनाओं पर सरकार मौन रहती है न इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है, न ही उच्च शिक्षा के लिये किसी आर्थिक सहयोग की आशा भी देती है। ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अनेक छात्र यहाँ के प्रतिबन्धित वातावरण से घबराकर वापिस भी होते देखे गये है।

प्रशासनिक संगठन :–

हायर सैकन्ड्री (कक्षा 11 तक) की स्थापना के पूर्व और मध्य प्रदेश के गठन के भी पूर्व म0प्र0 वीलीनीकृत सभी प्रान्तों बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, मध्यभारत, भोपाल रियासत, एवं महाकौशल में सभी 10 वीं तक के स्कूल हाई स्कूलों के रूप में स्थापित थे, तथा अजमेर बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालित होती थी, उस समय हाई स्कूलों की प्रशासन व्यवस्था के लिये संस्था प्रधान के रूप में प्रधान अध्यापक हुआ करते थे, तथा साथ में एक वरिष्ठ शिक्षक जिसे सैकेन्ड मास्टर के नाम से जाना जाता था, व्यवस्था में हाथ बटाता था, निरीक्षण के लिये विद्यालय निरीक्षक भी हुआ करते थे, जो सामान्य रूप से मिडिल स्कूल का ही निरीक्षण करते थे। माध्यमिक विद्यालय में उस समय कक्षा 5,6,7 ही होती थी, तथा कक्षा 7 की बोर्ड परीक्षा होती थी, जिसे इलाहाबाद बोर्ड संचालित करता था। यद्यपि जिले भर की शिक्षा की देख रेख के लिये जिला शिक्षा अधिकारी का पद भी निर्मित था, परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विद्यालयों तक की व्यवस्था के लिये ही अधिकृत थे, निरीक्षण का कार्य जिला शाला निरीक्षकों के अधीन रखा गया था। हाई स्कूल के प्रधानध्यापक अपने स्कूल की व्यवस्था के सर्वे सर्वा थे। रियासितों का विलीनी करण होने पर हाई स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था का भार संभागीय शिक्षा अधीक्षक के अधीन कर दिया गया, मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों में सभागीय शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय स्थापित किये गये, तथा इनका कार्य संभाग के आयुक्त की देख रेख में ही होता था। आयुक्त ही सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था।

भारत के स्वत्रतंत्र होने के साथ ही और म0प्र0 के गठन होने पर म0प्र0 में शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन किया गया, तथा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाये संचालित की गई, तथा कक्षा 10 के साथ–साथ कक्षा 11 की भी बोर्ड परीक्षायें संचालित की गई, तब भी

प्रशासनिक व्यवस्थाये यहीं थी। परन्तु अब संस्थाओं को प्राचार्य के पद प्रदान किये गये, एवं व्याख्याताओं के पद भी निर्मित किये गये। सम्पर्ण म0प्र0 की शिक्षा संचालन व्यवस्था का भार लोक शिक्षण म0प्र0 के अधीन रखा गया, जिसको प्रमुख संचालक लोक शिक्षण के नाम से जाना गया, बाद में संभागीय शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को सहायक संचालक लोक शिक्षण का नाम प्रदान किया गया, इसके साथ ही जिले के शिक्षा अधिकारियों को भी सहायक संचालक लोक शिक्षण के अधीन रखा गया, जब हायर सेकेन्ड्री 11वीं तक की व्यवस्था हुई, तो व्याख्याताओं के पद के लिये कला में एम.ए. शिक्षा प्राप्त लोगों को पदस्थ किया गया, परन्तु अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तर उपाधिधारी उपलब्ध नहीं थे, जिससे अंग्रेजी में बी.ए.+बी.एड. और विज्ञान में बी.एससी.+बी.एड., कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव बाले शिक्षकों को व्याख्याताओं के पद पर पदस्थ किया गया, तथा बाद में 1964 से 1970 के बीच इस श्रेणी के व्याख्याताओं को एक–एक माह के तीन प्रशिक्षणों एवं तीन माह का एम. एससी. तुल्य प्रशिक्षण देकर , एम.एससी के स्तर की मान्यता देते हुये व्याख्याताओं को उनके व्याख्यता पद पर नियमित किया गया।

प्रशिक्षण कार्य हेतु राज्य शिक्षा संस्थान नाम की, एक संस्था सर्वप्रथम 1963 में सीहौर में स्थापित हुई, बाद में 1968 में इसे भोपाल स्थानान्तरित कर दिया गया था, व्याख्याताओं को उनके विषय में समय–समय पर प्रशिक्षण देने का, इस संस्थान का प्रमुख कार्य था, इसके उपरान्त राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की स्थापना 1966 में सब से पहले भोपाल में हुई, बाद में 1968 में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भोपाल से जबलपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। इसका कार्य स्नातक विज्ञान शिक्षकों के लिये स्नातकोत्तर विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था करना था, साथ ही बी.एड. का प्रशिक्षण भी सम्पन्न कराना था।

विगत 10 वर्षो में प्रशासकीय शैक्षिक योजनाओं में काफी परिवर्तन किया गया, जहॉ पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को उपसंचालक शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया गया था, तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों का निर्माण किया गया, वहीं जिला शाला निरीक्षकों को शासन ने महत्वहीन समझा, और उनके

पदों का विलोपन कर दिया, साथ ही विगत वर्ष ही उपसंचालक शिक्षा के पद को पुनः जिला शिक्षा अधिकारी के पद में परिवर्तित कर दिया गया, परन्तु उन्हें हायर सैकेन्ड्री (10+2) तक के स्कूलों के निरीक्षण करने के अधिकार प्रदान किये गये।

अभी वर्तमान सरकार ने पुनः संशोधन करके विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के अनेक कर्तव्यों को हायर सैकेन्ड्री के प्रचार्यो क़ो सौंपकर एक बृहत परिवर्तन किया। इसके तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं का संकुल केन्द्र बनाया गया, तथा शासकीय माध्यमिक स्तर तक की वेतन निराकरण एवं बार्षिक वेतन वृद्धि आदि व्यवस्था भी इन्ही प्राचार्यो के अधीन कर दी गई है। परीक्षाओं की संचालन व्यवस्था एवं अन्य जानकारियाँ भी संकुल शालाओं के माध्यम से संकलित की जाती है। विकास खण्ड शिक्षा कार्यालयों का कर्त्तव्य मात्र शासकीय पत्रों के जबाबों का संकलन मात्र रह गया है। इस तरह वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के मातहत प्रशासनिक दृष्टि से दो सह विभाग कार्य कर रहे हैं। एक विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय तथा दूसरे संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय हाई स्कूल।

पूर्व में व्याख्याताओं और शिक्षकों के स्थानान्तरण का कार्य संभागीय शिक्षा अधीक्षकों और सहायक संचालक लोक शिक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाता था। अब यह स्थानान्तरण शासन के जिला स्थानान्तरण बोर्ड (जिला सरकार) एवं आयुक्त लोक शिक्षण के यहां से होने लगे हैं।

पंचायत राज व्यवस्था से शिक्षा विभाग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, जहां एक ओर शिक्षक की जगह शिक्षाकर्मी नियुक्त हो रहे हैं, वहीं पंचायतों के अनपढ़ सरपंचों को व्याख्याता तक की पद स्थापनायें करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। यद्यपि इसमें जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) एवं जिला शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिक़ाऐ रहती हैं, परन्तु व्याख्याता के पद के विरूद्ध शिक्षाकर्मी वर्ग–1 की नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, बिना नगर पंचायत, जनपद पंचायत, और ग्रामीण पंचायत के अध्यक्षों की

सहमति के बिना संभव नहीं होती हैं, कहना है कि यह सभी शिक्षाकर्मी नियुक्ति समिति के सदस्य होगें, उक्त सभी अध्यक्षों और पंचायतों के सदस्यों को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर के स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तथा वे अपनी सहमति भी, आवश्यक सुधार हेतु, विद्यालय के संचालन हेतु, दे सकते हैं।

<u>विद्यालयों में प्रवेश :-</u>

म0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त प्रकार की उ0मा0 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया सत्र के प्रारम्भ में शुरू होती है, सत्र के शुरू होते ही, विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा कक्षा 6 या कक्षा 9 में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जाती है, छात्र-छात्रायें निर्धारित आवेदन-पत्र पर अपनी जानकारी, आवश्यक अंक प्रमाण-पत्रों के साथ, संस्था प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं संस्था प्रधान/प्राचार्य आवेदन-पत्रों एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कर, निर्धारित शुल्क के साथ छात्र-छात्राओं को प्रवेश देते हैं।

संस्था प्रधान/प्राचार्य शिक्षा सहिता के नियम 46 के अनुसार प्रवेश आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न स्थानान्तरण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करते हैं, यदि कोई छात्र या छात्रा ऐसी मान्यता प्राप्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अनुदान प्राप्त माध्यमिक शाला, जो दूसरे राज्य सरकार के अधीन हो, का होता है, तो उस छात्र-छात्रा को प्रवेश प्राप्त करने के लिये, उस राज्य के जिला स्तर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है, यदि स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होता हैं, और प्रवेश चहता है, तो उसको तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब वह लिखित रूप में यह आवेदन दे, कि वह दो माह की अवधि में सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। इसी प्रकार म0प्र0 के दूसरे जिले से आने वाले प्रवेशार्थी छात्र-छात्राओं को भी अपने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राचार्य/संस्था प्रधान के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पड़ता हैं।

विद्यालयों में शिक्षकों का चयन :–

म0प्र0 के विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अर्थात नियुक्ति का आधार म0प्र0 शासन शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है, कभी कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल द्वारा, तो कभी जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर सीधी भरती के द्वारा, शिक्षकों का चयन किया जाता रहा है। चयन प्रक्रिया के माप दण्ड निश्चित नहीं रहे, समय–समय पर बदलते रहे हैं, प्रशिक्षत शिक्षकों को पहले सीधे नियुक्ति दे दी जाती थी, परन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपेक्षा कर अप्रशिक्षित युवाओं को शिक्षकों के पदों के विरूद्ध शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक, उ0मा0 विद्यालयों में शिक्षक तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाती थी, यही शिक्षण कार्य को इमानदारी से सम्पादित करते थे, इनके स्थान पर शिक्षा कर्मी वर्ग एक, शिक्षा कर्मी वर्ग दो, तथा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा कर्मी वर्ग तीन एवं शिक्षा गांरटी केन्द्रों में गुरूजियों को नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

पहले प्राथमिक विद्यालयों एवं उ0मा0 विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार प्राचार्य शासकीय उ0मा0 विद्यालयों को प्रदान किये गये थे, प्राचार्य किसी भी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर देता था। लेकिन समय के साथ–साथ शासन ने नियुक्ति का अधिकार प्राचार्य शासकीय उ0मा0 विद्यालयों से छीन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान कर दिये, जो लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर आवेदकों को शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देते थे।

सन 1983 में म0प्र0 शासन ने तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिये कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल का गठन किया था, जिसके माध्यम से शिक्षकों सहित अन्य सभी विभागों के तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की गयी थी, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल का विघटन होने के पश्चात, आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के तहत जिला शिक्षा अधिकारी एवं

जिला कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से, 1992 तक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई, इसके पश्चात शिक्षकों की नियुक्तियाँ बंद कर दी गई, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हो गये, और शिक्षा व्यवस्था लडखडा गई, इसके पश्चात जब शासन का ध्यान इस ओर गया, तब शासन ने शिक्षकों के पदों के विरूद्ध शिक्षाकर्मी योजना को लागू किया, तथा शिक्षकों के स्थान पर शिक्षाकर्मी की नियुक्तियाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से की जाने लगी हैं।

उ0मा0 विद्यालयों में उच्चश्रेणी शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति के अधिकार प्रारंम्भ में संभागीय शिक्षा अधीक्षकों को प्रदान किये गये थे, जो संभाग के उ0मा0 विद्यालयों में शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति का कार्य करते थे, वर्तमान में शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के स्थान पर शिक्षाकर्मी वर्ग दो एवं शिक्षाकर्मी वर्ग एक की नियुक्तियाँ उ0मा0 विद्यालयों में की जाती है जो इन विद्यालयों में विभिन्न विषयों का अध्यापन करते हैं, इनकी नियुक्तियाँ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पदेन अपर संचालक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में गठित चयन समिति द्वारा की जाती है।

पूर्व में यह सब नियुक्तियाँ, म0प्र0 सिविल सेवा अधिनियम 1961 तथा म0प्र0 शैक्षणिक सेवा भर्त्ती तथा पदोन्नति नियम (राजपत्रित/अराजपत्रित) 1973 द्वारा नियंत्रित होती थी, अब यह नियुक्तियाँ पंचायती राज अधिनियम के अर्न्तगत म0प्र0 शिक्षाकर्मी भर्त्ती अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप म0प्र0 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को म0प्र0 के विद्यालयों में पढाया जाता है, जबकि म0प्र0 में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों एव नवोदय विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली का पाठ्यक्रम पढाया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 में भोपाल द्वारा समय–समय पर पाठ्यक्रमों

को पुर्ननिरीक्षण किया जाता है। और इसमें संशोधन किया जाता है। पाठ्यक्रमों में समय के अनुरूप व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाता है। जिससे शिक्षा को व्यवसायिक, रोजगार मूलक बनाने का प्रयास किया गया हैं। शिक्षा में ज्ञानोदय प्रोजेक्ट के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। जिसके माध्यम से शासकीय उच्चंत्तर माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये गये है।

पाठ्यसहगामी क्रियायें :-

एन.सी.सी., म.प्र. शासन के अधीन संचालित उ. मा. विद्यालयीन पाठ्यक्रमों के शिक्षण के साथ साथ, अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिस के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रतिभावान बनाने के लिये अनेक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, पाठयसहगामी क्रियाओं के अंर्तगत एन.सी.सी., एन.एस.एस., समय समय पर आयोजित किये जाने वाले खेल, राष्ट्रीय त्यौहार, दिवसों का आयोजन, विज्ञान मेंलो का आयोजन वाद-विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। इनका छात्र छात्राओं के बहुमुखी विकास में बड़ा महत्व होता है।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व :-

1. छात्र छात्राओं को स्वावलंम्बन की ओर उन्मुख करना।
2. नेतृत्व प्रदान करने का गुण विकसित करना तथा दूसरो के अधीन नेतृत्व को स्वीकार करने का गुण विकसित किया जाता है।
3. खेलो के द्वारा सामूहिकता की भावना का विकास होता है।
4. एन.सी.सी. एन.एस.एस. के माध्यम से नेतृत्व, देश-प्रेम, सामाजिक गुणो का विकास होता है।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र छात्रायें स्वछता, शिक्षा, स्वास्थ के सम्बन्ध में समाज को संदेश देते है।
6. एन.सी.सी. के माध्यम से देश-प्रेम, देश की रक्षा के प्रति भावना को जागृत किया जाता है।
7. वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यकलापों के माध्यम से छात्र छात्राओ को सामाजिक रीति

रिवाजों सांस्कृतिक धरोंहरों से परिचित करवाया जाता है।

8. खेल के द्वारा छात्र छात्राओ को अनुशासन, शरीर शौष्ठव एवं शारीरिक स्वास्थ, नेतृत्व सामूहिकता के विषय में चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की जाती है ।

शिक्षा प्रशासन एवं संगठन :–

म.प्र. में शिक्षा प्रशासन के लिये उत्तरदायी शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिये एक राज्य स्तर का शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है, उसके द्वारा या शासन द्वारा शिक्षा संबन्धी कार्यों, नीतियो के निर्धारण के लिये शिक्षा सचिव होता है, जिसके द्वारा शासन की शिक्षा संबधी नीतियों को, स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पूरे प्रदेंश की शिक्षा संस्थाओ में लागू किया जाता है।

स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख, "आयुक्त" लोक शिक्षण होता है, आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य लोक शिक्षण का प्रमुख होता है, इसके सहयोग के लिये लोक शिक्षण कार्यालय में संचालक लोक शिक्षण, सहायक निदेशक, संचालक, अपर संचालक एवं जिला स्तरों पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तरों पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल स्तरों पर संकुल केन्द्र अधिकारी या प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. के अधिकारी के समन्वय से शिक्षा विभाग की नीतियों को लागू करते है।

पूर्व में निर्धारित शिक्षा प्रशासन का संगठन संलग्न चार्ट क्र. 3.1 के अनुसार था जो अगले पृष्ठ पर अंकित है।

चार्ट क्र. 3.1

Proposed set up for School Education Department Madhya Pradesh
ADMINISTRATIVE STRUCTURE - STATE LEVEL
1. Educiation Commissiner 1
2. Direvtors (Including SCERT) 5
3. Additional Directors (Including 5
4. Joint Directors 11
5. Deputy Directors 16
6. Assistant Directors 16
Education Commissioner
Director (Secondary Education and Sports)
Director (Elementary and Non-Formal Education)
Director
Director (Admn. and Plan Co-ordination)
Director (Tribal and S C. Edu.)
(SCERT)
Addl. Director (Ele. Education)
Addl. Director (Adult Education)
Addl. Director (Girls Education)
Addl. Director (Tribal Education)
Addl. Director (SCERT)
SCERT Training Staff and other Instituions
Joint Director (Sec. Education)
Joint Dir. (NFE)
Joint Dir. (A.E.)
Joint Director (Girls Education)
J. D. (Admn.)
J. D. (Acctts.)
J. D. (Plan Co-ordination)
J. D. (Library)
J. D. (Buildings)
J. D. (Personnel Management System)
J. D. (S.C. Edu.)
Dy. Dir. (Sec. Edu.)
Dy. Dir. (Sports)
Dy. Dir.
Asstt. Dir.

PROPOSED ADMINISTRATIVE STRUCTUREDISTRICT AND BLOCK LEVEL

वर्तमान में जो परिवर्तित हो गया है, संभाग स्तर पर स्थित संभागीय शिक्षा अधीक्षक, संयुक्त संचालक कार्यालय समाप्त किये जा चुके हैं, संयुक्त संचालक संभाग के समस्त उ.मा. वि. के प्रशासनिक कार्यो को नियंत्रित करते थे, लेकिन इनके समाप्त होने के पश्चात् उ.मा.वि. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्गत कर दिये गये हैं, अब उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य एवं नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त शासकीय प्रशासन के अतिरिक्त शालाओं के समुचित प्रशासन के लिये स्थानीय स्तर पर शाला विकास समिति एवं शिक्षक पालक संघ का गठन किया जाता है।

शाला विकास समिति :-

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक शा.उ.मा.वि. में शाला विकास समिति होती हैं। शाला विकास समिति के माध्यम से शाला विकास के कार्यों को कराया जाता हैं।

शाला विकास समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। तथा नगरीय क्षेत्रो में स्थित विद्यालयों में शाला विकास अध्यक्ष विधायक या विधायक का प्रतिनिधि शाला विकास का अध्यक्ष होता है। प्राचार्य शाला विकास समिति का सचिव होता है, एवं सदस्य के रूप में नगरीय क्षेंत्रों के पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रो में वार्ड मेंम्बरो को मनोनीत कियां जाता है, तथा एक शिक्षक, छात्र छात्रायें एवं अभिभावक शाला विकास समिति के सदस्य होते हैं।

शाला विकास समिति के उदेद्श्य शाला के विकास को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते है।

1. शाला में भौतिक संसाधनो के लिये प्रयासरत् रहना, भौतिक संसाधनों से

तात्पर्य छात्र छात्राओं के बैठने के लिये पर्याप्त कक्षा एवं कक्षा शिक्षण के लिये आवश्यक साधनों की उपलब्धता को बनाये रखने के लिये समाज से संसाधन जुटाना।

2. शाला विकास हेतु छात्र छात्राओ से शुल्क के रूप में उपलब्ध राशि का समुचित प्रयोग ।

3. शाला विकास समिति की बैठको का नियमित रूप से आयोजन करना एवं उसमें आये प्रस्तावों पर विचार कर उनका क्रियान्वयन करना।

पालक शिक्षक संघ :–

प्रत्येक उ.मा.वि. में पालक शिक्षक संघों का गठन किया जाता है।

उदेद्श्य :–

1. संस्था प्रमुख तथा अभिभावको को एक सूत्र में बांधकर, शाला एवं छात्र छात्राओ के हित में एक मत करना
2. अभिभावको के संस्था के कार्यकलापों में रूचि पैदा करना, प्रोत्साहित करना।
3. शिक्षक पालक संघ द्वारा, संस्था प्रमुख को, कार्यो में सहायता करवाना।

समिति का गठन :–

1. संस्था प्रमुख द्वारा मनोनीत संस्था के दो शिक्षक।
2. विद्यार्थियों के अभिभावकों के चार प्रतिनिधि, जो विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के द्वारा चुने जायेंगे।
3. अशासकीय संस्थाओं के मामले में, स्वशासी निकाय का अध्यक्ष या सभापति तथा शासकीय संस्था के माामलो में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
4. संस्था प्रमुख (पदेन अध्यक्ष)
5. यह प्रमुख गठित समिति, शिक्षा में रूचि रखने वाले उपयुक्त व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है। कन्या उ.मा.वि. के मामलो में समिति महिलाओं की बनाई जावेगी, उन स्थानो में जहॉ उपयुक्त महिलायें उपलब्ध न हो, वहां इसके सदस्य, उपयुक्त वयोवृद्व व्यक्ति बनाये जा सकेगें।

6. संस्था का प्रधान समिति का सचिव होगा।

7. समिति के सदस्यो का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

समिति की बैठक :–

सम्पूर्ण सत्र के दौरान समिति की कम से कम, दो बैठके बुलाई जावेगी और संयोजक को कम से कम चार सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर असाधरण बैठक बुलाई जायेगी।

इसके अतिरिक्त संस्था का प्रधान उचित प्रतीत होने पर किसी भी समय, समिति की बैठक बुला सकेगा।

समिति के गणपूर्ति :–

समिति की बैठक की गणपूर्ति 4 सदस्यो में होगी।,

संघ के कार्य :–

संघ या समिति का कार्य सलाह देना, समिति या संघ केवल निम्न मामलों में सलाह दे सकेगी। मार्गदर्शन दे सकेगी।

1. विद्यार्थियों और संस्था के कार्यकलापों तथा कल्याण के प्रति लोक रूचि पैदा करना।
2. शाला सुधार हेतु उचित प्रयास करना।
3. कोई अन्य मामला जो संस्था के प्रधान या विभाग द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये।

प्रगति प्रतिवेदन :–

वर्ष में एक बार पालक दिवस आयोजित किया जावेगा और उस दिन समस्त अभिभावकों की सभा होगी।

संयोजक सभा में पिछले वर्ष की समस्त गतिविधियों और प्रगति का प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत करेगा।

बैठक में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा, प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस बैठक में समिति के लियें, अभिभावकों के चार प्रतिनिधियों का निर्वाचन,

उस दिन की बैठक के सभापति के द्वारा निर्देशित रीति में किया जायेगा।

कार्य विवरण पुस्तक :–

संघ के कार्य विवरण को लेखबद्ध करने के लिये एक कार्यविवरण पुस्तक रखी जावेगी।

मूल्यांकन :–

कक्षा 10 की परीक्षाओं को मण्डल द्वारा हाईस्कूल प्रमाण–पत्र (सर्टीफिकेट) परीक्षा कहा गया था, तथा कक्षा 11 बी की परीक्षा को हायर सकैन्डरी परीक्षा कहा गया। कुछ वर्षो तक मण्डल द्वारा हाई स्कूल प्रमाण–पत्र तथा हायर सैकन्डरी दौनों परीक्षाओं का संचालन किया गया, फिर बाद में हाईस्कूल की परीक्षा को स्थानीय परीक्षा घोषित किया गया, जो विद्यालय के प्राचार्य अन्य परीक्षाओं की तरह अपनी शाला में ही संचालित करते थे, तथा मण्डल द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार परीक्षा संचालित करते थे। इस समय हायर सैकेन्डरी परीक्षा का पाठ्यक्रम एक वर्षीय ही रह गया था, और एक वर्ष के अध्यापित विषय से ही मण्डल परीक्षा की विषय वस्तु पर प्रश्न पत्र तैयार किये जाते थे, परन्तु त्रिभाषा सूत्र पर आधारित म.प्र. में हिन्दी को मुख्य भाषा का स्तर प्रदान कर, 50–50 अंक के दों प्रश्नपत्र, अंग्रेजी 50 अंक का तथा संस्कृत का 50 अंक का प्रश्न पत्र निर्धारित था, बाद में अंग्रेजी या संस्कृत किसी एक विषय को लेने की एच्छिकता विद्यार्थियों को प्राप्त हुई, जिससे अंग्रेजी विषय को मात्र विज्ञान के छात्रों से जोड़ा गया, कला के छात्र किसी विषय का चुनाव कर सकते थे। अंग्रेजी की जटिलता के कारण कला के करीब 90% छात्र संस्कृत ही लेते थे।

इसके पूर्व सन 1966–67 के समय अधिकांश स्कूलों को इन्टर कालेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, परन्तु यह व्यवस्था स्थायित्व प्राप्त न कर सकी, जिससे इस कक्षा को समाप्त कर, पुनः हायर सैकेन्ड्री 10+2 के नाम से कक्षा 12 तक का अध्ययन स्कूलों में चालू किया गया, तब से हाईस्कूल (10) तथा हायर सैकेन्डरी के नाम से 10+2 पाठ्यक्रम स्कूलों में चलाये जाने लगे।

विगत 6 वर्षो तक तो विज्ञान, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कृषि आदि समूहों के अन्तर्गत मण्डल परीक्षायें सम्पन्न करता रहा है, तथा किसी समूह के तीन विषयों की परीक्षा, दो–दो प्रश्न पत्रों के माध्यम से संचालित करता रहा है, परन्तु परीक्षा कार्य में विश्वसनीयता का आभाव जब देखा गया और प्रश्न पत्र आउट हो जाने की अडचन पैदा होने लगी, तो मण्डल ने हाई स्कूल तथा हायर सैकेन्डरी की परीक्षाओं में एक प्रश्नपत्र एक विषय के आधार पर परीक्षा संचालन कार्य प्रारम्भ किया गया। मण्डल को इस एक प्रश्न पत्र व्यवस्था में छात्रों और अभिभावकों की ओर से भारी अड़चने भी पैदा की गई, परन्तु वर्तमान स्थिति में परीक्षा अवधि को संकुचित करना ही ज्यादा उपयोगी माना गया, तथा दृढ़तापूर्वक इसे लागू किया गया, छात्रों और उनके अभिभावकों तथा मण्डल अधिकारियों द्वारा समझाइश की अपीलें पहुचाई गयीं। समाचार पत्रों में एकल प्रश्न पत्र परीक्षा प्रणाली की विशेष बातों को पहिचाननें और अमल में लाने के महत्व को बताया गया। मण्डल इस कार्य में सफल रहा, और इस तरह एकल प्रश्न पत्र परीक्षा प्रणाली ही तब से आज तक लागू है, उक्त परीक्षा के दृष्टि कोण से परीक्षा पाठ्यक्रमों में काफी संशोधन किया गया। मण्डल को यहां तक कदम लेना पड़ा, कि परीक्षा परिणाम अच्छे रहें, जिससे छात्र एवं अभिभावक इस प्रणाली से सन्तुष्ट रहें। एक प्रश्न पत्र के आधार पर पाठ्यक्रम को काफी संकुचित कर दिया गया।

अब वर्तमान में मण्डल द्वारा दो प्रकार के विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था प्रदान की है। पहला स्तर हाई स्कूल तक तथा दूसरा स्तर हायर सैकेन्ड्री 10+2 तक।

सन 1960 तक जब मध्यप्रदेश में हायर सैकेन्डी स्तर का समावेश किया गया, तब गावों में अध्यापन की स्थिति बड़ी दयनीय थी। हायर सै० स्कूल तहसील और विकास खण्ड तक ही सीमित थे, तथा ग्रामीण स्थानों में आबादी के होते हुये भी, स्कूल के लिये इमारतों का नितान्त अभाव था, माध्यमिक कक्षायें दो या तीन कमरों के विद्यालयों में ही लगा करती थी, परन्तु हायर सैकेन्ड्ररी के लिये तीन कक्षाओं के बढ़ जाने से ग्रामीण स्तर पर इन स्कूलों का खोला जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा था, परन्तु युग की मांग थी, कि शिक्षा ग्रामीण जनों के बालकों को भी सुलभ हो, उस समय म०प्र० के शिक्षा मंत्री स्व. श्री

शंकर दयाल जी शर्मा थे, जो एक शिक्षा विद तो थे ही, साथ ही उनमें न्याय के प्रति अटूट प्रेम था। ग्रामीण जनों के साथ शिक्षा विषमता का अन्याय वे नही देख सके, और उन्होंने अपने काल में एक व्यवस्था दी, कि जो ग्राम स्कूल इमारत तथा प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 10,000 रूपये इकटठे कर शासन कोष में जमा करता है, उसे तत्काल हायर सैकेन्ड्ररी स्कूल प्रदान कर दिया जावेगा। इस योजना के प्राप्त होते ही ग्रामीण जनता ने धन राशि एकत्रित की, और इस निधि को शासन कोष में जमा करा दिया, वहां हायर सैकेन्ड्री 11वीं तक स्कूल खोल दिया गया और इस तरह पूरे मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्तर पर हायर सैकेन्डरी स्कूलों की शिक्षा ग्रामीण बालकों को सुलभ हुई।

मध्य प्रदेश में स्त्री शिक्षा :–

देश की आजादी के बाद भी देश में और म.प्र. में स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा की व्यवस्था पृथक से नहीं थी, यद्यपि बडे–बडे नगरों में मात्र प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं तक ही अध्यापन, पृथक–पृथक विद्यालयों में शासकीय स्तर पर होता था, परन्तु सामान्य नगरों एवं ग्रामीण स्तरों में बालिकायें या तो लडकों के स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करती थी, या फिर उच्च शिक्षा से वंचित ही रहती थी।

विगत पच्चीस तीस साल पहले से ही बालिका शिक्षा को महिला का अधिकार मानते हुये, उन्हें पृथक से स्कूलों का प्रावधान किया गया। इस समय म.प्र. में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में लडकियों का एक पूर्व माध्यमिक स्कूल अवश्य पाया जाता है। तहसील और ब्लाक स्तर पर हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना भी शासन द्वारा कर दी गयी है, तथा नगर स्तर पर तो शासन नें बालिकाओं के लिये प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक तथा महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करायी है, यह प्रसन्नता की बात है, कि म.प्र. में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शासन बालिका स्कूलों में शिक्षण शुल्क नहीं लेती है, मात्र शालेय स्तर पर क्रीडा एवं विज्ञान शुल्क छात्राओं से ली जाती है, जो कि बालक शालाओं में भी छात्रों द्वारा देय होती हैं। इस शुल्क से शाला का प्रधान एक समिति के माध्यम से छात्रों के विद्यालयों में आयोजित पाठयेत्तर क्रियाकलापों की

सामग्री क्रय करते हैं, जो छात्र–छात्राओं के शारीरिक विकास में सहयोगी होती है।

यह देखा गया है कि छात्रायें पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा के अभाव में अपनी स्कूली पढाई को आगे निरन्तरता प्रदान नहीं कर पाती हैं, बालिकायें उच्च शिक्षा के लिये ग्राम स्तर से नगर तक जाने एवं कालेज की या उच्च मा. स्तर की शिक्षा के लिये, शासन ने बालिका छात्रावासों पर ध्यान नहीं दिया है, यद्यपि अशासकीय शालाये एवं बहुत बडे नगरों में स्थित शासकीय विद्यालयों में छात्रावासों की व्यवस्था रखी गई है, परन्तु आवासीय शुल्क का भार सहन न कर पाने के कारण मात्र धनिक वर्ग को उच्च शिक्षा की सुविधा मिल पाती है, गरीब वर्ग की बालिकायें, आज भी उच्च शिक्षा के लिये तरसती रह जाती हैं, अभी हाल में बालिका शिक्षा के प्रसार के लिये शासन के रेल विभाग ने छात्राओं को समीप के बडे नगर तक रेल्वे कंशेसन की सुविधा प्रदान की गई है, जो सराहनीय कदम है, परन्तु यदि ऐसी सुविधा राज्य परिवहन व्यवस्था में भी बालिकाओं को मिले, तो अतिउत्तम होगा।

आज मण्डल के परीक्षा परिणामों से ज्ञात होता है कि बालिकाओं ने कितनी जल्दी शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट स्थान बना लिया है, निरन्तर कई वर्षो से देखने में आ रहा है, कि छात्राओं के परीक्षा परिणाम छात्रों से अच्छे रहते है, तथा छात्रायें तो अब अपनी योग्यता में छात्रो से हर दृष्टि से आगे बढ़ रही हैं, संख्या में तथा गुणवत्ता में आजे छात्राये निश्चित ही छात्रों से आगे निकल चुकी हैं।

<u>शासकीय स्कूल और शिक्षा का गिरता स्तर :–</u>

जब से टयूशन की प्रथा का प्रचलन हुआ है, शिक्षकों ने टयूशन पद्धति में खूब आर्थिक लाभ को पहिचाना, अतः अपना समय स्कूल में न देकर, शिक्षक छात्रों को घर पर पढाने लगा, अब उसके मन में आर्थिक सम्पन्नता की युक्ति का जागरण हो गया है, तब वह विद्यालयों में छात्रों के अध्यापन कार्य की उपेक्षा भी करने लगा हैं, इससे शिक्षा क्षेत्र में आम छात्र का शिक्षा स्तर गिरने लगा, जो छात्र टयूशन पर जाते, उन्हें अन्य तरीकों से भी शिक्षक सुविधायें देने लगा, अंको में बढोत्तरी, मेरिट में स्थान, प्रायोगिक कार्य में अच्छा

मूल्याकंन, अपने टयूटर छात्रों तक सीमित हो गया। इस पद्धति का दुष्परिणाम परीक्षा के समय सामने आया, छात्रों ने नकल करना तथा अनेक अनुचित साधनों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया, इस कार्य में अपने घर के लोगों तथा मित्रों की भी सहायता मिली। इस कार्य को अधिक सफल रूप देने के लिये, शिक्षा माफिया तैयार किया गया, जिसने परीक्षाओं को धन प्राप्ति का एक अच्छा जरिया बना लिया, इसका परिणाम एक नये स्वरूप में आया, छात्रों ने स्कूल में मात्र नाम लिखाना ही श्रेयस्कर समझा। शासन ने गाइड छाप कर तथा अनेक प्रकार के 20 प्रश्न तैयार कर छात्रों के इस नकल कार्य में सहयोग प्रदान किया। शासन की मंशा चाहे जितनी अच्छी रही हो, परन्तु इन सहयोगी पुस्तकों का भरपूर दुरूपयोग हो रहा है, तथा अब स्कूली छात्र शासकीय स्कूलों में मात्र नाम ही लिखाता है, शेष परीक्षा की व्यवस्था तथा परीक्षा पास कराने की गारंटी एवं प्रथम श्रेणी की भी गांरटी माफिया दे देता है। देखा गया है, कि सरकार की या शिक्षा विभाग की एजेन्सीज भी इसमें उलझी पाई जाती हैं। चूँकि प्रायवेट स्कूलों में परीक्षा के केन्द्र रखे नही जाते हैं, इसलिये प्रायवेट स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देने शासकीय स्कूलों में ही जाना पड़ता है, कुछ प्रायवेट स्कूलों में तो पढ़ाई उत्तम ढ़ंग से होती है, परन्तु शासकीय स्कूलों में शिक्षक ने भी माफिया से सांठ–गांठ कर रखी होती है, जिससे पढ़ाई का इन स्कूलों में कोई महत्व नही रह गया है।

वर्तमान में शिक्षा के स्तर का इतना पतन हो चुका है, कि छात्र न तो शुद्ध लिख पाता है, न पढ़पाता है, न ही उसके पास विचार शक्ति ही समुचित रूप से विकसित हो पाती है। ऐसे ही छात्र निकल कर शिक्षा कर्मी बन रहे हैं, तथा कार्यालयों में कार्य का निष्पादन कर रहे है, जिससे शिक्षा के स्तर में निरन्तर कमी आती जा रही है। राजनीतिक प्रश्रय भी शिक्षा की गिरावट में निरन्तर मदद कर रहा है।

यदि शासन ने और शिक्षाधिकारियों ने शिक्षालयों में छात्रों की पढ़ाई की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया, तो मध्यप्रदेश ही क्या, सम्पूर्ण भारत का नागरिक, एक विकृत स्वरूप लेकर सामने आयेगा, क्योंकि शासन की नीति आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडा वर्ग के उत्थान की ओर है, इसलिये नौकरी में इन्हें सुरक्षित कोटों में

स्थान दिया जाता है और यही वर्ग स्कूल की उपेक्षा का शिकार भी सर्वाधिक होता है।

अतः म0प्र0 में शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिये, ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या शिक्षाधिकारी इस बात को देख संकेगे ? कि छात्र की उपस्थिति शाला में सत्रभर ठीक रहती है ? क्या शाला में शिक्षक अपने उत्तर दायित्व का निर्वाह सही ढ़ंग से कर रहा है ? यदि ये दो काम शिक्षा विभाग सम्भाल लेता है तो परीक्षा काल, जो इतनी विपत्ति बन के सामने आता है, वह सहजरूप में निकल जायेगा, क्योंकि छात्रों को उन साधनों की आवश्यकता ही नहीं पडेगी, शिक्षाधिकारी अपनी मंशा को दृरूष्त कर ले, तो सारी मशीनरी अपने आप सही ढ़ंग से काम करने लगेगी।

अध्याय 4.

- शैक्षिक उपलब्धि एवं पारिवारिक परिस्थितियाँ
- शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक परिस्थितियाँ
- शैक्षिक उपलब्धि एवं आर्थिक परिस्थितियाँ

शैक्षिक उपलब्धि एवं पारिवारिक परिस्थितियाँ :–

मातायें, बालकों की आदर्श गुरू होती हैं, और परिवार द्वारा प्राप्त शिक्षा स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होती है, घर एक शिक्षा संस्था है, और माता सच्ची शिक्षा का श्रोत है''

फ्राबेल एवं पेस्टालाजी

उपर्युक्त कथन भारतीय परिवेश में लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा का बुरा हाल है, अधिकांश महिलाये निरक्षर है।

बालक माँ की गोद में आता है, उसकी शिक्षा का भार माँ पर होता है, अतः माँ बालक की प्रथम शिक्षिका है, वह जान बूझकर या अनजाने में बालक को बहुत सी बातों का ज्ञान कराती है, माँ के पश्चात, परिवार के अन्य सदस्यों, बडे भाई, वहिनों एवं पिता के आचार–विचार, व्यवहार से बालक बहुत कुछ सीखता है, और प्रभावित होता है।

परिवार, बालक की प्रथम पाठशाला है, परिवार में बालक के छोटे, बडे भाई, बहिन एवं माता, पिता, चाचा, चाची होते हैं। जिनके आचार–विचार, व्यवहार का प्रभाव बालकों की शिक्षा पर पड़ता है, परिवार में बालक की आदतों का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, परिवार से ही उसका समाजीकरण प्रारम्भ होता है, परिवार में रहकर ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है, तथा उसके सामाजिक गुणों का अभ्युदय होता है, लेकिन औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं मंत्रीकरण तथा पारिवारिक अन्य अनेक कारणों से हमारे परिवारों का विघटन हो रहा है।

वर्तमान समय में, भारत में ऐसे बहुत कम परिवार होंगे, जहां बालकों को उच्च आदर्शो और महान मूल्यों की शिक्षा प्राप्त होती है, अधिकांश परिवार आज विघटन की प्रक्रिया में है। और यह सत्य है, कि विघटित परिवारों के बालकों के स्वस्थ सन्तुलित और

चौबे डॉ सरयू प्रसाद :– " शिक्षा के दार्शनिक, समाजिक एवं एतिहासिक आधार" पृष्ठ 65

श्रेष्ठतम विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

भारतीय परिवेश में बालकों की पारिवारिक परिस्थितियों में काफी असमानतायें हैं जहां पर शहरी आबादी एवं ग्रामीण आबादी के परिवारों में भी काफी विभिन्नतायें पाई जाती हैं। वहीं शहरी आबादी एवं ग्रामीण आबादी के बीच भी काफी अन्तर शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों में भी पाया जाता है।

ग्रामीण परिवारों के मुखिया (माता–पिता) अशिक्षित हैं, वहीं परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हैं, वही दूसरी ओर, अशिक्षित माता पिता लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक है, तीसरे प्रकार में आर्थिक स्थिति ठीक है, और शिक्षित भी है, परन्तु घर का वातावरण सही नहीं है जिसके कारण इन परिवारों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ठीक नही हो पाती है और वह आधी अधूरी पढ़ाई करके घर के मुखिया के अनुसार घरेलू कार्य में सहायता करने लगते हैं। तथा कुछ छात्र न शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, न ही घरेलू कार्य करते हैं, बेकार फिरते रहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक परिस्थितियाँ छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती है।

बालक जन्म के समय अनगढ़ होता है उस अनगढ़ जन्में शिशु को सुगढ बनाने का दायित्व उसके अभिभावकों, माता पिता पर होता है, वे ही इसके प्रशिक्षक होते है, और उसके सहायक होते हैं, घर का वातावरण अनकूल है, तो वे उनके गढ़ने में समर्थ होते हैं, और राष्ट्र को उत्कृष्ट नवररत्न प्रदान कर सकने का गौरव प्राप्त कर, गौरवान्वित होते हैं, अपनी भावी पीढी का भविष्य बनाने में सहायक होते हैं।

अभिभावकों द्वारा दिया गया, घर में पाया गया, प्रशिक्षण जहां विकास की नींव विनिर्मित करता है, वहीं महल बनाने का काम विद्यालयों पर आ पडता है।

"स्कूल मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान देने वाली संस्था नहीं होनी चाहिये, यथार्थ में इसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, इसका वातावरण शिक्षकों की शिक्षण कला एवं छात्रों के व्यक्तित्व को सुगढ बनाने में प्रयुक्त होना चाहियें।"

प्रो. लिस्टर स्मिथ के अनुसार

अभिभावकों द्वारा छात्रों को मजबूत नींव परिवार में प्रदान की जाती है। इस मजबूत नींव पर विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा भव्य महल के रूप में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को निखारा जाता है, एवं भव्यमहल रूपी छात्र को, समाज के द्वारा चमचमाते कंगूरों से सुशोभित किया जाता है, इस प्रकार छात्रों को परिवार की मजबूत नीव एवं विद्यालयीन शिक्षकों के द्वारा भव्य महल तथा समाज के द्वारा चमचमाते कंगूरों के रूप में सुशोभित किया जाता है। शिक्षा प्राप्त कर एक छात्र जो कि जन्म के समय अनगढ़, अवसरहीन–दुर्बल और गया गुजरा, मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, शिक्षा प्राप्त कर उपलिब्धयों के शिखर पर पहुँचता है, जिससे उसे राजकुमार देवमानव या अधिकारी का पद प्राप्त होता है, यही उसकी शैक्षिक उपलब्धि होती है, तभी उसकी शिक्षा सार्थक होती है।

मानव शिशु (छात्र) ही नहीं, मानवेत्तर प्राणियों को भी विविध शिक्षण प्राविधियों एवं वातावरण की उपयुक्तता के द्वारा उच्च उपलब्धि वाला बनाया जा सकता है जैसे परिवारों के पालतु कुत्ते एवं तोते को प्रशिक्षिण देकर उनसे मानव के समान कार्य व्यवहार करवाये जा सकते हैं, कुत्ते प्रशिक्षित होकर अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। तोतो को बार–बार शब्दों के उच्चारण के द्वारा शब्दों के बोलने का अभ्यास हो जाता है इससे घर एवं परिवार का वातावरण साथ–साथ, बार–बार अभ्यास द्वारा शब्द उच्चारण करवाने पर तोता शब्दों का उच्चारण करने लगता है।

विदेशों में अनकों प्राणी विद्यालय पाये जाते है, जहां पर 40 किस्म के जीवों, जिनमें कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता, नेवला, खरगोश आदि हैं, इनको प्रशिक्षण देकर आश्चर्यजनक कार्य करवाये जाते हैं, सर्कसों में पाये जाने वाले शिकारी, मांसाहारी जन्तु शेर, चीता, रीछ,

वशिष्ठ, डॉ के. के. :– " विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्याऐं"

हाथी आदि को, उचित प्रशिक्षण एवं वातावरण प्रदान करके, उनसे मनचाहे कार्यक्रमों को दर्शनार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वह अनुशासन पालन करना सीख जाते हैं।

वस्तुतः शैक्षिक उपलब्धि (योग्यता सम्बर्द्धन) के लिये वातावरण एवं सुगढ अभिभावकों की आवश्यकता है जैसे "गुरू कुम्हार घट शिष्य है, गढ़–गढ़ मारे थाप" वाली बात यहां याद आ जाती है, कि कुम्हार मिट्टी को थाप मार–मार कर घड़े का रूप प्रदान कर देता है, यहां कुम्हार के रूप में गुरू का कार्य है, जो कि अपने अनुभव एवं ज्ञान के द्वारा मिट्टी के घड़े के समान शिष्य को अभिनव योग्यता से परिपूर्ण करता है।

(गुरू) शिक्षक, प्रशिक्षक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा आज अन्धों, मूक वधिरों को भी शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त वर्णन से अब यह स्वतः स्पष्ट है, कि जब उचित शिक्षण एवं वातावरण के द्वारा पशु पक्षियों को, मूक, विकलांग, वधिर, अन्धों, को उर्जावान, विक़ासवान बनाया जा सकता है, तो क्या सृष्टि का मुकट मणि समझा जाने वाला मनुष्य अपनी भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा एवं वातावरण के द्वारा उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाला नहीं बना सकता है ?

आज परिवारों की पारिवारिक परिस्थितियाँ, लोकमानस की मनः स्थिति, धरती का वातावरण कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिस पर रहने वाले लोग कष्ट एवं कठिनाई में दिखाई पड़ते हैं, जबकि आज सुविधायें एवं साधन, इतने अधिक बढ़ गये हैं, कि लोगों को सुखी एवं सन्तुष्ट होना चाहिये, फिर भी ऐसा नही है, इस बात पर जब गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाता है, तो हमें पता चलता है, कि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है, कि परिवार के जिम्मेवार लोंगों ने अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी बन्द कर दी है।

परिवार को, प्रशिक्षण की, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, उसने

स्वंय को सिर्फ बालक के पालन पोषण तक ही सीमित कर लिया है, फिर उसकी मनःस्थिति और मनोभूमि कोई चीज होती है, और उसे मिट्टी के कच्चे वर्तन को पकाने की तरह आरम्भ से ही सुसंस्कारी बनाना चाहिये, इसे तो परिवार वालों ने भुला ही दिया है, इस आशय के लिये स्कूलों पर आश्रित रहने लगे, स्कूल में अध्यापक भी विषयों की जानकारी भर दे देने में, अपने कार्य की इति श्री मान लेते हैं, कठिनाई यहीं से आरम्भ होती है, जहां विशिष्ट और उत्कृष्ट वातावरण बनाने वाली मनः स्थितियाँ विनिर्मित होनी चाहिये, उसके स्थान पर वातावरण से प्रभावित होने वाली मन स्थितियाँ बनने लगती हैं, जिससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होने लगती है।

राजा एक राज्य का शासन करता है पुरोहित एक गांव का यजमान होता है, एक गांव का चिन्तन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने में एक भावनाशील शिक्षक शानदार भूमिका निभा सकता है, जिसे कायाकल्प के समतुल्य कहा जा सकता है, बशर्ते शिक्षक को अपने पद के गौरव का भान हो, और सच्चे मन से अपना सारा समय उसी कार्य को उच्चस्तरीय मनोविनोद मान कर लगायें रह सके, समय की कमी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न, भावना की उत्कृष्टता की कमी का है, यह कार्य वेतन के लिये काम करने वाले ऊपरी आमदनी का अवसर तलाश करते रहने वाले शिक्षकों का नही है।

अभी अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होना ही, छात्रों और अध्यापकों की प्रशंसा का केन्द्र माना जाता था, अब नई समस्यायें सामने आने से, अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में नये सिरे से सोचा जाने लगा है, शिक्षितों की बेरोजगारी से उत्पन्न हुआ असन्तोष, गुण्डागिरि की और मुडता है, उत्तीर्ण होने के पूर्व से ही वह भयानक आशंका, उन्हें संत्रस्त करने लगती है, और नशेवाजी से लेकर, अपराध स्तर की गुण्डागिर्दी इस समुदाय में फैलने लगी है, नकल करके, डराकर, लोभ देकर पास होना, तो आम बात हो गई है, ऐसी दशा में उत्तीर्ण हुये, और काम पर लगाये हुये लोग (शिक्षक) अपना काम सही तरीके से पूरा नही कर पाते हैं, जिस भ्रष्टाचार के सहारे पास हुये थे, उसे पूरे समाज में फैला देने के अवसर तलाशते रहते हैं, ऐसी बहुसंख्यक घटनाओं ने (मूर्धन्यो) शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर खीचा

है, कि विधार्थियों को नैतिक शिक्षा भी दी जाय, और इसके लिये उपयुक्त पाठयक्रम बनें, यदि इस बात को और पहले समझ लिया गया होता, तो और भी अच्छा होता, नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तके बनें, और उनकी कक्षायें चले साथ ही साथ अध्यापकों को भी नैतिक रूप से धनी होना चाहियें, क्योंकि चरित्र का जहां तक सम्बन्ध है चरित्रवानों से ही उपलब्ध होता है, मिट्टी के खिलौनों से लेकर पुर्जे और आभूषण तक सांचे में ढाले जाते हैं, सांचे यदि सही हैं तो उनमें ढली हुई वस्तु ही बढिया बनेगी।

यदि शिक्षक चरित्रवान, योग्य, नैतिक गुणों से परिपूर्ण है तो अपने चरित्र कों छात्रों के सामने उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर सकेगें, और छात्रों को भी योग्य, चरित्रवान, नैतिक गुणों से सम्पन्न कर, सुशिक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते है।

शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिये, कि उन्हें छात्रों की केवल शैक्षिक उपलब्धि ही नही, समुन्नत करना है, बल्कि उन्हें छात्रों को भावी कर्णधार बनाना है, राष्ट्र निर्माता बनाना है, केवल शिक्षा देकर उत्तीर्ण कर देना ही नहीं है, उसे समस्त प्रकार की नैतिक शिक्षा देना है, अन्यथा अनैतिक वातावरण में समय गुजारने बाले बच्चे स्कूली नैतिक शिक्षा को एक औपचारिकता मात्र मानकर भूला देते हैं, और जैसे थे वैसे ही बने रहना चाहते है।

शिक्षकों की ट्रेनिंग इतनी उच्च स्तर की हो, जिसमें वे अपना चरित्र ऊंचा रखने का अभ्यास करें, और इस स्तर तक पहुंचे, कि उनके सम्पर्क में आने वाले छात्र भी उनका रहन सहन, आचार–व्यवहार देखकर अनायास ही प्रभावित हों, और पुस्तकों में पढाई जाने वाली बातों को यथार्थ मान सके, इसके लिये उन्हें उत्तीर्ण करने के पहले यह भलीभॉति जॉच लिया जाय, कि उन्होने अपना वास्तविक कर्तव्य और उत्तर दायित्व समझा या नहीं उसमें प्रवीण पांरगत हुये या नहीं।

"शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक है शिक्षक बौद्धिक परम्पराओं तथा तकनीकी कौशलों की, पीढी दर पीढी हस्तान्ततरण करने में धुरी का कार्य करता है, वह सभ्यता एवं संस्कृति का सरंक्षक तथा परिमार्जन करता है, वह बालक का ही मार्गदर्शक नही, वरन सम्पूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है।"

डॉ0 राधाकृष्णन

बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की बडी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षक ही वास्तव में बालक का समुचित शारारिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कर सकता है, विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पडती है, सम्पूर्ण विद्यालय योजनाओं को वही व्यवहारिक रूप देता है, अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि प्रभाव रहित हो जाती है, यदि शिक्षक उसे सही ढग से प्रयोग न करें।

कितने ही घर परिवारों की स्थिति अच्छी नही होती, उनमें सदगुणों की दृष्टि से अनेकों कमियों पाई जाती है, ऐसी स्थिति में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है, अतः ऐसे परिवारों की पहचान कर इन परिवारों के छात्रों को छात्रावासों में रखा जावे, छात्रावासों का प्रबन्ध ऐसे हाथों में रखा जावे, जो अवकाश के समय का सही सदुउपयोग करायें जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि बढ़े, छात्रवास संचालक को सच्चे अर्थो में सुयोग्य अभिभावक होना चाहिये, जो अपने छात्रों को हंसते हंसाते, खेल खेल में व्यस्त रखे उसी व्यस्तता में वे विनोद अनुभव करें, और सदगुणों का अभ्यास करे।

आजकल छात्रावास बहुत महंगे हो गये हैं, उनका लाभ तो सम्पन्न लोग उठा लेते हैं पर गरीबों को परेशानी होती हैं गरीबों की बचत का ध्यान रखते हुये निजी प्रबन्ध करना पड़ता है, उसमें छात्रों को मनचाही छूट होती है और कुमार्ग अपनाने का अधिक अवसर होता है इसलिये अच्छा यही है कि छात्रावास देहाती स्तर के अनुरूप हो और उनमें लागत कम आवे, सरकार देहाती छात्रों को मिलिट्री के समान फ्री आवास एवं भोजन उपलब्ध कराये, तो ज्यादा ठीक है, छात्रावास नैतिक शिक्षा के लिये आधार प्रदान कर सकते

शर्मा डॉ आर. ए. :– " अध्यापक शिक्षा"

हैं छात्रावास में छात्र नैतिक शिक्षा को व्यवहार में उतारें, इसकी शिक्षा छात्रावास में मिले, जब छात्र छुट्टियों में घर जावें, तो घर वालों के दुगुर्ण न सीखें, वरन अच्छाईयों को प्रदशित कर अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाये, अपना कार्य, अपने हाथ से करने, नौकरों का सहारा न तकने की प्रवृत्ति, स्वावलम्बन की दृष्टि से अति उपयोगी है श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टाचार, सुव्यवस्था, सहकारिता जैसे गुण छात्रों के भावी जीवन को समुन्नत बनाने में काम आते हैं। छात्रावास में इन गुणों का बीजारोपण हो, तो बडे होने पर बडे कांमों में भी उनके उपयोग की आदत बनी रहती है, और छोटी परिस्थितियाँ पैदा होने पर भी महान बनने का अवसर प्रदान करती हैं, छात्रावास में अनुशासन का ध्यान रखना पडता है, अनुशासन आगे चलकर सुव्यवस्था के रूप में विकसित होता है, जो अपनी, अपने सामान की, कार्य की, साथियों की, सुव्यवस्था वना सकता है, उसका भविष्य उन्नत है। विद्यालयों में स्काऊटिंग आन्दोलन का आधार, इसी स्तर की योग्यता बढाने के लिये किया गया था।

जिस प्रकार कृषि व्यवसाय, उद्योग शिल्प आदि में इसकी अच्छी उपलब्धि अर्जित करने के लिये पूरा ध्यान देना पडता है, इसीप्रकार छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत करने के लिये, स्वंय छात्रों को, परिवार वालों को, विद्यालय में शिक्षकों को, विशेष ध्यान देना पड़ता हैं, शिक्षकों को, विद्यालय में शिक्षा के लिये, छात्रों को वातावरण प्रदान करना होता है, जिससे छात्र शिक्षण के लिये मानसिक रूप से तैयार रहें, शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण बिन्दुओं को आत्मसात कर सके।

मनुष्य जीवन की प्रगति और अवनति का प्रधान कारण है, उसके व्यक्तित्व का स्तर, वह यदि सुसंस्कृत, सुविकसित हो, तो समझना चाहिये, कि उत्कृर्ष, अभ्यूदय के सारे स्त्रोत खुल गये हैं, यदि व्यक्तित्व गया गुजरा, हेय और अनगढ रहा तो समझना चाहिये कि परिस्थितियां, वातावरण में कही कुछ कमी रही है, जिससे चित्त, चरित्र, व्यवहार में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे छांत्र न तो छात्र अपनी उन्नति कर सकता है, और नही अपने परिवार वालों को शिक्षा का प्रतिफल प्रदान कर पाता है, और परिवार की परिस्थितियाँ विग्रहकारी होती जाती है, उलझी समस्याऐ और भी उलझती जाती हैं, और

छात्र एवं उसके अभिभावक को कोई उपाय नहीं सूझता, जीवन रोते रूलाते, गिरते गिराते, व्यतीत होता है, भले ही दोष किसी का हो, चाहे छात्र का या अभिभावकों का या विद्यालय में शिक्षकों का, पाठ्यक्रम का या वातावरण का।

संसार दर्पण की तरह है, उसमें अपना ही प्रतिविम्ब परिलक्षित होता है, जो समय के साथ, परिस्थितियों के अनुरूप प्रतियोगिता के इस युग में पिछड़ जाते हैं, वह जीवन भर पश्चाताप के अतिरिक्त, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रगति और प्रसंन्नता का अवसर कभी नही मिल पाता है, अतः छात्रों को एवं उनके परिवार के अभिभावकों को, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि हेतु, उचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ प्रदान करना चाहिये, जिससे उन्हें जीवन मे पश्चाताप न करना पड़े, छात्रों को श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, व्यवस्था एवं सहकारिता की शिक्षा प्रदान करना चाहिये।

घर में भी ऐसा साहित्य छात्रों को उपलब्ध करवाया जावे कि, जिसके पढने से छात्रों में उत्कर्ष पैदा हो, और छात्र जीवन पथ पर अग्रसर हो सकें, इसके सम्बंध में पंचतन्त्र ग्रन्थ के निर्माण की कथा प्रसिद्ध है, कि एक राजा के लडके बडे उजड्ड थे, पढाने वाले किसी अध्यापक को टिकने नहीं देते थे, पढने लिखने में थोड़ी भी रूचि नहीं लेते थे, राजा को चिन्ता हुई, कि इनका भविष्य कैसे बनेगा, उसने घोंषणा की, कि जो अध्यापक हमारे लडकों को पढाने एवं सुधारने में सफल होगा, उसे मुह मांगा पुरूष्कार दिया जायेगा, कई विद्धान आये और हार मानकर वापस लौट गये।

अन्त में एक विष्णु शर्मा नामक विद्धान आये, उन्होंने नया बीडा उठाया, और नया तरीका अपनाया, वे मात्र कहांनिया सुनाते थे, राजकुमारों को धीरे–धीरे, इसमें दिलचस्पी बढ़ी, और वे देर तक, अध्यापक के पास बैठकर, कहांनियां सुनते रहते थे, वे कथायें बड़ी सारगर्भित होती थी, उनमें जीवन विकास के तथ्यों का भरपूर समावेश रहता था, सुनने वाले लडकों के मन में वे तथ्य भी उभरते गये, उन्हें अपने भविष्य और विकास के सम्बन्ध में सोचने का अवसर मिला, फलतः उनकी विचार धारा बदलती गई, वे सही मार्ग

समझने के साथ–साथ उस पर चलने भी लग गये, उनकी समस्त गतिविधियों संतोष जनक एवं उत्साहवर्धक वन गई पढने लिखने लगे, धीरे–धीरे ऐसे वन गये, जैसा कि राजा चाहता था, पड़ित को मुहमांगा पुरूस्कार मिला, और वह कथा ग्रंन्थ पंचतत्र के नाम से लोकप्रिय हुआ।

यह एक उदाहरण है जिसने पुराने समय की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की, अब जीवन के अनेक पक्ष प्रकाश में आये हैं। समस्यायें प्रकट हुई, और उनके समाधान आवश्यक जान पड़े, इसलिये छात्रों को घर में, परिवार के सदस्यों एवं साहित्य के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में, ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये, कि छात्रों को अपनी क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने का अवसर मिले, एवं छात्र शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत कर सकें।

बडे दुर्भाग्य की बात है कि आज लेखकों, प्रकाशकों और बुक सेलरों की फौज है, लेकिन उनके द्वारा सृजित साहित्य इतना सशक्त नहीं है, कि जो आज के छात्रों के व्यक्तित्व को, शैक्षिक उपलब्धि को, उन्नत कर सके।

कुत्साओं को भडकाने वाला, दिशा भ्रम उत्पन्न करने वाला साहित्य, तो नित्य नये पहाड़ की तरह उपजता चला जाता है पर दिशा बोध करा सकने की क्षमता एवं अच्छा साहित्य खोजने पर मिल सकता हैं, भले ही वह " खोदा पहाड और निकली चुहिया" वाली उक्ति ही चरितार्थ करता है, भले ही स्वल्प मात्रा में जहां–वहां उपलब्ध क्यों न होता हों, ढूँढने वाले कोयले की खदान में से हीरा ढूँढ निकालते हैं, खारे समुद्र में गोता लगाकर मोती वटोर लाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व, विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करने वाला साहित्य कही न कही काम चलाऊ मात्रा में प्राप्त न किया जा सके, इसी को घरों में अवकाश के समय, पढने की, सुनने की व्यवस्था होनी चाहिये, यह सामग्री विवेचन परक भी हो सकती है और कथा प्रसंगों से सम्बन्धित भी, दोनों पक्ष उपयोगी हैं, जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को बढा सकते हैं।

छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को बढाने में परिवार के सदस्यों के विचार विनिमय का बड़ा महत्व हैं, छात्रों की आवश्यकता अनुरूप विचार विनिमय का क्रम चलता रहना चाहियें, वार्तालाप एवं परामर्श मात्र भौतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ही नहीं होते रहना चाहियें, वार्तालाप शैक्षिक उपलब्धि एवं चिन्तन और चरित्र में अपेक्षाकृत कैसे अधिक सुधार तथा विकास किया जा सकता हैं, इसमें भिन्न–भिन्न छात्रों के लिये उनकी स्थिति, मानसिक स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अलग–अलग प्रकार के परामर्श आवश्यक हो सकते हैं, हर छात्र की समस्याओं अलग–अलग होती हैं, हर छात्र को अपनी स्थिति के अनुरूप प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर करने वाला व्यवहारिक परामर्श आवश्यक होता है, मात्र सिद्धान्तों की चर्चा या विवेचन भर कर देने से काम नहीं चलता, इसके लिये भिन्न–भिन्न स्तर का परामर्श, मागदर्शन चाहियें, उसे समय–समय पर उपलब्ध कराते रहना परिवार के प्रभावशाली सदस्यों का काम है।

इस सन्दर्भ में एक बडी कठिनाई यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सुधार के सम्बन्ध में दूसरों का परामर्श रास नहीं आता है, इसमें वह अपना अपमान समझता है, जबकि सभी की मान्यता हैं, कि दुनिया में डेढ अक्ल है, जिसमें एक उसकी और शेष आधी समस्त ससांर की, अपने को हर कोई सर्वेसर्वा समझता है, सुयोग्य समझता है, कोई जब उसकी समीक्षा करता हैं, तो उसे इसमें अपना अपमान लगता है, और बताने वाले को अपना विरोधी विद्वेशी मान बैठता हैं, इस मनोवैज्ञानिक कठिनाई से वचने का एक ही उपाय है, कि सीधी शिक्षा न देकर किसी अन्य की घटना का सन्दर्भ देते हुये, उसे तथ्य से अवगत कराया जाय, यह कार्य कहानियों, संस्मरणों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह हो सकता है, वह उपलब्ध न हों तो विवेचनात्मक पुस्तकों के, वे अंश विशेष अनुरोध करके पढाये, सुनाये जा सकते हैं, जिससे छात्रों की निजी शैक्षिक उपलब्धि की समस्याओं पर सार्वजानिक रूप से प्रकाश डाला गया है, विवेचनात्मक अंश, ऐसे लेखकों के हों, जो प्रामाणित एवं सर्वमान्य हों जैसे गीता, महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि इन उपदेशों में से श्रीकृष्ण के स्थान पर अपने या अन्य किसी लेखक के विचार उपदेश कहकर छात्रों को सुनाया जाय, तो शायद इन उपदेशों के प्रति छात्रों को संशय हो

सकता है इसी प्रकार गीता, महाभारत के उपदेशों की तरह अन्य प्रसंगों को सर्वमान्य रूप से सुनाया जाय।

परिवार के लोगों द्वारा दिये गये उपदेशों के सम्बन्ध में यह कहावत है कि " घर का जोगी जोगडा अन्य गॉव का सिद्ध वाली कहावत सिद्ध होती है जिन लोगों को साथ–साथ परिवार में रहना होता हैं, उन्हें अपने परिचय के कारण सामान्य समझा जाता हैं और महत्व नही मिलता, इस कठिनाई से पार पाने का यही तरीका ठीक हैं जो सुधार या परिवर्तन घर वालों द्वारा कराये जाने हैं, उनके सम्बन्ध में आवश्यक शिक्षा स्वंय के विचार न बताकर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का मन्तव्य बताया जाना चाहिये, जिसे छात्र सर्वमान्य रूप से अंगीकार करते हैं।

हमारे देश में परिवार दो प्रकार के प्रायः होते हैं, एक प्रकार के परिवार जिनमें माता–पिता, दादा–दादी, चाचा–चाची सभी मिलकर रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। दूसरे परिवार एकल परिवार कहलाते हैं। एकल परिवार में बच्चे एवं उनके माता–पिता ही आते हैं। संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एकल एवं संयुक्त परिवार के शिक्षित होने का प्रभाव इन परिवारों के छात्रों की शिक्षा पर पड़ता हैं, जैसे कि अधिकारी वर्ग के परिवारों के सभी सदस्य चाहे, वे संयुक्त परिवार के हों या एकल परिवार के सभी सुशिक्षित होते हैं। जिसकी प्रेरणा उनके (बालक) छात्र स्वतः वातावरण से प्राप्त करते हैं, और जीवन में अपना ध्येय निर्धारित करते हैं, कि हम भी अपने माता–पिता के समान अधिकारी बनेगें, और वह शिक्षा में अधिक रूचि लेकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के हमेशा प्रयास करते हैं। अधिकारी वर्ग अपने (छात्रों को) बालकों को अपने से ऊँचे स्तर के अधिकारी बनाने का प्रयास करते हैं, और बालकों को अच्छे शिक्षण सस्थानों में, शिक्षा एवं अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों में, प्रवेश के लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों में पूर्व तैयारी के लिये प्रवेश दिलाते हैं, यह प्रशिक्षण निजी क्षेत्र के अच्छे योग्य शिक्षकों द्वारा, विभिन्न सेवाओं के लिये, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये दिये जाते हैं।

अधिकारी वर्ग के परिवारों के पश्चात् व्यापारी वर्ग के परिवार आतें हैं, जिनमें अधिकांश संयुक्त परिवार होते हैं, जिनमें परिवार के सभी लोग सम्मिलित रहकर व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के लिये, यह अच्छी शिक्षा ग्रहण किये हुये होते हैं, किन्तु इनके पास इतना समय नही रहता हैं, कि वह अपने बच्चों की शिक्षा–दीक्षा पर विशेष समय, खर्च कर सकें, फिर भी यह अपने छात्रों की शैक्षिक गतिविधियाँ पर विशेष ध्यान देकर, शिक्षित कराने के लिये, व्यवस्थायें एवं परिस्थितियाँ अपने छात्रों को उपलब्ध करवाते हैं, यह अपने छात्रों को बडें बडें शहरों में चलने वाली कोचिंग कक्षाओं में, एवं अच्छे स्कूलों में पढने के लिये भेजते हैं। चाहे इनका शिक्षा पर कितना ही अधिक धन क्यों न खर्च हो, और यह अपने छात्रों को अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओ की तैयारी के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने की, आवश्यक परिस्थितियों को जुटाने का प्रयास करते हैं, इस वर्ग के परिवारों के छात्र व्यवसायिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने में अग्रणी होते हैं, वह योग्यता की उत्तरजीविता के सिद्धांत का अनुशरण करते हैं, जो अधिक शिक्षा–दीक्षा में योग्य होते हैं, वह इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशानिक अधिकारी, बनते हैं। तथा जो पढने में, शिक्षा–दीक्षा में कमजोर होते हैं, वह अपने माता–पिता, अभिभावकों एवं परिवार के साथ व्यवसाय में योग्यता हासिल करके व्यवसाय करने लगते हैं।

व्यापारी वर्ग के पश्चात् तीसरे प्रकार में वह परिवार आते हैं, जिनमें मध्यम श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, इन परिवारों के अभिभावक पढें लिखे, शासकीय एवं निजी क्षैत्र के उपक्रमों में सेवा करते हैं, यह अपना छात्रों की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व समझते हैं, वह अपने बालको कों अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, पर शासन की परिस्थितियाँ, शिक्षा पद्धति एवं मंहगें विद्यालयों – जिनमें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय पब्लिक स्कूल आते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से अधिक महंगे होते हैं, यह अपने छात्रों को इन विद्यालयो में पढाने की उत्कट इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक बोझ को सहन नही कर सकते हैं, इस कारण वह अपने छात्रों को शासकीय एवं हिन्दी माध्यम के अध–कचरे, सुविधा हीन विद्यालयों में शिक्षित करवाने के लिये बाध्य होकर प्रवेश दिलवाते हैं, इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर मध्यम श्रेणी के परिवारों के छात्र आधी–आूधरी शिक्षा ग्रहण कर अभिभावकों के समान मध्यम श्रेणी के कर्मचारी बाबू

ही बन पाते हैं, वह ऊँचे व्यवसायिक प्रशिक्षण से अर्थाभाव के कारण वंचित रह जाते हैं।

मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ही, मध्यम श्रेणी के व्यापारी भी, इसी भावना के शिकार रहते हैं, और उनके बच्चें (छात्र) अच्छे व्यवसायिक प्रशिक्षणों से वंचित रहते हैं, और पढें लिखे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के पश्चात एक बड़ा वर्ग, किसान, खेतीहर मजदूर, श्रमिक लोगों का होता हैं, जिनमें शिक्षा के प्रति विशेष रूचि नहीं होती हैं, यह कई कारणों से शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण इनकी गरीबी, शिक्षा के साधनों की कमी, आवागमन की उचित सुविधाओं आभाव होता है, एवं शासन की सुविधाओं का इन परिवारों को ज्ञान नहीं होता है।

भारत कृषि प्रधान देश है, यहां कि लगभग 80% जनता ग्रामों में निवास करती है, ग्रामीण जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है, ग्रामों में शिक्षा की सुविधायें पर्याप्त नहीं होती है, उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक, उ0मा0 स्तर की शिक्षा के लिये विधालयों की कमी होती है, 20 कि0 मी0 क्षेत्र तक कोई भी उ0मा0वि0 स्तर का विद्यालय आज भी नहीं है, महाविद्यालयों की स्थिति और अधिक दयनीय है, जिले में एक या दो महाविद्यालय उच्चशिक्षा के लिये जिला या तहसील मुख्यालय पर हैं, जिनमें शिक्षा के निर्धारित मानदंड अनुसार प्रवेश दिया जाता है, प्रवेश हेतु स्थान सीमित रहते हैं। जिससे दूरदराज के गांवों के छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, और वह अपने गांव के प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर पाते हैं।

कुछ ही छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पश्चांत् माध्यमिक एवं उ0मा0स्तर की शिक्षा के लिये विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्थित उ0मा0वि0 में प्रवेश ग्रहण करते हैं, इस प्रकार प्राथमिक स्तर के 10 विधार्थियों में से एक ही छात्र उ0मा0वि0 स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है, महाविद्यालय की शिक्षा से सभी वंचित रहते हैं।

अतः ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, साथ ही गरीबी के कारण, छात्र अपने माता–पिता के व्यावसाय में हांथ बटाने का कार्य करने लगते हैं, और पढ़ाई छोड देते हैं, जिससे राष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से अपूरणीय क्षति होती हैं, शासन को चाहिये, कि वह मा0, उ0 मा0 स्तर पर, होने वाले अपव्यय, अवरोधन को दूर करने के लिये कारगर उपाय करे।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय की प्रधानता होती है, कृषि कार्य के अतिरिक्त वहां पर उद्योग धन्धें, कारखाने नहीं पाये जाते हैं, किसानों के परिवार अधिकाशतः अशिक्षित या कम पढे होते हैं, इन परिवारों के छात्र बहुत ही कम ऐसे होते हैं, जिनकों शिक्षा प्राप्त करने के लिये पर्याप्त सुविधायें मिल पाती हैं, शेष अधिकांश छात्र तो अपने परिवार के साथ, कृषि कार्य करने में लगे रहते हैं, उनके परिवार के मुखिया का ध्येय, भी यही रहता है, कि परिवार के सभी सदस्य, अधिक से अधिक उसके कृषि कार्य में सहयोग करें।

वैसे भी कृषि में अधिक श्रम एवं मानवीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसान अपने बच्चों को केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने का अवसर देते हैं, उसके बाद बच्चों की शादी कर दी जाती है, और वह श्रम करने में लग जाते है, छोटी उम्र से श्रम करने के कारण, वह अपने शरीर का विकास नहीं कर पाते हैं, न ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।

ग्रामीण, श्रमिक, मजदूर वर्ग के परिवारों के लोगों की अर्थिक स्थिति बहुत ही खराव होती है, वह तो 8–10 वर्ष के बालकों से मवेशी चरवाने का काम करवाते हैं, 5–6 वर्ष मवेशी चरवाने के पश्चात जैसे ही वह 15 वर्ष के होते हैं, खेती का काम करवाने लगते हैं, और बडे किसानों के यहाँ मासिक मजदूरी पर लगा देते हैं, इस प्रकार ग्रामीण मजदूरों के परिवारों के बच्चे 6–7 वर्ष से ही श्रम करने लगते हैं, जो उम्र उनकी शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उस उम्र में आर्थिक तंगी एवं रूढ़िवादिता, कुप्रथाओं, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण, शिक्षा एवं बचपन के उल्लास से दूर, बालश्रम में लगकर पूर्ण जीवन

को बधुआ, मजदूर के रूप में खो देते हैं।

राजनेता, अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, खेतिहर मजदूर, के अलावा हमारे देश में धुमक्कड परिवार पाये जाते हैं जिनमें लोंगडिया, भील, वंजारे, कबूतरा, नट आदि आते हैं जो वर्ष भर धूमते रहते हैं यह स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते हैं, इनकों शासन द्वारा स्थायी रूप से रहने के लिये खेती एवं आवास की व्यवस्था भी की गई, लेकिन रोजगार व्यवसाय के कारण, यह वर्ष भर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, इन परिवारों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हैं, यह सबके सब कई पीढ़ियों से आज तक अशिक्षा को, बढ़ावा देते आ रहे हैं, इनकी शिक्षा के लिये शासन से प्रयास जरूरी है।

"मातायें बालकों की आदर्श गुरू होती हैं, और परिवार द्वारा प्राप्त शिक्षा स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होती है, घर एक शिक्षा संस्था है, और माता पिता सच्ची शिक्षा का श्रोत"

फ्रोबेल एवं पेस्टालॉजी,

छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कई कारकों से निर्धारित होती है, जैसे बालक की जन्मजात शक्तियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नतायें, रूचि, योग्यता, क्षमतायें एवं वंशानुक्रम एवं परिवार द्वारा निर्मित वातावरण, शैक्षिक प्रक्रिया को सर्वोच्च करने के लिये, परिवार द्वारा प्रदत्त परिस्थितियाँ जिनमें शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक प्रेरणायें प्रमुख हैं।

कोई बालक जन्म लेता है, जन्म के समय उसके माता पिता के आनुवांशिक गुण उसमें आनुवांशिक कारक (जीन्स) द्वारा निर्धारित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, यदि मात पिता की शैक्षिक उपलब्धि उच्च है, तो अनुवांशिक लक्षणों के अनुसार, उसकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है यदि उसके परिवार की पारिवारिक परिस्थितियाँ, अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं, तब यह सम्भव है, यदि उसके आनवांशिक गुण उच्च हों और पारिवारिक

मित्तल एम. एल. :– " शिक्षा के सिद्धान्त" दया प्रिटिंग प्रेस, साकेत मेरठ

वातावरण में असमानता, असंन्तुलन, उदासीनता, कलह, अपराध की प्रवृत्ति, अथार्त शैक्षिक अनुकूलता का वातावरण नहीं हैं, तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, आनुंवाशिक गुणों की उपस्थिति में भी प्रतिकूल वातावरण होने के कारण गिर जाती है, अतः प्रत्येक परिवार को, शिक्षण संस्था को, छात्र हित में, उपयुक्त मानसिक वातावरण उत्पन्न करने पर, विशेष ध्यान देना चाहिये, उचित मानसिक वतावरण में ही सीखने की क्रिया को, भलीभांति व्यवस्थित किया जा सकता हैं। मानसिक वातावरण के अन्तर्गत शाला, पुस्तकालय, गोष्ठी और संघ आते हैं, इन सभी की उचित व्यवस्था बालकों के मानसिक विकास में पूर्ण योग देती हैं उचित मानसिक वातावरण, छात्रों को प्रदान करने से, सीखने की क्रिया भलीभाँति होती हैं, और छात्र अनजाने में ही बहुत सी बातें सीखता है।

शिक्षण संस्थाओं में उपयुक्त मानसिक वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, विद्यालय का पुस्तकालय अच्छे साहित्य से भरपूर होना चाहिये, वहां पर ऐसी पुस्तकों का भरपूर भंडार हो, जिनके अध्ययन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो सके, इसी प्रकार विज्ञान के विषयों की प्रयोगशालायें, उपकरणों, यंत्रों से भरपूर हो, तथा यंत्रों उपकरणों के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक सामग्री, रख रखाव की व्यवस्था होना चाहिये तथा प्रयोग शालाओं को आकर्षक ढ़ंग से सजाया जाना चाहिये, जिससे छात्र विज्ञान की शिक्षा के लिये आर्कषित हों, तथा विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धान्तों को प्रयोगशाला में परीक्षणों के द्वारा सिद्ध कर आत्मसात करें, इस प्रकार विद्यालय के शैक्षिक कार्यकलापों के साथ–साथ पाठ्यसहगामी क्रियाये जैसे भाषण, वादविवाद, साहित्यिक गोष्ठी, संगीत कार्यक्रम, लोकगीत, कवि सम्मेलन, नाटक, खेलों का आयोजन होना चाहिये।

परिवार के दादा–दादी, माता–पिता, भाई, वहिन, छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करते हैं, आने वाली (भावी) पीढ़ियों को अपनी पूर्व संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराते हैं, यह सांस्कृतिक धरोहर वंशानुक्रम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होती है। यह समाज के रीतिरिवाज, परम्परा, भाषा, साहित्य, शिष्टाचार और जातीय दर्शन के द्वारा संचारित होती हैं।

किसी भी परिवार, समाज, जाति का एक निश्चित दर्शन, तथा सामाजिक विरासत होती है, जिसे वह आगामी पीढ़ी में संक्रमित करता है, और आगामी पीढ़ी को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, प्रत्येक स्तर पर सांस्कृतिक हस्तान्तरण में, संस्कृति में, कुछ न कुछ जुडता जाता है, संस्कृति का विकास होता जाता है, सांस्कृतिक सुधार होता जाता है, संस्कृति की उन्नति होती है, अतः छात्रों की शिक्षा के साथ–साथ, उनकी पूर्व संस्कृति को ध्यान में रखकर परिवार में ऐसा वातावरण प्रदान किया जा सकता है, जिससे छात्र अपनी शैक्षिक उपलब्धि को बढाने में अपनी संस्कृति से लाभाविन्त हो सकें, छात्रों को जातीय इतिहास की, वीरता पूर्ण कहांनियाँ, ग्राम कथाओं, साहित्य एवं कविताओं और परिवार के सदस्यों की शैक्षिक उपलब्धियों को बताया जाना चाहियें, जो उनकों शिक्षा के प्रति प्रोत्सांहित कर सकें।

परिवार विद्यालय का छोटा रूप माना जाता हैं, जहां माता पिता शिक्षक का कार्य करते हैं, एवं घर विद्यालय या संस्था होता है, तथा सामाजिक धरोहर पाठयक्रम का रूप हो सकता है, जो कि छात्रों को अनवरत रूप से अपनी शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत करने के लिये प्रेरणा श्रोत का कार्य करते हैं यह समय सीमा विहीन पाठयक्रम होता है, जो जाने अनजाने में अनवरत शिक्षा प्रदान करता है।

शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक परिस्थितियाँ :–

" समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का सम्बन्ध है, किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता हैं, और इस व्यवस्था का स्वरूप, समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है"

–बॉयड एच बोड

समाज का स्वरूप जिस प्रकार का होगा, समाज में जिस प्रकार की व्यवस्थायें होंगी, शिक्षा की व्यवस्थायें भी उसी प्रकार की होंगी एवं शिक्षा का स्वरूप समाज

चौबे डॉ सरयू प्रसाद :– " शिक्षा के दार्शनिक, समाजिक एवं एतिहासिक आधार"

के स्वरूप के अनुसार होगा – अथार्त समाज एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, एवं शिक्षा समाज को प्रभावित करती है।

समाज की प्रकृति एवं आदर्शों, आर्थिक दशाओं, राजनैतिक दशाओं, धार्मिक दशाओं, सामाजिक दृष्टिकोणों एवं सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर पडता है। समाज ही शिक्षा के लिये विद्यालयों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक शिक्षा, प्रोढो की शिक्षा व्यवस्था करने का दायित्व निर्वहन करती है।

शिक्षा एवं समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षा एवं समाज में अटूट संबध है।

" किसी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलाती है जिस प्रकार समाज बदलता है"

– ओटोवे

सामाजिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आता है, समाज में संस्कृति तथा जीवन विधि का जो स्वरूप होता है, उसी के अनुरूप, उस समाज की आवश्यकता होती है, उन्ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उस समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ–साथ शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होती हैं।

समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबधों की, व्यवस्था को कहा जाता हैं, मनुष्य समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबधों में बधें रहते हैं, सामाजिक संबध किस प्रकार के होंगे, अथार्त उनका पारस्परिक व्यवहार किस प्रकार का होगा, इस संबध में प्रत्येक समाज में कुछ निमय पाये जाते हैं, प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रतिमान

होते हैं, अथार्त प्रत्येक समाज के कुछ नियम, प्रतिमान, संस्कृति, आदर्शमूल्य एवं जनरीतियां, प्रथायें तथा परम्परायें होती हैं, जो उस समाज की शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं।

समाज मनुष्यों का एक ऐसा संगठन हैं, जिसमें मनुष्यों के पारस्परिक संबधो में कुछ व्यवस्था पाई जाती है।

" समाज एक प्रकार का समुदाय या समुदाय का भाग है, जिसके सदस्यों को, अपने जीवन की विधि की सामाजिक चेतना होती है, और जिनमें सामान्य उद्देश्यों और मूल्यों के कारण एकता होती है, वे किसी न किसी संगठित ढ़ंग से एक साथ रहने का प्रयास करते हैं, किसी भी समाज के सदस्यों की, अपने बच्चों के पालन–पोषण करने और शिक्षा देने की निश्चित विधियाँ होती हैं।"

ओटावे

" किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय–समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है"

ओटावे

अर्थात शिक्षा एवं समाज के बीच अटूट संबध है, समाज में संस्कृति एवं जीवन–विधि का जो स्वरूप होता है। उसी के अनुरूप उस समाज की आवश्यकतायें होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उस समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ–साथ शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।

समाज का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है, समाज की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियों का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही समाज शिक्षा व्यवस्थायें करता है, शिक्षा एवं समाज का घनिष्ट संबध हैं, विभिन्न प्रकार के समाज में शिक्षा व्यवस्था भिन्न–भिन्न होती है।

चौबे डॉ सरयू प्रसाद :– " शिक्षा के दार्शनिक, समाजिक एवं एतिहासिक आधार"

प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में, धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था, लोग धार्मिक कट्टरता को महत्व देते थे, इस कारण तत्कालीन शिक्षा का स्वरूप धार्मिक हुआ करता था, शिक्षा के द्वारा बालकों को धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी, बालकों के धार्मिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था।

गुरूकुल प्रणाली में शिक्षा ग्रहण करने के लिये बालकों को धार्मिक गुरूओं के आश्रम में जाना पड़ता था, वहीं शिष्य के रूप में छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुरू के आश्रम में रहकर धार्मिक, नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा के साथ–साथ श्रम की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

आधुनिक समाज में धर्म की अपेक्षा, विज्ञान को विशेष महत्व प्रदान किया जा रहा है, ज्ञान के भंडार एवं विस्फोट के कारण, आधुनिक समाज में शिक्षा के द्वारा, छात्रों को ज्ञान के विपुल भंडार से परिचित कराना, मुख्य लक्ष्य हो गया है। शिक्षा के द्वारा छात्रों में चिन्तन, तर्क तथा निर्णय आदि मानसिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जा रहा है। धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है कुछ सकीर्ण विचारधारा वाले समाजों में आज धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा के लिये विद्यालय स्थापित किये गये है जो धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ–साथ, विज्ञान के विषयों की भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

शिक्षार्थियों को यह अधिकार एवं स्वतंत्रता है कि वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें, किस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा हेतु प्रवेश ग्रहण करें, भारत में लोकतंत्र हैं, समाज को पूर्ण स्वंत्रतता हैं, कि वह अपने छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करें, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे विशाल एवं अनेकता में एकता वाले देश में, विभिन्न प्रकार के समाज एवं जातियाँ पाई जाती हैं, यह समाज एवं जातियाँ अपने छात्रों की शिक्षा के लिये विशेष प्रकार के विद्यालय स्थापित करती हैं, यहां विदेशी सहायता से संचालित पब्लिक स्कूलो से लेकर, विभिन्न समाजों एवं जातियों द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ–साथ शासकीय विद्यालय एवं संस्थायें संचालित हैं, जो छात्रों को अपने समाज के अनुरूप नियमानुसार शिक्षा प्रदान करते

हैं, इन संस्थाओं में, विद्यालयों में सभी के लिये, चाहे वह विभिन्न जाति या समाज के हों, शिक्षा की व्यवस्था हैं, अर्थात ओपिन टू आल– सबके लिये शिक्षा की व्यवस्था हैं।

विशिष्ट समाज द्वारा संचालित विद्यालयों सस्थाओं मे कुछ समाज विशेष के पाठ्यक्रमों के साथ–साथ अनविार्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही हैं लेकिन शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में, संस्थाओ में केवल अनिवार्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, धार्मिक विषयों की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, धार्मिक शिक्षा केवल समाज के विशेष अल्पसंख्यक वर्गो द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रदान की जाती हैं, इस प्रकार आधुनिक समाज में शिक्षा का मिला जुला रूप सामने आ रहा हैं, वर्तमान मे आधुनिक समाज कई रूपों में पाया जाता हैं, भौतिकवादी समाज, फासिस्ट समाज, प्रजातांत्रिक समाज, प्रयोजनवादी समाज, आदर्शवादी समाज, हमारे देश में समाज, स्वतत्रता, समानता तथा बन्धुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष सम्मान दिया जाता हैं, प्रत्येक छात्र को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप विकास, चिन्तन, मनन, लेखन, की स्वतंत्रता, प्रदान की गई हैं, एवं शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक होने के कारण छात्रों को अपनी रूचियों, योग्यताओं एवं रूझानों तथा क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती हैं।

जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों के समाज का आधार फासिस्ट प्रकार का हैं, वहां पर समाज में एक व्यक्ति का बल के आधार पर शासन चलता है, शासन का विशेष विरोध करने वालों को केठार दंड प्रदान किया जाता हैं, हिटलर, मुसोलिनी ऐसे ही शासक थे, इन समाजों में शिक्षा का स्वरूप शासक की इच्छा से निर्धारित किया जाता था। शिक्षा बलपूर्वक एवं आदेश द्वारा प्रदान की जाती थी, बालकों को छोटी–छोटी गल्तियों पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार के समाज में प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर प्राप्त नहीं थे, केवल प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाता था।

प्रयोजनवादी समाज में शिक्षा के स्वरूप को परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जाता रहा हैं, अर्थात इस प्रकार के समाज में परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा

के द्वारा नये सत्यों की खोज की जाती थी।

भौतिकवादी समाज में, शिक्षा के द्वारा, व्यक्ति को अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन को उपार्जित करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षा के द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया जाता था।

आदर्शवादी विचार धारा पर आधारित समाज में बालक के चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास पर बल दिया जाता था, इस समाज में विचार तथा बुद्धि को महत्व दिया जाता था, तथा आध्यात्मिक उन्नति को आदर्श समझा जाता हैं।

हमारे देश मे लोकतांत्रिक, आदर्शवादी एवं प्रयोजन वादी समाज का मिला–जुला रूप आधुनिक समाज के रूप में पाया जाता हैं, इस प्रकार के समाज में देश की उन्नति को आधार मानते हुये, विज्ञान के एवं तकनीकी क्षेत्र के विस्तृत ज्ञान भंडार को देखते हुये, शिक्षा में विज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों आदर्शो पर आधारित, नवीन परिस्थितिओं के अनुसार नये मूल्यों एवं नये ज्ञान की खोज की, शिक्षा प्रदान की जाना चाहिये।

क्योंकि समाज की प्रकृति एवं आदर्शों, आर्थिक दशाओं, राजनैतिक दशाओं, धार्मिक दशाओं, सामाजिक दृष्टिकोणों, के परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर पडता हैं, जिससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती हैं।

समाज की प्रकृति का, शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता हैं, यदि समाज की प्रकृति तानाशाह के रूप में हैं, तो छात्रों को अनुशासन, आज्ञापालन एवं आदर्शो की शिक्षा दी जाती हैं, प्रजातांत्रिक समाज में समानता, स्वतंत्रता, वन्धुत्व, सहयोग आदि पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती हैं, छात्रों को अपनी शैक्षिक उपलब्धि का उन्नयन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं।

समाज में प्रचलित धारणाओं का, शिक्षा पर प्रभाव परिलक्षित हो रहा हैं, वर्तमान समय में यह धारणा प्रचलित हैं, कि लडकियों को कौन नौकरी करना हैं, जिसके लिये उन्हें अधिक शिक्षा दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, लडकियों को शादी के बाद अपने घर चला जाना हैं, अतः लडकियों के माँ–बाप, लडकियों की अपेछा लडकों की शिक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यान देते हैं, जिससे लडकियाँ लडकों के बराबर शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, भले ही सरकार की दृष्टि में छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा के लिये समानता का ध्येय हैं, वह छात्राओं को शिक्षा के लिये आरक्षण प्रदान करती हैं, फिर भी समाज में व्याप्त लड़का लड़की की असमानता के कारण बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत बालकों से कम हैं।

शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा पर समाज में व्याप्त राजनैतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता हैं, जैसे कि म0प्र0 में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के सत्ता संभालने पर विद्यालयीन पाठयक्रमों में परिवर्तन करना। कांग्रेस के सत्ताशीन होने पर उसने जनरल प्रमोशन एवं अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। जिससे म0प्र0 के छात्रों की अंग्रेजी विषय में शैक्षिक उपलब्धि निम्न हो गयी थी। जिसका प्रभाव म0प्र0 के छात्रों पर पड़ा और वह अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं में, देश के अन्य प्रान्तों के छात्रों से पिछड गये अन्य प्रान्तों में अंग्रेजी, अनिवार्य विषय के रूप मे पूर्व से ही पढाई जा रही हैं। म0प्र0 में अंग्रेजी, वैकल्पिक विषय के रूप में, पढाई जाती रही, फिर इस को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षानीति के तहत द्वितीय भाषा के रूप में पढाया जा रहा हैं, तथा अंग्रेजी साहित्य विषय के स्थान पर सामान्य अंग्रेजी के रूप में पढ़ाया जाता हैं, इसी प्रकार राजनीति में परिवर्तन के कारण भा0 ज0 पार्टी के शासन काल में, हिन्दी विषय के पाठयक्रमों में से, कुछ महापुरूषों की जीवनी को हटाकर, कुछ विशेष महापुरूषों की जीवनी को विषयवस्तु के रूप में जोड़ दिया गया। अतः तात्पर्य यह है कि राजनैतिक विचार धाराओं से छात्रो के पाठय्क्रम, शिक्षा विषय वस्तु से शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता हैं।

समाज की धार्मिक दशाओं एवं मान्यताओं का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा पर पडता हैं, भारत जैसे विशाल देश में अनेकों धर्मो के लोग निवास करते हैं, सभी

धर्मो के अनुयायी लोगों में अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरता पाई जाती हैं। अपने धर्मो की शिक्षा के लिये यह अपनी संस्थाये संचालित करते हैं, जिनमें धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ–साथ विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती हैं, जिससे छात्रों को धार्मिक एवं अनिवार्य विषयों की शिक्षा के लिये अधिक श्रम करना पड़ता है, जिससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती हैं।

समाज के कुछ लोंग पौराणिक विचारों के रूढिवादी होते हैं, वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, वह अपने बच्चों को रूढिवादी परम्परा के अनुसार अपने पैतृक कार्यो धन्धो में लागाये रहते हैं, जिससे उनके बच्चों को नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता हैं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से देश की उन्नति पर पड़ता है, हमारे देश में पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी, कि शिक्षा केवल उच्चवर्ग के लोग ही ग्रहण करते थे, धीरे–धीरे यह धारणा समाप्त होती जा रही हैं। निम्मवर्ग का समाज भी जागरूक होता जा रहा हैं, और अव वह शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी निम्मवर्ग के लोग उच्चवर्ग के साथ समानता की ओर बढ रहे हैं। निम्नवर्ग एवं उच्चवर्ग के छात्र विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से अपनी–अपनी शैक्षिक उपलब्धि को बढाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से समाज की दशा बदलने के साथ–साथ शिक्षा सम्बन्धी धारणा, नियम तथा विचार भी बदल रहे हैं।

परिवार, स्कूल, समुदाय, धार्मिक संस्थायें, सामाजिक संगठन, व्यावसायिक तथा राजनैतिक संगठन आदि सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिये, तथा आपस में सहयोग करना चाहिये, शिक्षा जैसे अति संवेदन शील, महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाहिये।

" शिक्षा समाज के वयोवृद्ध लोगों का वह प्रयत्न हैं, जिसके द्वारा वे आगे आने वाली पीढी का जीवन अपने आदर्शों के अनुरूप ढ़ालते हैं।

एन्साइबलों पीडिया व्रिटानिका चोदहवे संस्करण"

इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का उद्देश्य किसी समाज के सदस्यों को इस योग्य बनाना है, कि वे सभी सार्थक एवं श्रेष्ठ जीवन जी सकें, आज के शिशु ही कल के समर्थ नागरिक हैं, इसलिये उनके शिक्षण से ही कल श्रेष्ठ, उन्नत नागरिक तैयार हो सकते हैं।

जो समाज शिक्षा का कोई श्रेष्ठ स्वरूप सभी सदस्यों के लिये विकसित नहीं कर पाता, वह उन्नत समाज नही वन पाता, जो बच्चे श्रेष्ठ एवं सार्थक जीवन जीना नहीं सीख सकते वे कभी भी उज्वल भविष्य के स्वामी भी नहीं वन सकते।

प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों से प्यार करता है उसका भविष्य उज्वल–उज्वलतर हो इस हेतु प्रयासरत रहता है। किन्तु बच्चों के उज्वल भविष्य की उसकी कल्पना क्या हैं यह उसके द्वारा अपने बच्चों को दी जा रही शिक्षा की प्रक्रिया एवं पद्धति को देखकर जाना जा सकता हैं।

इन दिनों हर पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कहने में नहीं चूकता कि बच्चे ही भविष्य हैं, किन्तु वह बच्चों के चरित्र बनाने में कोई रूचि नहीं रखता, यह देखने मे नहीं आता, बच्चे ही भविष्य हैं, और भविष्य उज्वल, श्रेष्ठ समुन्नत बनाना हैं, तो बच्चों के व्यक्तित्व को वैसा बनाने के अधिकाधिक प्रयास किये ही जाने चाहिये और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बच्चों की शिक्षा का स्वरूप ऐसा निर्धारित किया जाना चाहिये, कि वह उनमें श्रेष्ठ संस्कारों को, उत्कृष्ठ भावनाओं को उदात्त चिन्तन और पवित्र आचरण की प्रवृत्तियों को विकसित करें।

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग, निश्चय ही पाठशालायें हैं, और उनके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन भी आवश्यक है, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता की बात कही तो सर्वत्र जाती है, किन्तु स्कूल शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की कोई स्पष्ट स्थिति अभी तक विर्निमित नहीं हो सकी है, जो लोग स्वयं ही शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति,

---

एन्साइबलों पीडिया व्रिटानिका चोदहवे संस्करण"

शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थायें तथा शिक्षा के मानदण्ड गठते हैं, बनाते हैं और चलाते हैं, वे ही उसी शिक्षा पद्धति को कोसते धिक्कारते हैं, तथा परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं, इस पर भी परिवर्तन होता नहीं दिखता, तो समझा यही जाना चाहिये, कि यह अपूर्ण पहेली अभी सुलझने वाली नहीं है, स्कूली शिक्षा के ढर्रे को बदलने में अभी समय लगेगा, किन्तु स्कूली शिक्षा पर सारा दोष डालकर कोई भी अभिभावक मुक्त नहीं हो सकता, या तो इस पद्धति के निमार्ण में भी एक मतदाता, नागरिक और प्रवुद्ध व्यक्ति के नाते किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति का हाथ समझा जाना चाहिये, किन्तु जनसामान्य को उस शिक्षा पद्धति के लिये प्रत्यक्षतः अधिक जिम्मेदार न भी माना जाये, तो भी अपने बच्चों की शिक्षा–दीक्षा का प्रधान दायित्व अभिभावकों पर ही है। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का एक मात्र माध्यम स्कूल नहीं हैं, एक वर्ष या एक दिन में कुल मिलाकर कितने समय बच्चे स्कूल में रहते हैं, स्कूल से अधिक समय वह अन्यत्र विताते हैं, घर, पास पडोस, मुहल्ले और समाज में भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है, वह मात्र पाठशाला तक सीमित नहीं होती, इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहियें।

बच्चे की मानसिकता का, प्रवृत्तियों का, और सस्कारों का, निर्माण मात्र पाठशाला में नहीं होता, इससे कहीं अधिक वह निर्माण अन्यत्र होता है, शाला के बाहर के वातावरण का प्रभाव शाला में कतई कम नहीं होता, इसलिये छात्रों के शिक्षण को शाला तक सीमित समझने की भूल नहीं की जानी चाहिये, और शालाओं पर दोष डालकर स्वयं को भारमुक्त समझ बैठने का भ्रम नहीं पालना चाहिये, बच्चों में संस्कार पनप रहे हैं, उनकी जो मानसिकता उभर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी माता पिता एवं पास पडोस पर अधिक हैं शाला एवं विद्यालयों पर कम है, जैसा कि प्रारम्भ में उद्धत एनपसाइक्लोमीडिया व्रिटानिका की परिभाषा से स्पष्ट है।

शिक्षा समाज के प्रोढ परिपक्व लोंगों का वह प्रयत्न हैं, जो बच्चों के संस्कार विनिर्मित करती है, यह प्रयत्न शालाओं तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि शालेय शिक्षा के स्वरूप के निर्माता राजनेता एवं शिक्षा शास्त्री तथा उस शिक्षा को प्रदान करने वाले अध्यापक

लोंग भर ही समाज के प्रोढ़ परिपक्व सदस्य नहीं हैं। अपितु हर माता पिता और सामान्य नागरिक भी समाज के उतने ही महत्वपूर्ण प्रोढ सदस्य हैं, और बच्चों के संस्कार निर्माण की दिशा में उनके द्वारा किये गये प्रयत्न भी शिक्षा के अन्तगर्त आते हैं।

शिक्षा, मात्र शाला में नहीं दी जाती हैं, वह घर, मुहल्ले, पास पडोस में भी दी जाती है, और स्कूली समय में ही नहीं, दिनभर चलती रहती है, इसलिये जो भी लोग अपने बच्चों का और अपने सम्पूर्ण समाज का भविष्य उज्वल देखना चाहते हैं, उन्हें स्वयं अपने द्वारा दी जा रही शिक्षा को उन्नत बनाना होगा, बच्चों के सामने हम स्वंय अपने आचरण का कैसा प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिये कितने सजग रहते हैं, उसमें अन्तर्निहित दिव्यताओं, उत्कृष्टताओं को उभारने, संवारने के लिये कितने और किस स्तर के प्रयास करते हैं, यह सब शिक्षण का ही अंग हैं, अतः प्रत्येक जिम्मेदार मात–पिता एवं प्रवुद्ध नागरिकों को बच्चों के सत शिक्षण, सत्संस्कार, सम्वर्द्धन के वे प्रयास तो तत्काल ही आरम्भ कर देने चाहिये, जो उनके अपने हाथ में हैं, बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार डालना ही उत्कृष्ट एवं वास्तविक शिक्षण है, और यह शिक्षण वडी सीमा तक शाला के बाहर ही होता है, सामाजिक उत्कृर्ष की जड़े मुख्यतः इसी शिशु शिक्षण में हैं, व्यक्ति निमार्ण का जितना अधिक श्रेष्ठ वातावरण परिवार एवं समाज में होगा, शिशु का व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होता जायेगा, और उसी सीमा तक समाज के निर्माण के उत्कर्ष के पथ प्रशस्त होते जायेंगें, शाला या विद्यालयीन शिक्षा के स्वरूप को बदलने के प्रयास तो चलाने ही चाहिये, साथ ही घर, परिवार एवं समाज के द्वारा प्रदान किये जाने वाले शिक्षण की ओर उससे कम नहीं, अधिक ही ध्यान देना चाहिये, तभी समाज में सुयोग्य नागारिकों की संख्या बढ़ेगी।

छात्रों के लिये, बच्चों के लिये, अभिभावकों द्वारा घर में दिया गया, प्रशिक्षण, पाया गया प्रशिक्षण, जहां विकास की नीवं विनिर्मित करता है, वहीं महल बनाने का काम विद्यालयों पर आ पड़ता है।

" स्कूल मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान देने वाली संस्था नही होना चाहिये, यथार्थ में इसका कार्यक्षेत्र व्यापक है, मजबूत नीव पर भव्य महल बन जाने के बाद इसकों चमचमाते कगूंरो से सुशोभित करने का कार्य, सामाजिक परिवेश और समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाली विभूति द्वारा सम्भव होता है।"

शिक्षा विद प्रो लिस्टर के अनुसार स्मिथ

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर चलती रहती है, बालक को सर्वप्रथम शिक्षा अपने माता पिता से प्राप्त होती है, इसके बाद समाज विद्यालय तथा अन्य समितियाँ यह कार्य करती हैं, शिक्षा प्राप्त करके ही बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों और आचरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है।

बालक समाज में जन्म लेता हैं, बडा होता है, विकसित होता है, समाज का प्रभाव बालक की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता हैं, समाज में पाई जाने वाली अच्छाईयाँ एवं बुराईयाँ बालकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, समाज के आदर्श, मूल्य, आचरण, प्रतिमान, से छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है यह छात्रों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते हैं।

" व्यक्ति एवं समाज की उन्नति, वुद्धि पर निर्भर करती है, और वुद्धि मानसिक शक्ति और ज्ञान पर निर्भर करती हैं, अतः शिक्षा का प्रथम कार्य ज्ञान का प्रसार करना है"

पो0 वार्ड

ज्ञान के द्वारा ही शैक्षिक उपलब्धि बढ़ती हैं, विकसित राष्ट्रों का मूल आधार, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षित मानवीय शक्ति हैं, जिसके कारण वह राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुँच रहे हैं।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा का नियोजन एवं विकास समाज की

वशिष्ठ, डॉ के. के. :– " विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्याऐं"

सामाजिक चेतना के आधार पर किया जाना चाहिये, तथा व्यक्ति की सामाजिकता के महत्व पर बल दिया जाना चाहिये, व्यक्ति की सामाजिकता, सामाजिक चेतना का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता हैं।

समाज की सामाजिक चेतना से ही शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के औपचारिक साधन तथा अनोपचारिक साधन, समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविजन, सिनेमा, पुस्तकालय, प्रेस, कम्प्यूटर आदि का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में योगदान होता हैं।

शैक्षिक उपलब्धि छात्रों एवं शिक्षकों तथा पाठ्यक्रम तीन प्रमुख तत्वों के साथ–साथ, छात्रों एवं शिक्षको के बीच शासन समाज द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की अन्तः क्रिया का परिणाम होती हैं। शासन, समाज के द्वारा निर्धारित, समाज एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं राष्ट्र की उन्नति के लिये, विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लिये, पाठयक्रम का निर्माण शासन की विभिन्न ऐजेन्सियों जैसे केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड एवं प्रान्तों में मा. शिक्षा मण्डल अपने पाठयक्रमों का निमार्ण करते हैं, इन पाठ्यक्रमों को शिक्षक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के उचित उपयोग के साथ छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं, शिक्षण के लिये निर्धारित समयाविधि में पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता हैं, इसके पश्चात केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं प्रान्तीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलों द्वारा, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का शिक्षकों द्वारा पूरे शिक्षण सत्र में पढाये गये पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता हैं, मूल्यांकन के पश्चात परीक्षा परिणाम के द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता हैं।

शैक्षिक उपलब्धि पर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक पाठ्यक्रम, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय मे उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं छात्रों के स्तर का प्रभाव पड़ता हैं, इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षक उपलब्धि पर समाज, शहर, गाँव एवं समाज की विचार धाराओं, समाज के उद्देश्यों, सामाजिक संगठन, संस्कृति, सामाजिक प्रगति का शैक्षक

उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता हैं।

समाज अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती हैं पाठ्यक्रम का निर्धारण उद्देश्यों के अनुसार किया जाता हैं, समाज के समूह, परिवार, विद्यालय जाति, राज्य अन्य समितियाँ और समुदाय समाज के ये सभी अंग बालकों की शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं।

समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं तथा आदर्शो एवं प्रतिमानों के अनुरूप ही विद्यालय का स्वरूप तथा कार्य समाज द्वारा निर्धारित होता हैं।

समाज की आवश्यकताओं के कारण चारों ओर सार्वजानिक स्कूल खोले गये हैं, सबके लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को सोपी गई हैं, प्रोढ़ों को शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रोढ़ शिक्षा आन्दोलन शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोढ़ो में ज्ञान लाभ की आकांक्षा जागृत करना हैं, गावों में जो जड़ता स्वाभबिक रूप से परिलक्षित होती हैं, उसके कारण नये ज्ञान, लाभ की आकांक्षा जागृत नहीं होती हैं, प्रोढ लोग यह भी कहा करते हैं, कि अब तो उनकी इतनी उम्र हो गई है, वूढे हो गये हैं, अब पढकर क्या करेगें।

किन्तु ज्ञान की आवश्यकता संस्कारों के निमार्ण के लिये हैं यह संस्कार मनुष्य के साथ जन्म जन्मातर तक रहते हैं, जिस प्रकर आज का याद किया हुआ रात्रि की गहरी निद्रा के बाद दूसरे दिन भी मस्तिष्क में बना रहना हैं, उसी प्रकार इस जीवन में प्राप्त ज्ञान की संस्कार रूप में स्मृति रेखायें अगले जन्मों में भी मस्तिष्क मे बनी रहती हैं, पूर्व जन्म में मनुष्य का संचित ज्ञान अगलें जन्म में अव्यक्त होता हैं, शिक्षित, संस्कार वान प्रोढ अपने परिवार के छात्रों को शिक्षित एवं संस्कृति का हस्तातंरण करते हैं, अतः प्रोढों के शिक्षित होने का लाभ आने वाली पीढी को प्राप्त होता हैं, प्रोंढो से भावी पीढ़ी बहुत कुछ सीखती हैं, प्रोंढ एवं समाज के होने वाले व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों

जैसे– समाचार पत्र पढना, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढना, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, सामूहिक सफाई कीर्तन, भाषण, प्रवचन, सामूहिक प्रार्थना के द्वारा भावी पीढी शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति लगनशील होती हैं, लगनशीलता, एवं रूचि, बौद्धिक क्षमता को बढाने के लिये आवश्यक हैं हमारे अपने मन में नये ज्ञान को ग्रहण करने, नई बात को सीखने और अपनी वुद्धि को बढाने की तीव्र और उत्कट लगन होनी चाहिये, सीखने के लिये मानव जाति का, संचित अब तक का ज्ञान कुछ कम नहीं है, नाना क्षेत्रों में मानवीय वुद्धि का अर्जित ज्ञान अथाह भण्डार है, एक एक विषय की, असंख्य पुस्तकें मौजूद हैं, ढेरों पत्र पत्रिकायें प्रतिदिन छप रही है, इसके अतिरिक्त संसार की खुली पुस्तक इस समाज में हर समय कुछ न कुछ सीखने को प्रदान करती है।

स्कूलों में एक निर्धारित समय में शिक्षा का निर्धारित पाठयक्रम पूरा कराया जाता है, नौकरी व्यवसाय प्राप्त कर लेने के पश्चात लोग (पढ़ाई) शिक्षा समाप्त कर देते हैं, केवल उनकी रूचि धन कमाने में रहती है, केवल शिक्षा में रूचि, जिन लागों की होती हैं, जिनको ज्ञान की पिपासा होती हैं, जीवन में काम आनेवाली समस्यायें समाज को प्रभावित करने वाली, समस्याओं पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, लोग ही उच्च स्तरीय अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं, वही अपनी शैक्षिक उपलब्धि को बढाने का प्रयास करते हैं, यह समाज के लिये कुछ करने की मन में चाह रखते हैं।

शैक्षिक उपलब्धि एवं आर्थिक परिस्थितियाँ :–

कोई भी योजना चाहे, वह राष्ट्रीय या राज्य स्तर की हो, या फिर समाज के द्वारा निर्मित संचालित योजना या कार्यक्रम हो, बिना अर्थ के या अर्थ कीं कमी के कारण पूर्ण नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती हैं, उसकी पूर्ण सफलता के लिये सुनियोजित कार्यान्वयन के साथ पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती हैं।

हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अनेकों योजनाये कार्यक्रम संचालित किये गये, उन योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा निर्धारित समयावधि में परिपूर्ण करने के साथ, निश्चित धनराशि उपलब्ध करवायी गई, इन पंचवर्षीय योजनाओं के

माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में अभी भी अनिश्चितता पाई जाती हैं, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये, शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये, सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, अनेकों कार्यक्रम समितियाँ, आयोगों की सिफारिशों को पूर्ण मनोयोग से शिक्षा में लागू नही किया जा सका, इसका मुख्य कारण धन की कमी रहा हैं।

सन 1964–66 में कोठारी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने एवं उसके उन्नयन के लिये अनेक सिफारिशें शासन को सुझायी थी, उनमें से मुख्य बात यह थी, कि शिक्षा पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% व्यय किया जावे, जो कि आज तक नहीं किया जा रहा हैं, अभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3% या 4% ही शिक्षा पर व्यय किया जा रहा हैं, अर्थ या पूंजी की कमी के कारण शिक्षा का विकास सही ढ़ग से नहीं हो पा रहा हैं, धन की कमी के कारण विद्यालयों में भौतिक संसाधन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय विज्ञान सामग्री, सहायक शिक्षण सामग्रियों का अभाव 90% विद्यालयों में पाया जाता हैं, इन भौतिक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्थायें प्रभावित हो रही है, शिक्षण व्यवस्थाओं के उचित न होने के कारण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है, यहां तक कि कही कही उ0मा0वि0 तो खोले गये हैं, लेकिन विद्यालयों के लिये भवन नहीं हैं, और विद्यालय किराये के भवनों में सीमित संसाधनों के अन्तगर्त चल रहे हैं, ऐसे में शिक्षा की उन्नति की सम्भावना करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं, विद्यालय भवनों के अभाव के साथ–साथ शिक्षको का अभाव भी देखा जाता है, शिक्षको के अभाव में, प्राथमिक स्तर के शिक्षको से ही उ0मा0वि0 स्तर की कक्षाओं के छात्रों का शिक्षण किया जा रहा है, यह शिक्षक अनुभव एवं योग्यता में उ0मा0वि0 के शिक्षको से कम योग्यता रखते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित हुये विना नहीं रह सकती हैं, इन सबका मुख्य कारण धन की कमी है, धन की कमी के कारण न तो सभी ग्रामो में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हो पाया है, विस्तार हुआ हैं, तो अपूर्ण कहीं कहीं विद्यालय भवन नहीं हैं, तो कहीं शैक्षिक सामग्री भौतिक साधनो का अंभाव हैं, तो कहीं शिक्षंकों की नियुक्ति नहीं की गई हैं, म0प्र0 में माध्यमिक स्तर की शिक्षा का बहुत बुरा हाल

शर्मा जे.वी. :– " आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक" आनन्द प्रकाशन पाटनकर बाजार, ग्वालियर

हैं, शासन ने राजनैतिक लाभ के लिये जगह–जगह विद्यालय खोलने की घोषणायें कर विद्यालय तो खोले दिये है, लेकिन धन के अभाव में इन विद्यालयों के लिये पर्याप्त मात्रा में आवश्यक साधनों की प्रति पूर्ति के लिये बजट तक उपलब्ध करवाने से शासन कतरा रहा है जिसका प्रभाव छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हैं, जिसके कारण म0प्र0 के विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त छात्र, अन्य प्रान्तों से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत करने के लिये छात्रों को विद्यालयों से समुचित संसाधन, सहायक शिक्षण सामग्रियाँ, पर्याप्त एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा हैं, जिसके लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को समुचित पूंजी निवेश करना चाहिये।

" मनुष्यों पर लगाई गई पूंजी अन्य सभी पूंजियों की अपेक्षा सर्वाधिक उपयोगी होती हैं "

मार्शल

मार्शल के अनुसार मनुष्यों के विकास एवं उन्नति के लिये भावी पीढ़ी अर्थात छात्रों को शिक्षा पर अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता हैं, पूंजी जितनी अधिक लगायी जायेगी मानव जाति का विकास एवं उन्नति उतनी ही अधिक होगी, मानव जाति के विकास एवं उन्नति का प्रमुख आधार, साधन शिक्षा हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, अनेक विकसित राष्ट्र है, इन विकसित राष्ट्रों में शिक्षा पर अधिक धन लगाया जाता हैं, हमारे देश में शिक्षा को जितने महत्व की आवश्यकता है उतना महत्व नहीं दिया जा रहा हैं, जितने बजट की विद्यालयों को आवश्यकता है उतना बजट विद्यालयों को नहीं दियां जा रहा हैं, वह विद्यांलयों की आवश्यकता से कम प्रदान किया जाता हैं, जिससे विद्यालयों की स्थिति दयनीय, देखने योग्य हो गई हैं।

हमारे देश में विशेषतः म0 प्र0 में विद्यालय शासकीय हैं, लेकिन शासन, धन की कमी के कारण शिक्षकों के स्थान पर शिक्षाकर्मी नियुक्त कर रहा हैं, यह अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मी मानसेवी रूप से पंचायत विभाग के नियमानुसार, निश्चित वेतनमान प्राप्त कर रहे

डॉ वर्मा रामपालसिंह :– " शिक्षा मनौविज्ञान"

हैं जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा हैं एवं छात्र अपने आप का भविष्य इन शिक्षाकर्मियों के द्वारा निर्मित करने में सफल नहीं हो रहे हैं, अधिकांश राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेशों के छात्र प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, राज्य के छात्र पिछड़ रहे हैं।

निजी उ0मा0वि0 एवं पब्लिक स्कूलों में धन की कोई कमी नहीं हैं इन विद्यालयों में काफी शिक्षण शुल्क एवं अनुदान वसूल किया जाता हैं, इनमें शिक्षण के सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं, इन विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी रहती हैं, लेकिन इन विद्यालयों के आर्थिक रूप से मंहगे होने के कारण इन की शिक्षा विद्यालयों में केवल साधन सम्पन्न, उच्च आयवर्ग के छात्र ही प्रवेश पा सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, निर्धन गरीब, किसान, खेतिहर, मजदूर, कर्मचारीवर्ग के छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश के लिये वंचित रहते हैं, जिससे वह शिक्षा से दूर रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, इनकी शैक्षिक उपलब्धि पब्लिक स्कूलों के छात्रों से कम रहती हैं।

शिक्षार्थी के लिये यह आवश्यक होता हैं, कि उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय एवं धन हो अथार्त उसको अपने जीवन निर्वाह के भ्रमं से मुक्त होकर, समयं की पर्याप्तता के साथ उसकी आर्थिक स्थिति सुद्दढ हो जिससे वह शिक्षा प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक समय, धन एवं पूंजी लगाकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत कर सके, इस प्रकार से शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धि का छात्रों की आर्थिक स्थिति से सीधा सम्बन्ध हैं, यदि समाज की आर्थिक स्थिति सुद्दढ़ हैं, तो वह अपने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को बढाने के लिये अधिक से अधिक शैक्षणिक सुविधायें प्रदान कर सकती हैं।

प्रति व्यक्ति आय में म0प्र0 पिछडा हुआ हैं, मानव विकास की रपट के अनुसार म0प्र0 में प्रति व्यक्ति आय 2739 रु. हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत आय 3855 रु. है, जबकि देश के 15 प्रदेशों में प्रदेश का स्थान 11वां है, देश के 28 राज्यों में शहरी क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति व्यय की दृष्टि से म0प्र0 का स्थान 20 वां है, ग्रामीण अंचलों में प्रदेश के 60% परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं सर्वाधिक गरीबी नरसिंहपुर के ग्रामीण अंचल में हैं, इसी

मित्तल एम. एल. :— शिक्षा सिद्धान्त, लायल बुक डिपो मेरठ
दैनिक भास्कर भोपाल :— 13 जनवरी 2001

प्रकार सिवनी, जबलपुर, सागर, सरगुजा, शाजापुर, बिलासपुर और झाबुआ जिलों में 75% तथा 33 जिलों में 50% से अधिक गरीबी व्याप्त हैं, प्रदेश में अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर है, 82% जनता कृषि कार्यो पर लगी हैं, साक्षरता में म0प्र0 देश के साक्षरता प्रतिशत 65.38% के सापेक्ष 64.11% है, महिला साक्षरता 28.85% हैं, वही पुरूषों की साक्षरता दर 58.42% है वर्तमान में, पूरे प्रदेश के 43 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान एवं 2 जिलों में आंशिक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा हैं, प्रदेश की 35% प्राथमिक शालाओं में एक तथा 34% शालाओं में दो शिक्षक हैं, यह शालायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, आदिवासी इलाको में यह स्थिति और भी बदत्र हैं, जहां साक्षरता बहुत कम है आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिये अरबों रुपया व्यय किया गया, पर आज भी आदिवासी वहीं हैं, जहाँ वह पहले थे।

टीकमगढ़ 34.78, छतरपुर 35.20, पन्ना 33.68, दमोह 46.27, सागर 53. 44% आदिवासी हैं, सागर सम्भाग की शिक्षा व्यवस्था अपनी बदहाली की चरम सीमा पर हैं जहां बाल दिवस पर कहा जाता है, कि आज का बालक कल का भाग्य विधाता है, उसे स्कूल में बैठने को न छाया है, न ही फट्टी है, न ही पढ़ाने को शिक्षक है, और न ही पीने को पानी हैं।

संभाग में प्राचार्यो के 65 प्रतिशत पद वर्षो से रिक्त पडे हैं, जिस शाला का कोई रखवाला ही न हो, उसमें अध्ययन की व्यवस्था रामभरोसे चलती हैं, इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में जिले में कोई जिम्मेदार अधिकारी न होने से जिलों में कई जगंह ऐसी संस्थाये चल रहीं हैं, जिनमें शिक्षण के लिये कोई व्यवस्था नहीं हैं, वह केवल परीक्षा के समय खुलती हैं, और छात्रों से अवैध वसूली कर, केवल वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित करवाकर शिक्षा माफिया का काम करती हैं।

सागर संभाग में 142 शा0उ0मा0वि0 हैं, जिनमें सागर जिले 42, दमोह में 23, छतरपुर जिले में 33, टीकमगढ़ में 26, पन्ना जिले में 18 शा0उ0मा0वि0 संचालित है, इन सभी उ0मा0वि0 में प्राचार्यों के कई रिक्त पदों के साथ व्याख्याताओं के पद भी रिक्त पडे हैं,

मित्तल एम. एल. :– शिक्षा सिद्धान्त, लायल बुक डिपो मेरठ
नवभारत ग्वालियर :– 1 नबम्बर 2001

जहां शासन व्याख्याताओं के पदों की पूर्ति के लिये शिक्षाकर्मी वर्ग 1 से काम चला रही हैं, यह आधे अधूरे अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मी शिक्षा को चौपट कर रहे हैं।

इसी प्रकार हाई स्कूल 116 हैं, जिनमें से सागर में 39, दमोह में 20, छतरपुर में 19 टीकमगढ़ में 19, पन्ना में 19 विद्यालय हैं, शाला भवनों की स्थिति में सागर जिले में 45 उ0मा0वि0 हैं, जिनमें 25 स्वयं के भवन में संचालित हैं, दो किराये के भवनों में संचालित हैं, बाकी 18 उ0मा0वि0 दूसरी शालाओं के भवनों में लग रहे हैं, इसी प्रकार 39 हाई स्कूलों में से पांच स्वयं के भवनों में, तीन किराये के भवनों में, 31 शालायें सार्वजनिक स्थानों या दूसरी शालाओं में संचालित हो रहीं हैं, इसी प्रकार दमोह जिलों के 24 उ0मा0वि0 में से 17 स्वंय के भवनों में, दो किराये के भवनो में तथा पांच भवन विहीन शालायें हैं, हाई स्कूल के 9 विद्यालय स्वयं के भवन में, बाकी 11 दूसरे शालाओं के भवनो में लग रहें हैं।

छतरपुर जिले के 34 उ0मा0वि0 में से 31 स्वंय के भवन में, 3 भवन विहीन है हाईस्कूल की 20 में से 13 भवन मुक्त शालाये है एवं 7 शालाये भवन हीने हैं टीकमगढ़ जिले में 27 उ0मा0वि0 में से 21 के स्वयं के भवन हैं 6 भवन विहीन है हाई स्कूल के 21 में से 4 शाला भवन है 17 भवन विहीन हैं जो अन्य शालाओं में संचालित हैं।

पन्ना जिले की 19 उ0मा0वि0 में से 13 शा0 भवनों में 6 शालायें अन्य शालाओं के भवन में तथा 20 हाई स्कूल स्तर की शालाओं में से, 15 के स्वंय के भवन हैं, 5 शालाये अन्य शालाओं के भवनों में लग रही हैं।

इस प्रकार सागर संभाग में शासकीय शालाओं में धन की कमी के कारण शैक्षिक सुविधाओ का अभाव हैं वहीं भवन एवं शिक्षकों की कमी हैं, इस कारण छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित हो रही हैं।

सागर सम्भाग की भौगोलिक स्थिति का अबलोकन किया जाय तो यहां पर

अधिकांश जिलों में ऊबड, बंजर, पहाडी, क्षेत्र है, जहां पर कुछ जंगल पाये जाते हैं, जिनमें आदिवासी (सोंर) जातियाँ निवास करती हैं, अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण हैं, जहां पर प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं, कृषि पर ही उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती हैं, कृषि के द्वारा होने वाली आय की अनिश्चितता के कारण इस व्यवसाय में लगे व्यक्ति अपने छात्रों की शिक्षा पर अधिक धन व्यय नहीं कर पाते हैं, न ही शिक्षा विस्तार की योजना बना पाते हैं, अथार्त छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को समृद्ध करने के लिये उनके पास अधिक पूंजी नही होती हैं, नें ही वह छात्रों की उचित शिक्षा दीक्षा के लिये उचित संसाधन जुटा पाते हैं, वह अपने छात्रों को (बच्चो को) कृषि कार्य में सहायता के लिये लगाये रहते हैं, पढाई, शिक्षा, नई तकनीक का ज्ञान नहीं करवा पाते हैं, ऐसे कृषक, उनकी संतान नये ज्ञान, तकनीक के अभाव में परम्परागत प्रणाली से कृषि कार्य करते रहते हैं। जिससे उनकी कृषि व्यवसाय में सुधार नहीं हो पाता हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती हैं, यह अपने छात्रों को (बच्चों को) उच्च शिक्षा तकनीकी ज्ञान करा सकने में असमर्थ रहते हैं, इनके पास कृषि व्यवासय के कारण धन के साथ–साथ समय भी नहीं रहता हैं, यह जितना समय कृषि कार्यो में मानवीय श्रम के रूप में व्यय करते हैं, उतना लाभ उन्हें नहीं हो पाता हैं, समय एवं धन के अभाव में शिक्षा सम्भव नहीं हो पाती हैं, इस प्रकार कृषि प्रधान देश की आवादी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आवश्यक धन एवं समय का अभाव खटक रहा हैं।

कृषि विज्ञान की उन्नति के कारण परम्परागत कृषि विधियों में बदलाव आ रहा है, कृषि की परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आर्थिक, उन्नत बीज एवं रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण कम समय एवं कम लागत में अधिक पैदावार देने वाली फसलों का विकास कर लिया गया हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता जा रहा हैं, शारीरिक, मानवीयश्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया हैं, जिससे किसानों एवं उनके बच्चों का अधिक समय बचता हैं, एवं अधिक लाभ होता हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों में उन्ततशील कृषि के लिये किसानों एवं उनके बच्चों को शिक्षित होना आवश्यक हो गया हैं, केवल शिक्षित होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकों कृषि विज्ञान के उच्च एवं तकनीकी ज्ञान से भिज्ञ होना, आवश्यक हो गया हैं, जिसके लिये अधिक धन की आवश्यकता हैं, अर्थात: शिक्षा व्यवस्था के

लिए धन आवश्यक हैं, आज के समय में शैक्षिक परिस्थितियों को उपलब्ध करवाने के लिये विशिष्ट प्रकार का शिक्षण एवं प्रशिक्षण महंगा होता जा रहा हैं, अतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत करने के लिये अधिक पूंजी की व्यवस्था करना आवश्यक हैं, शिक्षा पर सकल धरेलु उत्पाद का 6% खर्च किया जाना चाहिये। विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाना चाहिये, एवं शिक्षकों को आकर्षक वेतन, भत्ते, सुविधाये प्रदान की जाना चाहिये, जिससे शिक्षा जैसे संवेदनशील, महत्वपूर्ण कार्य की ओर उच्च.आई0क्यू0 वाले व्यक्तित्व वान, व्यक्ति आर्कषित होकर छात्रों को शिक्षित करने की ओर आयें और भावी पीढी के कर्णधार छात्र अपनी शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत कर सके।

वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था में शिक्षा विशेष रूप से व्यापारी वर्ग में अधिक महत्व रखती हैं, इस वर्ग के छात्रों को कृषक वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक पुस्तकीय शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, वाणिज्यिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। उन्हें व्यापार की विभिन्न विधाओं में कुशलता हासिल करनी पड़ती हैं, उनकों वही खाता, लेखा, वाणिज्य कर, विक्री कर, कानूनी ज्ञान, विधि विधायी कार्य से सम्बन्धित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, साहूकारी अधिनियमों का ज्ञान आवश्यक होता हैं, जिसके लिये पर्याप्त उच्चस्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती हैं, जिसकी पुस्तकें बहुत अधिक मूल्य की आती हैं, इस प्रकार की शिक्षा के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे चार्टड एकाउन्टस, कम्पनी सचिव, व्यवसायप्रबन्ध आदि पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के लिये अधिक शैक्षिक उपलब्धि सम्पन्न प्रतिभावान छात्रों को अपनी उच्च योग्यता के साथ–साथ अधिक श्रम, व्यवहारिक शिक्षा, विस्तृत कार्यक्षेत्र के अनुभव एवं धन की आवश्यकता होती हैं, अतः इस प्रकार की महंगी व्यापार, वाणिज्य की शिक्षा केवल व्यापारी वर्ग एवं अधिक धनाढ्य, पूंजीपति ही प्राप्त कर पाते हैं, सामान्य, कृषक, मध्यम श्रेणी के लोग इस प्रकार महंगी शिक्षा का भार सहन नहीं कर पाते हैं, और परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित रहते हैं।

आधुनिक विज्ञान एवं टेक्नोलांजी के युग में औद्यौगिक क्षेत्र का अधिक

विकास हुआ हैं औद्यौगिक कारखानों की भारी मशीनरी के सफल संचालन के लिये कुशल प्रशिक्षित श्रम शाक्ति के लिये अधिक से अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हैं, प्रशिक्षित मानवीय श्रम शक्ति को तैयार करने के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करना आवश्यक है, जिससे तकनीकी कौशल एवं ज्ञान प्राप्त युवा शक्ति इन औद्यौगिक, कारखानों की भारी मशीनरी को अधिक से अधिक संचालित कर कम समय में अधिक उत्पादन कर लाभ अर्जित कर सकें, जिससे उद्यौगों की उन्नति, विस्तार हो, इस सब के मूल में शिक्षा पर लगाई पूंजी शैक्षिक उपलब्धि को सार्थक रूप से वढा सके।

आधुनिक उद्योगों का सम्बन्ध मशीनों एवं मानवीय श्रम से है, इन उद्योगों के चलाने के लिये कुशल मजदूर इंजीनियर तकनीशियन, प्रबन्धक, प्रयोगकर्त्ता, योजना, निर्माता, लेखापाल, क्रय विक्रय अधिकारी, की आवश्यकता होती हैं, इन सभी कार्यो के लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता होती हैं, प्रशिक्षण पर धन व्यय कर के उच्च्य प्रतिभा वाले प्रशिक्षत युवा तैयार किये जाते हैं जो अप्रशिक्षित मानवीय श्रोतों से अधिक उपलब्धि हासिल करते हैं, इनको समय–समय पर पुनर्बोध पाठ्यक्रमों को आयोजित कर समयानुकूल नवीन कौशल एवं ज्ञान से समृद्ध किया जाना चाहिये, उपयोग से सम्बन्धित तकनीकी कौशल, ज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को विद्यालयों में संचालित किया जाये, विद्यालयों में चलाने जाने वाले तकनीकी, पाठ्यक्रम को उद्योगो की मानवीय श्रम की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के रूप में संचालित किया जावे जिससे इन विद्यालयों से निकले प्रशिक्षित छात्र उद्योगों में श्रम प्राप्त कर सकें।

छात्रों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिये समय एवं धन की आवश्यकता होती हैं, यदि छात्रों को पर्याप्त समय एवं धन के साथ, महाविद्यालयों में एवं विद्यालयों में अध्ययन के लिये प्रवेश दिलाया जाये एवं महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में शिक्षा के अनुकूल आवश्यक परिस्थितियाँ, पर्याप्त सुविधायें, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कुशल प्रशिक्षक, शिक्षक हो तो निश्चित ही छात्रों से अच्छे प्रेरणादायक परिणाम प्राप्त होते हैं, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, वौद्धिक क्षमता प्रोन्नत होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र देश को प्रगति के पथ पर

नवभारत ग्वालियर :– 1 नबम्बर 2001

अग्रसर करने में कामयाव होते हैं, यह बात विभिन्न सर्वेक्षणों से प्रमाणित हो चुकी है, कि जितने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की जाती है, वार्षिक आय उतनी ही अधिक हो जाती हैं, एवं विद्यालय में जितने अधिक वर्ष शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीय किये जाते हैं वार्षिक आय उतनी ही अधिक अर्जित की जा सकती है।

शिक्षा पर राजनैतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक पारिस्थितियों का प्रभाव पडता हैं, इन परिस्थितियों के साथ ही परिवार की एवं समाज की आर्थिक व्यवस्थाओं, आर्थिक चिन्तन का प्रभाव पडता हैं, समाज की आर्थिक सम्पन्नताओं का शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार से सीधा सम्बन्ध हैं समाज जितना आर्थिक रूप से सुद्धढ होगा उतना ही समाज शैक्षिण सुविधाओ के प्रसार पर धन व्यय कर सकेगा, जिससे छात्रों को अध्ययन के लिये उत्तम प्रबघ हो सकेगें, और छात्र प्राप्त शैक्षणिक सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि को समुन्नत कर समाज हित में अपना योगदान कर ने के लिये तत्पर रहेंगे।

अध्याय 5.

- अनुसंधान प्रणाली एवं योजना
- अध्ययन के उपकरण एवं विधियाँ
- प्रस्तुत शोध का प्रतिदर्श
- प्रस्तुत शोध का उपकरण

अनुसंधान प्रणाली एवं योजना :–

अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित एवं नियंत्रित अध्ययन है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चरों व घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अन्वेषण तथा विश्लेषण, उपयुक्त सांख्यिकी, विधियों तथा वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है, ज्ञान के संरक्षण और विकास के लिये अनुसंधान अति आवश्यक है, अनुसांधन के बिना ज्ञान को मानव की भावी पीढ़ी तक नहीं पहुँचाया जा सकता।

जे0 डब्ल्यू वेस्ट ने अनुसंधान को परिभाषित करते हुये कहा–

Research is considered to lie, to more formal systematic intensive process of carrying on the scientific method of analysis it involves a more systematic structure of investigation usually resulting in some sort of formal record of procedure and a report of result of Conclusion.

Best J.W.

अनुसंधान के महत्व को देखते हुये, उसके प्रत्येक अक्षर का अर्थ एवं महत्व जानना अति आवश्यक होता है जो निम्न है–

R- Stand for National way.
E-Expert and exhaustive treatment
S-Search for solution.
E-Stand for Exactness
A-Analysis of adequate date
R-Relation ship of facts.
C-Critical preservation.
H-Honesty and hard work in all aspects.

क्रो फोर्ड के अनुसार–

"अनुसधान समस्या का सामाधान है, जो चिन्तन के क्रमवद्ध एवं परिष्कृत तकनीक पर निर्भर होता है, और जिसमें समस्या के समाधान हेतु उपकरणों एवं प्राविधियों का

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

प्रयोग किया जाता है।

अनुसंधान, मानव ज्ञान को विस्तृत करने, विज्ञानों की प्रगति एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिये तथा अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसंधान प्रक्रम में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रचना आवश्यक होती है, क्योंकि परिकल्पना के अभाव में, समस्या से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों अथवा चरों का, उसे स्पष्ट तथा विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। इस कारण अनुसंधान में परिकल्पना की रचना अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ है, पूर्ण चिन्तन,

यह अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है, इसका तात्पर्य यह है, कि किसी समस्या का यह कारण हो सकता है, इस निश्चय के बाद उसका परीक्षण शुरू हो जाता है, अनुसंधान कार्य एक परिकल्पना के निर्माण एवं उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है,

बीकोन आदि का विश्वास था कि ज्यों ही समस्या की जानकारी हो जाती है उसकी परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिये।

"Hypothysis should be suggested as soon as the exactness of a problem is discovered."

किन्तु पूर्ण रूप से विचार किये बिना, बनाई गई परिकल्पना व्यर्थ होती है, और समय एवं श्रम व्यय होता है अतः सबसे महत्वपूर्ण यह है, कि समस्या का उचित रूप से विश्लेषण किया जाये, और परिकल्पनाओं का निमार्ण किया जाये।

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

परिकल्पना के निमार्ण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है, न कोई वैज्ञानिक ढंग का अनुसंधान कार्य ही सम्भव है, अब प्रश्न यह उठता है, कि क्या विज्ञानों के सभी अनुसंधान परिकल्पना के निर्माण के द्वारा हुये हैं, या होते हैं ?

क्या सापेक्षिकता का सिद्धान्त, आर्कमिडीज का सिद्धान्त, गुरूत्वाकर्षण का सिद्धान्त आदि के पीछे कोई परिकल्पना थी?, उत्तर मिलता है, कि नहीं, यह अविष्कार संयोगवश वैज्ञानिकों में सूझ पैदा हो जाने के कारण हुये थे, परन्तु इसके बाद मूल सिद्धान्तों को विकसित किया गया तो, परिकल्पनाओं का निमार्ण अवश्य हुआ था। अतः कहा जा सकता है, कि भौतिक विज्ञानों में परिकल्पनाओं का निमार्ण विशेष महत्व नहीं रखता है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से इसका स्थान अवश्य महत्वपूर्ण है, एक डाक्टर भी चिकित्सा करते समय परिकल्पना का सहारा लेता है। और कहता है, कि अमुक लक्षणों के कारण अमुक रोग हो सकता है, तथा इस औषधि की, इस रोग में यह प्रतिक्रिया हो सकती है, इस परिकल्पना के साथ वह अपना कार्य प्रारम्भ करता है।

अनुसंधान एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वागींण विश्लेषण है किसी भी अनसंधान कार्य की सत्यता की प्रामाणिकता को ज्ञात करने के लिये कार्य करना पड़ता है इन सभी कार्यो के योग को विधितंत्र (Methodology) कहते हैं।

वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता–

वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी भी समस्या का व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं प्रदत्तों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है।

लुण्डवर्ग के शब्दों में:–

" वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमवद्व प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है।"

कार्ल प्रियरसन ने वैज्ञानिक विधि की निम्न विशेषतायें स्पष्ट की है।

1. तथ्यों का सावधानी पूर्ण तथा यथार्थ वर्गीकरण।
2. तथ्यों में व्याप्त सहसम्बन्ध व अनुक्रम का अवलोकन।
3. सृजनात्मक कल्पना द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज।
4. उनकी अध्ययन कर्ता द्वारा स्वयं आलोचना।
5. ऐसी कसोटी की रचना करना, जो कि समस्त सामान्य व्यक्तियों के लिये समान रूप से वैद्य रहती है।

टाऊन सेण्ड ने वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता के महत्त्व को स्पष्ट करते हुये लिखा है

'' वैज्ञानिक पद्वति से अभिप्राय, चिन्तन व व्यवहार के उन कठोरतम् प्रत्यक्ष तथा प्रबल साधनों से है, जिनके माध्यम से तथ्यों को संकलित और संगठित किया जाता है।''

शिक्षा और मनोविज्ञान से हमारा प्रयास, मानव के व्यवहार को समझना एवं उनकी समस्याओं को सुलझाना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु, अनुसंधान एक सहायक क्रिया है।

अनुसंधान प्रक्रिया में समस्या के कथन के तुरन्त बाद एक उपयुक्त परिकल्पना की रचना की आवश्यकता होती है, परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है, इसका कारण यह है, कि समस्या का स्वरूप अधिकतर, अत्यधिक विषम, विस्तृत और विकसित रहता है, ऐसी स्थिति में उसके व्यापक क्षेंत्र को घटाना, तथा संकुचित करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे अध्ययन का स्वरूप स्पष्ट, सूक्ष्म और गहन हो सकें परिकल्पना के अभाव में समस्या से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों अथवा चरों का, उसे स्पष्ट तथा विशिष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। इसका कारण अनुसंधान में परिकल्पना की रचना, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, परिकल्पना के द्वारा अनुसंधानकर्ता को, तर्क संगत आंकड़ों के संकलन की उचित शिक्षा मिलती है, तथा उपयुक्त वैद्य व शुद्व निष्कर्षो के अनुमान में सुविधा तथा सरलता मिलती हैं ।

शर्मा डॉ आर. ए. :—" फंडामेटल ऑफ ऐजूकेशनल रिसर्च"

"A Hypothesis is a statement on the possible nature of relationship between two or a more variable it is a tentative answer to the question of what the relationship"

Edword A.L.

"A Hypothesis is a testable statement of a potential relationship between two or more Variable"

Guigon M.C.

संक्षेप में परिकल्पना, एक समस्या का, एक ऐसा सम्भाव्य तथा परीक्षण योग्य प्रस्ताव होता है, जिसके आधार पर सम्बन्धित चरों अथवा घटनाओं का अध्ययन अनुभाषिक रूप से किया जा सकें, और समस्या का पर्याप्त, उपयुक्त तथा वैघ उत्तर उपलब्ध हो सकें –

परिकल्पना के प्रकार–

1– अस्तित्व परक परिकल्पना।

2– सांख्यिकीय परिकल्पना।

सांख्यिकीय परिकल्पना दो प्रकार की होती है –

1– निराकरणीय परिकल्पना।

2– प्रायोगिक परिकल्पना।

निराकरणीय या शून्य परिकल्पना (Null hypothesis) –

निराकरण परिकल्पना की यह अवधारण होती है, कि स्वतंत्रचर के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक समूहों में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है, और जो अन्तर देखनें मे आया है, उसका कारण, प्रतिचयन सम्बन्धी त्रुटियाँ या संयोग जन्य त्रुटियाँ हो सकती हैं, परन्तु स्वतंत्र चर का प्रभाव उसका कारण नहीं हैं, निराकरणीय परिकल्पना द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, कठोर वैज्ञानिक मापदण्डों पर आधारित रहते हैं, इसकी विश्वसनीयता का स्तर उच्च श्रेणी का होता है।

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

प्रायोगिक परिकल्पना–

मैथेसन के शब्दों में प्रायोगिक परिकल्पना दो समूहों के व्यवहारों में प्रायः अन्तर का भविष्य कथन करती है,

प्रायोगिक परिकल्पना दो प्रकार की होती है

1. धनात्मक परिकल्पना–

इसकी अवधारण यह रहती है कि दिये गये दो समूहों में से एक समूह निश्चित रूप से दूसरे समूह से श्रेष्ठ है, यह अन्तर धनात्मक दिशा में रहता है।

2. नकारात्मक परिकल्पना–

इसके एक समूह की योग्यता को दूसरे समूह से कम बताया जाता है।

सार्वभौमिक परिकल्पना–

इस प्रकार की परिकल्पना का उद्देश्य सम्बन्धितचरों के विषय में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना होता है, जिसका कि स्वरूप सार्वभौमिक हो अथवा परिकल्पना के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो से ऐसे सामान्य नियमों की रचना करनी होती है, जो कि प्रत्येक काल और देश के लिये वैद्य हों।

"Universal hypothesis asserts that the relationship in questian halds for all the variable that are specified for all time and at all places"

Guigon M.C.

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना :–

प्रस्तुत शोध कार्य के लिये निर्धारित उद्वेश्यों तथा सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों को देखते हुये, निम्नलिखित प्रायोगिक परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

1. सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र–छात्राओं को शासन से परिसर में सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिवेश प्रादान किया जाता है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक कारकों का कोई प्रभाव नही पडता है।

2. शा0 उ0मा0वि0 के छात्र–छात्राओं को शासन से सामाजिक,पारिवारिक, आर्थिक परिवेश प्रदान नही किया जाता है, उनकों अपने सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिवेश में रहकर अध्ययन करना पड़ता है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामाजिक, पारिवारिक, आंर्थिक कारकों से प्रभावित होती है।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयओं के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, से उच्च होती है।

प्रतिदर्श का चयन –

सम्पूर्ण संभाग के सभी शा0उ0मा0 वि0 का एवं सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों का अध्ययन करना, अधिक कष्ट साध्य, जटिल एवं अधिक समय में सम्पन्न हो पायेगा, इस कारण संभाग के विद्यालयों का चयन प्रतिदर्श के आधार पर किया गया है,

जिस प्रकार से गोदाम में रखे बोरों में भरे चावलों में से कुछ चावलों को ही देखकर यह बताया जाता है, कि बोरों में भरे सभी चावल अच्छी किस्म के हैं, या नहीं, उसी प्रकार से सम्पूर्ण सागर संभाग के समस्त विद्यालयों मे से, कुछ विद्यालयों का अध्ययन कर सम्पूर्ण विद्यालयों के लिये निष्कर्ष निकाला गया है,

प्रतिदर्श, एक समष्टि का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिविम्ब रहता है।

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

पी.पी. यंग के शब्दों में –

" एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का एक लघु चित्र होता है"

स्पष्ट है कि विशेष प्रकार की वस्तुओं के सम्पूर्ण समूह के किसी एकांश को प्रतिदर्श कहते है।

प्रतिदर्श चयन की विधियाँ–

प्रतिदर्श चयन की मुख्यतः तीन विधियाँ होती है।

1– प्रसंम्भाव्यता प्रतियचन **(Probability Sampling)**

2– अर्द्व प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन **(Semi Probability Sampling)**

3– अप्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन **(Non Probability Sampling)**

प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन–

प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन सैद्वान्तिक रूप से अपनी समष्टि का पूर्णतः प्रतिनिधि होता है, इसमें समस्त इकाईयों को समान समझा जाता है, प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन में इकाईयों का चयन संयोगिक आधार पर किया जाता है, जिसके अन्तर्गत समष्टि की प्रत्येक इकाई के चयन की समान प्रसंम्भाव्यता रहती है, इसमें प्रतिचयन पद्वति में पक्षपात आने की सम्भावना न्यूनतम रहती है प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन की तीन विधियाँ है।

1. लाटरी विधि (Lottrey method)

2. ड्रम चक्र (Rotating drum method)

3. द्विपिट की संयोगिक संख्या (Trppet 5 Random Numbers)

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन से लाभ–

1. पक्षपात से मुक्ति
2. समष्टि का पूर्ण रूपेण प्रतिसंध्यात्मक
3. प्रतिदर्श की मसक त्रुटि का अंकन
4. समय व धन का कम खर्च
5. सरल तथा वैज्ञानिक विधि

2–अर्ध प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन–

1. अर्ध प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन में समष्टि को प्रायः,एक विशेष आधार पर विभिन्न स्तरो पर पुर्जो में विभाजित कर लिया जाता है, और फिर इन पुर्जो व स्तरों में रैनडम मैथड़ का उपयोग चयन के लिये किया जाता है।

2. अर्द्व प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन में प्रायः केवल प्रथम इकाई का चयन संयोग पर आधारित होता है शेष इकाईयों का चयन क्रमानुसार रूप से किया जाता है।

अर्द्व प्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन की विधियाँ–

1. क्रमानुसार प्रतिचयन **(Systematic Sampling)**

2. स्तरानुसार प्रतिचयन **(Stratified Sampling)**

3. पुंजानुसार प्रतिचयन **(Cluster Sampling)**

3. अप्रसंम्भाव्यता प्रतिचयन–

इस विधि में इकाईयों का चयन प्रसंम्भाव्यता सिद्वांत पर आधारित नहीं होता हैं, शोधकर्ता को ईकाईयों के चयन में प्रायः पूर्ण स्वतंत्रता रहती है।

प्रस्तुत शोध में सागर संभाग के पांचो जिलो में से कुछ शा0 उ0 मा0 वि0 एवं कुछ जवाहर नवोदय विद्यालयों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है, सागर संभाग के सभी जिलो में लगभग 300 शा0 उ0 मा0 वि0 एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिन सभी का अध्ययन करना समय की कमी एवं जटिलता, के कारण सम्भव नही है, अतः प्रत्येक जिले से एक शा0 उ0 मा0 वि0 एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों को प्रतिदर्श के रूप मे चुना गया है।

अध्ययन के उपकरण एवं विधियाँ–

अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित परिकल्पना की रचना के पश्चात उसके परीक्षण के लिये शोधकर्ता के समक्ष यह समस्या आती है, कि वह अपनी परिकल्पना के परीक्षण के लिये आंकड़ो का संकलन किस विधि से करे, तथा कौन–कौन से उपकरणों एवं प्राविधियों का प्रयोग करें, इस अवस्था में वह वर्तमान उपलब्ध उपकरणों का विश्लेषण करने के पश्चात यह ज्ञात करने का प्रयास करता है, कि कौन उपकरण अथवा कौन सी प्राविधि हमारे कार्य में साध्य होगी, और वह उसे चुनता है, यदि उपलब्ध उपकरण उसकी आवश्यता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वह उनमें सुधार कर लेता है, अथवा नवीन उपकरण बना लेता है, यदि उपकरण उपलब्ध हों तो नवीन उपकरण बनाने में समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

शोधकर्ता के लिये यह आवश्यक है, कि उसे उपकरणों प्राविधियों एवं यंत्रों का व्यापक ज्ञान हो, उसे यह भी ज्ञान होना चाहिये, कि इन उपकरणों से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होगे, इनकी क्या विशेषतायें एवं सीमायें हैं, किन अवधारणाओं पर इनका प्रयोग आधारित है, तथा इनकी विश्वसनीयता, वैद्यता एवं वस्तुनिष्ठता क्या है, इसके साथ ही

शर्मा डॉ आर. ए. :–" फंडामेटल ऑफ ऐजूकेशनल रिसर्च"

शोधकर्ता को उपकरणों के बनाने, प्रयोग करने तथा उनसे प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण करने की दक्षता होनी चाहिये।

प्रदत्तों के संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण :

1. प्रक्षेण (Oleservation)
2. साक्षात्कार (Interview)
3. अनुसूची (Schedule)
4. प्रश्नावली (Questionnoire)
5. निर्धारण मापनी (Rating Scale)
6. चिन्हांकन सूची (Check list)
7. मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psy Chologicalest)
8. अभिवृत्ति मापनी (Attitude Scale)

1.प्रेक्षण–

प्रेक्षण अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है।

पी.बी. यंग के शब्दों में –

"प्रेक्षण मेल माध्यम से किया गया, स्वाभाविक घटनाओं के सम्बन्ध में एक ऐसा क्रमवद्ध एवं विचार पूर्वक अध्ययन है जो कि उसके घटित होने के समय पर किया जाता है"

प्रेक्षण का उद्देश्य विशेष सामाजिक घटनाओं, संस्कृति के प्रतिरूपों अथवा मानव व्यवहार के अन्तर्गत सार्थक अर्न्त–सम्बन्धित तत्वों के स्वरूप तथा विस्तार को ज्ञात करना होता है।

प्रेक्षण के प्रकार –

1 अनियत्रिंत प्रेक्षण (Uncontrolled obeservation)

2."नियन्त्रित प्रेक्षण (Controlled obleservation)

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

2. साक्षात्कार–

साक्षात्कार से तात्पर्य, अनुसंधान की एक ऐसी प्राविधि से है, जिसका उपयोग अतीत में निदान, उपचार व चयन आदि के लिये किया जाता रहा है। वर्तमान में भी इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, अब अनुसंधान में इसका उपयोग, अनुसंधान की एक वैज्ञानिक प्राविधि के रूप में किया जाने लगा है।

साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा –

साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपान्तरण (Interview) है, जो कि दो शब्दों (Inter+view) से मिलकर बना है, Inter का अर्थ है, कि आन्तरिक तथा view का अर्थ है, अवलोकन करना।

कर लिंगर ने साक्षात्कार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया–

"The Interview is a face to face inter personal role situation in which one person, the Interviewer ask a person being Interviewed the respondent, the question designed to obtain answer pertients to the purposes of research problem"

Kerlinger

मेक्कावी तथा मेक्कवी (पृष्ठ 449) का कहना है

"Interview refers to a face to face verbal interchange, in which one person the interviewer, attempts to elicit information of expressions of opinion or belief of from another person to person"

Maccolecy and Maccoby

(Hand book of Social psychilogy Eduted by bing zeg P 449)

शर्मा.डॉ आर. ए. :–" फंडामेटल ऑफ ऐजूकेशनल रिसर्च"

3. प्रश्नावली–

यह अनुसंधान उपकरणों में सबसे पुरानी है, इसे सबसे पहले **होरेसमान** ने 1847 में अनुसंधान उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया था, प्रश्नावली, प्रश्नों के कथनों की एक सूंची होती हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर, उत्तरदाता स्वयं लिखता है, इन प्रश्नों को एक प्रपत्र के रूप में छपवाया जाता है।

प्रश्नावली विधि को परिभाषित करते हुये गुड एवं हट ने लिखा है,

Good and Hatt methods is social (Research P 133).

" सामान्यतःप्रश्नवाली शब्द से तात्पर्य, उस विधि से है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु, एक फार्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है"

" In general the word question are refers to a device for recuring answer to questions by using a form which the respondent fills in himself"

प्रस्तुत शोध का प्रतिदर्श–

प्रस्तुत शोध में सागर संभाग के शा0 उ0 माध्यमिक विद्यालयों के हाईस्कूल स्तर के छात्र–छात्राओं तथा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का चयन लाटरी विधि से किया गया है, जो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रहे हैं।

प्रतिदर्श की जनसंख्या –

अध्ययन की सुविधा एवं समय की कमी की दृष्टि से इस शोध कार्य के लिये चुने गये जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शा0 उ0 माध्यमिक विद्यालयों के हाई स्कूल स्तर के 140 छात्र–छात्राओं को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है, जो कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। इनमें से 70 छात्र संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालय के

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तथ्य"

लिये गये हैं। वं 70 छात्र विभिन्न जिलों के शा.उ.मा0वि. के लिये गये हैं।

उपर्युक्त विवरण को निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी क्र. 5.1

क्रमांक	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या
1.	शा.उ.मा.वि. घुवारा जिला छतरपुर	25
2.	शा.उ.मा.वि. बीना जिला सागर	25
3.	शा. हाई स्कूल कुण्डेश्वर जिला टीकमगढ़	20
	कुल छात्र	70

सारणी क्र. 5.2

क्रमांक	नाम विद्यालय	छात्रों की संख्या
1.	जवाहर नवोदय विद्यालय कुण्डेश्वर टीकमगढ़ (म0प्र0)	25
2.	जवाहर नवोदय विद्यालय, नौगांव जिला छतरपुर	25
3.	जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई जिला सागर	20
	कुल छात्रों की संख्या	70

प्रस्तुत शोध का उपकरण :–

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के आंकड़ो के संकलन के लिये प्रश्नावली का उपयोग किया है। प्रश्नवालियों को विभिन्न विद्यालयों में भारतीय डाक विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड डाक/पासर्ल द्वारा भेजा गया था। उनके प्राचार्यो से प्रश्नावली में दी गई जानकारी को भरवाने के लिये पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था, लेकिन प्राचार्यो ने विशेष ध्यान नहीं दिया–

प्रश्नावलियों के माध्यम से शा0 उ0मा0वि0 के छात्र–छात्राओं तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्नों को रखा गया है, जिसके द्वारा प्राप्त आंकडो से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है।

परीक्षण उपकरण का प्रशासन और आंकड़ो का संकलन शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के आंकड़ो के संकलन के लिये, सागर संभाग के शा.उ.मा.वि. एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र–छात्राओं की कक्षाओं में जाकर प्रश्नावली को वितरित किया, और भरवाया।

इस कार्य के लिये प्राचार्यो, विषय शिक्षकों एवं छात्र–छात्राओं के अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं को प्रश्नावली के प्रश्नों के उद्देश्य, केवल शोध कार्य के लिये हैं, इसकी जानकारी गोपनीय रखी जावेगी, इसके वारे में पूर्णरूप से विश्वास दिलाकर आश्वस्त किया, तब जाकर छात्र एवं छात्राओं ने शिक्षकों की सहमति के पश्चात प्रश्नवाली के प्रश्नों के उत्तर प्रदान किये एवं ऐसे छात्र–छात्राओं को लाटरी विधि के आधार पर प्रतिदर्श के रूप में लिया गया, जिन्होनें वर्ष 2000 की दस, एस.एस.सी., उच्च माध्यमिक स्तर की प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हों, इस प्रकार दोनों प्रकार के विद्यालयों के 70–70 छात्रों से प्रश्नावलियों को भरवाया गया, तथा उन्हीं छात्र–छात्राओं के ऊपर परीक्षण किया गया, आंकड़ों के

संकलन के लिये प्रयुक्त प्रश्नावली स्वनिर्मित न होकर निम्नलिखित मापनी (प्रश्नावली) का प्रयोग किया गया।

"सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी (ग्रामीण)
(Socio-Economic Status Scale &Rural)

मापनी का विवरण एवं फलांकन विधि'–

इस मापनी को डॉ0 एस.पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित किया गया। इस मापनी में उन सभी सामाजिक आर्थिक स्तर के कारणों से सम्बन्धित प्रश्नों को समाहित किया गया है। जिनके द्वारा छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि प्रभावित होती है, इस प्रश्नावली में 20 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के विभिन्न भाग हैं, कुछ प्रश्नों के सम्मुख बने कोष्ठकों में, बालक को सम्बन्धित कोष्ठक में, सही का निशान (✓) लगाना होता है।

फलांकन के लिये इस मापनी के साथ 'स्कोरिंग की' साथ में होती है। जिसमें प्रश्नों के प्रत्येक भाग के लिये अंक दिये होते हैं, प्रत्येक प्रश्न में सभी खानो के बायी ओर राशि अथार्त अंक अंकित होते हैं, अतः प्रत्येक प्रश्न में सही का निशान किये हुए खानों के वायीं ओर अंकित राशियों को जोड लिया जाता हैं। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर हैं, तो उन सभी अंकों को जोडकर प्रत्येक प्रश्नावली का कुल स्कोर प्राप्त कर लिया जाता है।

विश्वसनीयता –

इस मापनी की विश्वसनीयता के मापन की गणना परीक्षण, पुनर्परीक्षण विधि द्वारा की गई है। जो 87 पाई गई।

वैद्यता– इस मापनी की वैधता परीक्षण द्वारा 57 से 89 के मध्य पायी गई है।

सांख्यिकीय का महत्व–

सांख्यिकीय अनुसंधान का मूल आधार वैज्ञानिक अध्ययन की वह कला तथा विज्ञान हैं, जिसके अन्तर्गत पूर्व निशिचित लक्ष्य के आधार पर अमूर्त तथ्यों का परिमापन, मापन तथा आंकड़ो का संकलन, वर्गीकरण एवं सामाजिक घटनाओं के विषय में अतुलनात्मक एवं तुलनात्मक ज्ञान उपलब्ध हो सके, और पर्याप्त मात्रा में सम्बन्धित घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में वैज्ञानिक स्तर पर भविष्य कथन की क्षमता उपलब्ध हो सके। इस प्रकार सांख्यिकी की, आवश्यकता, केवल आंकड़ो के विश्लेषण में ही नहीं, बल्कि उनके संकलन में भी रहती है, सांख्यिकी महत्वपूर्ण योगदान देती है, शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है–

प्राचीन युग में सांख्यिकी को राजनीतिक अंकगणित कहा जाता था, उस समय तक उसकी उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी। परन्तु सभ्यता के विकास के साथ–साथ, इस विज्ञान का क्षेत्र बढ़ता गया, और आजकल सामाजिक और प्राकृतिक सभी विज्ञानों की विभिन्न समस्याओं के तर्कपूर्ण विवेचन में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।

वालिस और रोवर्टस के शब्दों में–

''सांख्यिकी एक ऐसा साधन है जो अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जाता है।''

वालिस और रोवर्टस

आधुनिक सांख्यिकी को यदि मानव कल्याण का गणित (Orthmetic of humen welfare) कहा जाय, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

आजकल सांख्यिकी का उपयोग, शासन प्रबन्ध, आर्थिक नियोजन, व्यवसाय तथा वाणिज्य, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन क्षेत्रों में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, अर्थात सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, व्यापक महत्त्व है, ज्ञान

विज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकीय विधियों की उपयोगिता निरन्तर बढ़ती जा रही है, समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, भौतिकी व रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि अनेक विज्ञानों में सांख्यिकीय विवेचन नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी, अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन है।

एडवर्ड केने के अनुसार–

"आजकल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग ज्ञान एवं अनुसंधान की लगभग प्रत्येक शाखा में– आरेखीय कलाओं से लेकर, नक्षत्र भौतिकी तक और लगभग प्रत्येक प्रकार के व्यवहारिक उपयोग, संगीत रचना से लेकर प्रक्षेपास्त्र निर्देशन तक में किया जाता है।

एडवर्ड केने

"सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन के अनेक बिन्दुओं को स्पर्श करती है"

टिपेट

अर्थात् सांख्यिकी का प्रयोग इतना विस्तृत हो गया है, कि आज वह मानव क्रियाओं के प्रायः प्रत्येक पहलु को प्रभावित करता है।

Accrodeing to "Fergusen"

" Statistics deals with the collection, classification, description and interpretation of data obtained by the conduct of surveys and experiments"

"Fergusen"

सांख्यिकीय गणना –

प्रस्तुत शोध में आंकड़ो के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिये निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है।

नागर कैलाश नाथ :– " सांख्यिकीय के मूल तत्व"

1. मध्यमान

2. सह सम्बन्ध

विभिन्न उपसमूहों के मध्य सह सम्बन्ध निकालने के लिये (Kerl pearson's product moment method) पीयरसन गुणनफल आधूर्ण विधि का प्रयोग किया गया है।

मध्यमान –

"संख्यात्मक तथ्यों के विशाल समूह को पूर्णरूपेण समझने की मानव मस्तिष्क की अन्तर्निहित अयोग्यता, हम ऐसे अपेक्षाकृत थोडे स्थिर माप उपलब्ध करने को बाध्य करती है जो समंको की पर्याप्त रूप से व्याख्या कर सकें।

Ronald A. Fisher.

समंको के लक्षणों को कम से कम अंको में, सारांश रूप में प्रकट करने के लिये सांख्यिकी के केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्यों का परिकलन करना पड़ता है।

गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समान्तर माध्य (Mean or Arthmetic Average) है, वास्तव में जब हम सामान्य भाषा में औसत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा तात्पर्य समान्तर माध्य से ही होता है।

मध्यमान को गणित में औसत कहते हैं। उसी को सांख्यिकी में मध्यमान कहते हैं मध्यमान, केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों में से सबसे अधिक प्रचलित एवं शुद्ध गणना मानी जाती है।

"The arithmetic mean of a series is the figure obtained by dividing the sum of values of all items by their number"

मध्यमान की विशेषतायें–

नागर कैलाश नाथ :– " सांख्यिकीय के मूल तत्व"

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों में से सबसे अधिक विश्वसनीय है।
2. समूह के प्राप्ताकों के मध्यमान से विचलन का योग शून्य के बराबर होता है।
3. मध्यमान के प्राप्तांक के विचलन के वर्गो का योग न्यूनतम होता है।

(1) Long Method - $M = \frac{\Sigma fx}{N}$

Where M = Mean

Σ = Sum total

f = frequencies

x= mid point of class interival

" Short Method

$$M = AM + \frac{\Sigma fx^1}{N} \times I$$

Where AM = Assumed mean

Σ fx1 = Total of deviation in frequencies

I = Size of the class interval

सहसम्बन्ध –

एक चर समंक मालाओं का अध्ययन, विश्लेषण केन्द्रीय प्रवृत्ति के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन (Bivariate distributions) में होने वाले परिवर्तन जैसे प्रकाश के साथ–साथ ताप बढ़ता है, किसी वस्तु का उत्पादन बढने से मूल्य कम हो जाता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं –

दो सम्बद्ध समंक मालाओं में इस प्रकार की परस्पर आश्रितता का विधिवत सांख्यिकीय अध्ययन सहसम्बन्ध के सिद्धान्त (Theory of Cerrelation) के अन्तर्गत किया

नागर कैलाश नाथ :– " सांख्यिकीय के मूल तत्व"

जाता है।

जब दो या दो से अधिक चरों तथा घटनाओं में सहचर्यात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। तब ऐसे पारस्परिक संबन्धों को सहसम्बन्ध कहते हैं।

"सह सम्बन्ध का पूरा विषय पृथक विशेषताओं के बीच पाये जाने वाले उस पारस्परिक सम्बन्ध की ओर संकेत करता है, जिसके अनुसार वे कुछ मात्रा में साथ–साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

तो ऐसी स्थितियों में हम यह समझते हैं कि उनमें एक सम्बन्ध पाया जाता है यह सम्बन्ध ही सहसम्बन्ध कहलाता है।

- E Davenport

Accordeing to tattrrop

" Correlation indicates a joint relationship between two variables".

Lathrop, Richard Gi Introduction to psychology reseroch P. 209 (1969)

दो घटनाओं या चरों के मध्य सह सम्बन्ध प्रायः दो दिशाओं, समान दिशा तथा विपरीत दिशा में हो सकता है। दूसरे शब्दों में सह सम्बन्ध धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है।

सहसम्बन्ध के प्रकार–

सह सम्बन्ध सम्बद्ध समंक मालाओं में चर मूल्यों के परिवर्तनों की दिशा, अनुपात तथा मालाओं की संख्या के आधार पर निम्न लिखित भेद है।

1. धनात्मक सह सम्बन्ध और ऋणात्मक सह सम्बन्ध।
2. रेखीय तथा वक्र रेखीय सह सम्बन्ध।

नागर कैलाश नाथ :– " सांख्यिकीय के मूल तत्व"

3. सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सह सम्बन्ध।

1. **धनात्मक ऋणात्मक सह सम्बन्ध** (Positive and Negative Correlation)–

जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है अर्थात एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि या कमी हो तो धनात्मक सह–सम्बन्ध कहलाता है।

इसके विपरीत जब एक चर में वृद्धि हो तथा दूसरे में कमी या एक चर में कमीं हो और दूसरे चर में वृद्धि हो तो ऋणात्मक सह–सम्बन्ध कहलाता है।

2. **रेखीय तथा वक्र रेखीय सह सम्बन्ध** (Linear and Curvilinear Corralation) –

परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर सह सम्बन्ध रेखीय अथवा वक्र रेखीय हो सकता है।

यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात स्थायी होता है तो उनका सह–सम्बन्ध रेखीय कहलाता है।

जब दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात परिवर्तनशील होता है तो उनका सह–सम्बन्ध वक्र रेखीय कहलाता है

3. **"सरल बहुगुणी एवं आंशिक सह सम्बन्ध** (Simple, Multiple and Pertical Corre lation) –

दो चर मूल्यों के सह सम्बन्ध को सरल सम्बन्ध कहते हैं, दो मे से एक चर को आधार श्रेणी कहते हैं, तथा दूसरे चर को आश्रित चर Dependent variable कहते हैं ?

जब दो से अधिक चरों के मध्य सह–सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है, तो वह बहुगुणी हो सकता है, या आंशिक।

जब दो से अधिक चरों के मध्य सह सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है, तब दो चर मूल्यों को छोड़कर अन्य चर मूल्यों के प्रभाव को स्थिर रखकर केवल द्रो चर मूल्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन आंशिक सह–सम्बन्ध कहलाता है।

सह–सम्बन्ध गुणांक–

गेरेट के अनुसार

सह–सम्बन्ध गुणांक दो चरों में पाया जाने वाला ऐसा अनुपात है, जिससे यह पता चलता है, कि एक चर में होने वाले परिवर्तन, दूसरे चर में होने वाले परिवर्तनों पर, कितनी मात्रा में उसका अनुसरण करते हैं।

Garret H.S.

सह सम्बन्ध गुणांक के विस्तार एवं आकार की विभिन्न मात्राओं की गुणात्मक व्याख्या को निम्नलिखत सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी क्र. 5.3

सह सम्बन्ध गुणांक की मात्रा	गुणात्मक संख्या
0 to $\pm$ .20	Negligibleon नगण्य
.21 to $\pm$ .40	Low & Definite cor निम्न परन्तु निश्चित
.41 to .60	Moderate cor सामान्य मध्यम
.61 to $\pm$ .80	High Cor उच्च
-81 to $\pm$ .99	Excellent Cor
.99 $\pm$ 1.0	Perfect Cor पूर्ण

सह सम्बन्ध का परिमाण (Degree of Correlation)

1. पूर्ण सह सम्बन्ध–

जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात में तथा एक ही दिशा में हो तो, उनमें पूर्ण धनात्मक सह सम्बन्ध होता है, ऐसी स्थिति में सह समबन्ध गुणांक +1 होता है इसके विपरीत यदि दोनों चर मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात में परन्तु विपरीत दिशा में

नागर कैलाश नाथ :– " सांख्यिकीय के मूल तत्व"

हो तो उनमे पूर्ण ऋणात्मक सह सम्बंध होता है तथा इसका सह सम्बन्ध गुणांक -1 होता है।

पूर्ण सह सम्बन्ध भौतिक तथा गणितीय विज्ञानों में पाया जाता है।

2. सह सम्बन्ध की अनुपस्थिति –

यदि दो चरों में परस्पर आश्रितता बिल्कुल न पाई जावे, तो इस स्थिति को सहसम्बन्ध का अभाव कहते हैं ? ऐसी स्थिति में सह सम्बन्ध गुणांक 0 होता है।

3. सह सम्बन्ध के सीमित परिमाण– (Lemited degree of correlation)

सह सम्बन्ध के अभाव में और पूर्ण सह सम्बन्ध की स्थिति के बीच् सीमित परिमाण का धनात्मक या ऋणात्मक सह सम्बन्ध होता है।

आर्थिक, सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिकतर सीमित मात्रा का सह सम्बन्ध पाया जाता है। सह सम्बन्ध गुणांक शून्य से अधिक किन्तु 1 से कम होता है (70 but <1)

सह सम्बन्ध ज्ञात करने की विधियाँ–

1. विक्षेप चित्र या बिन्दु चित्र **(Scatter diagram or dot Diagram)**
2. बिन्दु रेखीय रीति **(Graphic method)**
3. कार्ल पिर्यसन का सह–सम्बन्ध गुणांक **(Karlpearson's Coefficient of Correlation)**
4. स्पियर मैन की कोटि अन्तर विधि **(Spearman's Ranking method)**
5. संगामी विचलन रीति **(Concurrent Deviation Methods)**
6. अन्य रीतियाँ **(Other Methods)**

प्रस्तुत शोध के आंकड़ो में सह सम्बन्ध ज्ञात करने के लिये पीयरसन गुणन आधूर्ण विधि का प्रयोग किया गया है, इस विधि के अन्तर्गत प्रकीर्ण आरेख पद विचलन रीति

का प्रयोग किया गया है, और फिर छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का उनके सामाजिक आर्थिक स्तर से सम्बन्ध ज्ञात किया गया।

$$r = \frac{\Sigma x^{!}y^{!}/N - cx^{!}cy^{!}}{\sqrt{\sigma x^{!} - \sigma y^{-!}}}$$

where $Cx^{!} = \frac{\Sigma fx^{!}}{N}$

$$\sigma x^{!} = \sqrt{\frac{\Sigma fx^{!2}}{N} - \frac{\Sigma fx^{!}}{N}^{2}}$$

$$cy^{!} = \frac{\Sigma fy^{!}}{N} \qquad \sigma y^{!} = \sqrt{\frac{\Sigma fy^{!2}}{N} - \frac{\Sigma fy^{!}}{N}^{2}}$$

Where r = Correlation

N = Total No of frequencies

$x^{!}y^{!}$ = Scores daviation from mean

$\sigma x^{!}$ = Standerd deviation of X variable

$\sigma y^{!}$ = Standerd deviation of Y score

f = frequencies

Σ = sum total

सह सम्बन्ध की विशेषताये:

1. किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करनें में सह सम्बन्ध का प्रयोग किया जा सकता है।
2. किसी परीक्षण की वैद्यता ज्ञात करने में, सह सम्बन्ध का प्रयोग किया जा सकता है।
3. दो चरों के पारस्परिक कारणात्मक सह सम्बन्ध का ज्ञान होता है।
4. सह सम्बन्ध गुणांक के माध्यम से, एक चर के गुण के आधार पर दूसरे चर के विषय में भविष्य कथन किया जा सकता है।
5. विभिन्न चरों के सम्बन्ध का विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जा सकता है।

नागर कैलाश नाथ :— " सांख्यिकीय के मूल तथ्य"

अध्याय 6.

प्रथम पक्ष-

- प्रदत्तों का संकलन

द्वितीय पक्ष-

- विश्लेषण, विवेचन, व्याख्या

तृतीय पक्ष-

- सीमांकन, निष्कर्ष,
- अध्ययन की उपयोगिता
- शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने
- वातावरण या परिवेश,
- सामाजिक क्रियाकलाप
- राजनीतिकरण
- भावी शोध के लिये सुझाव

प्रदत्तों का संकलन :–

प्रस्तुत शोध कार्य के लिये प्रदत्तों के संकलन के लिये सागर संभाग के सभी (पांचो) जिलो से शा.उ.मा.वि. के छात्रों एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के वार्षिक परीक्षाफल के प्राप्ताकों को प्राप्त करने के लिये काफी कठिनाई हुई– जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्राचार्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया, व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर भी जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्राचार्यो ने एस.ई एस. मापनी छात्रों से भरवाने एवं उनके वर्ष 2000 की वार्षिक परीक्षाफल के प्राप्ताकों को उपलब्ध करवाने हेतु, क्षेत्रीय कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय भोपाल के संचालक से अनुमति के पश्चात प्रदान करने की बात कही, तत्पश्चात भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क किया गया, संचालक जवाहर नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को लिखित आवेदन उपरोक्त आंकड़ो को प्राप्त करने हेतु दिया गया।

कुछ महीनों के पश्चात संचालक जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्राचार्यों को आदेशित किया, तब अधिक विलम्ब के पश्चात, वार्षिक परीक्षाफल 2000 कक्षा दस का प्राप्त हो सका, एवं एस.ई.एस. मापनी की, प्रश्नावली को छात्रों से भरवाया जा सका, कुछेक जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के वार्षिक परीक्षाफल एवं सामाजिक आर्थिक स्तर की मापनी के प्रपत्र आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

शा० विद्यालय के प्राचार्यो से परीक्षाफल वर्ष 2000 एवं सामाजिक आर्थिक स्तर की मापनी को प्राप्त करने के लिये बार–बार सम्पर्क किया गया। पत्राचार किया गया, इसके पश्चात व्यक्तिगत सम्बन्धो के आधार पर छात्रों से सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी को भरवाया गया है, तथा प्राचार्यो को पूर्णतया: शोध कार्य में प्रयुक्त किये जाने का आश्वासन देने के पश्चात, उन्होनें छात्रों का वर्ष 2000 का परीक्षा फल प्रदान किया।

संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालय के 70 छात्रों से सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी को भरवाया गया, तथा उन्हीं छात्रों के, कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा 2000 के प्राप्तांक लिये गये हैं।

इसीप्रकार संभाग के लगभग 300 शा0उ0मा0वि0 में से चुने गये, विद्यालयों में से कक्षा दस के लगभग 70 छात्रों का वार्षिक परीक्षा 2000 के परीक्षाफल एवं सामाजिक आर्थिक स्तर की मापनी को भरवाया गया है।

विश्लेषण, विवेचन, व्याख्या

अनुंसधान प्रक्रम में संकलित आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सबसे पहला कार्य आंकड़ों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत सामग्री को व्यवस्थित एवं संक्षिप्त करने के लिये, समान एवं असमान लक्षणों के अनुसार समान लक्षणों वाली सामग्री को एक भाग में, एवं असमान लक्षणों वाली सामग्री को दूसरे भाग में रखते हैं, ऐसा करने से अनुसंधान की सामग्री में स्पष्टता आती है।

इस संबंध में प्रो0 हंस ने लिखा है–

"सामग्री को उसकी समात्मता एवं समानता के अनुसार समूह अथवा वर्गो में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को परिभाषित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है"।

प्रो0 हंस

वर्गीकृत सामग्री के सारणीयन के पश्चात, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, इसके अन्तर्गत प्राप्त मूल आंकड़ो को प्रतिशतों, माध्यों, पारस्परिक सह सम्बन्धों में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाता हैं, और उपयुक्त परीक्षणों का प्रयोग किया जाता हैं, ताकि अध्ययन समस्या में उठाये गये प्रश्नों के समुचित उत्तर उपलब्ध हो सकें।

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तत्व"

अनुसंधान से सम्बन्धित आंकड़ो के विश्लेषण के साथ ही विवेचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

करलिंगर के शब्दो में–

"विवेचन के अन्तर्गत विश्लेषण के परिणामों को लिया जाता है, इसके द्वारा अनुसंधान के अन्तर्गत प्राप्त संबंधों के तर्क संगत आधार पर, अनुमान लगाये जाते हैं, और अध्ययन से सम्बन्धित सम्बन्धों के प्रति निष्कर्ष ज्ञात किये जाते हैं"।

प्रस्तुत शोध में सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं द्वरा भरवायी गई, प्रश्नावलियों से, प्राप्त आंकडों की एक सारणी बनायी गई, तत्पश्चात उन आंकड़ो की आवृति वितरण सारणी बनाई गई, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि की आवृत्ति वितरण सारणी और सामाजिक आर्थिक स्तर की आवृत्ति वितरण की सारणी अलग बनाई गयी। और प्रत्येक सारणी का मध्यमान निकाला गया।

इसीप्रकार शा0 उ0मा0 वि0 के छात्र छात्राओं के लिये भी शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक आर्थिक स्तर की आवृत्ति वितरण सारिणी अलग–अलग बनाकर मध्यमान निकाला गया।

इसके उपरान्त जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र, छात्राओं एवं शा. उ.मा. वि. के छात्र छात्राओं के दोनो चरों (शैक्षिक) उपलब्धि और सामाजिक आर्थिक स्तर के सह सम्बन्ध को ज्ञात करने के लिये, प्रकीर्ण आरेख तैयार किया गया, और तत्पश्चात पीयरसन गुणनफल आधूर्ण विधि द्वारा सह सम्बन्ध ज्ञात किया गया।

सुखिया, एस.पी. :– " शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तत्व"

सारणी क्र. 6.1

जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्यमानों की सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	मध्यमान
1.	शैक्षिक उपलब्धि	306.08
2.	सामाजिक आर्थिक स्तर	123.79

सारणी क्र. 6.2

शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्यमानों की सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	मध्यमान
1.	शैक्षिक उपलब्धि	239.00
2.	सामाजिक आर्थिक स्तर	91.8

सारणी क्र. 6.3

जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य सह सम्बन्ध

क्रमांक	क्षेत्र	मध्यमान	सहसम्बन्ध
1.	शैक्षिक उपलब्धि	306.08	.30
2.	सामाजिक आर्थिक स्तर	123.79	

सारणी—6.4

शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सह सम्बन्ध की सारणी

क्रमांक	क्षेत्र	मध्यमान	सह सम्बन्ध
1.	शैक्षिक उपलब्धि	229	.94
2.	सामाजिक आर्थिक स्तर	91.8	

विश्लेषण एवं व्याख्या—

सारणी नं. 6.1 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान 306.08 है, जो अधिकतर छात्रों के हाईस्कूल के प्राप्तांकों के नजदीक है। जबकि उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान 123.79 है।

सारणी नं. 6.2 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यममान 229 है, जो अधिकतर शा. उ.मा.वि. के छात्रों के प्राप्तांक के नजदीक है, जबकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान 91.8 है।

उपर्युक्त दोनों सारणीयों से स्पष्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, शा. उ.मा.विद्या. के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से **उच्च** है, अर्थात् जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों का हाईस्कूल का परीक्षाफल, शा. उ.मा. वि. के छात्रों के हाईस्कूल परीक्षाफल से **उत्तम** है।

सारणी नं. 6.3 से स्पष्ट है, कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक आर्थिक स्तर का मध्यमान क्रमशः 306.08 एवं 123.79 है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर से सह सम्बन्ध सीमित और निश्चित घनात्मक सह सम्बन्ध है, जो यह स्पष्ट करता है। कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सह सम्बन्ध निम्न कोटि का परन्तु निश्चित है, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि को सामान्य रूप से प्रभावित करती है। शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक, आर्थिक स्तर के मध्यमान क्रमशः 306.08 व 123.79 हैं,

इसी प्रकार **सारणी नं. 6.4** से स्पष्ट होता है, कि शा. उ.मा.वि. के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्यमान क्रमंशः 229 .00 एवं 91.8 हैं इनके बीच सह सम्बन्ध .94 है, जिससे सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि यह सह सम्बन्ध (Excelent) पूर्ण धनात्मक है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि शा. उ. मा. वि. के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव विशेष रूप से जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शासन की ओर से स्वच्छ सर्वसुविधायुक्त परिसर में आवास, भोजन एवं शैक्षिक सहायक सामग्री, ड्रेस, पुस्तकें, चिकित्सा सुविधा, बहुमुखी विकास हेतु विविध– क्रिया कलाप, परिवार जैसा वातावरण विद्यालयों में ही प्रदान किया जिाता है, जबकि शा0उ0मा0वि0 के छात्रों को अपनी पारिवारिक, सामाजिक आर्थिक तंगी की पृष्ठभूमि मे अध्ययन करना पड़ता है।

चूंकि दो चरों में पारस्परिक सह सम्बन्ध के ज्ञात होने पर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, और उसके विषय में भविष्य कथन किया जा सकता है, परन्तु दोनों चरों के वास्तविक सम्बन्ध विषय में पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती है, इसके वास्तविक निष्कर्ष के लिये यह आवश्यक है, कि सह सम्बन्ध की सार्थकता के लिये विश्वास के स्तरों पर सारिणी के निर्धारित मानों से इस सह सम्बन्ध की सार्थकता की जॉच की जाय। जो निम्नबत है।

सारणी क्र. – 6.5

क्र.	क्षेत्र	परीक्षार्थियों की संख्या N	मध्यमान शैक्षिक उपलब्धि	मध्यमान सामा0 आर्थिक स्तर	सह सम्बन्ध
1.	शा.उ.मा.वि संभाग सागर	70	229	91.8	.94
2.	जवाहर नवोदय वि. संभाग सागर	70	306.08	123.79	.30

Significant at .05 level

Significant at .01 level

सारणी नं. 6.5 के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्यमानों तथा शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्यमानों और दोनों प्रकार के चरो के मध्य सह सम्बन्ध की सार्थकता की जाँच की गई, जिसके द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के लिये यह मान .30 तथा शा. उ.मा.वि. के छात्रों के लिये सहसम्बन्ध गुणांक का मान .94 प्राप्त हुआ।

.05 तथा .01 सार्थकता के स्तर पर सह सम्बन्ध का मान सार्थक होने के लिये गैरेट की Table -25 (Corrclation coffecient at 5% and 1% leval of Significance from Garrete Table) के अनुसार यह मान क्रमशः .304 एवं .393 होना चाहिये।

उपर्युक्त सारिणी में परिगणितीय सह सम्बन्ध जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के लिये .30 है, अतः जो सारिणी के मान के बराबर है अतः .05 व .01 विश्वास के स्तर पर हमारी प्रायोगिक परिकल्पना जवाहर नवोदय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पडता है, परिकल्पना स्वीकृत की जाती है,

कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य जो सम्बन्ध दृष्टिगोचर हो रहा है, वह संबंध सार्थक और वास्तविक है, तथा यह सम्बन्ध संयोगवश अथवा प्रतिदर्श की त्रुटियों के कारण नहीं है।

इसी प्रकार सारणी नं. 6.5 से स्पष्ट है, कि शा0 उ0मा0वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य सह सम्बन्ध का मान .94 है। जो कि .05 विश्वास के स्तर पर सारणी के मान से अधिक है, अतः .05 विश्वास के स्तर पर हमारी परिकल्पना शा.उ.मा.वि. के छात्रों की शैक्षिक पर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है, स्वीकृत की जाती है।

शा. उ.मा. वि. के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके सा. आर्थिक स्तर के मध्य जो सम्बन्ध है वह मात्र केवल संयोगवश या प्रतिदर्श की त्रुटियों के कारण नहीं है बल्कि यह सम्बन्ध वास्तविक है,

अतः हम कह सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उनके सामाजिक आर्थिक स्तर से कम प्रभावित होती है। तथा शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उनके सामाजिक आर्थिक स्तर से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होती है।

सारणी नं. 6.5 से स्पष्ट होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के बीच सह सम्बन्ध 30 है। तथा शा0 उ0 मा0 वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के बीच सह सम्बन्ध .94 है। जो यह प्रदर्शित करता है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य उच्च धनात्मक सह सम्बन्ध है।

सारणी क्र0 6.1 एवं 6.2 से स्पष्ट है, कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के अंक 306.08 के आस–पास है, जबकि शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों के हाईस्कूल परीक्षा के अधिकांश छात्रों के परीक्षा प्राप्तांक 229 के आस–पास हैं।

जिससे स्पष्ट होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि शा0 उ0मा0वि0 के छात्रों से उच्च है।

जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर का प्रभाव नहीं पडता है, जबकि शा0उ0मा0वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

तृतीय पक्ष

सीमांकन, निष्कर्ष, उपलब्धि, सुझाव एवं भावी शोध के लिये सुझाव–

किसी भी शोध का कार्य, विस्तृत एवं व्यापक होता है, अतः इसके अध्ययन के लिये, शोध के विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र को संकुचित करना अत्यन्त आवश्यक होता हैं, जिससे शोध का स्वरूप स्पष्ट, सूक्ष्म एवं गहन हो सके।

प्रस्तुत शोध कार्य में समय एवं उपयुक्त साधनों के अभाव में, अध्ययन का परिसीमन किया गया है। जिससे शोध के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रस्तुत शोध मे समस्या का सीमांकन इस प्रकार है–

1. प्रस्तुत शोध की समस्या के अध्ययन हेतु सागर संभाग के शा0 उ0 मा0 विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों की जनसंख्या (छात्र,छात्रों) से प्रतिदर्श को चुना गया है।
2. प्रस्तुत शोध में, समस्या के अध्ययन हेतु केवल छात्र, छात्राओं को चुना गया है।
3. प्रस्तुत शोध की समस्या के अध्ययन हेतु केवल उन छात्र छात्राओं को चुना गया है जो वर्ष 2000 की मा0 शिक्षा मण्डल, म0प्र0 परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं।
4. समय एवं साधनों की कमी के कारण, प्रस्तुत शोध में छात्र–छात्राओं के केवल दो

चरों, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक, आर्थिक स्तर का प्रयोग किया गया है।

5. प्रस्तुत शोध की समस्या के अध्ययन के लिये प्रतिदर्श की संख्या 140 रखी गई है जिसमें से 70 छात्र छात्रायें शा0 उ0मा0 वि0 के हैं, तथा 70 छात्र छात्रायें जवाहर नवोदय विद्यालयों से हैं। को सम्मिलित किया गया है।
6. दोनो प्रकार के विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मध्य सह सम्बन्ध ज्ञात करने के लिये "गुणनफल आघूर्ण विधि" का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष–

परिकल्पना परीक्षण –

1. निर्मित –परिकल्पना :

जवाहर नवोदय विद्यालयों का स्वरूप आवासीय है, उनमें अध्ययनरत् छात्रों को सामाजिक पारिवारिक एवं आर्थिक परिवेश प्रदान किया जाता है। जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर इनका प्रभाव नहीं पडता है तथा शैक्षिक उपलब्धि अन्य विद्यालयों के छात्रों से उच्चतम होती है

उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर प्राप्त परिणाम का परीक्षण करने पर पता चलता है कि हमारी प्रायोगिक परिकल्पना .01 विश्वास के स्तर पर सार्थक स्वीकृत की जाती है, और जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को विद्यालय परिसर में सर्वोत्तम सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनकी शैक्षिक उपलब्धि अन्य विद्यालयों की अपेक्षाकृत उच्चतम होती है।

2. " शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों के विद्यालयों का स्वरूप गैर आवासीय है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्तर का गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों से निम्नतम होती है"

उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर प्राप्त परिणाम का सार्थकता के स्तर पर परीक्षण करने से स्पष्ट होता है, कि हमारी प्रायोगिक परिकल्पना .05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत होती है इससे स्पष्ट होता है, कि शा0उ0मा0 विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियों का जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की तुलना में गहरा प्रभाव पड़ता है। जिससे उनकी वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल, शैक्षिक उपलब्धियाँ, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से निम्नतम रहती है।

3. निर्मित परिकल्पना –

"जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, शा0 उ0मा0वि0 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से उच्चतम या न्यूनतम हो सकती है।

उपरोक्त परिकल्पना के अध्ययन से स्पष्ट है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के अधिकांश छात्रों का वर्ष 2000 की केन्द्रीय मा0 शिक्षा मण्डल की दस की परीक्षा में शैक्षिक उपलब्धि, शा0 उ0मा0 वि0 के छात्रों की वर्ष 2000 की मा0 शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा दस की परीक्षा में शैक्षिक उपलब्धि, से उच्चतम है।

अध्ययन की उपयोगिता :–

प्रस्तुत शोध सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शा0 उ0मा0 वि0 के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के तुलनात्मक अध्ययन, विशेषकर सामाजिक, पारिवारिक आर्थिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में है।

अध्ययन से प्राप्त परिणाम के आधार पर यह स्पष्ट होता है, कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सर्वोत्तम, अधिक से अधिक सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक, बहुमुखी विकास हेतु सुविधायें उपलब्ध करवायी जाती है; उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होती है। और जिन विद्यालयों के छात्र, छात्राओं को अध्ययन हेतु सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं, घरेलु, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं; उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है, और निम्न होती है।

अर्थात् छात्र छात्राओं के बहुमुखी विकास, शैक्षिक उपलब्धि के विकास के लिये, उनके सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर का विकास आवश्यक है, तभी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अधिक हो सकती है।

अतः स्पष्ट है, कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनका सामाजिक, आर्थिक स्तर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यदि सामाजिक, आर्थिक स्तर अच्छा है, तो निश्चित ही शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम बनायी जा सकती है, यह दोनों चर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि को बढाये जाने के लिये, महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिये, क्योंकि छात्र–छात्राओं की शिक्षा, समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनानै में महत्वपूर्ण योगदान करती है, देश का भविष्य उज्वल हो, इसके लिये आवश्यक है, कि छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाया जावे। चूंकि देश का भविष्य आने वाली नई पीढ़ी के हाथों में है, अतः यह आवश्यक है, कि आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को उत्कृष्ट एंव उन्नत बनाया जाये।

आज विज्ञान ने हर क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, कि हर कार्य यांत्रिक गतिविधियों द्वारा सम्पन्न होता है आज के युग को, 21 वीं सदी का कम्प्यूटर का युग कहा जाता है, हर क्षेत्र में कम्प्यूटर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यह सब शिक्षा की ही देन है, लेकिन फिर भी हमारा देश अभी भी अन्य कुछ देशों से कई क्षेत्रों में पीछे है, देश को हर क्षेत्र में अधिक से अधिक विकसित करने हेतु, छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, और उनके सामाजिक स्तर को उच्च बनाने के साथ–साथ, उनकी आर्थिक स्थिति को भी उन्नत किया जाये।

शा0उ0मा0वि0, एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं को आने वाली आर्थिक, शैक्षिक असुविधाओं को सरकार को दूर करने के प्रयास करना चाहिये, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता, व्यवसायीकरण, शिक्षा माफियाओं की अराजकता को समाप्त कर, उचित दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करना अतिआवश्यक है।

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को दूर किया जाना चाहिये, एक ओर तो अंग्रेजी माध्यम के सर्व सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय तथा पब्लिक

स्कूल (सिंधिया पब्लिक स्कूल), दून पब्लिक स्कूल, मेयो कालेज अजमेर, डेली कालेज इन्दौर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे सर्व सुविधा सम्पन्न विद्यालय हैं, तथा दूसरी ओर हिन्दी माध्यम के, अभावग्रस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय विद्यालय, जिनमें पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, न ही सामाजिक आर्थिक सुविधायें है।

अतः शिक्षा के विकास में इस भेदभाव को समाप्त करना, अनिवार्य ही नहीं अति अनिवार्य हो गया है। इसी कारण छात्र छात्रायें, अपनी शिक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है।

वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है, कि बालिका विद्यालयों की प्रशासन व्यवस्था अपेक्षाकृत बालक विद्यालयों से अधिक अच्छी है। बालिका विद्यालयों में सभी शिक्षक, शिक्षिकायें समय से आते हैं, विद्यालय की समस्त छात्राओं पर अनुशासन अधिक रहता है, छात्राओं को विद्यालय समय में, विद्यालय से बाहर घूमने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि बालक विद्यालयों में अनुशासन व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, अवसर मिलते ही छात्र विद्यालय से बाहर निकलकर घूमते रहते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में नियमित रूप से नहीं जाते हैं, शिक्षक छात्रों पर अधिक ध्यान न देकर अन्य कार्यो में संलग्न रहते हैं। परिणाम स्वरूप देखने को यह मिलता है, कि छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है, शा0उ0मा0वि0 तथा अशासकीय उ0मा0वि0 की प्रशासन व्यवस्था जवाहर नवोदय विद्यालय की तुलना में बहुत ही खराब है, शा0 विद्यालयों मे न तो शिक्षक शिक्षण सामग्री, भौतिक साधनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों की बेहद कमी है, वहीं पर प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सी कमियाँ पाई जाती हैं, जिससे शिक्षकों, छात्रों के मध्य अनुशास्नहीनता बढ़ रही है। शिक्षा के प्रति छात्रों का लगाव कम हो रहा है। छात्रों के नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो रही है ।

शैक्षिंक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक–

चूंकि छात्र–छात्राओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है, परन्तु इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर कुछ अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार हैं

1. आर्थिक पक्ष–

वर्तमान समय में आमतौर पर देखा जाता है, कि जिन परिवारों के छात्रों या छात्राओं के माता–पिता या अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह अपने बालक–बालिकाओं को अधिक अच्छी शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रयासरत रहतें हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले, छात्रों में से कुछ छात्र बहुत गरीब परिवार के होते हैं जिससे उनकी शिक्षा संबंधी समस्त सुविधायें पूर्ण नहीं हो पाती, उनकी शिक्षा बाधित होती है, गरीब परिवार से जुड़े हुये छात्रों को अपनी शिक्षा के लिये रुपये स्वयं कमाने पड़ते है, अतः छात्र अपनी शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्याान नहीं दे पाता, जिसका परिणाम यह होता है, कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है

2. सामाजिक वातावरण–

सामाजिक वातावरण का छात्र–छात्राओं को शैक्षिक उपलब्धि से गहरा संबंध है, तथा शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है, समाज ऐसा कारक है जो बालक को उसकी बाल्यावस्था से ही प्रभावित करता है, बालक जिस प्रकार के समाज में रहकर बड़ा होता है, और शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी आदतें और शिक्षा भी उसी समाज के अनुरूप होती है, उदाहरण के लिए एक अच्छे समाज में रह कर पढ़ने वाला छात्र सुशील एवं सभ्य होता है, जबकि गन्दे समाज में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र बुरी आदतों से प्रभावित होता है और उसकी शिक्षा भी प्रभावित होती है, बालक का समाज उसके आस–पास के मित्र एवं अन्य लोग होते हैं, जिस प्रकार के बालक के मित्र होगें, उसका भी स्वभाव मित्रों के अनुरूप होगा, सामाजिक वातावरण बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है।

छात्राओं की अपेक्षा छात्रों पर उनके समाज का प्रभाव अधिक पड़ता है, कारण यह है कि छात्र विद्यालय के उपरान्त अपने इष्ट मित्रों के साथ इधर–उधर सैरसपाटे में चला जाता है, उसके माता–पिता का भी प्रतिबन्ध उस पर अधिक नहीं होता है, परिणाम यह होता है कि वह अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दे पाता है, इसके विपरीत छात्राओं

पर उनके माता–पिता का दबाव होता है, समाज की निगाहें होती हैं, इस कारण छात्रायें घर में रहकर अपने घरेलू कामकाजों के साथ पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं जिससे छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि छात्रों से अधिक होती हैं।

कारण यह है कि छात्र विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं के कार्यों में सलग्न रहने के कारण छात्र अपनी शिक्षा पर पूर्णरूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि छात्रायें सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं से जुड़ी नहीं होती है। अतः छात्राओं की शिक्षा और उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित नहीं होती, जबकि छात्रों के सामाजिक क्रियाकलापों में संलग्न होने के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, परिणाम यह होता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है, शा0उ0मा0वि0 एवं अशासकीय उ0मा0वि0 के छात्रों की अपेक्षा जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उच्चतम होती है।

3. विद्यालयीन वातावरण या परिवेश–

विद्यालय का वातावरण एवं प्रशासन छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि को विशेष रूप से प्रभावित करता है विद्यालय का परिवेश व अनुशासन अच्छा होने पर विद्यालयों में पढ़ाई ठीक प्रकार से होती है, अनुशासन होने पर छात्र–छात्रायें कक्षाओं में ठीक प्रकार से शिक्षा में संलग्न रहतें हैं इसके विपरीत यदि विद्यालय का अनुशासन टीक नहीं है तो छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होती है

4. राजनीतिकरण –

राजनीति भी विद्यालयों के उपर प्रभावी प्रभाव डालती हैं, तत्कालीन राजनीति चाहे, केन्द्र की हो या राज्य शासन की हो, जो भी पार्टी जिस पंचवर्षीय योजना में सत्तासीन होती है, वह शिक्षा के स्वरूप को तोड मरोड़कर विकृत कर देती है, विषयों के अन्तर्गत आने वाली पाठ्य वस्तुओं, कथानकों, महापुरूषों के चरित्रों को सामाजिक विषयों में समाहित कर या पाठ्यक्रम से विशेष महापुरूषों से सम्बन्धित पाठ्य वस्तुओं को हटाकर राजनीति का खेल

खेलती है। जिससे बार–बार विषयों की विषय वस्तुओं में परिवर्तन करने से पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता कम हो जाती है, छात्र, छात्राओं के ऊपर राजनीति का प्रभाव पड़ता है।

चुनाव, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा, या विधानसभा का चुनाव हो, महीनों पहले से शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यो में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य नहीं कर पाते, छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाते हैं, और छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है, छात्रों को नेतागण चुनाव के समय चुनाव प्रचार में उपयेाग करते हैं, जिससे छात्र शिक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि निश्चित रूप से प्रभावित होती है।

उ0मा0स्तर की शिक्षा, राज्य सरकारों के द्वारा नियंत्रित होती है, अतः समय समय पर सरकार के बदलने पर शिक्षा के नियम, कानून बदल दिये जाते हैं, पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है शैक्षिक कैलेण्डर बदल दिया जाता है, शिक्षा प्रशासन का स्वरूप बदल दिया जाता है, परीक्षाओं का पैटर्न (स्वरूप) बदल दिया जाता है, जिसके कारण भी छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हाती है। अतः यह कहा जा सकता है, कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित होने का मुख्य कारण राजनीति भी है।

सुझाव–

प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. शासन को जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के समान, शा0 उ0मा0वि0 के छात्र छात्राओं को आवासीय, आर्थिक, शैक्षिक सुविधायें प्रदान करना चाहिये।
2. शासकीय विद्यालयों एवं अशासकीय विद्यालयों को शासन को जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान आर्थिक, सहायता प्रदान करना चाहिये।
3. छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के समान, निःशुल्क आवासीय, आर्थिक, शैक्षिक, सुविधाओं के साथ साथ केन्द्रीय मा0 शिक्षा मण्डल का निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करना चाहिये। जिससे शैक्षिक समानता, समरूपता पूरे देश में लागू की जा सके।
4. शासन को विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना चाहिये। जिससे अभिभावक अपने बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा के लिये प्रेरक के रूप में कार्य कर सके।

5. शिक्षा के प्रशासन, परीक्षा का स्वरूप, पाठयक्रम का स्वरूप पूरे देश में एक समान होना चाहिये।

6. केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान सभी शिक्षकों को वेतनमान प्रदान किया जाना चाहिये तथा शिक्षकों को शिक्षा के व्यवसाय के प्रति जागरूक बनाया जावे, उन्हें शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षकीय कार्यो में नही लगाया जाना चाहिये।

7. जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के समान समस्त सुविधायें, राज्य शासन के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शैक्षणेत्तर कर्मचारियों को दी जाना चाहिये।

8. शिक्षण संस्थाओं को, शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा पाठ्यक्रम को राजनीतिकरण से परे होना चाहिये।

9. विद्यालयों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिवेश प्रदान करने के लिये विशिष्ट उपाय किये जाना चाहिये।

10. प्रत्येक जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले, सर्वसुविधा युक्त विद्यालय चलायें जाना चाहिये, जो जिले के अन्य विद्यालयों की शिक्षा के लिये उदाहरण एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

भावी शोध के लिये सुझाव –

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शा0 उ0मा0वि0 के छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, उनकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में किया है।

सागर संभाग के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं शा0 उ0मा0वि0 के छात्रों की जनसंख्या के प्रतिदर्श से प्राप्त सभी आंकड़ो का अध्ययन करके उचित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

इस सम्बन्ध में अग्रिम शोधो के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 सागर संभाग के अशा. उ.मा.वि. एवं अनुदान प्राप्त अशा.उ.मा.वि. के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

2. सागर संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के

सामाजिक, आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

3. केन्द्रीय मा. शिक्षा मण्डल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल के पाठयक्रम का समालोचक अध्ययन किया जा सकता है।

4. स्नातक स्तर पर, बालिका महाविद्यालयों एवं बालक महाविद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

5. छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी बुद्विलब्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

6. (बुन्देलखण्ड) सागर संभाग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन किया जा सकता है।

7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

Table No. 1

Raw scores of J.N.V. boy's Educational Acheivement & Socio - Economic status Scores

S.No.	E.A.	S.E.S.	S.No.	E.A.	S.E.S.
1-	244	120	36-	312	125
2-	395	130	37-	319	130
3-	259	90	38-	285	110
4-	264	110	39-	311	120
5-	283	80	40-	286	115
6-	398	130	41-	382	130
7-	239	80	42-	289	125
8-	315	132	43-	283	120
9-	258	120	44-	393	130
10-	289	125	45-	266	110
11-	347	130	46-	318	130
12-	241	125	47-	356	130
13-	315	130	48-	280	110
14-	267	120	49-	311	130
15-	290	120	50-	279	115
16-	245	125	51-	276	115
17-	285	120	52-	326	130
18-	254	120	53-	304	130
19-	277	105	54-	273	120
20-	239	110	55-	289	110
21-	280	115	56-	362	130
22-	311	120	57-	310	130
23-	300	130	58-	365	130
24-	273	100	59-	249	110
25-	244	115	60-	386	130
26-	268	120	61-	344	125
27-	304	130	62-	332	130
28-	281	110	63-	405	135
29-	356	135	64-	268	120
30-	278	120	65-	335	125
31-	290	125	66-	348	130
32-	299	127	67-	382	145
33-	306	130	68-	386	130
34-	334	135	69-	303	120
35-	270	110	70-	407	140

Table No. 2

Raw scores of G.H.S.S. boy's Educational Acheivement & Socio - Economic status Scores

S.No.	E.A.	S.E.S.	S.No.	E.A.	S.E.S.
1-	222	76	36-	217	105
2-	340	118	37-	96	60
3-	225	53	38-	176	90
4-	212	92	39-	185	100
5-	218	106	40-	239	105
6-	218	90	41-	225	110
7-	286	96	42-	201	80
8-	263	90	43-	257	90
9-	262	134	44-	222	80
10-	230	90	45-	201	92
11-	194	88	46-	163	80
12-	301	124	47-	214	90
13-	286	142	48-	206	88
14-	218	76	49-	227	80
15-	214	102	50-	120	90
16-	284	78	51-	192	100
17-	225	90	52-	100	110
18-	248	110	53-	159	80
19-	337	88	54-	222	90
20-	391	92	55-	210	92
21-	408	110	56-	313	80
22-	356	120	57-	293	90
23-	284	118	58-	173	90
24-	346	80	59-	159	100
25-	300	150	60-	274	80
26-	287	85	61-	256	72
27-	300	100	62-	156	80
28-	234	60	63-	93	65
29-	271	72	64-	98	64
30-	130	60	65-	90	66
31-	149	80	66-	93	62
32-	253	100	67-	118	65
33-	140	80	68-	192	75
34-	212	60	69-	181	75
35-	208	100	70-	165	95

Table No.3
Frequency distribution of J.N.V. boy's Educational Acheivement

	CI	Tollies	Frequencies
1-	400-419	II	2
2-	380-399	卌 II	7
3-	360-379	II	2
4-	340-359	卌	5
5-	320-339	卌	4
6-	300-319	卌 卌 II	12
7-	280-289	卌 卌 IIII	14
8-	260-279	卌 卌 II	12
9-	240-259	卌 III	8
10-	220-239	II	2
11-	200-219		
			70

Table No.4
Frequency distribution of J.N.V. boy's Socio - Economic status Scores

	CI	Tollies	Frequencies
1-	160-169		
2-	140-159	II	2
3-	120-139	卌 卌 卌 卌 卌 卌 卌 卌 卌 IIII	49
4-	100-119	卌 卌 卌 I	16
5-	80-99	III	3
			70

Table No.5
Frequency distribution of G.H.S.S. boy's Educational Acheivement

	CI	Tollies	Frequencies
1-	400-419	I	1
2-	380-399	I	1
3-	360-379	0	0
4-	340-359	III	3
5-	320-339	I	1
6-	300-319	IIII	4
7-	280-289	卌 I	6
8-	260-279	IIII	4
9-	240-259	IIII	4
10-	220-239	卌 卌	10
11-	200-219	卌 卌 III	13
12-	180-199	卌	5
13-	160-179	IIII	4
14-	140-159	卌	5
15-	120-139	II	2
16-	100-119	II	2
17-	80-99	卌	5
			70

Table No.6
Frequency distribution of G.H.S.S. boy's S.E.S. Score

	CI	Tollies	Frequencies
1-	150-169	I	1
2-	130-149	II	2
3-	110-129	卌 III	8
4-	90-109	卌 卌 卌 卌 卌 II	27
5-	70-89	卌 卌 卌 卌 II	22
6-	50-69	卌 卌	10
			70

Table No.7
Table for Mean of J.N.V. boy's E.A. Score

	CI	F.	X^{I}.	FX^{I}
1-	400-419	2	5	10
2-	380-399	7	4	28
3-	360-379	2	3	6
4-	340-359	5	2	10
5-	320-339	4	1	4
6-	300-319	14	0	0
7-	280-289	14	-1	-14
8-	260-279	12	-2	-24
9-	240-259	8	-3	-24
10-	220-239	2	-4	-8
		70		E fx^{I} = -12

Table No.8
Table for Mean of J.N.V. boy's S.E.S. Score

	CI	F.	X^{I}.	FX^{I}
1-	140-159	2	-1	2
2-	120-139	49	-0	0
3-	100-119	16	-1	-16
4-	80-95	3	-2	-6
		70		$\Sigma fx^{I} = -20$

$$m = 309.5 + \frac{-12}{70} \times 20$$

309.5+(3.42)
= 306.08

$$m = 129.5 + \frac{-20}{70} \times 20$$

129-5 + (.5.71)
123.79 .

Table No.9
Table for Mean of G.H.S.S. boy's E.A. Score

	CI	F.	X'.	FX'
1-	400-419	1	8	8
2-	380-399	1	7	7
3-	360-379	0	6	0
4-	340-359	3	5	15
5-	320-339	1	4	4
6-	300-319	4	3	12
7-	280-289	6	2	12
8-	260-279	4	1	4
9-	240-259	4	0	0
10-	220-239	10	-1	-10
11-	200-219	13	-2	-26
12-	180-199	5	-3	-15
13-	160-179	4	-4	-16
14-	140-159	5	-5	-25
15-	120-139	2	-6	-12
16-	100-119	2	-7	-14
17-	80-99	2	-8	-16
		70		$\Sigma fx' = -72$

Table No.10
Table for Mean of G.H.S.S. boy's S.E.S. Score

	CI	F.	X^{I}.	FX^{I}
1-	150-169	1	3	3
2-	130-149	2	2	4
3-	110-129	8	1	8
4-	90-109	27	0	0
5-	70-89	22	-1	-22
6-	50-69	10	-2	-20
		70		

$\Sigma fx^{I} = -27$

$$m = A.M. + \frac{\Sigma fx^{I}}{N} \times CI$$

$$249.5 + \frac{-72}{70} \times 20$$

$$249.5 + \frac{-144}{7}$$

$$249.5 \; -20.5$$

$$= 229$$

$$m = A.M. + \frac{\Sigma fx^{I}}{N} \times CI$$

$$m = 99.5 + \frac{-27}{70} \times 20$$

$$99.5 + \frac{-54}{7}$$

$$99.5 \; -7.7$$

$$= 91.8$$

Table No.11

Frequency distribution in Scatter Digram of J.N.V. boy's E. A. Scores & S.E.S. Scores

S.E.S. Scores

	80-99	100-119	120-139	140-159	160-169	F
400-419			1	1		2
380-399			6	1		7
360-379			2			2
340-359			5			5
320-339			4			4
300-319			14			14
280-299	1	6	7			14
260-279		7	5			12
240-259	1	2	5			8
220-239	1	1				2
200-219						
F	3	16	49	2		70

Table No.12

Frequency distribution in Scatter Digram of J.N.V. boy's E.A. Scores & S.E.S Scores

S.E.S. Scores

E.A. Scores

C I	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	150-169	Total
400-419				1			1
380-399			1				1
360-379							0
340-359		1		2			3
320-339		1					1
300-319		1	1	1		1	4
280-299		2	2	1	1		6
260-279		2	1		1		4
240-259		1	2	1			4
220-239	2	3	4	1			10
200-219	1	3	9				13
180-199		3	2				5
160-179		1	3				4
140-159		4	1				5
120-139	1		1				2
100-119	1			1			2
80-99	5						5
Total	10	22	27	8	2	1	

Table For Correlation Cofficient of H.S.S. boy's Socio - Economic-Status Scores (X Axis)

Y Axis Educational Acheivement Score

C I	50-69	70-89	90-109	110-129	130-149	150-169	F(X′)	x′	fx′	fx²	x′ y′
400-419				0 1^{0}			1	-8	-8	64	0
380-399			7 1^{7}				1	-7	-7	49	7
360-379							-	-6	-	-	-
340-359		10 1^{10}		0 2^{0}			3	-5	-15	75	10
320-339		8 1^{8}					1	-4	-4	16	8
300-319			6 2^{3}	0 1^{0}		-6 1^{-6}	4	-3	-12	36	-3
280-299		8 2^{4}	4 2^{2}	0 1^{0}	-2 1^{-2}		6	-2	-12	24	4
260-279		4 2^{2}	1 1^{1}		-1 1^{-1}		4	-1	-4	4	2
240-259		0 1^{0}	0 2^{0}	0 1^{0}			4	0	0	0	0
220-239	-6 2^{-3}	-4 2^{-2}	-6 6^{-1}	0 1^{0}			11	1	11	11	-6
200-219	-6 1^{-6}	-12 3^{-4}	-18 9^{-2}				13	2	26	52	-12
180-199	-18 2^{-9}	-6 1^{-6}	-6 2^{-3}				5	3	15	45	-18
160-179		-8 1^{-8}	-8 2^{-4}	0 1^{0}			4	4	16	64	-12
140-159		-40 4^{-10}	-5 1^{-5}				5	5	25	125	-15
120-139	-18 1^{-18}		-6 1^{-6}				2	6	12	72	-24
100-119	-21 1^{-21}						1	7	7	49	-21
80-99	-120 5^{-24}						5	8	40	320	-24
60-79							-	9	9	-	-
f y	12	18	29	8	2	1	70		$\Sigma fx'$= 99	Σfx^2= 1006	$\Sigma x'y'$=-10
y′	-3	-2	-1	0	1	2					
f y′	-36	-36	-29	0	2	2	$\Sigma fy'$ = 97				
f y²	108	72	29	0	2	4	Σfy^2 = 215				
x′y′	-81	-6	-8	0	-3	-6	-104				

$Sx'y'$ (Check)

$$Cx' = \frac{\Sigma fx'}{N} \qquad Cy' = \frac{\Sigma fy'}{N}$$

$$= \frac{99}{70} \qquad Cy' = \frac{-97}{70}$$

$$Cx' = 1.414 \qquad Cy' = -1.385$$

$$\sigma x' = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - \frac{(\Sigma fx')^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{1006}{70} - \frac{(99)^2}{70}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1006 - 9801}{70}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-8795}{70}\right)}$$

$$= \sqrt{125.64}$$

$$\sigma x' = 11.209$$

$$\sigma y' = \sqrt{\frac{\Sigma fy'^2}{N} - \frac{(\Sigma fy')^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{215}{70} - \frac{(-97)^2}{70}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{215 - 9409}{70}\right)}$$

$$= \sqrt{131.34}$$

$$\sigma y' = 11.46$$

$$r = \frac{\left(\frac{\Sigma x'y'}{N}\right) - \frac{Cx'Cy'}{N}}{\sqrt{\sigma x' - \sigma y'}}$$

$$r = \frac{\left(\frac{-140}{70}\right) - (1.414)(-1.385)}{\sqrt{11\text{-}209 - 11.46}}$$

$$r = \frac{-1.485 + 1.958}{\sqrt{(-0.251)}}$$

$$r = \frac{0.47339}{0.5009}$$

$r = .94507$ Ans-

$r = .94507$

Ans- Best Correlafion

Table For Correlation Cofficient of J.N.V. boy's

Socio - Economic-Status Scores (X Axis)

Y Axis Educational Acheivement Score

C I	80-99	100-119	120-139	140-159	160-179	F(X')	X'	FX'	FX²	X'Y'
400-419			$5\ 1^{5}$	$10\ 1^{10}$		2	5	10	50	15
380-399			$24\ 6^{4}$	$8\ 1^{8}$		7	4	28	112	12
360-379			$6\ 2^{3}$			2	3	6	18	3
340-359			$10\ 5^{2}$			5	2	10	20	2
320-339			$4\ 4^{1}$			4	1	4	4	1
300-319			$0\ 14^{0}$			14	0	0	0	0
280-299	$1\ 1^{1}$	$0\ 6^{0}$	$-7\ 7^{-1}$			14	-1	-14	-14	0
260-279		$0\ 7^{0}$	$-10\ 5^{-2}$			12	-2	-24	48	-2
240-259	$3\ 1^{3}$	$0\ 2^{0}$	$-15\ 5^{-3}$			8	-3	-24	48	-2
220-239		$0\ 1^{0}$				2	-4	-8	32	4
f y	3	16	49	2		70		$\Sigma fx' = -12$	$\Sigma fx^2 = 370$	$\Sigma X'Y' = 35$
y'	-1	0	+1	+2						
f y'	-3	0	49	4		50				
f y²	3	0	49	8		60				
x'y'	8	0	9	18		35				

$Sx'y' = 56$

(Check)

$$Cx' = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{-12}{70}$$

$$Cx' = 0.1714,$$

$$Cy' = \frac{\Sigma fy'}{N} =$$

$$Cy' = 0.7142$$

$$\sigma x' = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - \frac{(\Sigma fx')^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{370}{70} - \frac{(-12)^2}{70}}$$

$$= \sqrt{5.285 - 2.057}$$

$$= \sqrt{3.228}$$

$$= 1.79666$$

$$\sigma x' = 1.797$$

$$\sigma y' = \sqrt{\frac{\Sigma fy'^2}{N} - \frac{(\Sigma fy')^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{64}{85} - \frac{(54)^2}{85}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{64 - 2916}{85}\right)}$$

$$= \sqrt{-33.552}$$

$$\sigma y' = 5.7924$$

$$\sigma x' = \sqrt{\frac{60}{70} - \frac{(50)^2}{70}}$$

$$\sigma x' = \sqrt{0.8571-35.71}$$

$$\sigma x' = \sqrt{-34.852}$$

$$\sigma x' = 5.9036$$

$$r = \frac{\left(\frac{\Sigma x'y'}{N}\right) - \frac{Cx'Cy'}{N}}{\sqrt{\sigma x' - \sigma y'}}$$

$$r = \frac{(35/70) - (-0.1714)(0.7142)}{\sqrt{1.797 - 5.9036}}$$

$$r = \frac{0.5 + 0.1224138}{\sqrt{-4.1066}}$$

$$r = \frac{0.62241}{2.0265}$$

$$r = 0.30714$$

संदर्भित पुस्तको की सूची

1. सुखिया:– एस.पी.एवं मेहरोत्रा पी.वी.
" शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व"
विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1984

2. भांई योगेन्द्र जीत:–
" शैक्षिक एवं विद्यालय प्रशासन"
विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1984

3. कोचर:– एस.के.:–
" सैकण्डरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन "
र्स्टलिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1978

4. सुखिया:– एस.पी.:–
" विद्यालय प्रशासन एवं संगठन "
विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1982

5. वर्मा, डा. रामपाल सिंह:–
" विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ शिक्षा "
विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1982

6. एल. ई.सी., सी. डी. धन:–
" इनसाइ क्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल "
रिसर्च भाग 1983

7. चौबें, सरयूप्रसाद (1989):–
" हमारी शिक्षा की समस्या "
विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1989

8. भटनागर, डा ए. वी., मीनाक्षी भटनागर:–
" मापन एवं मूल्याकंन "
1992

9. डा. कपिल एच. के.:–
सांखिकी के मलतत्व

10. शर्मा डा. आर. ए.:–
फंडामेटल ऑफ ऐजूकेशनल रिसर्च

11. नागर कैलाश नाथ:–
सांख्यिकी के मूल तत्व

12. शर्मा जे.वी. :–
आनन्द प्राचार्य पथ प्रदर्शक
"आनन्द प्रकाशन पाटनकर बाजार ग्वालियर

13. शिक्षा की चुनौती:–
" नीति सम्बन्धी परिपेक्ष्य"
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली अगस्त 1985

14. वार्षिक रिपोर्ट 1996–97:–
"नावोदय विद्यालय समिति "
बंगाल आफसेट वर्क्स 335 खजूर रोड, करोल बांग नई दिल्ली

गोपनीय

S E S S
FORM B (RURAL)

डॉ. एस. पी. कुलश्रेष्ठ

कृपया इन्हे भरियेः–

नाम–　　　　　　　　　　आयु–

ग्राम–　　　　　　　　　　तहसील–

जिला–　　　　　　　　　　तारीख–

पूरा पता–

निर्देश

इस परिसूची में आपके परिवार के बारे में कुछ सूचनाये मांगी गयी है अतः आप अपने माता/पिता, सबसे बडे भाई/सबसे बडे बहिन/के बारे में सही सूचनाये भरिये। विश्वास रखिये कि आपके द्वारा दी गयी सूचनाये गुप्त रखी जायेगी और किसी भी हालत में किसी को भी नहीं बताई जायेंगी। इस परिसूची में प्रत्येक प्रश्न के कई संम्भावित उत्तर दिये गये हैं– आप इनमें से अपने परिवार के उपर लागू होने वाले उत्तरो को चुनिये और उनके सामने बने कोष्ठो में सही का निशान (√) लगा दीजिये।

	माता	पिता	सबसे बड़ा भाई	सबसे बड़ा बहिन
1. आप क्या काम करते हैं?				
(क) कोई काम नही करते	( )	( )	( )	( )
(ख) कृषि– मजदूर	( )	( )	( )	( )
(ग) पशुपालन, वन, मछली, शिकार व पौध लगाना आदि	( )	( )	( )	( )
(ध) छोटे– छोटे धरेलू काम	( )	( )	( )	( )
(य) धरेलू काम के अलावा अन्य प्रकार का सामान तैयार करना	( )	( )	( )	( )
(र) निर्माण	( )	( )	( )	( )
(ल) व्यापार एवं दुकानदारी	( )	( )	( )	( )
(व) यातायात, संग्रहण तथा संचार	( )	( )	( )	( )
(स) अन्य प्रकार के कार्य	( )	( )	( )	( )
(ह) खेती	( )	( )	( )	( )

2. आप किस जाति के है?

शूद्र ( ) वैश्य ( ) क्षत्री ( ) ब्राहमण ( )

3. आप कितने पढें–लिखे है?				
(क) बिल्कुल नहीं पढें	( )	( )	( )	( )
(ख) केवल पढ़ सकते है	( )	( )	( )	( )
(ग) पढ़ व लिख सकते है	( )	( )	( )	( )
(ध) प्राइमरी	( )	( )	( )	( )
(य) मिडिल	( )	( )	( )	( )
(र) हाई–स्कूल	( )	( )	( )	( )
(ल) स्नातक	( )	( )	( )	( )
(व) स्नातकोत्तर	( )	( )	( )	( )

4. आप्र कितनी संस्थाओ (राजनीतिज्ञ, सामाजिक, ग्रामीण व सांस्कृतिक आदि) के सदस्य है?

(क) किसी के नहीं ( )
(ख) एक संस्था के ( )
(ग) एक से अधिक संस्था के ( )
(ध) पदाधिकारी ( )
(ग) बडे सार्वजनिक नेता ( )

5. आपका कैसा धर है?

(क) अपना धर नहीं है ( )
(ख) झोपडी ( )
(ग) कच्चा ( )
(ध) कच्चा पक्का ( )
(स) पक्का ( )
(र) पक्का बड़ा ( )

6.आपके धर में क्या–क्या चीजें है?

कैमरा ( ), धडीं ( ), अलमारी ( ), साईकिल ( ), दीवार ( ),
रेडियो ( ), कुर्सी–मेज ( ), सिलाई–मशीन ( ), स्टोव ( ),
मोटर–साईकिल ( ), उन्नतशील कृषि यंत्र ( ), अन्य ( ), हाथी ( ), धोडा ( ), उँट ( )

7. आपके परिवार की औसत मासिक आमदानी कितनी है?

(क) 50 रू. से कम ( )
(ख) 50 रू. 100 रू. के बीच ( )
(ग) 101 रू. 200 रू. के बीच ( )
(ध) 201 रू. 300 रू. के बीच ( )
(य) 301 रू. 400 रू. के बीच ( )
(र) 401 रू. 500 रू. के बीच ( )
(ल) 501 रू. 700 रू. के बीच ( )
(व) 701 रू. 1000 रू. के बीच ( )
(स) 1000 रूपये से उपर ( )

8. आपके पास कितनी जमीन है?

(क) नहीं है ( )
(ख) 1 बीघा से कम ( )
(ग) 1 से 5 बीघा के बीच ( )
(ध) 6 से 20 बीघा के बीच ( )
(य) 21 से 50 बीघा के बीच ( )
(र) 51 से 75 बीघा के बीच ( )
(ल) 75 से 100 बीघा के बीच ( )
(व) 100 बीघा से उपर ( )

9. आपका परिवार कैसा है?

(क) एकाकी ( )
(ख) संयुक्त ( )

10. आपके परिवार में कितने सदस्य है?

(क) 3 या 3 से कम ( )
(ख) 3 व 5 के बीच ( )
(ग) 5 से कम ( )

11. आपके पास कितने बच्चे हैं?

(क) नहीं है ( )
(ख) केवल लड़किया है ( )
(ग) लड़के व लड़किया दोनो है ( )
(ध) केवल लड़के हैं ( )

12. आपके धर में कितने जानवर है?

(क) नहीं है ( )
(ख) 2 से कम ( )
(ग) 3 व 5 के बीच ( )
(ध) 5 से अधिक ( )

13. आपके धर पर दूध देने वालें जानवर कितने है?

	भैस	गाय	बकरी
(क) नहीं है	( )	( )	( )
(ख) 2 से कम	( )	( )	( )
(ग) 2 व 3 के बीच	( )	( )	( )
(ध) 3 से अधिक	( )	( )	( )

14. क्या आप खेती–

(क) खुद करते है ( )

(ख) दूसरो से करवाते है ( )

15. क्या आपको परिवार नियोजन मे विश्वास है?

हाँ ( ) नही ( ) अनिश्चिय ( )

16. क्या आपके धर पत्र –पत्रिकाये आती है?

हाँ ( ) कभी–कभी ( ) नही ( )

17. गांव में कोई विशेष बात या धटना होने पर आपकी राय ली जाती है?

नही ( ) कभी– कभी ( ) बहूधा ( )

18.क्या आपके धर नौकर रहता है?

हाँ ( ) नहीं ( )

19. क्या आप कृषि के नये ढंगो, फसल की नई किस्मों आदि को एकदम स्वीकार कर लेते है?

(क) हाँ ( )

(ख) अनिश्चित ( )

(ग) नही ( )

20. आपके परिवार का कितना रूपया जमा है या जरूरत पड़ने पर एकदम इकटठा कर सकते है?

धन	जमा	उधार	एकदम जरूरत पड़ने पर इकट्ठ कर सकमा
(क) 50 रू. से कम	( )	( )	( )
(ख) 50 रू. 100 रू. के बीच	( )	( )	( )
(ग) 101 रू. 200 रू. के बीच	( )	( )	( )
(ध) 201 रू. 300 रू. के बीच	( )	( )	( )
(य) 301 रू. 400 रू. के बीच	( )	( )	( )
(र) 401 रू. 500 रू. के बीच	( )	( )	( )
(ल) 501 रू. 700 रू. के बीच	( )	( )	( )
(व) 701 रू. 1000 रू. के बीच	( )	( )	( )
(स) 1000 रूपये से उपर	( )	( )	( )

Total Score [ ] Category [ ]